राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तिरेपनवां दिवस [संख्या: 19

गुरुवार,

16 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सवाल ही पूछ लूं सीधा?

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्न तो बोलो।

छबड़ा में आगजनी व लूटपाट की घटना

291. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11 अप्रैल, 2021 को छबड़ा कस्बे में दंगा, आगजनी व लूटपाट की घटना घटित हुई है? यदि हां, तो उक्त घटना में किन-किन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई व उक्त दर्ज मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है? यदि हां, तो किन-किन की तथा वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। घटना के बाबत दर्ज मुकदमों में नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) 23 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अब मैं बोलूंगा कि उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय मंत्री जी, प्रश्न पूछने दो उनको।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, यह जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, इस प्रकरण में नामजद आरोपियों को 2 वर्ष बाद भी गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण हैं? इस लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? इनके विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: काफी है इतना। इतना प्रश्न काफी है। दो का जवाब आने दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रकरण है। 11.04.2021 को छबड़ा में दंगा हुआ, आगजनी हुई, लूटपाट हुई। कुल मिलाकर उसमें 24 प्रकरण दर्ज हुए। 24 में से 22 प्रकरण तो सिविलियंस ने दर्ज कराये और 2 थानाधिकारी ने दर्ज कराये। उसमें जो शुरू-शुरू में तफ्तीश हुई उसमें 152 आदमियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। फिर उसके बाद अनुसंधान चालू हुआ। अनुसंधान के दौरान 137 व्यक्तियों के नाम और जोड़ दिये गये। इस प्रकार कुल मिलाकर 289 व्यक्तियों के विरुद्ध जांच शुरू हुई और 289 आदमियों में से अनुसंधान के दौरान 85 आदमियों को दोषी नहीं माना गया। अब कुल मिलाकर 204 आदमी रह गये। 204 व्यक्तियों को दोषी पाया गया, जिसमें से 116 व्यक्तियों को तो गिरफ्तार कर लिया, 65 आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं, जिन्होंने थाने में जमानत तस्दीक करवा ली। अब कुल मिलाकर के 23 आदमी रह गये। अब आपने पूछा कि 23 आदमियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अब गिरफ्तारी में टाइम तो लगता ही है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 2 साल लगते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मंत्री का उत्तर नहीं सुनना? पूछिये अब।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मुल्जिम छबड़ा में खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पकड़ने में क्या 2 साल लगते हैं? दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि छबड़ा दंगे के आरोपी मुख्य मंत्री की रोजा इफ्तार पार्टी में कैसे पहुंच गये? बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई मुख्य मंत्री के यहां छबड़ा का आदमी आ नहीं सकता। कलेक्टर के यहां से नाम आते हैं। फिर रोजा इफ्तार पार्टी में जो दंगे के

(श्री प्रताप सिंह)

मुल्जिम थे, उस टाइम पर उनकी जमानत भी नहीं हुई थी। मुख्य मंत्री के यहां रोजा इफ्तार पार्टी में कैसे पहुंच गये? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रोजा इफ्तार पार्टी हर वर्ष होती है मुख्य मंत्री जी के यहां। उसमें निश्चित रूप से कई लोगों को इन्वाइट किया जाता है। लेकिन कई बार, कई बार ही नहीं, हमेशा यह देखा गया है कि एक हजार आदमियों को इन्वाइट किया गया और 2 हजार आदमी पहुंच जाते हैं। अब उसका कोई इन्विटेशन सीएमओ के यहां से जारी हो गया हो तो वह बता दो आप मुझे। अब वह किसी के साथ आकर के चला गया, कौन ने पहचाना कि कौन क्या है, क्या नहीं है वह?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इन्विटेशन में कलेक्टर के यहां से उसका नाम आया है कि मुख्य मंत्री के यहां आपको रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचना है। वह जो मुल्जिम था उसका कलेक्टर ने कैसे नाम भेज दिया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप इन्विटेशन बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। मंत्री खड़े हैं न। आपके पास यदि यह सूचना है कि सीएमओ से गया तो आप पेश कर दें। बात खतम हुई, कार्यवाही होगी।

अगला प्रश्न। बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप देखें।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें। नीचे बैठें। मदन दिलावर, I will name you. I will name you. Mr. Madan Dilawar, I will name you. Mr. Rathore, I will not tolerate it. बैठें प्लीज, नीचे बैठें। मंत्री जी, जवाब नहीं। आप नीचे बैठें। नीचे बैठें, I will not allow it. आपका यह तरीका है तो बंद करो हाउस को। आपको बोल दिया कि है तो लाकर के प्रोड्यूस कीजिये। मदन दिलावर, मैं फिर आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आपकी यही टेंडेंसी रही तो, I will deprive you to give an opportunity to speak in the House. बहुत गलत है। सीनियर आदमी होकर आप इस तरह की परंम्परा डाल रहे हैं।

अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ में विद्युत कनेक्शन से विहीन विद्यालय

292. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में ऐसे कुल कितने राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जहां पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में से वर्तमान में 08 राप्रावि एवं 01 राउप्रावि, कुल 09 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है, जबकि माध्यमिक शिक्षान्तर्गत संचालित समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है।

(2) जी हां। विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य समग्र शिक्षान्तर्गत, सी.एस.आर., जन सहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह कार्य इन योजनाओं के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इस कार्य को चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 01.01.2021 के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

इसी क्रम में राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ को विशेष अभियान चलाकर जिले के विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन कराया जाना सुनिश्चित करने बाबत अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 08.07.2022 लिखा गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले भी यह प्रश्न पूछ चुका हूं। यह दूसरी बार है। प्रश्न के उत्तर में प्रेषित 'ख' में मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को दिनांक 01 जनवरी, 2021 को लिखे गये पत्र में विद्युत विहीन विद्यालयों की संख्या 11,154 बतायी गयी है, लेकिन ठीक 01 वर्ष बाद 8 जुलाई, 2022 को राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा जिला कलेक्टर को लिखे गये पत्र में विद्युत विहीन विद्यालयों की संख्या 12,093 दर्शायी गई है। क्या कारण रहे हैं कि 01 वर्ष के अंतराल में 993 विद्यालय बगैर बिजली कनेक्शन बढ़ गये हैं? इसका कारण क्या है? काट दिये गये हैं या ऐसा क्या हुआ कि और बढ़ गये हैं?

दूसरा यह है कि क्या सरकार, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 09 विद्यालय और चित्तौड़गढ़ में कुल 211 विद्यालय हैं, इनमें बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? इसका पहले भी मैंने पूछा है, उसमें तारीख नहीं बतायी है। आप तारीख बता दें कि कब तक इनके कनेक्शन करवा दिये जायेंगे? क्योंकि गांवों में जो गर्मी है उसकी वजह से परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, प्रश्न हो गया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनका जो मूल प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ विधान सभा में कुल कितने विद्यालय हैं जिनमें नहीं है। इनमें 08 तो प्राथमिक विद्यालय हैं और 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय में कनेक्शन नहीं हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला छापियाखेड़ी की फाइल व डिमांड विद्युत विभाग में जमा करा दी गयी है। कनेक्शन जल्दी ही होने की संभावना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका स्पेसिफिक प्रश्न है। यह पहले भी दिया गया है कि किस तारीख तक इन 9 स्कूलों में कनेक्शन हो जायेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इनके विधान सभा क्षेत्र में आगामी 6 महीने में तमाम जो बचे हुए स्कूल हैं उनमें कनेक्शन कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: 9 विद्यालयों में 6 महीने लगेंगे? मंत्री जी, इनके 2 प्रश्न हैं। एक तो इन्होंने टोटल बताया कि चित्तौड़ में 211 हैं। इन 9 विद्यालयों के

(श्री अध्यक्ष)

बारे में सूचना पहले भी दी गयी है। प्रश्न पूछा गया है और आज दिन तक वह कनेक्शन नहीं हुए हैं। पहला तो यह है कि 9 वालों में कब हो जायेंगे और 211 वाले में कब हो जायेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ऐसा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सितम्बर, 2018 तक 65 परसेंट विद्युत विहीन स्कूलें थीं। इनमें से करीब-करीब 98 परसेंट स्कूलों में विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं। अभी हमने समग्र शिक्षा में 5 स्कूलों में चित्तौड़गढ़ जिले में पैसे दिये हैं। प्रत्येक यूनिट को 75 हजार रुपये दिये हैं। इन 5 स्कूलों का जैसे ही हो जायेगा, उसके बाद आगे जैसे-जैसे बजट उपलब्ध होगा। इसलिए आश्वासन में सेफ रहकर कहा है कि आगामी 6 महीने में इनके विधान सभा की सभी स्कूलों के कनेक्शन करवा देंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी 2021 में पूछा, तब भी स्थिति यही थी और 2021 के बाद 2023 में पूछ रहा हूं, वह की वही स्थिति आज भी है। आज की तारीख में वही स्कूलें, वही हैं। बढ़ी और हैं, घटी नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि 6 महीनों में, 6 महीने कौन देखेगा? क्या पता ये मंत्री जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: कुछ काम आपको भी करने पड़ेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 6 महीने हम रहेंगे और आगे भी हम रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, 2021 से लगाकर 2023 आ गया। उनका प्रश्न यह है कि 2021 में भी वही स्थिति थी और 2023 में भी वही स्थिति है। इसका मतलब 2 साल में स्कूलों में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ऐसी स्थिति नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 01 स्कूल में डिमांड नोटिस जमा हो गया। इनकी एक-एक स्कूल का मैं बता सकता हूं। चित्तौड़गढ़ दल्ला का खेड़ा में विद्युत विभाग में जमा करायी गयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, डिटेल में नहीं, प्लीज। आप जनरल बात करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 9 स्कूलों में से एक-एक का ब्यौरा।

श्री अध्यक्ष: आप तो सिम्पल बता दें कि 2021 से 2023 तक कितने कनेक्शन हुए? 2021 से लगाकर 2023 तक चित्तौड़ में कितने कनेक्शन हुए?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 2021 और उसके बीच में मैं तो था ही नहीं, मैं तो अभी सवा साल से हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे आने के बाद...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। मंत्री जी, I am on legs. Please understand it, you are the government, whether you are a minister or not; it is irrelevant. आप जब यहां पर जवाब देते हैं तो मंत्री की हैसियत से जवाब देते हैं। पिछला कौन मंत्री था, मंत्री नहीं था, उससे कोई संबंध नहीं है। सिम्पल यह है कि 2021 से लगाकर 2023 तक आपके पास सूचना हो तो बता दें। अगर सूचना नहीं हो तो सूचना कलेक्ट करके दे दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अलग से प्रश्न करेंगे तो बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न नहीं। आप इसी प्रश्न की सप्लीमेंट्री में इनको सूचना दे दें कि 2021 से 2023 तक चित्तौड़ में इतने कनेक्शन हुए।

अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, बैठें प्लीज, I will not allow it.

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में पत्रकारों को आवासीय भूखण्ड

293. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पत्रकारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड देने की प्रक्रिया चल रही है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त को किस स्थान पर भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है तथा किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। नगर परिषद् ब्यावर द्वारा साकेत कालोनी ग्राम नया नगर के खसरा नंबर 1762/2 में पत्रकारों को आवासीय प्लाट दिये जाने के संबंध में विभाग को पत्र मय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनका विभागीय स्तर पर समुचित परीक्षण किये जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि खसरा नम्बर 1762/2 में पिछले चार साल से नगर परिषद् ने साधारण सभा से सर्वसम्मति से पास करके पत्रकारों को नि:शुल्क प्लाट देने के लिए डीएलबी को फाइल भेज रखी है, आप यह बता दें कि डीएलबी से निकलकर चार साल में कब तक इनको पट्टे मिल जाएंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूर्व में प्रस्तावित स्थल खसरा नम्बर 1075/3 की भूमि के सम्बन्ध में एक प्रकरण न्यायिक विवाद का अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंह जी, आपकी जगह बदलने के लिए बोलूं क्या? रोज की बात है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरे को तो आपने आगे से पीछे बैठा दिया।

श्री अध्यक्ष: मैं और पीछे कर देता हूं आपकी। आपकी जगह आगे नहीं थी। आप बैठें। यह मेरा काम नहीं है, आप अपनी पार्टी के व्हिप से बात करें। वो और पीछे भेज देंगे हमारे कहने से।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं दोबारा पढ़ देता हूं।

पूर्व में प्रस्तावित स्थल खसरा नम्बर 1075/3 की भूमि के सम्बन्ध में एक प्रकरण न्यायिक विवाद का अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। परिषद् द्वारा 12 अन्य आबंटियों को जारी लीज डीड जमा करवाकर नवीन सृजित कालोनी खसरा नम्बर 1762/2 को इनको लीज डीड जारी करने और शेष पत्रकारों को नियमानुसार लाटरी निकाले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में परिषद् के प्रस्ताव का समुचित विधिक परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन न्यायिक जांच में पड़ा हुआ है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाह रहा हूं कि यह न्यायिक जांच में नहीं, सिर्फ डीएलबी में पड़ा हुआ

(श्री शंकर सिंह रावत)

है, उसे आप चाहें, कब तक मिल जाएगा, वे पत्रकार इंतजार ही कर रहे हैं, यह बता दो आप तो। चार साल से इंतजार कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रस्ताव तो आपका डीएलबी में ही पड़ा हुआ है, लेकिन मामला न्यायालय में उलझा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री खुशवीरसिंह।

गिलाई सागर (खण्डार) में रणथम्भौर टाइगर सैंक्चुअरी का गेट खोलने की योजना

294. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन) (श्री अशोक (खण्डार) के स्थान पर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या रणथम्भौर टाइगर सैंक्चुअरी का एक गेट गिलाई सागर, खण्डार में स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का गेट खोलकर पर्यटन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): जी हां। गिलाई सागर खण्डार रेंज में स्थित गेट प्रोटेक्शन नाका चौकी के उपयोग हेतु है। यह क्षेत्र CTH (कोर एरिया) में आता है तथा बिना एनटीसीए की पूर्वानुमति के कोर एरिया में नये पर्यटन जोन नहीं खोले जा सकते हैं। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का टाइगर कन्जर्वेशन प्लान (टीसीपी) वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की अवधि के लिए एनटीसीए को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें गिलाई सागर एवं आसपास के क्षेत्र को कोर एरिया से बफर में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया है।

एनटीसीए से टीसीपी का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त गिलाई सागर के आसपास के क्षेत्र में कोर एवं बफर क्षेत्र रेशनलाइज किया जाकर गिलाई सागर गेट से पर्यटन रूट चालू किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें उत्तर दिया है कि एनटीसीए को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है

(श्री खुशवीरसिंह)

अतिरिक्त गेट खोलने के लिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार गंभीर है क्योंकि अभी वहां पर जितने गेट हैं वे ओवर क्राउडेड चल रहे हैं और अधिक पर्यटकों का दबाव है, तो मैं चाहूंगा कि इनको पुनः खोलने के लिए क्या शीघ्र कार्यवाही करने जा रहे हैं और कब-कब इसके लिए आपने पत्र भेजा है एनटीसीए को?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का टाइगर कंजर्वेशन प्लान, टीसीपी 2022-23 से 2031-32 तक की अवधि के लिए एनटीसीए भारत सरकार को अनुमोदन हेतु 09.05.22 को प्रस्तुत किया है। गिलाई सागर एवं आसपास के क्षेत्र के सीटीएसए को बफर क्षेत्र में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। एनटीसीए से टीसीपी का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत गिलाई सागर के आसपास के क्षेत्र को कोर एरिया से बफर क्षेत्र में परिवर्तित करने का वैधानिक प्रस्ताव भिजवाया जाकर कोर एवं बफर क्षेत्र रेशनलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद ही ये गेट पर्यटन के लिए चालू किया जा सकेगा।

रणथम्भौर में कुल 10 पर्यटन जोन हैं। इन 10 के 16 गेट हैं, जिनमें से 8 तो सिंगल गेट हैं, बाकी के 3 के डबल गेट हैं, एंट्री गेट और एग्जिट गेट अलग-अलग हैं। ये जो दो आप कह रहे हो, बफर क्षेत्र नये जोन प्रस्तावित किये हैं, इनको 09.02.2022 को भेजा है और उसके बाद में एनटीसीए ने कुछ आब्जेक्शन लगाए, उनको रिमूव करके 16.12.2022 को एनटीसीए को हमारी तरफ से लिख दिया गया है। मैंने विभाग को यह निर्देश दे दिया है कि इसको फोलो करे और पीछे पड़कर एनटीसीए से अनुमति प्राप्त करके इसको जल्दी से जल्दी चालू करें जिससे पर्यटकों को लाभ मिल सके।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, माननीय मंत्रीजी। मैं चाहूंगा इसके लिए थोड़ी शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

तलाऊ बांध (बड़ी सादड़ी) की क्षतिग्रस्त नहरें

295. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में तलाऊ गांव के पास बांध बना हुआ है? यदि हां, तो उक्त की भराव क्षमता कितनी है?

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

उक्त के निर्माण व मरम्मत पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की आवक व नहरें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में तलाऊ गांव के पास वागन सिंचाई परियोजना निर्मित है, जिसकी कुल भराव क्षमता 1435.65 मिलियन घन फीट है। इसके निर्माण पर कुल रुपये 1350 लाख की राशि खर्च की गई थी तथा इसकी मरम्मत पर अब तक हुई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त बांध की नहरें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु डीपीआर बनाने का कार्य चालू किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जबकि ये नहरें पूरी, शुरू से लेकर आखिर तक क्षतिग्रस्त हैं, आप इसको पुन: दिखाने का विचार रखते हैं क्या? आपने मरम्मत की व्यय राशि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में जो बताई है उसमें क्या-क्या कार्य किये गये हैं? इसमें सामग्री मद भी है या नहीं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम इसको स्वीकार कर रहे हैं कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जो भी क्षतिग्रस्त होगी, विभाग का पूरा एस्टीमेट बनेगा और एस्टीमेट बनने के बाद में हमारे पास में आएगा और हमारे पास जैसे ही संसाधनों की उपलब्धता होगी, वैसे भी हमने इसको प्रक्रिया में लाया हुआ है, इस कार्य को हम प्रारम्भ करवाएंगे।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मरम्मत की जो राशि बता रखी है 2021-22 में 8 लाख 64 हजार, 2022-23 में 3 लाख 34 हजार, इसमें क्या-क्या कार्य किये गये हैं? इसमें सामग्री मद का भी कुछ काम है या नहीं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

महोदय, सामग्री मद का तो मेरे पास अलग से कोई उपलब्ध नहीं है, होगा तो मैं इनको उपलब्ध करवा दूंगा लेकिन वर्ष 2013-14 में 64.70, वर्ष 2021-22 में 8.64 और वर्ष 2022-23 में 3.34 लाख रुपये खर्च हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मैटेरियल कम्पोनेंट की सूचना हो तो इनको दे दें। अगला प्रश्न।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): अलग से दे दूंगा।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): आपके पास सितम्बर, 2022 को वहां से 20 करोड़ के प्रस्ताव उक्त बांध को और नहरों को मरम्मत करने के आये हुए हैं, वो विचाराधीन हैं आपके पास, उनको तुरंत स्वीकृत करें आप। आये हुए हैं क्या आपके पास?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): मैं इसकी जानकारी विभाग से प्राप्त कर लूंगा। लेकिन पहले ही क्वेश्चन के आंसर में मैं कह चुका हूं कि इसकी डीपीआर बनाई जा रही है जब भी डीपीआर बनकर आ जाएगी, तब इस पर एग्जामिन कर लेंगे।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): जल्दी करवा दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जे.पी. चन्देलिया।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सरकारी मद की राशि पुन: जमा कराने की कार्ययोजना

296. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना) के स्थान पर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सरकार द्वारा जारी सरकारी मद की राशि अन्य बैंकों में चली गई है? यदि हां, तो क्या सरकार, सरकारी मद की राशि उक्त बैंकों में पुन: जमा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

ब्याज की दो प्रतिशत राशि देती है जो व्यवस्थापकों का वेतन व अन्य प्रबंध व्यय हेतु पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के वेतन व अन्य व्यय हेतु पृथक् से फण्ड जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण सरकारी मद की राशि अन्य बैंकों में नहीं गई है। अपितु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुसूचित बैंक की सूची में केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्मिलित नहीं होने के कारण इन बैंकों में राजकीय मद की राशि के विनियोजन में कमी आई है।

(3) सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को फसली ऋण व्यवसाय पर 02 प्रतिशत ब्याज मार्जिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसका उपयोग समिति अपने विविध खर्चों हेतु उपयोग कर सकती है।

राज्य सरकार के स्तर से व्यवस्थापकों के वेतन व अन्य व्यय हेतु अलग से फण्ड जारी किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह से हैं, इनको फलने-फूलने के लिए और अन्य बैंकों से काम्पीटिशन करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के क्या कोई एक्स्ट्रा इन्सेंटिव देने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसएस को मजबूत करने के लिए जो ब्याज ऋण दिया जाता है उस पर 02 प्रतिशत इन संस्थाओं को दिया जाता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और इनको और मजबूत करने के लिए कस्टमर हायर सेंटर के माध्यम से ट्रैक्टर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे इनको आय हो

(श्री अंजना उदयलाल)

और इससे और मजबूत हो सकें तो प्रयास बराबर जारी हैं। कम्प्यूटराइज किया जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है और 40 प्रतिशत राशि राजस्थान सरकार देती है, इससे भी इनकी आय में प्रगति होगी और जल्दी काम हो पाएंगे। विभिन्न तरीके से आय बढ़ाने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): जब से ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ है पैसे जमा कराने का, तब से केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जो पैसा सरकारी मद से आता है वह अन्य बैंकों में जा रहा है, इसको चैक करने के लिए कोई उपाय राज्य सरकार करेगी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): यह गलत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार केन्द्रीय बैंकों में ही पैसे जमा कराना पड़ता है, इन बैंकों को अनुमत नहीं किया गया है इसलिए सरकारी राशि कम जमा होती है इनमें और वह केन्द्रीय बैंकों में ही जमा होती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीराराम।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को विद्युत बिलों में छूट

297. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों एवं आमजन को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रभावितों को विद्युत बिल में माफी अथवा छूट से संबंधित प्रावधान भी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला जोधपुर में सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को विद्युत बिल में कब-कब कितनी छूट अथवा माफी की गई? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी हां। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

एवं आम जन को एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता राशि का भुगतान करता है। एसडीआरएफ नोर्म्स में विद्युत बिल माफी का प्रावधान नहीं है।

(3) एसडीआरएफ नोर्म्स में विद्युत बिल माफी का प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या यह सही है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं पर भारत सरकार द्वारा बनायी गयी एसडीआरएफ नीति के अनुसार राज्य स्तर पर कोई विशेष पैकेज प्रदान किया जा सकता है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 में ओलावृष्टि के दौरान दिये गये विशेष पैकेज में प्रदेश के किसानों के बिजली के बिलों को माफ किया गया था? यदि हां, तो किस नीति के तहत?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारा जो भी अनुदान होता है वह एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार होता है। अभी 10.10.2022 को 2022 और 2023 के जो नोर्म्स आये हैं, उनमें बिजली प्रावधान का कोई नियम नहीं है। 2015 में जो भी प्रावधान किये गये हैं, मैं जानकारी करूंगा, सरकार को अधिकार है। हो सकता है, मुख्य मंत्री जी ने विशेष पैकेज के तहत घोषणा कर दी हो, लेकिन इस विभाग में इन नोर्म्स के अनुसार बिजली का बिल माफ नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कालेज के सामने बसों का अस्थायी ठहराव

298. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम को अवैध रूप से संचालित निजी बसों से राजस्व आय का नुकसान उठाना पड़ रहा है? यदि हां तो क्या सरकार बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लाक व आंखों के अस्पताल के सामने निजी बसों के अस्थायी ठहराव को हटाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुमित गोदारा)

(2) क्या सरकार जिन अधिकारियों के मौखिक या लिखित आदेश से उक्त अस्थायी बसों का ठहराव उक्त स्थान के पास प्रारम्भ किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा बिना परमिट संचालित बसों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई की जाती है। गत वर्षों में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा बीकानेर जिले में की गयी कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	कुल चालान	प्राप्त राशि (लाखों में)
2020-21	117	5.53
2021-22	102	15.07
2022-23	101	10.83

पुलिस विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार बीकानेर जिले में विगत 2 वर्षों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निजी बसों के कुल 1967 चालान एवं 63 निजी बसों की जब्ती की कार्रवाई की गयी।

बीकानेर में सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के सुपर स्पेशलिटी ब्लाक व आंखों के अस्पताल के सामने निजी बसों के अस्थायी/स्थायी ठहराव नहीं है।

(2) इस हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य अस्पताल के पास अस्थायी ठहराव हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कह रही है कि मुख्य अस्पताल के पास ठहराव का कोई आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो मेडिकल कालेज चौराहा है, जहां तीन मेडिकल स्टूडेंट्स की डैथ हुई डेढ़ सौ करोड़ का सुपर स्पेशलिटी ब्लाक बना, सवा सौ करोड़ का मेडिसिन विंग बना, आई हास्पिटल बना, वहां पर जो अवैध बस ठहराव हो रहा है और जिसके लिए आप कह रहे हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये, क्या मंत्री जी अपने यहां जयपुर से आदेश जारी करेंगे कि यह जो नियम विरुद्ध अवैध बसों का

(श्री सुमित गोदारा)

ठहराव वहां हो रहा है, उसे रोका जाये? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है, सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल और आई ब्लाक के सामने कोई बसें नहीं ठहरती हैं। यदि वे ठहरती हैं तो मैं जांच करवा लूंगा और निर्देश दूंगा कि वहां बसें नहीं ठहरें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय बहुत गम्भीर है। माननीय मंत्री जी से वापस यह प्रश्न है कि क्या यह सही है कि नियमों की अवहेलना आदतन करने वाले बीकानेर सम्भागीय आयुक्त द्वारा बसों के लिए बिना लिखित आदेश जारी किये गये, जो कि उनकी शैली है, क्योंकि खुद डरते हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): बहुत गम्भीर है, साहब।

श्री अध्यक्ष: गम्भीर तो सब हैं। सिर्फ प्रश्न पूछें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): बिना परिवहन अधिकारी, कलेक्टरेट, पीडब्ल्यूडी व अन्य एजेंसियों की टैक्निकल फिजिबिलिटी के अपनी व्हिम्स एंड फैंसीज के द्वारा नियमों और सुरक्षा के खिलाफ जाकर जो कार्य किया गया है, यदि यह सही पाया जाता है, मैं आपको वीडियो भेजता हूं, आज भी वहां पर ठहराव हो रहा है, क्या सरकार अपने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी कि उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। आप उत्तर चाहते हैं कि भाषण दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां हमारे किसी भी सक्षम अधिकारी ने बसों के ठहराव का कोई आदेश जारी नहीं किया है। मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि जो निर्धारित स्थान है, उसी पर बस ठहरे। जहां तक आपकी अन्य बात का सवाल है, हमारे विभाग ने तो कोई आदेश दिया नहीं है। फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो पहले से निर्धारित मार्ग हैं वहीं पर बसें ठहरें, यह व्यवस्था करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल।

रोनीजाथान (कठूमर) में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

299. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में रोनीजाथान में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना था एवं उक्त के लिए राशि भी स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो कितनी? उक्त संस्थान कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार उक्त संस्थान को प्रारम्भ करने में रुकावट डालने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 321.0.0 के अनुसार कठूमर-अलवर में आईटीआई खोले जाने की घोषणा की गयी।

कठूमर-अलवर में राजकीय आईटीआई के निर्माण हेतु रोनीजाथान में भूमि का आबंटन सम्बन्धित जिला कलेक्टर अलवर द्वारा किया गया है। इसके निर्माण हेतु आरएसआरडीसी को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया जाकर राशि 1045.50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। (परिशिष्ट-1)

निर्माण एजेंसी द्वारा टेंडर जारी कर भवन निर्माण के लिए कार्यादेश क्रमांक पीडी/बीपीआर/2022-23/44 दिनांक 07.12.2022 जारी कर दिये गये हैं। (परिशिष्ट-2)

राजकीय आईटीआई रोनीजाथान, कठूमर (अलवर) वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैम्प राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामगढ़, अलवर में वर्ष 2021-22 से वैल्डर व्यवसाय की एक यूनिट के साथ संचालित है। वर्तमान में वैल्डर व्यवसाय में 20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा आबंटित भूमि के आराजी खसरा संख्या 1657/2.44 हैक्टेयर किस्म सिवाय चक ग्राम रोनीजाथान, तहसील कठूमर की मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने के आदेश माननीय अपर जिला एवं

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

सैशन न्यायालय, लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 09.12.2021 पारित किये गये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाये जाने के पश्चात् भवन निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(2) राजकीय आईटीआई, रोनीजाथान, कठूमर (अलवर) वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैम्प राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामगढ़, अलवर में वर्ष 2021-22 से वैल्डर व्यवसाय की एक यूनिट के साथ संचालित है। वर्तमान में वैल्डर व्यवसाय में 20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अधिकारियों के स्तर पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली गयी है। निर्माण किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। बाबूलाल जी, प्रश्न पूछें। आराम से बैठकर पूछ लें।

श्री बाबूलाल (कठूमर): नहीं, कोई बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आईटीआई की इस कालेज की 2020 में तीन साल पहले बजट घोषणा हुई थी, उस टाइम पर इस जमीन की किस्म कुछ और थी, उसके खसरा नम्बर और थे। 2020 में कलेक्टर और एसडीओ, अलवर ने इस जमीन का आईटीआई कालेज को अलाटमेंट के बाद में इसका खसरा नम्बर बदलकर खसरा नम्बर 1678/1657 रकबा 1.70 हैक्टेयर और खसरा नम्बर 1676/1642 रकबा 0.90 टोटल 2.63 हैक्टेयर, जमीन इस नाम से अलाट हुई थी।

माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश इस आईटीआई कालेज की जमीन पर नहीं हैं, जबकि जवाब में यह दिया गया है कि स्थगन आदेश हैं। इस खसरा नम्बर पर कोई भी नहीं हैं। कल भी समझाइश के बाद में आईटीआई कालेज की बीस लेबर ने काम किया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करें।

श्री बाबूलाल (कठूमर): मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक आईटीआई कालेज की बिल्डिंग कम्प्लीट न हो जाये, आप एक पुलिस चौकी का इन्तजाम वहां आन स्पॉट कर दीजिए और पूरी कालेज बनायी जाये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष

(श्री अशोक)

महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जवाब में तो हमने बता दिया है कि एडीजे कोर्ट द्वारा इस जमीन पर स्टे है, लेकिन माननीय सदस्य की भावना को मैं समझ गया हूं कि खसरा नम्बर चेंज होने की वजह से जिस जगह पर स्टे है, उससे कोई नया खसरा शायद मैच नहीं होता है, वहां पर काम हो सकता है।

इसकी मौका रिपोर्ट मैं एक बार फिर से जिला कलेक्टर से मंगवाऊंगा। यदि इसमें स्टे होने, नहीं होने को लेकर गलत इन्फोर्मेशन है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यदि स्टे नहीं है तो तुरन्त प्रभाव से आपका काम शुरू हो जायेगा। यदि स्टे है तो मैं माफी चाहता हूं कि स्टे के बाद तो हम काम नहीं कर पाएंगे। नयी जमीन ही अलाट करने का प्रावधान हो सकता है।

श्री बाबूलाल (कठूमर): नयी जमीन अलाट करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वही जमीन सफिशिएंट है। 22 बीघा जमीन है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैंने तीनों ही बातें कह दीं।

श्री अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य की भावना को समझकर तीन दिन में पता करें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं इनकी भावना को समझ गया। भावना अनुसार काम हो जायेगा।

श्री बाबूलाल (कठूमर): उसी जगह कालोनी बनायी जाये, साहब।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): जी।

प्रश्न संख्या 300

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री रामप्रताप कासनियां।

राजियासर व जैतसर (सूरतगढ़) में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

301. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की उप-तहसील राजियासर व

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जैतसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की उप-तहसील राजियासर व जैतसर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): विचाराधीन होता तो प्रश्न ही क्यों पूछते?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछा है, इसीलिये बताया है कि विचाराधीन नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, जैतसर और राजियासर, ये दोनों ही मण्डियां हैं इनके इर्द-गिर्द 15-15 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं। ग्रामीण क्षेत्र है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों में से कोई एक कालेज खोलने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: लिख दिया उत्तर में कि विचार नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): विचार नहीं है तो आने वाले खोलेंगे। आप तो मना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जब आपने स्वयं ही उत्तर दे दिया तो मंत्री के उत्तर की जरूरत नहीं है।

प्रश्न संख्या 302

अगला प्रश्न। श्री सुरेश सिंह रावत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

नवीन पैनोरमा बनाने हेतु जारी स्वीकृति

303. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा नवीन पैनोरमा बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? उक्त पर कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितने पैनोरमा पूर्ण हो गये व कितने प्रगतिरत हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): जी हां। इस सम्बन्ध में वर्षवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कितने पैनोरमा स्वीकृत हुए और कितनी राशि व्यय हुई? माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, 2019-20 में गिरी सुमेल महासंग्राम में 75 लाख स्वीकृत हुए और 56 लाख आपने खर्च किये। बाकी बजट 2022-23 में चार पैनोरमा बजट घोषणाएं हैं और तीन पैनोरमा स्वीकृत पैनोरमा हैं। उन पर चार-चार करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी, लेकिन आज तक कुछ भी राशि व्यय नहीं हुई। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह राशि कब तक व्यय हो जायेगी, कब तक कार्य शुरू हो जायेगा और कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गोविन्द गुरु पैनोरमा छाणीमगरी (तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर) का 22.11.2022 को शिलान्यास हुआ। 06.02.2023 को कार्यादेश हुए हैं तो आप समझ लें, आगे इस कार्य को गति देंगे। राणा हम्मीर पैनोरमा की 08.02.2023 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। कार्य प्रोग्रेस पर है। इस पर 02 लाख 71 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं।

भगवान देवनारायण पैनोरमा जोधपुरिया (तहसील निवाई, जिला टोंक) का भी 27.01.2023 को कार्य प्रारम्भ हो गया है। 02 लाख 94 हजार रुपये इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं।

वीर दुर्गादास पैनोरमा मसूरिया (जिला जोधपुर) के भी निर्माण हेतु कार्यादेश जारी हो चुके हैं। 08.02.2023 को इसकी वित्तीय स्वीकृति आयी। 02 लाख 67 हजार रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। अब ये सारे कार्य प्रोग्रेस पर हैं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पैनोरमा पूर्ण होने के बाद क्या राज्य सरकार इनके रख-रखाव व संचालन हेतु बजट का प्रावधान रखेगी? यदि मैं अलवर शहर की बात करूं, अलवर में बाबा भर्तृहरि नाथ जी के नाम से और हसन खां मेवाती के नाम से पैनोरमा हैं, लेकिन वहां उन दोनों पैनोरमाओं में ही मूलभूत सुविधाएं आमजन व श्रद्धालुओं को नहीं मिल रही हैं। आप स्वयं अलवर जिले के प्रभारी भी हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये जो स्वीकृत अथवा बने हुए पैनोरमा हैं क्या राज्य सरकार इनके रख-रखाव व संचालन के लिए विशेष बजट का प्रावधान रखना चाहती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने पैनोरमा बना दिये पर उनकी व्यवस्था कुछ नहीं की। मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में हर जगह कमेटी बनायी है उसमें तहसीलदार सचिव है, डीटीओ/एटीओ कोषाध्यक्ष है, पीडब्ल्यूडी का ए.ईएन, पीएचईडी का ए.ईएन, डिस्कॉम का ए.ईएन, नगरपालिका का ईओ, पंचायत हो तो वहां का वीडीओ और स्पेशल इन्वाइटी के रूप में जन-प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और ये इसकी व्यवस्था करते हैं। इसके बाद में हमने उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है। मैं आपकी जानकारी में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि पैनोरमा बने मान लो 36 करोड़ रुपये की लागत से और इसके लिए एक्सपेंडिचर रखरखाव और संचालन के लिए 46 करोड़ का है तो 10 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अलवर जिले के प्रभारी हैं, दोनों पैनोरमा का निरीक्षण कर लें, वहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। वहां न पीने का पानी है और शौचालयों की स्थिति यह है कि वे गन्दे पड़े हुए हैं, रखरखाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपने मंत्री जी को वहां पर बुलाया नहीं होगा। मंत्री जी को आपने वहां इन्वाइट नहीं किया होगा?

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): ये आते हैं तब मुझे ही नहीं बुलाते, मैं तो खूब इनको इन्वाइट कर लूं।

श्री अध्यक्ष: आज के बाद आ जाएंगे वहां पर। ठीक है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ये खुद मीटिंग में ही नहीं आते, अध्यक्ष महोदय। इस बार मैं आपके साथ निरीक्षण कर लूंगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): इनकी हर मीटिंग में आता हूं और बोलता हूं तो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी कह रहे हैं कि आपके साथ जाकर देख लेंगे।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

जयपुर के आगरा रोड पर इकोलोजिकल जोन में बसी कालोनियों का नियमन

304. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आगरा रोड, जयपुर के इकोलोजिकल जोन में बसी हुई कालोनियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, इकोलोजिकल जोन में बसी कालोनियों के नियमन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अत: वर्तमान में नियमन किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आगरा रोड पर आप सरकारी जमीन पर भी रेगुलराइजेशन कर रहे हैं और वहां बहुत सी ऐसी जमीन है जहां कालोनियां बस चुकी हैं, लोगों ने जमीनों के पैसे दिये हैं तो मेरी गुजारिश है कि सरकार का क्या मन है? सरकार कोर्ट में क्या प्ली ले रही है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सदस्य, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 12.01.2017 को जोधपुर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि इकोलोजिकल जोन में आप पट्टे देने का काम नहीं कर सकते। उन्होंने साफ-साफ लिखा है, "the eco-sensitive zone/ecological zone/green area specified in the Master Development Plan once established shall not be altered or put to other uses during the operative period of the Plan and even while undertaking the revision of the Plan or preparation of the new Plan." अब सवाल यह आता है कि 340 योजनाएं वहां पर पैंडिंग हैं, लेकिन 2017 में जो उच्च न्यायालय, जोधपुर का फैसला आया उसके पहले-पहले 37 कालोनियां जो इकोलोजिकल जोन में बनी हुई थीं उनको तो पट्टा दे दिया गया, क्योंकि वह तो फैसले के पहले आ गया था, पर अब बन्द है।

अब सवाल इस बात का आता है कि आप कहते हो कि पट्टा दो, तो हमने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर रखी है। जेडीए के द्वारा जो एसएलपी इस 2017 के फैसले के खिलाफ दायर हुई है उसका जब फैसला आ जाएगा और फैसला हमारे पक्ष में आ जाता है तो पट्टे भी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह।

रूपाहेली (आसीन्द-हुरड़ा) में संचालित क्रूड ऑयल फैक्टरी

305. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के रूपाहेली में टायरों को जलाकर क्रूड ऑयल बनाने की फैक्टरी संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्टरी को बन्द कर वहां के लोगों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): जी हां। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के ग्राम पंचायत रूपाहेली कलां, तहसील हुरड़ा में मैसर्स शान्टॉल ग्रीन एनर्जी (इण्डिया) प्रा.लि. के नाम से एक अपशिष्ट टायर की पायरोलाइसिस प्रक्रिया से ईंधन तेल विनिर्माण हेतु सतत प्रक्रिया (Continuous Process) आधारित उद्योग संचालित है। उद्योग की प्रक्रिया में अपशिष्ट टायरों को जलाया नहीं जाता है, वरन् बंद रिएक्टर में इन्हें वायु की अनुपस्थिति में गरम किया जा कर ईंधन निर्माण किया जाता है।

अपशिष्ट टायर के प्रसंस्करण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24/11/2015 को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। उक्त प्रक्रिया में वर्णित निर्धारित उपकरण उद्योग द्वारा स्थापित किये हुए हैं। उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट को सीधे ही सह प्रसंस्करण हेतु सीमेन्ट उद्योग को भेजा जाता है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योग का समय-समय पर निरीक्षण एवं प्रसंस्करण उपकरणों एवं प्रक्रमों पर स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की गुणवत्ता की भी जांच की गई है।

निरीक्षण के दौरान पाये गये गुण-दोष के आधार पर समय-समय पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिनकी पालना उद्योग द्वारा की गई है।

अत: वर्तमान में विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग को बन्द कराने हेतु कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने खण्ड 01 में जो जवाब दिया कि उसमें उद्योग की प्रक्रिया में अपशिष्ट टायरों को जलाया नहीं जाता है वरन् बंद रिएक्टर में इन्हें वायु की अनुपस्थिति में गरम किया जा कर ईंधन निर्माण किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें आपने वायु की अनुपस्थिति लिखा है। फिर बॉयलर में से जो कण निकलते हैं वे कहां से आते हैं? पहली बात यह है कि गांव का नाम रूपाहेली है इसलिए इसमें सुधार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपाहेली और आसपास के गांवों में वे जहरीले कण हैं जिनसे कैंसर की बीमारी फैल रही है और आधा गांव खाली हो चुका है जो धरातल की रिपोर्ट है इसकी आप जांच करा लें।

आपने खण्ड 2 में लिखा है कि निरीक्षण के दौरान पाये गये गुण-दोष के आधार पर समय-समय पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिनकी पालना उद्योग द्वारा की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि निरीक्षण में क्या-क्या गुण-दोष पाये गये और विभाग द्वारा क्या-क्या दिशा-निर्देश दिये गये तथा उद्योग ने क्या-क्या पालना की?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हो कि ये टायर जलाये जाते हैं। ये जलाये नहीं जाते, गरम किये जाते हैं। उससे ऑयल मिक्स वाटर अलग हो जाता है और पायरो गैस अलग हो जाती है। पायरो गैस को सोडा एश सिलिका सैंड के साथ सोडियम सिलिकेट बनाने की प्रक्रिया में काम में लिया जाता है। पायरो गैस की अधिकता होने पर उसको वेट स्क्रबर से पास करके फ्लेरिंग सिस्टम द्वारा 30 मीटर की ऊंचाई पर जलाया जाता है। 30 मीटर की ऊंचाई पर चिमनी बनाकर तेलीय मिश्रित पानी है उसको सीमेन्ट में सह प्रसंस्करण हेतु भेजा जाता है तो इस प्रकार राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा उक्त उद्योग को संचालन समिति द्वारा 07.02.2022 को जारी की गयी जो 31.10.2026 तक वैध है। इस प्रकार प्रथम बार इसकी सी.टी.ओ. 08.11.2012 को जारी की गयी, फिर कन्सेंट टू आपरेट है वह 2014 में जारी की गयी। यह पिछली सरकार के समय में हुआ। जिस समय यह फैक्टरी चालू की गयी थी उस समय गांव की आबादी 1500 मीटर दूर बतायी। इस भूमि का कन्वर्जन राजस्व विभाग ने किया और कन्वर्जन के बाद में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, रेलेवेंट, आप हिस्ट्री पर जा रहे हैं। आप उनका टू द पाइंट जवाब देकर छुट्टी करें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): मैं यह कह रहा हूं कि अपशिष्ट टायर के प्रसंस्करण का भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा 24.11.2015 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना में निर्धारित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण उद्योग द्वारा स्थापित किये हुए हैं। दूसरा, आप जांच का कह रहे हो तो जांच भी की है, गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। उद्योग में उपकरणों एवं सहायक उपकरणों की जांच हुई जो 19.01.2022 को, 12.05.2022 को, 23.12.2022 को, 24.12.2022 को जांच की गयी और नमूने लिए गये। जो रिपोर्ट आयी है वह लम्बी है, पर उसमें कहीं पर भी मानकों से अधिक नहीं पाया गया।

श्री अध्यक्ष: ठीक चल रहा है। माननीय सदस्य, और कुछ पूछना है?

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक सामान्य सी बात है कि गांव पूरा खाली हो चुका है और आज आप जांच करा लें, कम से कम वहां 20 से 25 कैंसर के रोगी हैं। वहां काले-काले कण निकलते हैं और छत पर लोग सोते हैं, रात में नाक बन्द हो जाते हैं। यह सच्चाई है। आप इसको पता कर लें। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या सरकार एक उच्च कमेटी का गठन कर इसकी ईमानदारी पूर्वक जांच कराने की मंशा रखती है? ये जहरीले कण, कैसे और कहां से आ रहे हैं जिससे गांवों में बीमारी फैल रही है और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जांच ईमानदारी पूर्वक होती है और बेईमानी पूर्वक भी होती है। माननीय मंत्री जी, किसी को भेजें?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा था इसके लिए पहले जारी की गई थी, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप एक बार विभाग के अधिकारियों को भेजकर, इन एमएलए के साथ बैठकर इनकी जो बात है, उसको दिखवा लें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जी, दिखवा लेंगे। मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश देता हूं कि माननीय सदस्य की उपस्थिति में, इनके साथ जाकर दोबारा जांच करवा लें। इस फैक्टरी और आबादी के बीच में दूरी कितनी है, इसकी वजह से अगर वहां पर प्रदूषण फैल रहा है तो उसको रोका जाये, नहीं रोका गया तो इस उद्योग को बन्द कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: वैरी गुड। अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

छापरवाड़ा बांध (दूदू) की उत्तरी टेल की क्षतिग्रस्त नहरें

306. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र दूदू के छापरवाड़ा बांध की उत्तरी टेल व हैड की क्षतिग्रस्त नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त बांध की उत्तरी टेल व हैड दोनों की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य कब-कब व कितनी-कितनी राशि से किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बांध की उत्तरी नीची नहर को सीमेंट की पक्की नहर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के छापरवाड़ा बांध की उत्तरी ऊंची एवं नीची नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य आवश्यक स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार कराये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) छापरवाड़ा बांध की उत्तरी ऊंची एवं नीची नहरों के अन्तर्गत मरम्मत/नवीनीकरण के विगत तीन वर्षों में कराये गये कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) छापरवाड़ा बांध की उत्तरी नीची नहर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य आवश्यक स्वीकृति एवं संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, छापरवाड़ा बांध रियासतकाल का 1890 से सिंचाई बांध है, जिससे करीब 12 हजार कमाण्ड सिंचाई होती है। मंत्री जी ने मेरे पहले प्रश्न के जवाब में दिया है कि प्रस्तावित है। इनके डिपार्टमेंट में प्रस्तावित तो है, इसके लिए धन्यवाद।

(श्री बाबूलाल नागर)

मैं निवेदन करूंगा, दूसरा मैंने पूछा है, मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य। इन्होंने जवाब में जो सूची दी है, यह मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य की सूची नहीं है। यह तो वर्षा ऋतु में एसडीआरएफ के काम हैं, मिट्टी को साफ करना, मिट्टी को निकालना, भरना, यह मरम्मत का काम कुछ हुआ नहीं।

मंत्री जी, तीसरा आपने जो जवाब दिया है उसमें जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ही जनहित को देखते हुए डायरेक्शन दिये थे और एडिशनल चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने आपको लिखकर दिया है कि छापरवाड़ा बांध की उत्तरी नीची नहर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की पक्की नहर बनाने की अनुमानित लागत 22.50 लाख का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में सम्मिलित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6896 दिनांक 27.01.2023 को मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया गया है। जब आपने जनहित को समझते हुए डायरेक्शन दिये हैं और एडिशनल चीफ इंजीनियर ने आपके चीफ इंजीनियर को बजट घोषणा में स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावित किया है। मैं इतना-सा कहना चाहूंगा कि जब भी आपके पास बजट और संसाधन की व्यवस्था उपलब्ध हो, क्योंकि मेरे क्षेत्र की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप खुद ही उत्तर दे रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं इनसे यह पूछना चाह रहा हूं कि बजट उपलब्ध होने पर आप प्राथमिकता से इस नहर के पक्के निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश जारी कर देंगे? बस इतना-सा पूछना चाहूंगा।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता जाहिर की, वह बिलकुल सही है। मेरे विभाग में इसके प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई और बाकी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले बजट के अन्दर चरणबद्ध तरीके से इस काम को कराया जायेगा।

प्रश्न संख्या 307

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनिवास गावड़िया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। नरेन्द्र नागर।

खानपुर में फसल खराबे का मुआवजा

308. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र खानपुर में खरीफ की फसल खराबे का मुआवजा अब तक भी किसानों को नहीं मिला है? यदि हां, तो शेष रहे किसानों को मुआवजा राशि कब तक दे दी जायेगी?

(2) भविष्य में किसानों को फसल खराबे का समय पर मुआवजा प्राप्त हो, इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2021-22 में खरीफ फसलों में बाढ़ से खराबे के कारण प्रभावित 68,200 किसानों को एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार 34.98 करोड़ रुपये का कृषि आदान अनुदान भुगतान किया गया है। शेष 3075 किसानों से दस्तावेज प्राप्ति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(2) फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित कृषकों के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार शीघ्र कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जाता है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22, जिसको लगभग डेढ़ साल हो गया है, आपने खण्ड 1 में बताया कि 3 हजार 75 किसानों के दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के आधार पर उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या मंत्री महोदय आप कोई समय सीमा तय करेंगे? इनको कब तक, जो 3 हजार 75 किसान रहे हैं, उनको कब तक मुआवजा दे देंगे? पहला प्रश्न तो यह है।

दूसरा, 2022-23 में खरीफ की फसल का भी नुकसान हो गया है।

श्री अध्यक्ष: उसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये। आपने 2021-22 का पूछा है, आप 2022-23 पर कहां आ गये? माननीय मंत्री जी।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है। इनके दस्तावेज पूर्ण नहीं हुए थे। मैंने कलेक्टर से बात की है। एक या डेढ़ महीने के अन्दर-अन्दर उनके पूरे दस्तावेज लेकर इनका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

माननीय सदस्य, पहले प्रश्न संख्या बोलें, फिर आराम से बैठें।

डग में बन्द रोडवेज बसों का पुन: संचालन

309. श्री कालूराम (डग): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ से कोरोना काल में कितनी बसें अन्य जिलों के डिपो में भेजी गई थीं? क्या सरकार झालावाड़ डिपो की उक्त बसों को पुन: वापस झालावाड़ में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डग में झालावाड़-इन्दौर-उज्जैन-थानपुरा-रतलाम-बांसवाड़ा-भवानी मंडी-झालावाड़ शटल से भवानी मंडी चौमहला आदि मार्गों पर कोरोना काल में बन्द की गई रोडवेज बसों को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) झालावाड़ जिले में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के झालावाड़ डिपो से कोरोना काल में 12 बसें अन्य जिलों के डिपो को स्थानान्तरित की गई थीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण झालावाड़ डिपो से अन्य जिलों के डिपो को स्थानान्तरित की गई बसों को झालावाड़ डिपो में लगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रश्नगत मार्गों पर कोरोना काल में बन्द की गई बस सेवाओं को निगम के सीमित संसाधनों के कारण पुन: संचालित किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ डिपो से 12 बसें...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, अब आप प्रश्न पूछ लें।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 12 बसें आपने दूसरे डिपो में भेज दी हैं। आपने जवाब दिया है कि कोई बस नहीं लगाई जायेगी।

(श्री कालूराम)

नम्बर एक, मेरे विधान सभा क्षेत्र से 12 बसें दूसरे डिपो में लगीं वे वापस लगाई जायें। नम्बर दो, मेरे यहां सबसे महत्वपूर्ण झालवाड़ से इन्दौर एक बस चलती थी, एक बस डग से इन्दौर चलती थी, एक बारां-अलोट फोर्ट चौमहला से भवानी मण्डी और डग से चौमहला और भवानी मण्डी से झालावाड़ शटल सेवा, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र को काफी फायदा मिलता था। आपने सारी बसों के लिए मना कर दिया। आपने तो घोषणा पत्र में लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में फिर से बसें चालू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम हमारी दो बसें झालवाड़ से इन्दौर या डग से इन्दौर तो चालू करवायें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र को इसका फायदा मिले।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बसें भेजी गई थीं। इनके यहां से कोरोना काल में आठ बसें तो कोटा भेजी थीं और चार बसें राजसमन्द भेजी थीं। कोटा में बहुत छात्र थे, बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई थी, उनको दूसरे स्टेट्स में भेजना था। उसके लिए ये बसें भेजी गई थीं। इसी तरह से राजसमन्द में भी बहुत से बाहर के लोग थे तो उनको भी गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए। यह ढाई साल पुरानी बात हो गई है। इनमें से कई बसें चलन से बाहर हो गई हैं। इसलिए हमने यह जवाब दिया है कि इनको वापस भेजा जाना सम्भव नहीं है।

जहां तक आपके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, अब भी 13 बसें वहां से चल रही हैं और झालावाड़ से 109 बसें चल रही हैं। जिन प्रश्नगत मार्गों की आपने चर्चा की है, उन पर भी वे बसें जा रही हैं।

श्री कालूराम (डग): मैं डग से इन्दौर वाली बस की कह रहा हूं, वहां से मात्र डेढ़ सौ किलोमीटर है, वहां व्यापारी व्यापार करने जाता है और मरीज भी इन्दौर दिखाने के लिए जाता है। माननीय महोदय, इन्दौर की बसों के लिए धरना, प्रदर्शन भी हुआ है। अखबारों में भी आया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये। आप यह पूछें कि डग से इन्दौर की गाड़ी जायेगी?

श्री कालूराम (डग): डग से इन्दौर गाड़ी चलती थी, झालवाड़ से इन्दौर भी चलती थी, दोनों बसें बन्द हैं, तो आप इनको चालू करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण बस सेवा की बजट में घोषणा की थी। उसके तहत हमारी डीपीआर बन रही है। उसमें आपके इस डग से झालावाड़ को जोड़ेंगे। इससे आपको इन्दौर वाली बस की भी सुविधा मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

बंजीरका (अलवर) में खेल स्टेडियम बनाने की कार्ययोजना

310. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में खेल स्टेडियम बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत बंजीरका में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least one Outdoor Game का खेल मैदान बनाये जाने का प्रावधान है। जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जन-प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रुपये 25.00 लाख दी जाती है, जिसे वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2023-24 में बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत बंजीरका में खेल स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण पर विचार किया जाता है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि मेजर ध्यानचन्द योजना के तहत ग्राम पंचायत बंजीरका में अगर जमीन उपलब्ध है और मैचिंग ग्रांट सरकार के बराबर दिया जाये तो क्या आप इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे?

खण्ड-2 में आपने गुणावगुण की बात की है, तो खेल स्टेडियम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में क्या गुणावगुण होने चाहिए? इसे जरा स्पष्ट कर दीजिये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम की बात कही है, लेकिन खण्ड एक में पहले ही उत्तर दे चुका हूं, मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में, मैंने उसी समय ब्लाक थोड़ा सा बोला था कि ब्लाक में ही यह प्रावधान है, लेकिन माननीय सदस्या अनेकों बार इस पंचायत के लिए बहुत चिन्तित रहती हैं और वहां के खेलों को और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए इनकी बड़ी भावनाएं हैं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेजर ध्यानचन्द के तहत तो नहीं लेकिन मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा और कुछ न कुछ और रास्ता निकालेंगे ताकि आपकी भावना के अनुरूप जो आप वहां के बच्चों के खेलों के भविष्य को बढ़ावा देना चाहती हैं, कुछ न कुछ वहां निर्माण जरूर किया जायेगा।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): ब्लाक का अर्थ ब्लाक हैडक्वार्टर है? क्योंकि एक ब्लाक या तहसील तो बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है न, तो अगर हैडक्वार्टर की बात है तो हैडक्वार्टर पर जमीन आसानी से उपलब्ध होती नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ब्लाक कहा है हैडक्वार्टर नहीं, ब्लाक में।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): तो यह ब्लाक का हिस्सा ही तो हुआ यह ग्राम पंचायत रामगढ़ मीन्स ब्लाक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लाक का मतलब ब्लाक हैडक्वार्टर ही है।

श्री अध्यक्ष: आप ब्लाक हैडक्वार्टर मान रहे हैं न?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): हां, ब्लाक हैडक्वार्टर ही।

श्री अध्यक्ष: ब्लाक का मतलब ब्लाक हैडक्वार्टर में ही बनायेंगे।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): नहीं अगर जमीन कहां उपलब्ध होती है, मुझे लगता है कि सभी सदस्य चाहेंगे कि कहीं भी बनायी जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप एक ब्लाक में बनाना चाहते हैं और ब्लाक हैडक्वार्टर पर जमीन नहीं है तो क्या सरकार ब्लाक की जगह पर उस ब्लाक के किसी पंचायत में जहां जमीन उपलब्ध है वहां स्टेडियम बनाने की योजना लागू करेगी?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): विशेष परिस्थितियां देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं खुद निवेदन करके यदि इस प्रकार से कोई शिथिलता दी जा सकेगी, सम्भव होगा, तो मैं कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसमें सिम्पल है। बैठें आप। आप मैचिंग ग्रान्ट लेते हैं, एमएलए पच्चीस लाख रुपये अपने फंड से या एमपी के फंड से दे रहे हैं, तो आप कृपया उस रेस्ट्रिक्शन को हटायें। ब्लाक में जो भी पंचायत में जो एमएलए, जन प्रतिनिधि, एमपी पच्चीस लाख रुपये दें उसकी मैचिंग ग्रान्ट दे रहे हैं, इसलिये आपको रेस्ट्रिक्शन हटाना चाहिये इसमें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिये कह दिया है कि विशेष परिस्थिति देखते हुए विशेष परिस्थिति यही है कि ब्लाक हैडक्वार्टर पर जमीन नहीं है तो कहीं और पंचायत में अवेलेबल है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, विशेष परिस्थिति नहीं, विभाग निर्णय ले कि जिस ब्लाक में जहां पर जनप्रतिनिधि किसी पंचायत में पच्चीस लाख रुपये दे रहा है, आपको तो मैचिंग ग्रान्ट कंडिशनल है, आप नहीं बना रहे हैं, मैचिंग ग्रान्ट आने के बाद आप मैचिंग ग्रान्ट देते हैं तो यह डिस्क्रिशन एमएलए और एमपी का है कि उस ब्लाक की किस पंचायत में जमीन उपलब्ध है वहां पैसा देना चाहता है तो उसमें आपको मैचिंग ग्रान्ट देने के लिए नियम में शिथिलता देनी चाहिये। विशेष परिस्थिति क्या है, इसमें तो एक जनरल रिलेक्सेशन दीजिये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं फिर से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि इसमें रिलेक्सेशन के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से, क्योंकि यह बजट घोषणा है और यह ब्लाक हैडक्वार्टर के लिए विशेष करके बजट घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठें। विभाग का मतलब मंत्री होता है। मंत्री का काम है मुख्य मंत्री से कराकर लायें, मुख्य मंत्री से करायेंगे, नहीं होता है। सदन के अन्दर मंत्री आप यदि इस बात से सहमत हैं तो आप इस बात को कहें कि नियमों में शिथिलता की जायेगी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): साहब, इसमें शिथिलता देना मेरे हाथ में नहीं है। मैं इससे सहमत हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): साहब, क्या होता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): उप नेता, प्रतिपक्ष अगर आपको हर चीज में ही बोलना है तो या हम जवाब दे दें ईमानदारी से...। यह कोई तरीका थोड़े ही होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठें। एक मिनट बैठें आप। मैं समझता हूं कि संसदीय मंत्री जी इस बात पर गम्भीरता से लेंगे कि सरकार का मतलब सरकार होता है, सरकार की प्रक्रिया को सम्पादित करने का काम मंत्री का है। सदन की भावना यह है कि जिसको मैं रिप्रजेंट कर रहा हूं एज ए स्पीकर कि आपने ब्लाक के माध्यम से कहा है जिस ब्लाक के अन्दर, आपके नियम में आपने नियम बना रखा है कि जन-प्रतिनिधि पच्चीस लाख रुपये देगा तो आप मैचिंग ग्रान्ट देंगे। जब आपने यह व्यवस्था कर रखी है और ब्लाक में जमीन उपलब्ध नहीं है तो विशेष की बनिस्बत आप सिम्पल एक जनरल नियम बना दीजिये कि जिस ब्लाक में जन-प्रतिनिधि, जमीन उपलब्ध है वहां पर यदि पच्चीस लाख रुपये देंगे तो सरकार वहां पर मैचिंग ग्रान्ट देगी। यह नियम में परिवर्तन करके सदन को सूचित करें।

अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

ढाणियों के निवासियों को घरेलू विद्युत कनेक्शन

311. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की ढाणियों में स्थायी निवासियों के घरों में विद्युत कनेक्शन देने की कोई योजना नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसी योजना के तहत उक्त को सस्ती दर पर

(श्री जगदीश चन्द्र)

विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश की ढ़ाणियों में स्थायी निवास कर रहे लोगों के घरों में विद्युत कनेक्शन देने के लिए वर्तमान में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदानित योजना संचालित नहीं है। यद्यपि वर्तमान में किसी भी आवेदक द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन "विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021" के उपबन्धों 4 व 6 के अनुसार आवश्यक डिमांड राशि जमा करवाने के बाद जारी किये जाने का प्रावधान है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(2) अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अविद्युतीकृत ढाणियों के लगभग एक लाख 95 हजार परिवारों के आवासों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर माह जनवरी, 2023 में भारत सरकार के उपक्रम आर.ई.सी. को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के स्वीकृत होने पर स्वीकृति अनुसार आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछ लें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि खण्ड 1 में तो आपने प्रोसीजर बताया कि कनेक्शन लेने का क्या प्रोसीजर है और किस सेक्शन के तहत एप्लीकेशन लगती है। नम्बर 2 में आपने जवाब दिया है कि जनवरी, 2023 में हमने भारत सरकार को आरईसी की सेंक्शन के लिए चिट्ठी भेजी हुई है। क्या यह सम्भव है दो-तीन महीने में सेंक्शन आ जायेगी? अगर सेंक्शन नहीं आती है तो अपने पास अल्टरनेट व्यवस्था क्या है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में ढाणियों का विद्युतीकरण करने के लिए अलग-अलग समय में अलग-अलग योजनाएं चलाई गईं और उसमें ढाणियों का विद्युतीकरण हुआ। सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश में ढाणियों के विद्युतीकरण का कार्य 2013-14 में हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बी स्पेसिफिक। डिटेल में नहीं जायेंगे, सिम्पल यहां पर अभी प्रोविजन नहीं है अपन क्या करें, इस पर आ जायें आप।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं थोड़ा निवेदन कर रहा था। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना में भी ढाणियों का विद्युतीकरण हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी भी राजस्थान में हमारे जोधपुर डिस्कॉम में और अजमेर डिस्कॉम में लगभग 1 लाख 95 हजार 235 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ढाणियों में विद्युतीकरण के कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है। पिछले साल मार्च, 2022 में यह सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो केन्द्र सरकार के द्वारा अधिकतम पैसा उसमें दिया जाता है और राज्य सरकार भी उसमें पैसा देकर के ढाणियों का विद्युतीकरण करवाती है, लेकिन वह योजना बन्द हो जाने के बाद में यह करीब दो लाख ऐसी ढाणियां हैं जो अभी अविद्युतीकृत हैं और इन अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण करवाने के लिए हमने आरडीएसएस योजना जो केन्द्र सरकार के द्वारा अभी प्रस्तावित है, लागू की जा रही है, उसमें उक्त ढाणियों का विद्युतीकरण का कार्य शामिल करवाने के लिए केन्द्र सरकार के हमारे ऊर्जा मंत्रालय को लिखा भी है, प्रस्ताव भी भेजा है और कल मैं स्वयं जाकर के केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मिल करके भी आया हूं, उनसे निवेदन किया है कि हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और जो लोग बचे हुए हैं, आज भी अनइलेक्ट्रिफाइड हैं तो उनको इलेक्ट्रिफाइड करने की योजना केन्द्र सरकार इस आरडीएसएस में शामिल करे और राजस्थान का जो शेयर होगा उसमें राजस्थान सरकार शामिल होगी। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है उसमें प्रयासरत हैं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिम्पल सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी को बोलने दें पहले। आप बैठें, मंत्री जी बोल रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं। आप पूछिये जो पूछना है।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष जी, मेरा सिम्पल सवाल है अगर परमिशन नहीं आती है तो अपन क्या अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे राज्य सरकार के माध्यम से?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री भंवर सिंह भाटी)

आबादी क्षेत्र में जो विद्युतीकरण का कार्य है वह सामान्यत: हमेशा होता रहता है, उसमें आन डिमाण्ड दिया जाता है घरेलू कनेक्शन लेकिन हेबिटेशंस में चूंकि पैसा भी ज्यादा लगता है, दूरियां ज्यादा होती हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा से, पिछले दस सालों में हमेशा इस तरह की योजनाएं केन्द्र सरकार के द्वारा लायी जाती रही हैं और उसमें राज्य सरकार को शामिल करके विद्युतीकरण किया जाता रहा है। कल मैं स्वयं जाकर के ऊर्जा मंत्री जी से मिला हूं, तो उन्होंने काफी सकारात्मक आश्वासन दिया है कि आरडीएसएस में इसको शामिल कर लिया जायेगा और हमें उम्मीद है कि शायद वो शामिल कर लेंगे तो हम जल्दी से जल्दी इस काम को जो बची हुई ढाणियां हैं उनको पूरा करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

312. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने कन्या महाविद्यालय खोले गये हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) प्रदेश में वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 94 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा के दो महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा एवं राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उप खण्ड में महाविद्यालय चल रहा है

(श्री कन्हैया लाल)

तो अलग से कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए क्या मापदंड हैं? दूसरा मेरा प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में दोनों महाविद्यालयों में लगभग 2400 सीटें हैं, वे पूरी भरने के बाद में लगभग 5 हजार से ज्यादा बच्चियां टोंक, जयपुर और अजमेर जाती हैं और वे सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर हैं, तो क्या आप अलग से कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आपके यहां जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने, 11वीं और 12वीं में आपके किसी भी विधान सभा क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में पांच सौ बच्चियां हैं तो वहां तुरन्त कन्या महाविद्यालय खोलने का प्रावधान है, तो किसी भी स्कूल में 11वीं और 12वीं में पांच सौ बच्चियां हो जायें तो आप मुझे दे दीजिये, तुरन्त उसमें खोल दिया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और प्रश्न नहीं पूछना कुछ भी? धन्यवाद के अलावा कोई नहीं पूछना है?

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी का प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़। सुरेश जी का पूछ रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रश्न संख्या 302.

श्री अध्यक्ष: 302, कौनसा? मंत्री बतायें। मंत्री?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): भ्रष्टाचार निरोधक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब दोनों मंत्री खड़े कर दिये, इसलिये प्रश्न काल समाप्त किया जाता है। आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हो। मैंने पूछा कि पुष्पेन्द्र सिंह जी का पूछना है कि आपको सुरेश रावत जी का पूछना है? आप फैसला ही नहीं कर पाये।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धर्मनारायण जोशी एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS) में भारी विसंगतियों के कारण विद्यार्थियों व आमजन के सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

1. श्री अशोक डोगरा,
2. श्री अशोक लाहोटी,
3. श्रीमती कल्पना देवी,
4. श्री कालीचरण सराफ,
5. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी,
6. श्री गोपाल लाल शर्मा,
7. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या,
8. श्री छगनसिंह,
9. श्री ज्ञानचंद पारख,
10. श्री नरपत सिंह राजवी,
11. श्री नरेन्द्र नागर,
12. श्री प्रताप सिंह,
13. श्री राजेन्द्र राठौड़,
14. श्री रामलाल शर्मा,
15. श्री वासुदेव देवनानी,
16. श्री संदीप शर्मा एवं
17. श्री हमीर सिंह भायल,

(2) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में ओलावृष्टि, तेज अंधड एवं बेमौसम वर्षा से हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलवाए जाने के संबंध में।

(3) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की नगरपालिका आबूरोड में अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में साली से चाणोद सड़क का डामरीकरण किये जाने तथा नदी पर पुल निर्माण करने के संबंध में।

(5) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद के ग्राम भवानीपुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का डीएमएफटी फण्ड से निर्माण कराये जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कतिपय ग्रामों को नवसृजित रायथल तहसील से जोड़ने के संबंध में।

(7) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के गांवों में सरकार द्वारा राजस्व रिकार्ड को डिजिटल किये जाने की प्रक्रिया लंबे समय से अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के जारी निर्देश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से गोलूवाला व रावतसर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में।

(10) श्री नारायण बेनीवाल, श्रीमती इन्दिरा देवी एवं श्री पुखराज, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं द्वारा की जा रही आमजन की हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की नगरपालिका अकलेरा द्वारा विकास कार्यों में भेदभाव बरते जाने के संबंध में।

(12) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में गम्भीर पेयजल संकट के शीघ्र समाधान के संबंध में।

(13) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में पदस्थापित सहायक आचार्य को हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा एमबीबीएस विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री बाबुलाल (झाड़ोल), सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत सहायक के पद पर भर्ती से वंचित रहे विद्यार्थी मित्रों को नियमानुसार नियुक्ति दिए जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य मूल प्रस्तावक श्री धर्मनारायण जोशी, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री अमृतलाल मीणा एवं श्री शंकर सिंह रावत को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान हेतु समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(2) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश की सांभर झील पर नमक माफिया द्वारा किये जा रहे अवैध अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दिए जाने के संबंध में।

(4) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से मालपुरा उप खण्ड को नवीन जिला बनाने के संबंध में।

(5) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में राज्य राजमार्ग 19ए का नवीनीकरण कराने एवं टोल वसूली बन्द करने के संबंध में।

(6) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में बेमौसम हुई वर्षा एवं ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का किसानों को समुचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में।

(7) श्री राजकुमार गौड़, सदस्य की ओर से राज्य में धानका जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से इटावा (कोटा) में उपजिला चिकित्सालय हेतु नवीन भवन एवं ट्रोमा सेंटर तथा रायथल (बूंदी) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल द्वारा नॉन-पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।

(10) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में किस्म परिवर्तन एवं जमाबंदी में शुद्धिकरण में हुई त्रुटियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में परिवहन निगम के बस स्टैंड एवं आगार कार्यालय के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में।

(13) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से सूरतगढ एवं श्रीविजयनगर के रिहायशी क्षेत्र की नवसृजित एवं विलोपित चकों को राजस्व ग्राम घोषित कराए जाने के संबंध में।

(14) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में फसल खराबे का मुआवजा शीघ्र दिलाये जाने के संबंध में।

(15) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में ओलावृष्टि व बेमौसम वर्षा से नष्ट फसलों का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 01 देखें)

माननीय सदस्य आज मुखबंद है, इसलिए माननीय मंत्री जी आज 6 बजे अपना रिप्लाई देंगे, 6.30 बजे तक रिप्लाई समाप्त हो जायेगी। विपक्ष के माननीय नेता 6 बजे के पहले अपनी बात कर लें, जिससे हम समय पर पंचायती राज की मांग को पास कर सकें। मुखबंद का प्रयोग हम 6.30 बजे के

(श्री अध्यक्ष)

करीब करेंगे। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें, जिससे सारी मांग एवं मुखबंद को हम समय पर पूरा कर सकें। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजरी के ऊपर जिस हिसाब से बेखौफ माफिया प्रदेश में आये दिन लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और बजरी की बढ़ी हुई दरों को लेकर आमजन में बड़ा आक्रोश है। हमने इस मामले को लेकर दो बार स्थगन भी लगाया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अध्यक्ष की व्यवस्था पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप सीखें। आप नये सदस्य आये हैं, सीखें इस बात को। अध्यक्ष की व्यवस्था पर चर्चा नहीं हो सकती। आपको कोई तकलीफ है तो चैम्बर में आकर मिलें। श्री धर्मनारायण जोशी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने बता दिया, आप चैम्बर में आकर मिलें। माननीय पुखराज जी गर्ग, आरएलपी के लीडर, आप समझें, विधान सभा अध्यक्ष के निर्णय पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। आपको कोई तकलीफ है, चैम्बर में आकर मिलें अन्यथा मुझे अनप्लीजेंट निर्णय लेना पड़ेगा। श्री धर्मनारायण जोशी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

EWS आरक्षण में भारी विसंगति से विद्यार्थियों व आमजन को सरकारी सुविधाओं का वंचन

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, EWS, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार ने उसमें से कुछ बेरियर्स हटाये हैं। मेरा राज्य सरकार से इस बारे में निवेदन है कि एक व्यक्ति का 10 लाख आय का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसका जवान बेटा है और जिसके बाल बच्चे हैं और वह बेरोजगार है, वह जब परिवार से अलग हो जाता है तो उसका सर्टिफिकेट बनाने का प्रावधान नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसा बेरोजगार युवक जो पिता से अलग हो गया, अलग रहने लगा है, उसको भी सर्टिफिकेट बनाने की राज्य सरकार परमिशन दे। ऐसे ही जैसे बाकी को आरक्षण में जो सुविधा मिली हुई है उनके लिए एक विकास कोष की भी स्थापना की जाये। उनके लिए अलग से राज्य सरकार विकास कोष की स्थापना करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप चैम्बर में जाइए, यह गलत परम्परा है। माननीय सदस्य।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, ऐसे लोगों के लिए विकास कोष की स्थापना की जाये। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि अन्य आरक्षण में जो सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसे ही उन बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाये। हमारे यहां नगरपालिका में, पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था है, ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मुझे बार-बार कहना पड़ेगा, यह बहुत गलत है। आप सदन की गंभीरता को समझना ही नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्य कोई बात कर रहे हैं और मंत्री जी आपस में बात करना चाहते हैं। मंत्री जी से निवेदन है कि आपको कोई चर्चा करनी है तो आपका चैम्बर है, माननीय सदस्य को मिलना है तो वह चैम्बर में जाकर मिले, don't use the House for this purpose.

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अंतिम निवेदन है, जिस प्रकार से बाकी आरक्षण में, नगरपालिका में, पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है, ऐसे ही आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं, उनको आरक्षण की सुविधा दी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ...(व्यवधान) प्लीज, मिस्टर राठौड़, I will deprive. मैं सब बन्द कर दूंगा ...(व्यवधान) आप सब बैठें। Mr. Ram Lal, I am on legs. I am on legs, I say. Please be seated. I will name you, Mr. Ram Lal. Mr. Chandrabhan Aakya, I will name you. I am on legs, Mr. Ram Lal. आप सीनियर मैम्बर हैं, बात करना जरूरी है क्या? आपकी बात आ गई, मैं नेक्स्ट टाइम अलाउ ही नहीं करूंगा। किसी भी इश्यू की गंभीरता को लेकर अलाउ करता हूं और उसके बाद आप न्यूसेंस करते हैं। सदन को यू-ट्यूब पर सब लोग देख रहे हैं। जब आपके सदस्य ने बात उठा दी तो आपकी पार्टी की भावना है, हरेक आदमी खड़ा होकर क्या बोलेगा? (व्यवधान) I said no. विनती करें, बाहर जाकर करें, यहां विनती नहीं। मिस्टर आक्या बैठें। यह विनती के लिए हाउस नहीं है। श्रीमती चन्द्रकान्ता।

मिस्टर बाबुबाल जी, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, Please be seated on place. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन के कतिपय ग्रामों को नवसृजित रायथल तहसील में जोड़ा जाना

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बजट घोषणा 2023-24 में रायथल उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा सम्माननीय सीएम साहब द्वारा की गयी, बहुत खुशी की बात है इसका मैं विरोध भी नहीं करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ गांव हैं। 38 गांवों को इस नव सृजित तहसील में जोड़ने का जो प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय के पास अभी वर्तमान में है, मेरा इतना-सा निवेदन है कि कम से कम अधिकारी, जब भी किसी तहसील में किसी गांव को जोड़ें तो आप बूंदी विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों को छोड़कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव जो 60 किलोमीटर की दूरी गुडा देवजी की है, नंद गांव की है, वहां तक पहुंच गये। मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि सामाजिक और व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यह हितों पर कुठाराघात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता वहां लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही है। उनको आठ दिन हो गये हैं। आपने जिन छह पटवार मण्डलों के 38 गांवों को इसमें मिलाया है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि जनता के हितों को देखते हुए, जनता का समय भी बचेगा, दूरी भी कम होगी, मेरी जो कापरेन उप तहसील है, उसी में उनको रखा जाये और साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगी कि तुरन्त प्रभाव से करें, क्योंकि उनका उप खण्ड केशोरायपाटन पड़ता है। साथ ही, उनका थाना भी केशोरायपाटन पड़ता है। आपका जो राजस्व का मानचित्र है, उसमें भी आपको कहीं न कहीं अड़चनें पैदा होंगी।

मैं जनता की तरफ से इतना-सा निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधायक रहते हुए, मेरे माथे पर यह कलंक नहीं लगायें, किसी दूसरे विधायक की विधान सभा क्षेत्र में आपने तहसील बनायी है, मैं स्वागत करती हूं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीया हो गया, बस। श्री अमृतलाल मीणा।

महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रैंज द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश से आमजन को कठिनाई

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यालय महानिरीक्षक, पुलिस, उदयपुर रैंज, उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.02.2023 के द्वारा उदयपुर रैंज में विभिन्न वाहनों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु अपने अधीन जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये गरीब लोगों के वाहनों का ध्वनि यंत्र है, लेकिन वहां की पुलिस नाजायज फायदा उठाकर उन विभिन्न थानों, झल्लारा थाना, सेमारी थाना, सलूम्बर थाना, परसाद और जावर माइंस एवं पूरे जिले में इस प्रकार से जो गरीब लोग रोजी-रोटी कमाते हैं, मैं जानता हूं कि परीक्षा है, वे न तो परीक्षा के दिनों में बजा रहे हैं, घर में रखे हुए उन वाहनों को ले जाकर पुलिस थानों में बन्द कर दिया है, जिससे पुलिस वाले 15-20 हजार रुपये की चौथ वसूली कर रहे हैं। इसको बन्द किया जाये, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

निजी विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूली

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान से हजारों बच्चे एमबीबीएस करने के लिए विदेशों में जाते हैं और पांच साल में 15 से 20 लाख रुपये खर्च करके एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं और डाक्टर बनकर आते हैं और राजस्थान में चिकित्सक लगते हैं जबकि राजस्थान में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनमें बच्चों से जो फीस ली जा रही है वह कम से कम एक से डेढ़ करोड़ रुपये प्रति बच्चे से ली जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार इस पर ध्यान दे कि इतना अन्तर है। कई जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं, वे डेढ़ करोड़ रुपये एक बच्चे के लिए मां-बाप सहन नहीं कर पाने के कारण कई बच्चे अपना मानसिक सन्तुलन खो देते हैं और उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार बच्चों पर ध्यान दे। मैं कोई पक्ष और विपक्ष

(श्री शंकर सिंह रावत)

की बात नहीं कहना चाहता हूं। चाहे हमारी भी सरकार रही हो, तब भी इन पर ध्यान नहीं दिया गया था। चाहे सरकार अभी है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बच्चों की भावनाओं को देखते हुए इन बच्चों की फीस को कम किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर डेढ़ करोड़ रुपये की फीस बच्चे सहन नहीं कर पाते।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण, श्री राजेन्द्र राठौड़।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थानी भाषा को राज भाषा बनाया जाना एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तृतीय भाषा के रूप में जोड़ा जाना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 131 के तहत राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा बनाने एवं तृतीय भाषा के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने एवं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के संबंध में राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 25 अगस्त, 2003 को संकल्प पारित किया गया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जावे। राजस्थानी भाषा में विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली भाषा या बोलियों यथा: ब्रज भाषा, हाड़ौती, बागड़ी, ढूंढाडी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, शेखावाटी आदि शामिल हैं।

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के संबंध में भारत सरकार को समय-समय पर निवेदन किया जाता रहा है। राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2009, 2015, 2017, 2019, 2020 एवं 2023 में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री महोदय, भारत सरकार को निवेदन किया गया है। प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि केन्द्र शासित प्रदेश गोवा में, दमन-दीव, राजभाषा अधिनियम (1987) द्वारा कोंकणी भाषा, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम संशोधन (2007) द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा और झारखण्ड में बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा मगही, भोजपुरी सहित 17 भाषाओं को राजभाषा बनाया गया है। इसी प्रकार मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य भाषा अधिनियम (2005) द्वारा खासी व गारो भाषा, सिक्किम राज्य में सिक्किम भाषा अधिनियम (1977) द्वारा भूटिया, लेपचा व नेपाली भाषा तथा पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राजभाषा अधिनियम द्वितीय संशोधन बिल (2018) द्वारा खमतपुरी, राजबंशी भाषा को भी राजभाषा घोषित किया गया है।

वर्तमान में राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 अवस्थित है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में सम्मिलित किये जाने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है।

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में राजस्थानी साहित्य विषय के रूप में विद्यमान है। प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थानी साहित्य विषय की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अन्तर्गत राजस्थानी भाषा को तृतीय भाषा के रूप में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् शामिल किया जाना सम्भव होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, धन्यवाद। 25 अगस्त, 2003 को सदन ने जो सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था, उसमें मैं भी साक्षी था, मंत्री महोदय, यह मेरे अकेले की भावना नहीं है। इसी सदन के 160 माननीय सदस्यों ने, चाहे सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे विपक्ष के हों, मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखकर राजस्थानी को राज भाषा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टिकल 345 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है कि 'किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा'।

मंत्री महोदय, आपको पता है कि राजस्थान आफिशियल लैंग्वेज एक्ट,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1956 बना हुआ है। आपने जिन-जिन राज्यों का उद्धृत किया है, उन राज्यों ने भी आर्टिकल 345 का उपयोग करते हुए अपने-अपने प्रदेश के अन्दर प्रादेशिक भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। अपने को सिर्फ इतना ही करना है कि राजस्थान आफिशियल लैंग्वेज एक्ट, 1956 है, इसके अन्दर एक संशोधन लेकर आना है। मैं समझता हूं कि यह बात उठती है। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य अभी भी कई जगह दौड़ लगा रहे हैं। अगर यह भाषा हमारी राज्य भाषा बन जायेगी तो आरएएस, आरपीएस की भर्ती में वैकल्पिक भाषा के रूप में आ जायेगी और हमारे बच्चों को नौकरी में ज्यादा अवसर मिलेंगे। राजस्थान की भाषा जुड़ने से हमारी नयी शिक्षा नीति है प्रारम्भिक शिक्षा की, जिसमें मातृ भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है, उसकी बात हो गयी।

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि 18 अगस्त, 1997 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान भाषा को तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज के रूप में अंगीकार करने के लिए एक बैठक होनी थी, वह आज तक नहीं हुई है। राजस्थानी भाषा का ढाई लाख शब्दों का शब्दकोश है, समर्थ साहित्य है। हमारे जितने भी, चाहे जांभोजी की वाणी, चाहे तेजाजी की वाणी, चाहे पीपाजी की वाणी हो, चाहे मीरा की भक्ति है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सब राजस्थानी भाषा में हैं। जब छत्तीसगढ़ अधिकारिता भाषा अधिनियम, 2007 आ सकता है आर्टिकल 345 के तहत, सिक्किम अधिकारिता भाषा अधिनियम, 1977 आ सकता है, गोवा, दमन दीव अधिकारिता भाषा अधिनियम, 1970 आ सकता है, पश्चिमी बंगाल भाषा अधिनियम, 1961 आ सकता है और आपने जो 17 भाषाओं का जिक्र किया, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये आज 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, इस भाषा को 160 लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इस भाषा को, जिसको यूजीसी ने मान्यता दे रखी है, जिसको नेपाल सरकार ने मान्यता दे रखी है, जिसको अमरीका ने मान्यता दे रखी है, जिस भाषा में नीट के अंदर परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को पद्मश्री का पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए, आपने जिन बातों का जिक्र किया, ये भाषाएं नहीं हैं, ये बोलियां हैं, वह बोलियां जो अलग-अलग हाड़ौती, बांगड़ी, ढूंढ़ाडी, मेवाड़ी, मेवाती, ये सारी बोलियां हैं शेखावाटी की। ये भाषा नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। हमारी भाषा समृद्ध है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये सदन की भावना है, इसमें कोई दलगत बात नहीं। हम अपने शासन में राजभाषा का दर्जा नहीं दिला पाये। हम आर्टिकल 345 के तहत यहां संशोधन जो आफिशियल लैंग्वेज एक्ट, 1956 में नहीं कर पाये। (समय-सूचक घंटी) आप, कल्ला जी, इस राजस्थानी भाषा की मान्यता के प्रबल समर्थक हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आश्वस्त करें, हम सब मिलकर कोशिश करें कि राजस्थान के अंदर आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा, जिसको लेकर आज राजस्थान का नौजवान आंदोलन कर रहा है, उस भाषा को हम राज्य भाषा, हमारी खुद की भाषा, सैकण्ड लैंग्वेज के रूप में मान्यता दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भावनाएं व्यक्त की हैं। यह बात सही है कि 25 अगस्त, 2003 को मैं भाषा विभाग का मंत्री था और माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। किंतु मुझे अफसोस है कि 2003 के 20 वर्ष बाद भी सीताकांत महापात्र की रिपोर्ट आने के बाद, जिसमें राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए पात्र माना गया है, फिर भी केन्द्रीय सरकार इस पर निर्णय नहीं कर रही है। मैं समझता हूं इसके लिए हम सबको मिलकर, सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को छोड़कर सारे के सारे एमएलएज माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलें और मिलकर इसको संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराएं ताकि राजस्थानी भाषा जो 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, उसको मान्यता मिले।

जहां तक राजभाषा घोषित करने का सवाल है, हमारे माननीय भाषा राज्य मंत्री ने एक कमेटी के गठन का अनुमोदन किया है, जो प्रकरण में छत्तीसगढ़ व झारखंड में उनकी भाषा को द्वितीय राजभाषा दर्ज जो किया गया है, उसी मॉडल की तर्ज पर परीक्षण कर राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय भाषा दिये जाने बाबत ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रक्रिया शुरू हो गयी है। अब इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद मैं समझता हूं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आयेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्री महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ये जो पाहवा समिति, 1996 में बनी थी। पाहवा समिति, दो समितियां, सीताकांत महापात्र 2003 में बनी और पाहवा समिति 1996 में बनी। पाहवा समिति ने यह कहा कि जब तक किसी राज्य में 5 वर्ष तक उसकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जायेगी तब तक वह अर्हताएं नहीं रखती आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए। इसलिए आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए हम इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि राजभाषा के रूप में आप आर्टिकल 345 के तहत आफिशियल लैंग्वेज एक्ट में संशोधन लेकर नहीं आएंगे। इसलिए मैं सिर्फ इतनी-सी बात पर निवेदन चाहता हूं कि पाहवा समिति की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। अगर हम इस ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आठवीं अनुसूची में भी नहीं जाएंगे और राजभाषा की बात आप कर ही नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष: कमेटी बना दी है। धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। श्री कालीचरण सराफ।

मालवीय नगर, जयपुर में खुले नाले में कचरा तथा अपशिष्ट डालने से आमजन को परेशानी

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के अंतर्गत मालवीय नगर, जयपुर से निकलने वाले खुले नाले में कचरा तथा अपशिष्ट डाले जाने के कारण हो रही परेशानी के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मालवीय नगर के सेक्टर 5, 6, 9, 12 और 14 के मध्य गुजरने वाले नाले के बाबत जो बात कही, चार-पांच सवाल उठाए हैं आपने। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि यह नाला कोई छोटा-मोटा नाला नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 1600 मीटर लंबा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 1600 मीटर लंबा है और 24 से लेकर 32 मीटर तक चौड़ा है। अब आप चाहते हो कि इसको ढक दो। ये ढकाई में आएगा क्या?

दूसरी बात, आपने ये सवाल उठाया कि सरस डेयरी में दूध के परिशोधन से जो मैटेरियल निकलता है, उसके बारे में। उसके बारे में हमने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सरस डेयरी से बात की। उनका कहना यह है कि उस अपशिष्ट को ट्रीटमेंट करके ही नाले में डाला जाता है। यह उनका कहना है, जो मैंने बता दिया आपको।

दूसरी बात आपने बोली कि कई मकानों का सीवर इसी नाले में डाल दिया जाता है, सीवर लाइन डाल दी जाती है। मैं आपको ये बता दूं, शायद आपको जानकारी तो है, लेकिन आप छिपा रहे हैं जानकारी को, इस नाले के दोनों तरफ जो मकान बने हुए हैं, इनके किनारे पर जो मकान बने हुए हैं वह सब सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं। उनके हाउस कनेक्शन हो चुके। अब सवाल यह रहता है कि उनके पीछे जो मकान बन गये, उनके हाउस कनेक्शन नहीं हुए। वह इसमें डाल देते हैं, लेकिन उनको वक्त-वक्त पर बाकायदा नोटिस दिया जाता है और नोटिस देकर कार्यवाही की जाती है।

तीसरा सवाल, आपने ये कहा कि इस नाले की सफाई, तो मानसून के पहले-पहले इस नाले की सफाई के लिए हमने नगर निगम को आदेश दे दिया है। आपने चौथा सवाल यह उठाया कि इस नाले में पेड़ उग गये। उसके बारे में भी नगर निगम को आदेश दे दिया है।

अब ये बात आपकी सही है कि इसकी कई दीवारें टूट चुकी हैं। आपको ध्यान होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस नाले के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं, जो अब खर्च होंगे और उन दीवारों को दुरुस्त कर दिया जायेगा।

इसी के साथ-साथ आपको यह भी याद होगा कि 100 मीटर तक तो इसका ढकान कर दिया और ढकान करके वहां पर कियोस्क बना दी, दुकानें बना दीं। इतना काम तो आपका हो ही गया कि 1600 में से 100 घटा दो तो 1500 ही रह गया मामला। अब सवाल आगे बढ़कर के कि आगे क्या किया जावे? तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही यह कार्य करवाया जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बड़े चतुर हैं। इन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष: आपको चतुराई का कब पता लगा?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बड़ी चतुराई से इन्होंने जवाब दे दिया। आप मेरे साथ चलिए और सरस संकुल के दूध परिशोधन से जो वहां

(श्री कालीचरण सराफ)

मैटेरियल निकलता है, इतना भयंकर बदबू मारता है कि हम लोग वहां 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। लोग वहां पर रहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि वहां सबके सीवरेज के कनेक्शन हैं और उसके बाद जो नाले में छोड़ देते हैं उनको हम नोटिस देते हैं। कृपया बता दीजिए कि आपने एक व्यक्ति को भी नोटिस दिया हो? एक व्यक्ति को भी नोटिस आपकी तरफ से, नगर निगम की तरफ से नहीं दिया गया। तीसरा, आपने कहा कि ये जो पेड़ उग आये हैं और मानसून के पहले इस नाले की सफाई कर देंगे, पिछले दस साल से इस नाले की सफाई आज तक नहीं हुई। अबकी बार आप करवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि गिरधर मार्ग पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण बड़ी संख्या में सड़क पर वाहन खड़े होते हैं और शाम होते-होते वहां जाम की स्थिति पैदा हो जाती है? आसपास वहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउण्ड भी नहीं है। क्या आप, 1600 मीटर को छोड़िए, पार्किंग के लिए, जैसे 100 मीटर पर आपने ढक कर कियोस्क बना दिये, कमाई का आपने रास्ता निकाल लिया, तो क्या 100 मीटर में आप कोई पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए पार्किंग स्थल बनाएंगे? क्या बच्चों के खेलने के लिए, आपने आवासन मंडल से मालवीय नगर तो बनाया, परंतु खेल के मैदान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, क्या खेल का मैदान भी बनाने की कृपा करेंगे? इसका भी आप जवाब दे दीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहला तो मेरा निवेदन यह है कि मैं आपके साथ आपके वार्ड में नहीं जा सकता...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं जा सकते।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पत्थर खाने का शौक नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गलत जवाब तो मत दीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात ये है कि जहां तक आपका यह कहना है कि इसकी कभी सफाई वगैरह नहीं हुई, मेरी जानकारी में नहीं है कि इसकी सफाई नहीं हुई। इस बार हमने आदेश दे दिया है उनको कि सफाई कीजिए।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तीसरी बात, आपने कहा कि खेल का मैदान नहीं है इसलिए इस नाले को ढककर वहां पर खेल का मैदान बना दिया। अब आप बताओ, 24 मीटर की चौड़ाई में क्या फुटबाल का ग्राउण्ड बन जाएगा?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वालीबाल का तो बन जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मंत्री जी खड़े हैं और आप खड़े हो रहे हैं। कल भी मैंने कहा, दोनों एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। प्रोब्लम है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल यह रह गया, वैसे भी यह सब कुछ वित्तीय संसाधनों पर डिपेंड करता है। 100 मीटर तक तो दुकानें और कियोस्क बनकर सब काम हो ही गया। आपका यह सुझाव अच्छा है कि वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। वहां पर पार्किंग के लिए व्हीकल्स मौजूद नहीं हैं। वहां पर व्हीकल्स इतने मौजूद नहीं हैं कि वहां पर पार्किंग की जरूरत है। पार्किंग की जरूरत तो वहां होती है जहां व्हीकल कन्जेशन होता है। जहां व्हीकल इधर-उधर खड़े रहते हैं, उनको एक जगह करके पार्किंग पर करवा दिया जाए। आपका सुझाव तो है, निश्चित तौर पर पार्किंग आवश्यक भी होती है, लेकिन वह स्थान पार्किंग के लिए आवश्यक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, हम यही कोशिश करेंगे कि जब भी वित्तीय साधन उपलब्ध हो पाएंगे उस नाले को जहां तक भी सम्भव हो सकता है उसको दुरुस्त करके, उसको ढकान करने का भी प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पार्किंग के लिए....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। I will not allow it.

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 द्वितीय अवस्था एवं अनुदान की मांगों पर। श्री रमेश चन्द मीना।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 52 - पंचायती राज की प्रस्तुति

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 52 - पंचायती राज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री रमेश चन्द मीना)

90,78,47,86,000/- (नब्बे अरब अठहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 52 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 02 देखें)

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,26,48,62,000/- (इक्यावन अरब छब्बीस करोड़ अड़तालीस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 53 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 03 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर। 20 मिनट ही अलाट किये हैं, ध्यान रहे आपको।

मांग संख्या 52 - पंचायती राज व मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास पर विचार

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 52- पंचायती राज विभाग तथा मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा करने खड़ा हुआ हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड। धारीवाल जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या-2...

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं, माननीय सदस्य। अभी कहां है। माननीय मदन दिलावर। एक मिनट, मदन जी। माननीय मंत्री जी कोई एक्स्प्लेनेशन देना चाहते हैं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

वीरांगनओं के सम्बन्ध में उनके तथाकथित कथन को लेकर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं, 276 के तहत। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उप नेता महोदय, आप पूरी प्रोसीडिंग्स देख लें, यू-ट्यूब देख लें, विधान सभा की रिकार्डिंग होती है, उसको भी देख लें। प्रोसीडिंग्स में तो बार-बार डिलीट हो जाता है लेकिन वीडियो रिकार्डिंग डिलीट नहीं होती। मैंने मंजू जाट के बारे में एक शब्द नहीं बोला। सिवाय इसके कि उसका देवर आलरेडी मैरिड है। यह तो सत्य है, आलरेडी मैरिड है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, पब्बाराम जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने कभी नहीं कहा कि मंजू जाट अपने देवर के नाते चली गई। मैंने कभी नहीं कहा। जिसके लिए कहा, वह मैं बता रहा हूं। मंजू जाट के बाबत मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ इतना-सा बोला कि इसका देवर जिसके लिए यह चाहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से विडोज को मिलता है वह उसको मिल जाए।

(समय: 12.33 बजे)

(श्री जे.पी. चंदेलिया सभापति, पदासीन)

उसके बाबत यह बताया था कि इसका देवर तो आलरेडी मैरिड है। इसके खुद के बच्चे हैं। बच्चों को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का तो यह था। मैंने सुन्दरी देवी के लिए कहा कि वह नाते चली गई थी। सुन्दरी देवी ने खुद भास्कर समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया है, यह इंटरव्यू दिया है कि मुझे देवर विक्रम सिंह के नाते गए हुए तीन वर्ष हो गए। सुन्दरी देवी ने खुद इंटरव्यू दिया है, मेरी दो बच्चियां पहले से हैं और विक्रम से, विक्रम उसका देवर है, जिसके वह नाते चली गई। अब एक लड़का और एक लड़की और हो चुके हैं। मैंने मंजू जाट के नाते के बारे में, कभी कोई बात नहीं कही। इसलिए मेरे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वक्तव्य में जो कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, वह सरासर गलत है, मिथ्या है, अफवाह है और वह जानकर अफवाह फैलाई जा रही है। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए यह उठाया जा रहा है या मुझसे कोई कुण्ठा है, उसकी वजह से उठाई जा रही है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा एक्स्प्लेनेशन रिकार्ड में आ जाए। असलियत सबको बता दी गई।

श्री सभापति: इसको रिकार्ड में लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मंत्री जी का एक्स्प्लेनेशन सुना। सदन में जब जवाब दे रहे थे वीरांगनाओं के बारे में, आन्दोलन के बारे में, उस उत्तर को भी सुना। सुन्दरी देवी की बात अब मंत्री जी लेकर आये हैं। मैं समझता हूं कि हम यहां व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। मंत्री जी, +++.. ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, उप नेता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजस्थान में बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहे थे।

श्री सभापति: माननीय उप नेता जी, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने कहा कि राजस्थान की धरती ... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने +++ कहा, वह ही हो न? राजस्थान में बलात्कार इसलिए हो रहे हैं, राजस्थान +++, आप वही हो न। इसलिए माननीय सभापति महोदय, एक्स्प्लेनेशन कितना ही दे दें, मंत्री जी ने राजस्थान की वीरांगनाओं का अपमान किया है। यह किसी भी हालत में हम सहन नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। श्री मदन दिलावर, आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एक्स्प्लेनेशन देने से कुछ नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने अपमान किया है राजस्थान की वीरांगनाओं का।

श्री सभापति: धन्यवाद। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यहां पर असत्य बोल रहे हैं। आप असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान) आप यह बता दो कि सुन्दरी देवी नाते गई कि नहीं गई?

श्री सभापति: बैठिए। प्लीज, बैठिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुन्दरी देवी नाते गई कि नहीं गई?

श्री सभापति: आप बैठिये। आप जाइए ना। आप अपनी-अपनी सीट पर जाइए। श्री मदन दिलावर, बोलिए। आप शुरू करिये। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप प्रोसीडिंग देख लो। आप प्रोसीडिंग देख लो, मैंने मंजू का नाम नहीं लिया। (व्यवधान) आप प्रोसीडिंग देख लो, मैंने मंजू का नाम नहीं लिया।

श्री सभापति: बैठिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुन्दरी देवी गई, सुन्दरी देवी नाते गई और विक्रम के नाते गई। (व्यवधान) विक्रम से उसके दो बच्चे हुए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उप नेता, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह छोटी बात नहीं है। पूरे राजस्थान ने यू-ट्यूब देखा है।

श्री सभापति: आप अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पूरे राजस्थान ने देखा है, किस प्रकार वीरांगनाओं पर इन्होंने टिप्पणी की है, यह सहन करने लायक बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। प्लीज, बैठिए। (व्यवधान) देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और फिर आज मुखबंद भी है। आप प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक्स्प्लेनेशन रिकार्ड पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आया है रिकार्ड पर, दिया है तो। (व्यवधान) बोल दिया न, आ गया। श्री मदन दिलावर। प्लीज, सहयोग करिए। चर्चा बहुत इम्पोर्टेन्ट है। बात हो गई, आप बैठिए प्लीज। आप जो कहना चाह रहे थे आपने कह दिया। अब चर्चा को शुरू करनी है। आपने जो कहना था कह दिया, प्लीज विराजिए। विराजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जिस प्रकार का व्यवहार मंत्री महोदय ने किया, इस सदन के अन्दर वीरांगनाओं पर टिप्पणियां कीं, बलात्कार के मामले में +++ राजस्थान कहा ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुन्दरी देवी नाते गई। (व्यवधान) मंजू देवी का नाम नहीं लिया।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम इसकी निंदा करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

(बहिर्गमन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, उप नेता इसीलिए नेता नहीं बन सके ...(व्यवधान) यह इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं। यह नौटंकी करने के माहिर लोग हैं। इनको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती। इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती। यह जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दों पर बात करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको बाहर जाना था तो यह आये ही क्यों। यह सदन में आये ही क्यों, अगर इनको बाहर ही जाना था। राठौड़ साहब इस तरीके से नेता नहीं बन सकते। इस तरीके से नेता नहीं बन सकते। इन्होंने बिलकुल गलत तरीका अपना रखा है। संसदीय और हमारी परम्पराओं का यह मिसयूज कर रहे हैं। यह गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री सभापति: चर्चा प्रारम्भ करें। पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर चर्चा करने के लिए ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, हमारा आब्जेक्शन है कि इनको भी बाहर जाना चाहिए, ये गये ही नहीं। यह इनका बहिर्गमन है ही नहीं। इनका बहिर्गमन माना ही नहीं जायेगा। रिकार्ड में यह नहीं आ सकता। ये केवल रिकार्ड में लाने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। राठौड़ साहब को, अपने आपको साबित करने के लिए यह नौटंकी करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ये वे ही लोग जो रीट की परीक्षा का पेपर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब अपने आपको नेता साबित करने के लिए यह नौटंकी करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट आप मेरी सुनिये। मेरी बात को सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, हमारी भी सुनिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उप नेताजी, प्लीज। एक मिनट। अख़बार की किसी भी खबर पर, एक मिनट, please, listen me. माननीय उप नेताजी, अख़बार की खबर पर चर्चा नहीं हो सकती सदन में। आप प्लीज, बैठिये। बैठिये। (व्यवधान) अख़बार की खबर पर चर्चा नहीं होगी।

(समय: 12.41 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। I am on legs. I am on legs. Please be seated. माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। माननीय लोढ़ाजी, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मिस्टर लोढ़ा। माननीय सदस्य। आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। आप इधर देखो। आप नीचे बैठें। माननीय संयम लोढ़ा, आप बैठें। प्लीज, आप बैठें। मैं कह रहा हूं न, यह मेरा काम है। मेरा काम है। माननीय संयमजी। माननीय राठौड़ साहब, मैं बैठा हूं, मेरा काम भी आप करोगे क्या? आप प्लीज, बैठें। माननीय सदस्य। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य। मिस्टर आक्या, मिस्टर आक्या, I will name you. मिस्टर आक्या, आप सुनते नहीं? श्री संयम लोढ़ा, यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्य, I will name you. मिस्टर आक्या, I will name you. मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं मेरा काम भी आप करेंगे?

माननीय संयम लोढ़ाजी, मैं फिर यह निवेदन कर रहा हूं कि आप हाउस के डेकोरम को मेंटेन करने का काम करें और माननीय उप नेता, मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा कि मंत्री को अपना एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है, उसको आप वंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपने अपनी बात कही, आपको पूरा अधिकार है। मंत्री ने पूरी बात सुनी है तो मंत्री को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मंत्री ने जो तथ्य हैं, वह सबके सामने लाये हैं। उसमें हमें क्या आब्जेक्शन होना चाहिए?

मैं यह समझता हूं कि हम इस बात को गम्भीरता से लें। आप और हम सबकी यह ड्यूटी है कि हमारे प्रदेश की जो वीरांगनाएं हैं उनका सम्मान किया जाये, पर साथ में हमारी यह भी ड्यूटी है कि वीरांगनाओं के सम्बन्ध में मिस-इन्फार्मेशन कहीं नहीं जाये। उसके बारे में सही चीजें सदन के माध्यम से जनता के बीच में आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको यहीं समाप्त किया जाये और डिबेट प्रारम्भ की जाये। मिस्टर मदन दिलावर।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 52 - पंचायती राज व मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास पर विचार

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय मुख्य मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए, बेटियों और मां के सपनों की ऊंचाई उड़ान के लिए, स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए, नौजवानों को सक्षम बनाकर उनकी हसरतों को पूरा करने के लिए, गरीब मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए, गांव का हाल बदलने के लिए, शहरों की रफ्तार बदलने के लिए, इत्यादि-इत्यादि इन्होंने इस सदन में कहा था।

(श्री मदन दिलावर)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने यह कहा कि राजस्थान में किसानों के खेतों में हरियाली लाएंगे तो ये कैसे लाएंगे? बिजली तो दे ही नहीं रहे हैं। बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं, उससे किसान मर रहे हैं। किसानों के मरने से और किसानों को खेत में बिजली नहीं देने से हरियाली आयेगी क्या? किसान जब खाद लेने जाता है तो खाद मिलता नहीं है, तो कैसे ग्रामीण विकास होगा? दूसरा, इनका बेटी और मां के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए, बेटियां आंगनबाड़ी में जाती हैं तो छत पर पंखा नहीं है गर्मी में, वहां पर टॉयलेट जाने के लिए शौचालय नहीं है।

(समय 12.44 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

जीर्णशीर्ण अवस्था में भवन पड़ा हुआ है। कभी भी वह भवन गिर जाये तो बच्चियों के साथ हादसा हो सकता है। क्या ऐसे यह बच्चियों और मां के सपनों की उड़ान को पूरा करेंगे? स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पर आपने स्कूल तो बंद कर दिये। अखावा में मेरा स्कूल बंद कर दिया, खरली बावड़ी में बंद कर दिया। कई बार यहां पर कहने के बावजूद भी उसको चालू नहीं किया, तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? मेरे सुकेत में एक ही विद्यालय में पांच सौ से ज्यादा बच्चियां होने के बावजूद भी उसको महाविद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया तो इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, तो यह कैसे सम्भव होगा?

यह कह रहे हैं कि सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए, माननीय सभापति महोदय, गांव में डाक्टर नहीं है, सब-सेंटर खाली पड़े हुए हैं दवाइयां नहीं हैं, जांच की व्यवस्था नहीं है, क्या इससे सेहत सुधरेगी या बिगड़ेगी? यानी, किस प्रकार से लोगों को बरगलाने की कोशिश की गयी माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा और इस सदन में किस प्रकार से असत्य कथन कहा गया, इसकी बानगी मैं आपको बताना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, गरीब और मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए, गरीब के घर में खुशियां तब आएंगी क्या जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास नहीं बनेगा, शौचालय नहीं बनेगा, पात्रता रखने के बावजूद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी? पात्रता रखने के बाद भी उसको खाद्य

(श्री मदन दिलावर)

सुरक्षा का गेहूं नहीं मिलेगा, क्या इस आधार पर खुशियां आएंगी उसके घर में? यानी, इस प्रकार के नाटक करके लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। इन्होंने यह कहा कि गांवों का हाल बदलेंगे। इन्होंने यह कहा कि गांवों का हाल बदलने के लिए भी हम तत्पर हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में यह घोषणा की थी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कि हम विकास पथ बनाएंगे। कहां है विकास पथ? कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। एक परसेंट भी फलीभूत नहीं हुई इनकी घोषणा, तो ऐसी घोषणा इन्होंने क्यों की? राजस्थान की जनता टैक्स देती है, उससे पैसा आता है, उसका उपयोग करना था, आप उसके मालिक नहीं हैं, आप व्यवस्थापक हैं, आप ट्रस्टी हैं, तो उस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? जबकि ऐसा भी नहीं था कि आपके पास पैसा नहीं था।

मैं आपको उसकी बानगी बताना चाहता हूं। वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास की अन्य अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वर्ष 2021-22 में इनके पास जो धनराशि थी, 2974.99 करोड़ रुपये और उसमें से खर्च कितने किये गये? 23.42 प्रतिशत पैसा ही इसमें से खर्च किया गया, यानी 696.65 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये। यानी, 33 परसेंट पैसा भी ये खर्च नहीं कर पाये, इस राशि को खर्च नहीं कर पाये। इसी प्रकार से वर्ष 2022-23 में इनके पास उपलब्ध जो राशि थी वह थी 2887.38 करोड़ रुपये, उसमें से मात्र 423 समथिंग करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है। जब इनके पास राशि थी तो ग्रामीण विकास करने में इनको क्या परेशानी थी? ग्रामीण विकास क्यों नहीं किया गया? पैसा होने के बावजूद भी, सदन में घोषणा करने के बावजूद भी यह पैसा खर्च नहीं किया गया तो वह पैसा गया कहां, कहां है वह राशि? यह तो आपको बताना पड़ेगा न। यहां पर बजट पास करवा लेते हैं, डिमांड पास करवा लेते हैं और अखबारों में छपवा लेते हैं, तालियां पिटवा लेते हैं लेकिन काम करते नहीं हैं, तो यह बहुत गम्भीर मामला है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह भी कहा था कि हम बेघरों को पुनर्वास एवं आवास देंगे। बेघर, जो टापरी में रहते हैं, जिनके घर नहीं हैं, जो आम के पेड़ के नीचे रह रहे हैं, जो कोई ऐसे ही खेत में रह रहे हैं, कहीं फुटपाथ पर रह रहे हैं, उनके लिए कहा कि पुनर्वास करेंगे, आवास बनाएंगे, तो कितने लोगों का आवास बना, कहां पर बना है? माननीय सभापति महोदय, मैं गारंटी के साथ यह कह रहा हूं कि एक भी आवास इन्होंने नहीं बनाया है और

(श्री मदन दिलावर)

इस घोषणा को, मेरी मोटी-मोटी जानकारी के अनुसार तीन वर्ष हो गये हैं। तीन वर्षों में इस पर काम नहीं हो पाया है तो यह कितना गड़बड़ मामला है?

फाइनेंस कमीशन का पैसा, जिसको वित्त आयोग कहते हैं, वह भारत सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है। वह धनराशि भारत सरकार की तो आ जाती है लेकिन राजस्थान सरकार की वह राशि साल-साल भर तक नहीं आती है। यानी, यदि भारत सरकार की यह राशि नहीं आये तो इनकी ग्राम पंचायतों के ताले लग जायें लेकिन भारत सरकार की राशि का उपयोग करते हैं और राजस्थान सरकार समय पर उस राशि को नहीं देती है।

माननीय सभापति महोदय, उस राशि का यह प्रावधान है कि लगभग 60 परसेंट पैसा हम स्वच्छता और पेयजल पर खर्च करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार अभी इसका रेशो बढ़ा दिया है। 40 परसेंट राशि सिर्फ स्वच्छता पर खर्च करेंगे। हम गांवों में जाते हैं, देखते हैं कि नालियां भरी रहती हैं, उनमें कीचड़ भरा रहता है। गन्दगी ही गन्दगी दिखाई देती है। अगर पंचायत की कैश बुक देखते हैं तो लगता है कि पैसा खर्च हो गया है। जो ईमानदार सरपंच हैं बहुत कम, वह तो इस राशि को ईमानदारी से खर्च करते हैं। शेष राशि कहां जाती है? इसकी मानिटरिंग करने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? यह तो सदन को बताना पड़ेगा। सरकार जबाव दे कि वह राशि जाती कहां है? इसका मानिटरिंग का सिस्टम क्या है? यह भी बताना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने 2019-20 में एक घोषणा की थी, वह थी विलेज मास्टर प्लान। उसका क्या हुआ? कहां बना मास्टर प्लान? कहीं नहीं बना अभी तक। उद्देश्य यह था कि मास्टर प्लान की अहमियतता को समझते हुए प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाये जाएंगे जिससे भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं, पार्क, सरकारी भवन, सड़क व अन्य विकास की आवश्यकताओं का आकलन करके भूमि का चिह्नीकरण कर पटवारियों के सहयोग से किया जायेगा। कहीं भी नहीं हुआ। इस पवित्र सदन में इतना असत्य बोला और लोगों को गुमराह किया गया। अभी तक भी विलेज मास्टर प्लान कहीं भी नहीं बना है। धरातल पर नहीं उतरा है।

माननीय सभापति महोदय, एक स्वामित्व योजना है। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने 24 अप्रैल, 2020 को पंचायत दिवस पर स्वामित्व योजना का

(श्री मदन दिलावर)

शुभारंभ किया था। यह राजस्व विभाग और पंचायती राज के द्वारा करना था। उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन भी 02 अक्टूबर, 2014 को प्रारम्भ किया था, जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर 02 अक्टूबर, 2019 तक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ भारत बनाना था। उसका राजस्थान में क्या हश्र हुआ? ढिंढोरा तो बहुत पीटा गया पर हुआ कुछ नहीं है। आज भी गांव गन्दगी से अटे पड़े हैं। पैसा निरन्तर उठ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने यह भी जोर-शोर से कहा था कि हम प्लास्टिक पर बैन कर रहे हैं। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण होगा, उसका निस्तारण भी ठीक प्रकार से करेंगे। कहां हो रहा है गांवों में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और कहां बैन है? इस प्रकार की असत्य घोषणाएं करके, आदेश निकालकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश क्यों की जाती है? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि भू-संरक्षण करेंगे और कटाव को रोकेंगे। मैं कहां देखने जाऊं, मेरे रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की मवासा और सांडाखेड़ा की बात करूं तो नदी या बड़ा नाला जो है उससे गांव कटते जा रहे हैं। यदि कटाव के कारण से उसकी दीवार गिर गई तो उसमें सैकड़ों लोग समा सकते हैं, मर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। मेरे द्वारा विधान सभा में कई बार कहने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पहले तो कहा गया कि हम दीवार नहीं बनायेंगे। फिर कहा गया कि तटबन्द के अन्तर्गत इसको कर सकते हैं। हम करेंगे। इस बारे में कह दिया गया है लेकिन अभी तक किया नहीं है। मैं समझता हूं यह गम्भीर मामला है। हम लोगों को मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं या लोगों को मारना चाहते हैं? यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह भी कहा कि बीपीएल, घुमन्तू और विमक्त जो लोग हैं और जिनके पास आवासीय भूखण्ड नहीं है, उनको नि:शुल्क भूखण्ड दिया जायेगा। मैं बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरे विधान विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है उनमें से एक को भी नि:शुल्क भूखण्ड नहीं दिया गया है। गरीबों के साथ राजनीति करोगे या गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो? यह सरकार गरीबों

(श्री मदन दिलावर)

को भी लूटना चाहती है। यह जनता का पैसा है, यह प्रदेश की कमाई का पैसा है, इस राशि को हमको गरीबों के लिए लगाना चाहिए, उसको विकास के लिए लगाना चाहिए। उनको छत उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उनको भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्रीजी जो आवास योजना लाये हैं, उसका लाभ दिलाने में आप रोड़ा अटका रहे हैं। भारत सरकार उनको आवास बनाना चाहती है लेकिन आप रोड़ा अटका कर, उनको भूखण्ड नहीं देकर उनके दुश्मन बने हुए हैं। गरीब लोगों से दुश्मनी निकालना ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं। नगरपालिका, नगर परिषद या नगर निगम होती हैं, उनका पेरिफेरी एरिया होता है, उस एरिया में जब भू-रूपान्तरण कराया जाता है तो उसकी राशि नगरपालिका, नगर परिषद या नगर निगम के खजाने में जाती है लेकिन जहां से पैसा प्राप्त होता है, उस गांव का विकास ही नहीं होता, उस पर कोई खर्च ही नहीं होता। आखिर क्यों? होना चाहिए। भू-रूपान्तरण होगा, फैक्टरी लगेगी या अन्य काम होगा तो प्रदूषण तो गांव वाले भुगतेंगे। पानी की कमी उनको होगी, ध्वनि प्रदूषण भी उनका होगा लेकिन कोई सोच नहीं है। पैसा कहां से आया और कहां खर्च हो रहा है, कोई सोच नहीं है। मैं समझता हूं कि पैसा जिस ग्राम पंचायत से आता है, उसमें विकास होना चाहिए ताकि उस ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

माननीय सभापति महोदय, श्मशान घाट, स्कूल की जमीनें, खेल के मैदान और चरागाह की जमीनों पर कब्जा है फिर ग्रामीण विकास कैसे होगा? श्मशान घाटों पर कब्जा है। यानी आदमी को अंतिम संस्कार के लिए भी ठीक तरह से जगह नहीं मिलती है। उसके लिए भी परिजनों को झगड़ा करना पड़ता है और कहीं-कहीं तो व्यक्ति विशेष की जमीन में अंतिम संस्कार उसको करना पड़ता है क्योंकि वहां पर तो लठैतों ने कब्जा कर रखा है। मैं विधान सभा में कई बार इस बात को उठा चुका हूं कि मेरे सुकेत में श्मशान घाट पर कब्जा कर लिया है। मकान बना लिए हैं और पता नहीं वहां क्या-क्या खेल होता है। वहां पास में स्कूल की जमीनों पर कब्जे हो गये हैं, खेल के मैदानों पर कब्जे हो गये हैं और सुकेत के 8 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी चरागाह जमीन हैं, सब पर कब्जा हो गया है। यहां से आदेश होने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद, अधिकारियों को लैटर लिखने के बावजूद भी वहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे ज्यादा इस सरकार का निकम्मापन और क्या हो सकता है?

(श्री मदन दिलावर)

ये लोग बच्चों के स्कूल से अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं। अन्तिम संस्कार के लिए जो श्मशान घाट है, वहां से अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं। खेल के मैदानों से नहीं हटा सकते हैं। और तो और मृत जानवर उठाने वाला हमारा जो बन्धु होता है, वह मृत जानवर को कहां डाले? उसके लिए भी जगह सुरक्षित नहीं है। इस कारण से कई बन्धु झगड़ों में मारे गये कि मेरी तरफ मृतक जानवर क्यों डाल रहे हो। मेरी मोटी-मोटी जानकारी के अनुसार लगभग आधा दर्जन से ज्यादा राजस्थान में ऐसे लोगों की हत्या हो चुकी है। मृतक जानवर डालने का काम जो लोग करते हैं, उनके लिए आज तक भी जगह सुरक्षित नहीं की जा रही है। मेरे तत्कालीन राजस्व मंत्रीजी से मिलने के बाद उनके द्वारा आर्डर जारी किया था लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आज तक कोई पालना नहीं हुई है। हम कहते हैं कि ग्रामीण विकास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, नाथ, योगी समाज के लोग जब अंतिम संस्कार करते हैं तो ये लोग समाधि लेते हैं। उनको समाधि के लिए पर्याप्त जमीन चाहिए लेकिन उनको अंतिम संस्कार के लिए भी जमीन का आबंटन नहीं होता। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में ये लोग हैं। वहां पर भी जमीनों का आबंटन नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास शराब की दुकानों से कैसे करेंगे? गली-गली में शराब की दुकानें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो पूरे प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा होगा। कैसे ग्रामीण विकास करेंगे? कोरोना काल में ठेकेदार यदि शराब नहीं बेचता है तो उसको दण्डित किया जाता है कि तूने कोरोना काल में गरीब लोगों को शराब क्यों नहीं पिलायी। सरकार की नीति देखिए आप। कोरोना काल में भी तुमको शराब पिलाना चाहिए था, नहीं तो तुमको दण्डित किया जायेगा। यानी राजस्थान को बर्बाद करने का षड्यंत्र यह सरकार कर रही है। इससे ज्यादा गड़बड़ बात और कोई हो नहीं सकती है जैसा आप गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, विद्यालय के बाहर लिखा हुआ है कि तम्बाकू निषेध है। दो सौ मीटर तक कोई तम्बाकू नहीं होगा। वहां तो प्रिंसिपल साहब ही खाकर आते हैं। वहां तो निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ही खाकर आते हैं। गुरुजी खाकर आते हैं। बच्चों से अपेक्षा करोगे कि वह नहीं खायेंगे?

श्री सभापति: पंचायती राज पर बोल रहे हैं आप?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, ग्रामीण विकास का ही मुद्दा है यह। किस प्रकार से हम ग्रामीणों का विनाश कर रहे हैं? उनको किस प्रकार से नशे की तरफ धकेला जा रहा है। बच्चों का भविष्य क्या होगा? जब उन पर पाबन्दी

(समय: 13.00 बजे)

नहीं लगायेंगे, जब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, केवल आर्डर निकाल देने से कुछ हो नहीं जाता है। इसकी कौन मानिटरिंग करता है? इसका नोडल आफिसर कौन है? इसमें कितनों को सज़ा दी? कितनों को बर्खास्त किया? होना यह चाहिये था कि एक बार इसका सेवन करते कोई कर्मचारी पाया जाये तो सस्पैण्ड, दूसरी बार मिलता है तो फिर नोटिस, कि बर्खास्त कर दिया जायेगा, तीसरी बार में बर्खास्त कर देना चाहिये। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, क्योंकि आपको पैसा चाहिये था। वह पैसा पाने के लिए आपने इस प्रकार का षड्यंत्र किया है।

माननीय सभापति महोदय, जनता की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए गांव में सरेआम जानवर काटे जा रहे हैं। जानवर काटकर बेचा जा रहा है। आज अस्वस्थ जानवर काटे जा रहे हैं और जब अस्वस्थ जानवर का मांस खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। प्रावधान है, अस्वस्थ जानवर को नहीं काट सकते, उसका मांस नहीं बेच सकते। उसके लिए पशु चिकित्सक से प्रमाण-पत्र लेना पड़ेगा। उसको खाद्य विभाग का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी खुले में इस प्रकार से नहीं बेच सकते हैं। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुकेत में सरेआम हो रहा है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, लेकिन पता नहीं कौन अधिकारी, कौन मंत्री मिले हुए हैं उन लोगों से, जो धड़ल्ले से कहते हैं कि जब तब यह सरकार है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम ऐसे ही बेचेंगे और आज धड़ल्ले से खुला मांस बेच रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं और यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है।

कई बार ऐसा लगता है कि हमारी गांव वालों से दुश्मनी है और इसीलिये बिजली के तार झूल रहे हैं, उनको ठीक करने वाला कोई नहीं। 11 केवी की लाइन लोगों के मकान के ऊपर से होकर निकल रही है, पास से होकर निकल रही है। लोग कई बार उनके सम्पर्क में आ जाते हैं, उससे वह मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। वहां लोगों को कहा जाता है, जिसका बेटा मर गया, उससे भी तू आधा पैसा जमा करा दे,

(श्री मदन दिलावर)

तार को हटाने का प्रयास करेंगे। क्यों? ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते थे कि तार को हटाने के लिए कुछ फण्ड उपलब्ध करवा दें ताकि लोग मरे नहीं, लेकिन आप सोचते नहीं।

आज निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को तो मापने वाला कोई नहीं है पंचायती राज में, जो चाहे वह हो रहा है। पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य चुन लिए गये हैं, उनके अधिकार क्या हैं, काम क्या है, यह कोई बताने वाला नहीं है। वह दर-दर की ठोकर खाते रहते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं, उनको आप कुछ अधिकार दो। उनका मानदेय बढ़ाओ। उनको शक्तियां दो ताकि वह कुछ काम कर सकें। करना चाहिये, लेकिन उनको आप कुछ देओ तो सही।

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा ग्राम पंचायत की जब बैठक होती है और उस बैठक में कार्यवाही रजिस्टर भी होता है। उस कार्यवाही के रजिस्टर में कार्यवाही लिखने के बाद या पहले ही साइड में हस्ताक्षर कराये जाते हैं, जबकि हस्ताक्षर कार्यवाही पूर्ण होने पर वहां कराना चाहिये। वह हस्ताक्षर नहीं कराते और वह ग्राम सेवक अपनी मर्जी से उस पर कुछ भी बाद में लिख लेता है और फिर कहता है यह तो प्रस्ताव पारित हो गया था। यह तो प्रस्ताव खण्डित हो गया है। यह तो उसमें नहीं माना है। ऐसे क्यों होता है? इसके लिए आपके द्वारा निर्देश दिये जाने चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि ग्राम पंचायतों में जो स्वच्छता का काम है वह पूरी ईमानदारी के साथ ठीक प्रकार से होना चाहिये। यह बहुत गंभीर मामला है कि हमारा धन खर्च होने के बावजूद भी, सरकार के आदेश होने के बावजूद भी हमारी ग्राम पंचायतें या गांव स्वच्छ नहीं हैं। लोग इसके कारण से बीमार होते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसका ध्यान रखें। यहां कहा गया था कि हम सेहत का ध्यान रखते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): एक मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार की हठधर्मिता देखिये। पैरामेडिकल काउंसलिंग राजस्थान ने 2019-20 छात्रों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया है। इसमें लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और विभिन्न पैरामेडिकल ... (व्यवधान)

श्री सभापति: पंचायती राज और ग्रामीण विकास का इससे क्या संबंध है, माननीय सदस्य?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ग्रामीण एरिये में नहीं है यह, ग्रामीण में पद खाली पड़े हैं, इसलिये कह रहा हूं।

श्री सभापति: Thank you. Your time is over.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार द्वारा पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पा रहे, जबकि इनकी पोस्टिंग जुलाई, 2021 में पूर्णरूपेण हो जानी चाहिये थी। राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थियों को लेने का षड्यंत्र चल रहा है। यह कहेंगे कि हमारे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो आप रिजल्ट तो घोषित करो, अभ्यर्थी उपलब्ध हो जायेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हमारे सब-सेंटर खाली पड़े हैं। हमारी पी.एच.सी. खाली पड़ी हैं। हमारी सी.एच.सी. खाली पड़ी हैं।

श्री सभापति: थैंक यू प्लीज। थैंक यू।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपसे मेरी प्रार्थना है यह रिजल्ट घोषित करें।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ऊपर मेरे ही नाम राशि वाले बोल रहे थे। शायद यह भूल गये हैं कि इसका सब्जैक्ट क्या है या बोलने के लिए इनके पास कोई बातें नहीं थीं, इसलिये जिससे पंचायती राज और ग्रामीण विकास का कोई लेना-देना नहीं, इस तरह की बातें हम सुन रहे थे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा है। भारत में आज भी 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और गांव का विकास, देश का विकास है और गांव के विकास ज्यादा होंगे तभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग विकसित होंगे। आप जानते हैं, माननीय सभापति महोदय, हर आदमी शहरों की तरफ दौड़ रहा है, हर आदमी शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। गांवों में रहने के बजाय शहरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां सुविधा है। चाहे मेडिकल की सुविधा हो, शिक्षा की

(श्री मदन प्रजापत)

हो, और भी तरह-तरह की सुविधाओं के लिए हर आदमी चाहता है कि मैं गांव छोड़कर शहर में जाऊं।

माननीय सभापति महोदय, आज स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी के बजाय उनके साथ में स्मार्ट आदर्श गांव बनें ताकि गांव के रहने वाले लोगों का शहरों में जाने का मन नहीं करे और गांवों का विकास ही देश का विकास है। माननीय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामराज की कल्पना में लिखा था -

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहु हि ब्यापा॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥

रामराज की कल्पना में महात्मा गांधीजी ने कहा कि भारत और देश का उत्थान तभी सम्भव है जब गांवों का सम्पूर्ण विकास होगा। पंचायती राज जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक देश का विकास सम्भव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि जब पूर्व प्रधान मंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू जी ने नागौर की धरती से पंचायती राज की स्थापना की और तब से लेकर आज भी कांग्रेस ने हमेशा पंचायती राज की मजबूती के लिए कार्य किया है। मेरा मानना है कि संविधान में 9 ए में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला और पंचायती राज संस्थान में पर्याप्त स्थान दिया होता तो, 43 वर्षों के बाद 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, आज वंचित वर्ग की स्थिति और बेहतर होती। पंचायती राज को मजबूती कांग्रेस की देन है। कांग्रेस द्वारा 11 विभागों को पंचायती राज के अधीन देना एक बहु त बड़ा कदम था, परंतु जो लोग पंचायती राज की मजबूती नहीं चाहते, माननीय सभापति महोदय, वह केन्द्रीकरण करके चाहते हैं और उन्होंने उन नियमों को निष्क्रिय कर दिया, जो गलत है।

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधीजी का सपना था और पंचायती राज की मजबूती के लिए माननीय राजीव गांधीजी ने जो किया, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के विकास के संबंध में हमारा जो क्षेत्र है, रेगिस्तान है, रेतीला है और वहां पानी की कोई नहरें और अन्य साधन नहीं होने की वजह से आज सबसे बड़ी कोई समस्या गांवों में है तो वह पीने के पानी की है। सबसे कारगर कोई साबित हु आ है तो वह पानी का

(श्री मदन प्रजापत)

टांका साबित हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि जो रुके हुए पेमेंट हैं, उन सरपंचों का भुगतान भी जल्दी किया जाये ताकि जनता को उस पेमेंट का लाभ मिले और इनके साथ ही अलग से नरेगा में हो या सरकार अलग से विशेष फंड देकर हर घर में, खेत में, सभी जगह कोई क्राइटेरिया नहीं हो, 100 प्रतिशत हर परिवार में कम से कम एक टांका निर्माण होने से, क्योंकि बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, अन्य तमाम रेगिस्तान में टांके के पानी को अमृत के रूप में मानते हैं और सोने-चांदी और धन की तरह उस पानी को संजोये रखते हैं। इसलिये टांके जितने ज्यादा होंगे, कुछ बने भी हैं, क्योंकि माननीय मनमोहन सिंहजी ने नरेगा में टांका बनाने का जो प्रावधान किया, सबसे ज्यादा लाभ ही बाड़मेर जिले को मिला है, लेकिन उसमें कई नियम-कायदे होने की वजह से हर परिवार को लाभ नहीं मिल पाया है। मैं चाहता हूं कि अलग से फंड देकर राजस्थान सरकार टांकों के लिए विशेष व्यवस्था करे। साल भर तक उन परिवारों और गांवों में रहने वालों के पानी काम आता है।

आज गांवों में चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने बजट में गांवों के लिए जो सौगातें दी हैं, उनकी वजह से विकास हुआ है। शहरों की तुलना में आज भी गांवों में विकास और सुखसुविधाएं कम होने की वजह से हर आदमी की मान्यता होती है कि मैं शहर में जाऊं, शहर में रहूं। जब तक यह पलायन नहीं रुकेगा, तब तक गांवों का विकास संभव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, कल मैं सुन रहा था कि कोटा में जो विकास हुआ उसकी भी बुराइयां हो रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई मजबूरी है या विरोध करना जरूरी है? दुनिया लोहा मानती है कि वास्तव में विकास हुआ है। कई तरह की बातें आयीं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, पीएम आवास में अधिकारियों और कर्मचारियों ने गलत आंकड़ा पेश किया। उनकी वजह से जो लाभ लेने के लायक परिवार थे, जिन गरीबों का आवास बनना था, वह आवास नहीं बन सका। जमीनों के गलत आंकड़े भेज दिये। बीघे की जगह एकड़ लिख दिया। एकड़ लिखने की वजह से वह लाभ से वंचित रह गये। मैं निवेदन करता हूं कि उन आंकड़ों को सुधारकर वापस सही रिपोर्ट मंगवायी जाये, ताकि गांवों में आम मजदूर, किसान, गरीब आदमी को आवास का लाभ मिल सके।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, अहंकार की भी बातें मैंने कई सुनीं। अहंकार किसी का आज दिन तक नहीं चला है। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि 3 जातियां रहती हैं। राजस्थान में 3 जातियां नहीं, सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। सभी रहते हैं। कोई एक, दो या तीन जातियां नहीं, सभी रहती हैं।

अभी 15 दिनों से वीरांगनाओं का जो मुद्दा आया, यह भी गांव से जुड़ा है। गांवों में जन्म लेने वाले ज्यादातर लोग ही आज सेना में हैं। हम शहीदों का सम्मान करते हैं। वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं। शहीदों को नमन करते हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, कोई राजनीतिक हथकंडे अपनाकर उन बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रहा है, यह हम कतई नहीं होने देंगे। यह उन शहीद के बच्चों का हक है। बच्चों की जगह दूसरों का यह प्रोपेगेंडा, दिखावे की राजनीति और ड्रामा करने वाले सुन लें कि राजस्थान की जनता और हम जन-प्रतिनिधि उन शहीदों के हक को खतम होने किसी भी सूरत में नहीं देंगे।

माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में एमएलए लैड की स्वीकृतियों में देरी के कारण समय पर काम पूरा नहीं होता है। कोई न कोई अडंगा डाल दिया जाता है। एक ही काम के लिए बार-बार पत्र व्यवहार करने से समय गुजरता जाता है। आप या तो पहले ही क्लियर कर लें कि यह नियम में है या नहीं है। 15 दिन, महीने, 2 महीने में पत्र मिलता है कि आपकी स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है। मेरा मानना है कि अगर यह समय रहते जल्दी नहीं किया गया तो काम समय पर पूरे नहीं हो सकते। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने कोई करोड़, 2 करोड़ नहीं, एमएलए लैड बजट में 5 करोड़ किया था। मैं आज इस अवसर पर पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी जो सौगात दी है, अगर वह समय पर खर्च नहीं हुए तो काम पूरे नहीं हो सकते।

माननीय सभापति महोदय, कल बंगलों की बात आयी कि किसका मोह छूट रहा है, किसका नहीं छूट रहा है। पूर्व मंत्री थे अमीन खां जी, उनको धन्यवाद देता हूं कि जब मंत्री पद से हटे तो 2 दिन में, हाथों-हाथ खाली कर दिया। कल कई बातें सदन में आईं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सुनिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हां?

श्री सभापति: नहीं, मैं उनको बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं। सुनिये प्लीज।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 70 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर दिया है और जो घोषणा की है, ऐसा ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय लेने की हिम्मत अगर है तो अशोक गहलोत जी में है, कांग्रेस की सरकार में है। पूरे हिन्दुस्तान में मिसाल पेश की है। जब राहुल गांधी जी की भारत यात्रा पर थे, तभी उन्होंने कहा था कि आने वाले बजट में महंगाई कम कैसे कर सकें। आज देश में हालात क्या हैं? महंगाई के कारण गांवों में चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, उसका आज कम आमदनी के कारण घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में जो फैसले लिए, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर हो, चाहे 1 हजार रुपया मिनिमम पेंशन देने का फैसला लिया हो, चाहे बिजली फ्री, 100 यूनिट होने से लगभग 95 परसेंट और विशेषकर गांवों में तो 100 परसेंट जीरो बिल आयेगा। यह सौगात माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है।

इसके अलावा भी चाहे भोजन पैकेट हो, आज उनको घर बैठे तेल मिलेगा, मिर्ची मिलेगी, शक्कर मिलेगी, आटा मिलेगा, दाल मिलेगी, चावल मिलेंगे और तमाम भोजन पैकेट, किट, पहली बार मिलेगा। उनका बजट कोई हजार, 2 हजार करोड़ नहीं, 19 हजार करोड़ का राहत पैकेज आम आदमी के लिए सौगात माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा भी कई हैं। जब दोस्त पूछते हैं कि एक रोज तो हार जाओगे न, तो मैं कहता हूं,

"मैं मुश्किलों के शहर से मंजिलों की तलाश में आया हूं,
मजबूरियों को पीछे छोड़ मैं परेशानियों से लड़ने आया हूं।
जो लोग किस्मत के भरोसे चलते हैं, उन्हें शक होगा शायद अपनी मंजिलों पर,
मैं कैसे हार मान लूं, मैं मेहनत के दम पर अपनी मंजिल पाने आया हूं।
मंजिलें लाख कठिन आयें तो गुजर जाऊंगा, हौसला हारकर बैठूंगा तो मर जाऊंगा,

(श्री मदन प्रजापत)

चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां हैं वह लोग जो यह कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा।"

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों को और विशेषकर हमारे बाड़मेर जिले के सभी नेताओं और विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि सर्वसम्मति से हमारे जिले के लिए यह बालोतरा है, जो बाड़मेर जिले में सभी एमएलए एक राय से सहमत हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जब मुझे बोलने का समय मिला तो मैंने निवेदन किया और आपका आभार व्यक्त करता हूं, पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने एक ही आवाज में जो समर्थन किया, मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा।

आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मामला है। मैं पुन: निवेदन करता हूं, उम्मीद करता हूं कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट में रिप्लाई वित्त विधेयक पर देंगे तो मुझे निराश नहीं करेंगे। एक जन प्रतिनिधि का नाता, धर्म जनता की पैरवी करना होता है। मांग करना होता है। मैंने मांग में कोई कमी नहीं रखी। मुझे विश्वास है कि मुझे निराश नहीं करेंगे और हमारी बालोतरा की उम्मीद जल्द पूरी होगी। यही मैं विश्वास व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जब भाषण दिया करते थे तो लोग मजाक मानते थे कि इस रेगिस्तान में क्या यह संभव है? लेकिन आज खजूर की खेती, अनार की खेती, अंजीर की खेती बाड़मेर जिले में हो रही है। आज आधुनिक तरीके से बाड़मेर में पहली बार बड़ी मात्रा में आलू की खेती भी प्रगतिशील किसान ने की है। आज बाड़मेर खनिज के मामले में हो, चाहे खेती में नवाचार के मामले में हो, मैं मांग करता हूं कि अनार के लिए प्रोसेसिंग यूनिट अगर गांवों में लगती है तो गांवों के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को मजबूती मिलेगी। मैं निवेदन करता हूं कि किसानों की मजबूती एवं गांवों में रोजगार के लिए यह अति जरूरी है। जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कोई व्यवस्था और प्लानिंग की जाये ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित में चाहे अलग से बजट लाए हों, चाहे मेडिकल में पूरे देश में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हुआ है और दुनिया माननीय मुख्य मंत्रीजी का लोहा मानती है।

(श्री मदन प्रजापत)

विपक्ष भी चिंतित है कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आयेगा, बजट तो शानदार है, बजट जानदार है लेकिन धरातल पर कैसे आयेगा। हमने बार-बार कहा कि धरातल पर कैसे आयेगा, धरातल पर कैसे लाना है, यह चिंता आपकी नहीं, यह चिंता सरकार की है। ये बातें गत बजट में भी आईं लेकिन जो जानदार, शानदार जो बजट देकर हर वर्ग को राहत दी है, उसमें चाहे ग्रामीण विकास हो या पंचायती राज हो, राजस्थान में ऐसी मजबूती से ये फैसले हुए। किसान हित में ज्यादा से ज्यादा फैसले किये गये हैं।

अभी ग्राम विकास अधिकारियों की जो भर्ती हुई, उनको जल्दी पोस्टिंग दी जाए। कई पंचायतों में एक व्यक्ति के ऊपर दो ग्राम पंचायतें, किसी के पास में तीन ग्राम पंचायतें, यह अतिरिक्त भार होने की वजह से समय पर काम नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, टेंडर प्रक्रिया क्या है? पहले सरपंचों को बीएसआर रेट में काम करने का अधिकार था, आज टेंडर प्रक्रिया में जो सरपंच के सामने चुनाव हारता है वह टेंडर की कापी लेकर बदले की भावना से 40 परसेंट बिलो में टेंडर रेट भर देते हैं और उनका एक ही मकसद है कि चाहे दो लाख मेरी पैनेल्टी लगेगी, मेरे दो लाख बर्बाद होंगे तो होंगे लेकिन इनका काम अवरुद्ध कैसे हो सके, इस ग्राम पंचायत में काम कैसे रुक सके, यह बदले की भावनाओं के कारण आज वास्तविक हालत यह है कि गांवों में आज विकास के कार्य रुके हुए हैं, काम समय पर हो नहीं सकता, क्या 40 और 20 परसेंट बिलो में काम मुमकिन है? यह धरातल पर नामुमकिन काम को मुमकिन नहीं कर सकते, इसलिए इनके कोई कड़े प्रावधान किये जाएं या पुराने नियम लागू किये जाएं या टेंडर में भी है तो एक बार जो काम नहीं करता है उनके लिए कडे कानून अपनाये जाएं, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, तभी सम्भव हो सकेगा कि काम समय पर हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: निवेदन करता हूं कि टांकों पर विशेष ध्यान देकर टांका अतिरिक्त परिवार को सौगात यदि कोई रेगिस्तान में दी जाती है तो मेरा मानना है कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी होगी, गांव में रहने वाला हर परिवार सुखी होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डेजर्ट रेगिस्तान में मजबूरी है, इनका काम किया जाए। 90 प्रतिशत जे ईएन के पद रिक्त हैं, उन पर भी तुरंत कार्यवाही करके किया जाए।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, बजट में जब हर वर्ग के लिए किया है, सड़कों के लिए किया है, यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो मांग की, हर मांग को पूरा किया है, मैं आज इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बातें कीं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा, तो तमाम जो बातें की हैं, इनके अलावा भी मैं मांग करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जिला बनाने का क्या हुआ?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप विश्वास रखें, आप विश्वास रखें, धीरज रखें, जरूर मेरी उम्मीद पूरी होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को एक जोड़ी चप्पल भेंट करना चाहता हूं।

श्री सभापति: जल्दी ही वो मौका मिलेगा आपको। माननीय सदस्य, कन्क्ल्लूड करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, हमारे बाड़मेर में विश्वविख्यात पशु मेला जो तिलवाड़ा में लगता है, पहले तो महीने-डेढ़ महीने तक चलता था, तिलवाड़ा में लाखों की संख्या में पशु आते थे और ग्रामीण लोग वहीं खरीदना-बेचना और इनकम का जरिया यही था। आज आधुनिक मशीनरी युग के कारण बैल नाम की चीज नहीं रही। ऊंट को राज्य पशु तो घोषित कर दिया लेकिन हालात यह है कि जहां लाखों ऊंट अकेले बाड़मेर जिले में हुआ करते थे, आज गिनती के ऊंट ही रह गये हैं। यही हालात जारी रहे तो आगे आने वाली पीढ़ी को फोटो में ही देखने को मिलेंगे कि जैसे डाइनासोर देखते हैं, ऐसे हुआ करते थे, इसी तरह से ऊंट की हालत भी यही होने वाली है, इनको संरक्षण दिया जाए। राज्य पशु घोषित करने से ऊंट जीवित नहीं रह सकता।

तिलवाड़ा मेला हो, चाहे कनाना हमारी लोक संस्कृति, लोक नृत्य, गांवों में और हमारे बड़े-बड़े तीर्थ स्थल हैं, चाहे नाकोड़ाजी हो, विश्वविख्यात जैन तीर्थ स्थल, चाहे राठौड़ों की कुल देवी नागाणा हो, परम धाम आसोतरा हो, चाहे रानी भटियाणी हो, चाहे खेड़ हो, ये गांवों में तीर्थ स्थल हैं, तो इनके लिए सामुदायिक भवन और पार्किंग, सड़क और अन्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए अलग से बजट देकर इनका विकास किया जाए।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: निवेदन करता हूं, उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी से जो मांगा, छप्पर फाड़ कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल बालोतरा जिला भी बनेगा और माननीय मंत्रीजी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विराजमान हैं, तो आपने मजबूती से काम किया लेकिन मैं पुन: निवेदन करता हूं कि आप ईमानदार हैं, मजबूत निर्णय लेने वाले हैं लेकिन फोन आता है, टांकों का पेमेंट नहीं मिला, सरपंच जवाब देने की हालत में नहीं है, लोग पेमेंट मांगते हैं, आप जो भी फैसला है, काम ज्यादा करके, तुरंत उन पर एक्शन लेकर लोगों के जो टांका निर्माण हुए हैं उनका पेमेंट समय पर मिले।

माननीय सभापति महोदय, पुन: माननीय मुख्य मंत्रीजी का, पूरी सरकार का, मंत्रीजी का आभार और आप सबका आभार, आपने मेरे बालोतरा और मेरी पीड़ा को समझते हुए मुझे समर्थन दिया। पुन: समस्त सदस्यों का, आपने सर्वसम्मति से समर्थन दिया इसलिए आपका आभार, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 52- पंचायती राज विभाग एवं मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, 2018 में जब चुनाव होने वाले थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में एक घोषणा की थी कि प्रत्येक गांव में सड़क मरम्मत करवाएंगे, वहां पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाएंगे, हर पंचायत पर, हर गांव में एक-एक किलोमीटर की सड़क देने की फर्स्ट बजट 2019 में भी घोषणा की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पंचायत में नहीं बनी, 46 पंचायतें हैं, हो सकता है मेरे साथ इतने विद्वान विधायक हैं, इनके बनी हो तो बात अलग है, पर इस प्रकार की घोषणाएं करनी नहीं चाहिए और इनकी जो भी घोषणाएं बाकी हैं, वो आने वाले चुनाव से पूर्व पूरी करवाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, इस पंचायती राज को जब से नागौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पावर दिया गया, काफी काम हुए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयीजी ने इस पंचायती राज के लिए बहुत काम किये, फिर शेखावत साहब ने किये। काफी काम अभी भी पेंडिंग हैं और काफी काम करने

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

की जरूरत है क्योंकि पहले सरपंच और प्रधान मिलकर जिला परिषद बनाते थे, वार्ड पंच और सरंपच मिलाकर प्रधान बनाते थे, आज जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं, पंचायत समिति सदस्य मिलकर प्रधान बनाते हैं और जिला परिषद सदस्य मिलकर जिला प्रमुख बनाते हैं, पर वो पांच साल तक रहता है, उनको कोई वित्तीय पावर नहीं है, उनके पास कोई बजट नहीं होता है और उनको कोई ऐसा मानदेय नहीं होता है इसलिए कोई पंचायत समिति सदस्य बनने की कोशिश भी नहीं करता है, लोगों में इसके लिए उत्साह भी नहीं रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी काफी अनुभवशील हैं, काफी इस बात को सोचकर, क्योंकि वो भी ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन आदि कर रहे हैं, इस बारे में सोचकर इन पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों की मांगें पूरी करें, उनका मानदेय भी दें और उनको अलग से बजट दें जो उनके विकास के लिए हो, दो-दो पंचायतों पर एक पंचायत समिति सदस्य होता है, दस पंचायतों पर एक जिला परिषद सदस्य होता है, उनके पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको सोचकर जल्दी ही निर्णय लें, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, सरपंचों की हड़तालें, धरने, पूरे देश में ज्ञापन हुए हैं काफी मांगें उन सरपंचों की थीं कि हम लोगों के काफी काम हैं, काफी बजट है, काफी समस्याएं हैं, उन सरपंचों के बारे में भी सोचें क्योंकि एक ग्राम पंचायत का सरपंच काफी पावरफुल होता है, काफी बजट भी होता है उनके पास पर उनकी काफी किस्तें बाकी हैं, जिला परिषद की किस्तें बाकी हैं, पंचायत समिति की किस्तें बाकी हैं, उन किस्तों को भी आप डलवाएं क्योंकि 2021 और 2020 की किस्तें बाकी हैं, वह आप डलवाएं क्योंकि जब-जब आप पैसा देंगे तो विकास में वह पैसा काम में आयेगा, उसके लिए आप पैसा भी दें।

टेंडर प्रक्रिया जो होती है क्योंकि अभी बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य, मदनजी ने भी एक बात रखी थी कि टेंडर प्रक्रिया इनके सामने जो चुनाव लड़ता है, वो टेंडर डाल देता है। उनके दो लाख, तीन लाख जो भी जब्त हो जाते हैं, लम्बे टाइम तक वे सरपंच काम नहीं कर पाते। उन पंचायतों में काम बन्द पड़े हैं, उनके काम करवाने की कोशिश करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज में एक राशन डीलरों वाली समस्या है। राशन डीलर आज हड़ताल पर हैं। आज 8-10 हजार लोग यहां बाहर आये हुए हैं। उनकी मांगों को भी आप देखें, उन पर चर्चा करें कि उन्हें मानदेय कैसे दे सकते हैं, कमीशन कैसे दे सकते हैं या 25-25, 30-30 हजार रुपये तनख्वाह देकर उनके लिए कुछ कर सकते हैं।

पंचायती राज में काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार पंचायतों में एक-एक सचिव लग रहा है, उस बारे में भी आप सोचें। उनकी भर्ती करने की भी कोशिश करें। अगर आप भरेंगे तो पंचायती राज में सरपंच अच्छा काम कर पाएंगे। पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग में जोड़ने की जो प्रक्रिया थी, पहले पंचायतों में तीन-तीन, चार-चार आदमी मिले हुए थे, अब वे एलडीसी के रूप में स्कूलों में लग गये, उनकी भी पंचायतों में काफी कमी खल रही है। टैम्परेरिली साल-दो साल जितने भी समय के लिए हो सके, उन्हें आप वापस पंचायतों में लगवाएं। यदि चार लोग हैं तो दो स्कूलों में और दो पंचायतों में लगवा दें। इससे पंचायत के छोटे-मोटे काम ठीक से हो सकेंगे।

विद्यार्थी मित्रों के 6500 पद खाली थे। उन्हें परमानेंट करने की बात भी हुई। उन्हें परमानेंट करने के बारे में भी विचार करें। वे भी बारबार धरने-प्रदर्शन, ज्ञापन, हड़ताल करते हैं। एक एलडीसी भर्ती की सरकार ने बात की थी कि एलडीसी की भर्ती करके हम जो भी मांगें हैं, उन्हें पूरी करने की कोशिश करेंगे, वह भी आप करें।

माननीय सभापति महोदय, जहां गांवों में आप लोगों ने सड़क निर्माण की बात की थी, सरकार द्वारा हर एक गांव में, जहां बड़ा गांव है, वहां एक-एक किलोमीटर दें। 500-500 मीटर की सीसी रोड भी सरकार की तरफ से देंगे तो आज की तारीख में शहरों में जिस प्रकार का डवलपमेंट हो रहा है, उस प्रकार का गांवों में भी हो सकता है। अगर आप सीसी रोड देंगे तो नाली वगैरह की भी व्यवस्था वहां हो पायेगी और हम विकास कर पाएंगे। उसके बारे में भी आप सोचें।

सभापति महोदय, पेयजल की जो व्यवस्था है, जहां सिंगल फेज बोर मोटर है, पंचायतों के पास ऐसा कोई बजट है नहीं कि वे बिजली का बिल जमा करा सकें, बिजली के बिल की काफी परेशानी होती है। अभी ग्राम पंचायतों में फरवरी-मार्च का महीना आता है और आरएसईबी द्वारा उनके

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

कनेक्शंस काट दिये जाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि हाल-फिलहाल में किसी पंचायत के 10 लाख बाकी हैं, किसी के 50 लाख बाकी हैं, किसी के 2 करोड़ बाकी हैं, कहीं 3 करोड़ रुपये बाकी हैं, उन सबके कनेक्शंस काट दिये जाएंगे। आज पीने के पानी की वहां समस्या है। गांव वाले कलेक्टरेट पर धरना दे रहे हैं। सरकार या तो उनका सम्पूर्ण बिल माफ करे, क्योंकि जो पुराने सरपंच रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से, उनके बाकी हैं। उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में मंत्री जी आप थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि सिंगल फेज के कनेक्शंस करीब-करीब सभी के काट दिये गये हैं। उन्हें अब जोड़ने की कोशिश कैसे करें?

माननीय सभापति महोदय, एक समस्या ई-मित्रों की है। ई-मित्र भी टाइम पर काम कर नहीं पाते हैं। या तो सरकार के द्वारा उन्हें कोई मानदेय दें। हर पंचायत में एक ई-मित्र वाला बैठा है। प्रोपर वे में बात करने के लिए जब तक सरकार का कोई अंकुश नहीं होगा या सरकार के द्वारा उन्हें कोई मानदेय वगैरह या फिर अगर उन्हें फिक्स कर लिया जाये तो आराम से उनका कमीशन वगैरह वे ले लें तो प्रोपर वे में काम हो जायेगा। ई-मित्र के बारे में भी आप सोचें।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों में नेट की काफी समस्या है। जितने भी पटवार भवन, पंचायत भवन या स्कूल्स हैं, उनके यहां फाइबर केबल के द्वारा नेट प्रोवाइड किया जाये। उन सभी को नेट के द्वारा आप जोड़ने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के द्वारा गांवों में विकास होता है। एमएलए फंड, एमपी फंड, सब पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। जब तक हम पंचायती राज को, सरपंचों को, जिला परिषद् सदस्यों को, पंचायत समिति सदस्यों को, प्रधान को, जिला प्रमुख को मजबूत नहीं करेंगे तब तक गांवों का विकास हो नहीं सकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इन सरपंचों को आप बुलाएं, क्योंकि जब हड़तालें होती हैं तो तीन-तीन, चार-चार महीनों तक पंचायतों के ताले लगे रहते हैं, कभी वहां सचिवों की कमी के करण ताले लगे रहते हैं, कभी प्रधानों के कार्यालयों पर ताले लगे रहते हैं, इनकी जो भी मांगें हैं, सरकार उन्हें बुलाकर उनसे बात करे।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

राशन डीलर काफी धरने पर बैठे हैं। 10 हजार लोग बाहर बैठे हैं। उनके बारे में भी आप चर्चा करें, क्योंकि उनके इतने तो खर्चे हैं, उन्हें कमीशन मिल नहीं पा रहा है। मंत्री महोदय, प्रताप सिंह जी खाचरियावास भी बैठे हैं। रघु शर्मा जी के साथ हंसी-मजाक कर रहे हैं। एक बार आप भी समझें। घोषणा भी करके आये हैं। मंत्री जी अभी बहुत जल्दी इस प्रकार की घोषणा करेंगे और राशन डीलरों के बारे में सोचेंगे। राशन डीलर की आप जब तक मांगें पूरी नहीं करेंगे ...(व्यवधान) एक बार, मंत्री महोदय, मुझे बोलने दें पूरा।

श्री सभापति: माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय ने आपकी बात सुन ली है।

सूचना

विधान सभा के समक्ष एकत्रित राशन डीलर्स से सरकार का संवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की विधान सभा इस लोकतंत्र का सबसे पवित्र मन्दिर है। आज इस लोकतंत्र के पवित्र मन्दिर के सामने 10 हजार से ज्यादा राशन डीलर इकट्ठे हैं। इस मंत्रिमण्डल के सबसे शक्तिशाली मंत्री उनके विद्याधर नगर स्टेडियम में जाकर उनकी बड़ी सभा में इतना बड़ा हार पहनकर आये, उनकी सारी समस्याओं के समाधान की बात करके आये और एक मुकुट पहनकर आये। मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिये, कम से कम उन्हें बुलाकर उनसे बात कर लें।

सभापति महोदय, इसी तरह जिला परिषद् के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य राजस्थान के इस शहीद स्मारक पर बैठे हैं। लोकतंत्र में लोग चाहते क्या हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। मंत्री महोदय, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। लोग कहते हैं कि आप जो कहते हैं, वह करते हैं। प्रताप की बांहें इतनी कमजोर हो गयीं, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे सहानुभूति है। राजस्थान के राशन डीलरों द्वारा जगह-जगह आपके पुतले जलाये जा रहे हैं। मैं उनकी अगुआई करूंगा।

श्री सभापति: श्री अमीन खां जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: अभी बोलना चाहते हैं आप?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जी हां। राजेन्द्र जी राठौड़ साहब हमारे सदन के उप-नेता हैं। इन्होंने राशन डीलरों की चिन्ता की है। राशन डीलर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वे पहले मुझसे मिले थे। मैं पूरे सदन को आपके जरिये बता दूं, उन्होंने जितनी भी डिमांड्स उठायी हैं उनमें एक सिर्फ मानदेय का प्रकरण ऐसा है, जो हमने हमारी तरफ से करके भेज दिया। वह प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। उस पर जल्दी ही मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे और पूरे देश के अलग-अलग स्टेट्स में किस ढंग से मानदेय दिया जा रहा है, राशन डीलर्स की समस्या वाजिब है, बहुत कम पैसा उन्हें मिल रहा है। उसका रास्ता हम निकाल रहे हैं।

बाकी उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, प्रोब्लम्स हैं, राशन डीलर्स की प्रोब्लम्स के लिए 100 परसेंट मैं अभी उन्हें बुलाऊंगा और उनसे बात करूंगा। काफी प्रोब्लम्स सॉर्ट आउट हो गयी हैं और बाकी की प्रोब्लम्स भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। यह तय बात है। इसलिए माननीय राठौड़ साहब को पुतले जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे खुशी होगी यदि राठौड़ साहब मेरे पुतले जलाएं। राठौड़ साहब, मैं और रघु जी, हम सब आपसे जूनियर हैं। आप हमारे सीनियर लीडर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। +++

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन अगले के पास काम ही पकड़ लिया उन्होंने कि मैं तो पुतले ही जलाऊंगा तो फिर आप क्या कर लेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++

श्री सभापति: धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं तो बस खतम कर रहा हूं। मेरे ऊपर सवाल उठा है। +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): +++

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय मंत्री। प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं राशन डीलर्स के लिए कह रहा हूं।

डॉ. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): +++

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): +++

श्री सभापति: Thank You. यह रिकार्ड नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री सभापति: नहीं, नहीं, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राशन डीलर्स को अभी मैं बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा।

श्री सभापति: राशन डीलर्स वाली बात को रिकार्ड करिये। बाकी बातें रिकार्ड नहीं होंगी।

श्री अमीन खां जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 52 - पंचायती राज व मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास पर विचार

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान 70-75 प्रतिशत ग्रामीण एरिया में बसता है और ग्रामीण एरिया की प्रशासनिक और विकास के तौर पर संस्था ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायतों को मजबूत करना शासन का पहला कर्तव्य होना चाहिए। चाहे कोई माने या नहीं माने लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों को या दूसरी संस्थाओं को हर तरह की सहूलियत देने में कोई कसर नहीं रखी है, इसके लिए उनको बार-बार धन्यवाद देना उचित होगा।

इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान अलग-अलग परिस्थितियों का है। पहाड़ी एरिया की अलग समस्या है, रेगिस्तान की अलग समस्या है और बीच में हाड़ौती की अलग समस्या है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के 11 जिलों की आबादी आज भी गांवों में अधिक नहीं है, गांव के खेतों में, ढाणियों में बसते हैं। इन ढाणियों में टांका बनाने की योजना बहुत ज्यादा सफल हुई है। इन टांका को बनाने में पंचायतों को पेमेंट में और तकनीकी कर्मचारियों को दिक्कत आती है। खाली जगह होने की वजह से वह पूरा करना चाहिए और पंचायतों में पेमेंट के लिए इधर-उधर से कर्ज लेकर के काम कराते हैं जिससे सरपंचों के सामने भारी मुसीबत है। हमारी पंचायत समिति गडरा रोड, शिव और रामसर के कई सरपंचों ने हमें यह कहा कि हमारा पिछले दो साल से पेमेंट बकाया है इसलिए इस पेमेंट पर समयबद्ध तरीके से सरकार की बन्दोबस्ती और पाबंदी होनी चाहिए।

पंचायतों में अधिकांश लोग, सेंट-परसेंट ग्रामीण लोग हैं और इन

(श्री अमीन खां)

ग्रामीण लोगों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक घर में दो टांका होना चाहिए। एक टांका जहां वह गांव में निवास करते हैं वहां होना चाहिए और एक टांका उनके खेत की ढाणी में होना चाहिए ताकि उनके पानी की कोई समस्या नहीं हो। टांकों के पानी में न तो नारू बाला रोग होता है और न उसमें फ्लोराइड की मात्रा होती है जिससे बीमारी से भी इन्सान अच्छी तरह से बचते हैं और तन्दुरुस्त रहते हैं। टांके का पानी हर जगह, हर समय आराम से मिलता है। पेयजल की योजनाएं भी सरकार ने बहुत लम्बी-लम्बी बनायी हैं और उनमें करोड़-अरबों रुपये खर्च किये हैं लेकिन वे हमारी निगाहों में सफल नहीं रही हैं क्योंकि 100-100, 200-200 किलोमीटर रेगिस्तान की लम्बी लाइनों में कहीं पाइप टूट जाते हैं, कहीं पम्प बन्द हो जाता है तो चार दिन तक किसी को पता नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने मजदूर लगाने पर पाबन्दी लगा रखी है। सभापति महोदय, मजदूर पर पाबन्दी लगाना मैं जनता का अहित मानता हूं क्योंकि एक तो मजदूर को रोजगार मिलता है और दूसरा इतने लम्बे काम के लिए आप बिना मजदूर के काम नहीं चला सकते। काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी खबर देने वाला भी कोई नहीं है। हजारों-लाखों रुपये के मोटर पम्प जल जाते हैं और दस दिन के बाद में पता पड़ता है, इसलिए यह काम पंचायतों के अण्डर में दिया जाए और मजदूरों को पंचायतों के अण्डर में दिया जाए।

दूसरा, हमारा यह सुझाव है कि शुरू में जब पंचायती राज कायम हुआ तब हमारे यहां राजस्थान में मास्टर प्रधान और बीडीओ अपाइंट करते थे और उस जमाने में कोई तकलीफ नहीं थी। आज पता नहीं कोई रीट लाये हैं, कोई बी एड, एम एड तरह-तरह की परीक्षाएं कराते हैं जिनमें पेपर लीक होते हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि आपकी स्कूल कितने दिन बन्द रहेगी। हमारा तो यह सुझाव है कि पंचायती राज के जिला परिषद को पावर होना चाहिए और ग्रामीण स्कूलों में अध्यापकों के सलेक्शन का पावर इनको देना चाहिए। यही बात कहते हुए मेरी बात मैं खतम करता हूं। मंत्री जी, बकाया पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सरपंच लाचार न बनें और यह टांकों की व्यवस्था, इंतजाम योजनाबद्ध तरीके से चलनी चाहिए ताकि ग्राम और ढाणी सुखी रहे। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अमृतलाल जी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 52- पंचायती राज विभाग और मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा हो रही है...

श्री सभापति: एक मिनट प्लीज। देखिये, अब जो बोलने वाले स्पीकर्स हैं उनमें श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल तक का और उधर जो नाम आ रहे हैं उनमें 8-8 मिनट का आपका एलोकेटेड समय है। 6 मिनट होंगे तो मैं घंटी बजाऊंगा, इसका मतलब आपको दो मिनट में आपका सम्बोधन, भाषण कन्क्लूड करना है और समय पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। घड़ी सदन की ही काम में आयेगी। थैंक यू।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, वैसे हमारे पंचायती राज मंत्री बड़े सक्षम हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित ग्रामीण विकास का अर्थ सामाजिक श्रृंखला में आखिरी कड़ी अर्थात् सुदूर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले लोगों का भला हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ग्राम पंचायत जितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी उतनी ही आदर्श ग्राम स्वराज्य की कल्पना सिद्ध होगी। विडम्बना है कि पंचायती राज की स्थापना को 63 साल हो गये। म्हारो राजस्थान की पावन धरा पर 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज का आगाज हुआ। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कलाम साहब ने भी 2020 तक भारत को एक प्रमुख विकसित देश बनाने की बात कही थी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार शहरों को स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करते हैं उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको लिया जाए। हमारी 70 से 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दुर्भाग्यवश भारत के गांवों का जन-मानस आज भी उन योजनाओं के बाद भी बहुत सारी परेशानी में है। ग्राम विकास हेतु सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती हैं पर हम देखते हैं कि आये दिन गांवों में लोग अपने रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों के लिए विभिन्न कार्यालयों में चक्कर काटते रहते हैं। कार्यालयों में कर्मचारी भी लोगों को भटकाते हैं इसलिए इसको भी मंत्री जी, देखें। कभी सर्वर नहीं चलता है तो कभी कहते हैं कि साहब छुट्टी पर हैं, जिससे इस प्रकार के लोगों को बहुत भारी समस्या आती है इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए और आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत विकास करना चाहिए।

(श्री अमृतलाल मीणा)

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज भी कई गांव, ढाणियां मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। घुमन्तु जाति गाड़िया लोहार हो, जोगी-नाथ, कालबेलिया सहित अनेक जातियों का पुनर्वास करने की जरूरत है। लगातार बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गांवों में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं उसमें हम विकसित भारत का सपना तो देख सकते हैं मगर इस सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, इस पर भी विशेषकर ध्यान दें।

मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए 73वें संशोधन के बाद 2010 से पांच बड़े-बड़े विभाग मंत्री जी के पास हैं, लेकिन ट्रांसफर आज भी पैतृक मूल विभाग ही कर रहा है। मंत्री जी वैसे सक्षम हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, इस प्रकार के जो भी हैं, उन्हें आप देखें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि महानरेगा के अन्दर आपसे बहुत आशाएं और उम्मीदें हैं। गांवों में सड़कों का निर्माण हो, सीसी रोड हो, इंटरलाक हो, नदी, नालों पर रपट व पुलिया बनाने की जरूरत हो, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे तो गांवों में बहुत बड़ा बदलाव आयेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गांव में आज तक श्मशान में जाने के लिए सीसी रोड नहीं है। श्मशान घाट विधिवत नहीं बने हुए हैं। वहां पर विदेशी बबूल उगे हुए हैं। उनके लिए भी एक आदेश जारी करके, अन्तिम रास्ता जिस पर हम जाते हैं, वह रास्ता भी सुरक्षित हो।

आज कई स्कूलों में शौचालय नहीं है, कमरों में पानी टपक रहा है, इसको भी नरेगा में लिया जाये। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न वन्य उत्पादन जैसे सफेद मूसली है, महुआ है, पहाड़ी तेन्दुपत्ता है, का संग्रहण तो करते हैं लेकिन उनको रखने के लिए केन्द्र नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सम्मानजनक आजीविका का माध्यम दिया जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नीतियों में खोट नहीं है लेकिन इन योजनाओं के अन्तर्गत मेट वर्षों से लगे हुए हैं उनका तीन-तीन सालों से

(श्री अमृतलाल मीणा)

भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं। विद्यार्थी मित्र 6 हजार 500 जो हैं, उनको आप परमानेंट करें। मां-बाड़ी वाले लोगों का भी मानदेय भत्ता बढ़ाया जाये और शिक्षा की तर्ज पर दिया जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायती राज महानरेगा में स्वीकृत मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही है। समतलीकरण, धोरे निर्माण, रोड का निर्माण कराया जाये। 3 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद भी आज तक उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। पंचायत समिति से वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाती है, लेकिन समयबद्ध नहीं करते हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे यहां घींघला पंचायत समिति बनाने के बारे में सरकार विचार करे। विधायक मदों में स्वीकृत कार्य एक वर्ष से अधिक अवधि पूरी होने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाते हैं, मेरा यही निवेदन है।

ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सचिव के काफी पद खाली हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बीपीएल का सर्वे 2002 किया जाये, पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार दिया जाये, श्रमिकों को भुगतान किया जाये, कुशल और अकुशल का भुगतान, सामग्री का भुगतान किया जाये।

जो चरागाह भूमि पर वर्षों से बसे हुए हैं उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जाये, सामुदायिक पट्टा भी दिया जाये। विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाये। टीएसपी एरिये में 2011 की जनगणना में प्रधानमंत्री सड़क योजना को, यह मैंने 6 हजार 500 वाली बात कही थी विद्यार्थी मित्र वाली, महात्मा गांधी नरेगा में व्यक्तिगत कार्य कुएं खोदना, कुएं गहरे करना, समतलीकरण करना, पशु शैड का निर्माण करना आदि सारी बातों को बिलकुल ध्यान में रखें।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): इस वर्ष हमारी विधायक निधि को भी आप समय पर जल्दी जारी करें, ताकि हम सारे काम कर सकें।

मैंने खेल मैदान, श्मशान घाट का निर्माण, स्कूलों में सांस्कृतिक भवन, कमरे, शौचालय की बात कही है, महानरेगा के अन्तर्गत नवीन कुएं खोदने की बात कही है, कुएं गहरे करने की बात की है, भूमि समतलीकरण करने की बात कही है, पशु शैड का निर्माण करने की बात कही है, विधान

(श्री अमृतलाल मीणा)

सभा क्षेत्र में नदी, नालों पर रपट और पुलिया की बात भी मैंने आपसे निवेदन की है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य, आप रिपीट कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रूपाराम जी।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52 और 53, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान की वर्तमान आबादी लगभग 8 करोड़ है, करीब 2 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं और करीब 6 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। देश की आजादी से पूर्व गांवों की स्थिति ऐसी थी, जो मूल आवश्यकताएं थीं, पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पश्चिमी राजस्थान में कई गांव, जिनमें लोग कुंवारे रह जाते थे। पानी खारा था या 500-600 फीट से ज्यादा गहरा था या कोसों दूर से लाना पड़ता था। शिक्षा के लिए जमीन पर लकड़ी से लाइनें खींचकर थोड़े बहुत अक्षर सीखा करते थे और स्वास्थ्य में भगवान के भरोसे थे।

ट्यूबरक्लोसिस, जो एक छोटी-सी बीमारी है, जिस पर कंट्रोल किया गया है। गांवों में किसी की डैथ होती, दूर जाकर पेड़ों में डाल देते, नजदीक गाड़ने से और लोगों को बीमारी हो जायेगी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरे देश में मूलभूत सुविधाओं से पूर्णतया वंचित थे। देश आजाद हुआ, शहरों का विकास तेज गति से हुआ, गांवों का विकास उस गति से नहीं हुआ। आजादी के बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट बने, पंचायती राज का गठन हुआ।

1977 तक शुरुआती दौर था, तब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का राज रहा। उस वक्त विचित्र परिस्थितियां थीं, फंड्स की कमी थी और गांवों में कुछ भी नहीं था, सब कुछ करना था। कांग्रेस के उस समय के नेताओं, सरकार की, पार्टी की खुद की नीति जो गांवों में विकास करने की थी, उस ढंग से बहुत कुछ किया गया। तत्पश्चात्, सरकारें कांग्रेस की भी रहीं और इन 75 वर्षों में 20 वर्ष बीजेपी की भी रहीं। आज ग्रामीण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हम आगे बढ़े हैं।

अभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग, सीधे

(श्री रूपाराम)

पंचायती राज के अंडर में हैं। अभी पूरे राजस्थान में पंचायती राज का जो सिस्टम है, इन विभागों में 33 जिला परिषदें हैं, 355 पंचायत समितियां हैं और 11 हजार 273 ग्राम पंचायतें हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रदेशवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस राज में जो पुनर्गठन हुआ, इसमें अधिकतम पंचायत समितियां बनीं, ग्राम पंचायतें बनीं। मेरे खुद के जैसलमेर जिले में, देश की आजादी के बाद में, जब से पंचायती राज बना, मात्र तीन पंचायत समितियां थीं, तीन के अलावा चौथे का नाम ही नहीं लेते थे, सम, साकडा और जैसलमेर। अभी दुगुने से ज्यादा बनीं, 7 पंचायत समितियां हैं और जिले में 66 ग्राम पंचायतें बनी हैं।

ऐसे ही सभी माननीय सदस्यों के एरिये में पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें बनी हैं। इनके माध्यम से पूरा ग्रामीण विकास, जो 6 करोड़ की आबादी है, उसकी सुविधा के लिए काम किया जाता है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि कई ग्राम सेवक, बीडीओज या जिला परिषद में सीईओ, एसीईओ हैं, एकदम से किसी से पूछ लें तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे अंडर में ये पांच विभाग भी हैं। मीटिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, जो प्रगति लाकर देते हैं, वे पन्ना लाते हैं और एक-दो महीने में मीटिंग कर लेते हैं।

पंचायती राज विभाग है। आज सरपंच है, उसको ग्राम पंचायत में नम्बर वन का व्यक्ति मानते हैं। प्रधान को पंचायत समिति में नम्बर वन का मानते हैं। जिला प्रमुख को जिले का प्रथम नागरिक मानते हैं। उनके अंडर में जो भी सिस्टम है, उनको इन पांच विभागों की हर समय सूक्ष्म मॉनिटरिंग करनी चाहिए इन विभागों में राज की जो स्कीम्स हैं, उनका वास्तविक बैनिफिट पब्लिक को हो रहा है या नहीं हो रहा है।

(समय: 14.00 बजे)

इसके अलावा जितने भी विभाग हैं, चूंकि पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र का पूरी तरह से देखता है तो पंचायती राज के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी विभाग चाहे पीएचईडी हो, चाहे पावर का हो, पीडब्ल्यूडी हो, ये ग्रामीणवासियों को यह अहसास होना चाहिये कि पंचायत राज में चाहे ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में कोई भी

(श्री रूपाराम)

हम अर्जी देंगे, हमारी तकलीफ है तो हमारे ये माई-बाप हैं, हमारे सुनने वाले हैं तो वो उन डिपार्टमेंट में एक पंचायत राज में जिला परिषद, पंचायत समिति में एक सेल हो, प्रकोष्ठ हो जो गांव की जो भी तकलीफ आती है सम्बन्धित डिपार्टमेंट से चर्चा करके और उसका वापस उसको जवाब दें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। वर्तमान में ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग अभियान चला। कई जगह मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में मैं खुद भी जाता हूं मॉनिटरिंग करता हूं पर एक केस ऐसा आया कि उसकी पेन्शन 85 वर्ष की उम्र में सेंक्शन हुई। पहले 55 वर्ष में मिलती थी, तो उसको उतने वर्ष का एरियर नहीं मिलेगा, वह जिसका भी लैकूना रहा है, जिसकी भी कमी रही फिर हमने बैठ कर वहां लोकल तय किया, राज्य के कोई ऐसे निर्देश नहीं थे, हमने तय किया कि हर ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक यह सर्टिफिकेट देगा कि राज्य की जो अलग-अलग स्कीमें हैं, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, उसमें पात्र चाहे विधवा है, चाहे विकलांग है, चाहे अनाथ बच्चा है, जो सुविधा पाने के योग्य है वह कोई भी वंचित नहीं है, नहीं तो उनकी सैलरी नहीं दी जाये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज के नोडल विभाग हैं तो गांव के अधिकतर लोगों को गांव के अन्दर इन चीजों की शहर के लिए भी है, यह नहीं है कि जरूरत नहीं है, लेकिन गांव के लोगों को अगर किसी परिवार को पांच सौ रुपये, साढ़े सात सौ रुपये, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेन्शन वगैरह अधिक कर दी है, तो उनका जीवनयापन हो जाता है। एक आदमी विकलांग हुआ 1978 में, उसका अभी प्रशासन गांवों के संग में विकलांग का सर्टिफिकेट बना। वह करीब मरने लायक हो गया, उसको एरियर नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार की जो मॉनिटरिंग की जाती है, इतने हमने पट्टे दे दिये, इतना यह कर दिया, इतना वह कर दिया, तो पंचायती राज देखे कि जो गांव एक यूनिट है, उसकी ढाणियां भी हैं, वह इस प्रकार कहने की स्थिति में हो विकास अधिकारी, ग्राम सेवक या सीईओ या एसीईओ कि मेरे कार्यक्षेत्र में जो राज्य सरकार की भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं उसके अन्दर पात्र व्यक्ति एक भी शेष नहीं रहा है, जिसको वह लाभ मिलना है। संख्या तो आपने दस दे दी, योग्य तीस हैं, दस को दिया, क्या फर्क पड़ा? 33 प्रतिशत ही प्रगति हुई है।

(श्री रूपाराम)

माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। गरीबी से, तकलीफों से वाकिफ हैं, यह किया जाना चाहिये।

कुछ मैं और सुझाव दूंगा। अभी पंचायती राज के थ्रू करोड़ों रुपयों का काम होता है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में नरेगा का, अगर सभी जॉब कार्ड हैं उनके हिसाब से मजदूरी दी जाये और मैटेरियल कम्पोनेंट जो भी रूल्स में हैं, तो एक साल में चार सौ करोड़ का काम होता है, अब चार सौ करोड़ के काम के लिए पंचायत समिति चार हैं, जे ईएन के 8 पद सेंक्शन हैं लगे हुए 3 हैं, तो उनका समय पर काम पूरा होना और क्वालिटी पूरी मेन्टेन करना यह कोसों दूर है। अपने को क्वालिटी की बात नहीं करनी चाहिये, जैसा करे वैसा बना-बनू कर पेमेन्ट कर दो। अगर अपन क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके लिए मापदंडानुसार जितने भी इंजीनियर चाहिये वो होने चाहिये। इसमें मेरा निवेदन है कि राजस्थान में तीन सौ पचपन जो पंचायत समिति हैं, आज बहुत बड़ा पैसा नरेगा का आता है, क्वालिटी मेन्टेन करने के लिए एक पंचायत समिति में उसकी सैलरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होते हैं स्टेट में और उनकी क्वालिटी सही नहीं है, तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है, तो एक पंचायत समिति में कम से कम चार कनिष्ठ अभियन्ता होने चाहिये ताकि उनका वर्क समय पर पूरा करावें, क्वालिटी मेन्टेन करें, सही मॉनिटरिंग हो।

इसी प्रकार पंचायती राज में अभी जो जेटीए लगाते हैं वो दो ग्राम पंचायतों पर एक है तो इनमें जो भी सिविल इंजीनियर हैं, जो सिविल वर्क्स को ढंग से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो उनको माप लेने की और एमबी में मेजरमेंट भरने की भी पावर देनी चाहिये ताकि जितना भी वर्क डिस्ट्रिब्यूट हो और उसको टेक्निकल आफिसर जांच करने वाले, उनके पास एरिया कम हो तो क्वालिटी और समय पर काम होना सुनिश्चित हो पायेगा, यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): इसी के साथ जो जिला परिषद् और पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें जो नयी बनी हैं अधिकतर फंड्स मिला है, कुछ जगह जमीन का विवाद है, तो इसकी एक स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग होती है

(श्री रूपाराम)

लेकिन फिर भी करके इलेक्शन ईयर है, लोगों को लाभ जल्दी मिले तो जितनी भी ग्राम पंचायतें बनी हैं, पंचायत समितियां बनी हैं उनके जो भवन हैं वो कम से कम समय में बन जायें ताकि लोगों को उसका लाभ मिले।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। धन्यवाद। प्लीज।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): एक मिनट सर, एक मिनट। और यह जो नरेगा का पेमेन्ट है, जिसका मैटेरियल कम्पोनेंट का अधिकतम पैसा भारत सरकार से आता है, एक साल से बकाया है, यहां से काफी सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है, तो इसका भी थोड़ा और करके कम टाइम में पेमेन्ट हो जाये।

एमपी और एमएलए लैड, इसके अन्दर जो काम होते हैं एक निर्देश जारी किये हुए हैं कि इतने टाइम में एएंडएफ होगी, एफएस होगी, टीएस होगी और काम शुरू होगा, निर्देश जारी हुए हैं लेकिन राज्य के लेवल पर स्टेट लेवल पर शायद मॉनिटरिंग नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग करके समय पर काम हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री सुरेश सिंह जी रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपने पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की जिसमें सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख तीनों को संवैधानिक कहने को तो मान्यता दे दी लेकिन अधिकारों की पूरी ताकत अभी तक इनको नहीं दी है। आज आये दिन पंचायती राज संस्था के अधिकारी व कर्मचारी जिसमें एलडीसी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक, संविदाकर्मी व पंचायती राज व महानरेगा से जुड़े कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आये दिन हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे ग्रामीण विकास के काम अटक जाते हैं, तो मेरी माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि इनकी वाजिब मांगों को मान कर इस समस्या का स्थायी समाधान करें, क्योंकि हर 6 महीने, साल भर में यह समस्या खड़ी हो जाती है।

सभापति महोदय, अगर हम पंचायती राज की बात करें तो माननीय मंत्री महोदय, जो राज्य वित्त आयोग का पैसा है वह एक साल से आपने

(श्री सुरेश सिंह रावत)

पंचायतों को ट्रांसफर नहीं किया, जिसके कारण हमारे ग्राम पंचायतों के जो भवन हैं उसके अन्दर बिजली के कनेक्शन हैं, विद्युत विभाग के अधिकारी आये दिन बिल जमा नहीं होने के कारण उन कनेक्शनों को काट रहे हैं, तो इनका जो हक का पैसा है वह आप जल्दी तुरन्त प्रभाव से रिलीज करें।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में मेट, कारीगर, महानरेगा श्रमिकों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है और नरेगा योजना में एनएमएमएस मोबाइल एप से फोटो की हाजिरी लगाना आपने शुरू कर दिया, इसके पश्चात् कई श्रमिक काम पर भी जाते हैं, हाजिरी लगाने के बाद भी उसको भुगतान नहीं मिलता है क्योंकि वह एप के अन्दर अपलोड नहीं होता है। कई जगह नेट काम करता है और कई जगह नहीं करता है।

माननीय सभापति महोदय, मेटों की तो यह समस्या है कि आपने फोटो खींचना तो अनिवार्य कर दिया लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घूंघट प्रथा है, अब घूंघट की आड़ में फोटो कैसे खींचें, यह भी एक दुविधा है और धूल में लठ चल रही है। नरेगा में लगे मेट व श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि करनी चाहिये। मेटों को स्थायी रूप से नरेगा का कर्मचारी बनाने से नरेगा के कार्यों में भी गति आयेगी। वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख के वेतन व भत्तों में भी बढ़ोतरी करनी चाहिये महंगाई के हिसाब से।

दूसरा माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के बाहर हजारों की तादाद में हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं अपनी मांगों को लेकर बार-बार सरकार के दरवाजे पर और लोकतंत्र के सबसे बड़े मन्दिर विधान सभा के बाहर दस्तक देते हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही है जबकि कोरोना के अन्दर लोगों तक अन्न पहुंचाने का काम भी इन्हीं राशन डीलरों ने किया, तो क्यों न इनका स्थायीकरण किया जाये, इनके वेतन में भी लगभग तीस हजार से भी अधिक बढ़ोतरी की जाये, जिससे ये अपना जीवनयापन आसानी से कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के अन्दर जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको खतम करने के लिए भी कोई न कोई व्यापक योजना बननी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने माना है कि पंचायतों में करोड़ों की धांधली है और इनको रोकने के लिए एक सोशल आडिट करने

(श्री सुरेश सिंह रावत)

का आदेश भी पारित किया, लेकिन उस आदेश में इतनी खामियां थीं कि सरपंच और वीडीओ हड़ताल पर चले गये और सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, पंचायतों में यह भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इनका समाधान करना चाहिये। नरेगा में श्रमिकों की प्रोपर तरीके से मॉनिटरिंग हो। नरेगा में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि इसमें आये दिन आपको गड़बड़ी देखने को मिलती है। माननीय सभापति महोदय, नरेगा के भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए सरकार को एक व्यापक योजना बनाकर जिनके पास खुद की जमीन है, उस जमीन में ही यह श्रमिक काम करें, उसको भी नरेगा से जोड़ना चाहिये। जिनके पास पशुपालन का काम है, उनको भी नरेगा का मजदूर मानकर, उनको उसमें जोड़ना चाहिये।

दूसरा, हमारी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में सक्षम लेवल के अधिकारी/कर्मचारी नहीं आते हैं। आप ऐसा कोई आदेश पारित करें जिससे उनको पाबंद किया जा सके, आपने कर तो रखा है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे विधान सभा के बाहर पंचायती राज से जुड़े हुए पंचायत समिति के सदस्य भी बड़ी तादाद में धरने पर बैठे हैं। उनकी समस्या का भी समाधान करना चाहिये, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का काम सिर्फ प्रधान और प्रमुख को चुनने का ही है, चुनने के बाद साधारण सभा की बैठक का कोरम पूरा करने का ही है।

माननीय सभापति महोदय, विधायक, सांसद, प्रधान, जिला प्रमुख की तरह ही पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्यों को भी विकास कार्य के लिए अलग से मद का आबंटन होना चाहिये। उनके वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी करनी चाहिये। इसके साथ ही जब पंचायती राज में पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य का कोई उप चुनाव होता है तो बानगी यह होती है कि कोई वोट डालने में रुचि नहीं रखता। भीलवाड़ा की जिला परिषद के वार्ड नंबर 33 का एक वाकया था, जब 2022 में उप चुनाव हुआ तो वहां एक बजे तक मतदान केन्द्र पर कोई वोट डालने नहीं गया। बीएलओ ने खेतों में काम करने वालों से रिक्वेस्ट की, शादियों में जो लोग थे उनसे निवेदन किया, तब जाकर 15.31 प्रतिशत टोटल वोटिंग हुई। इसके लिए चुनाव आयोग

(श्री सुरेश सिंह रावत)

ने संबंधित प्रशासन को फटकार भी लगाई। माननीय सभापति महोदय, इससे आप देख सकते हैं कि लोगों की रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य के पास क्षेत्र के विकास के लिए कोई अलग से बजट नहीं होता, इसलिए इनकी भी हमको सुननी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पिछली सरकार ने गांवों के विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण योजना, श्री योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना को लागू की, जिसको आपकी सरकार ने आते ही बंद कर दिया। मेरी मांग है कि इन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से वापस लागू किया जाय। वर्तमान समय में पंचायती राज के विकास के ढ़ांचे पर पुनर्विचार करके उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे गांव समृद्ध और विकास के भागी बन सकें। हमारे गांव आदर्श गांव बन सकें, हमारे गांव हमारे सपनों का गांव बन सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की एक बड़ी योजना चलाई। इसमें गांव-गांव में शौचालय भी बनाये। हमारी माननीय वसुन्धरा जी की पिछली सरकार ने गांव में स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान चलाया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी सरकार आई तो इस पर कोई काम नहीं हो रहा। गांवों में नालियों और नालों की एक व्यवस्थित श्रृंखला नहीं होने के कारण आये दिन गांवों में कचरा और गंदगी फैली रहती है। शहर से सटे हुए गांवों में तो फिर भी सफाई की कुछ व्यवस्था हो जाती है, लेकिन दूरदराज के गांवों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नरेगा में स्पेशल प्रोविजन करके गांवों में सफाई कर्मचारी लग सकें। उसके लिए आप एक कठोर आदेश पारित करें, जिससे कि गांवों में साफ-सफाई हो सके।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): बहुत सारे विधायकों ने इस सदन में पीड़ा भी जाहिर की कि गांवों में पंचायतों में जो ठेका प्रथा है, उसकी विसंगतियों को भी दूर करना चाहिये, क्योंकि हारा हुआ प्रत्याशी पांच साल यही प्रयास करता है कि वर्तमान सरपंच किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 52-पंचायती राज विभाग और मांग संख्या 53-ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म, मेरी कर्मभूमि नागौर से ही आज से 64 साल पहले पंचायती राज की स्थापना हुई। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव, दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विक्रेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धता करा कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। गांधी जी ने कहा है कि पंचायतें जितनी ज्यादा शक्तिशाली होंगी, उतना ही लोगों का भला होगा।

एक तरफ हम पंचायती राज की मजबूती की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जायल और नागौर विधान सभा क्षेत्र की मिलीजुली पंचायत समिति मूंडवा, जहां के सरपंचों ने कई दिनों तक आमरण अनशन किया। मूंडवा के सरपंचों को समय पर राशि जारी नहीं करने से गांवों का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उनका आमरण अनशन तुड़वाने के लिए सत्ता पक्ष से तीन विधायक महोदय भी वहां आये। उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन उस आश्वासन का आज तक कोई हल नहीं निकला। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करूंगा, मंत्री जी, आपने जरूर कोई अच्छे काम किये होंगे जो आपको यहां बहुत बड़ा ओहदा मिला, अगर आपके मन में उनके प्रति कोई छोटी-मोटी बात है, उसको निकालकर उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर, क्योंकि हम समस्त राजस्थान के ग्रामीण विकास की बात करते हैं और पूरी की पूरी एक पंचायत समिति, जिसमें बहुत लंबे समय से न तो उनके खातों में राशि गई, न ही वहां विकास के कार्य हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेकर उन सरपंचों को न्याय दिलाएं, वहां की जनता को न्याय दिलाएं।

माननीय सभापति महोदय, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सपना आज भी हर भारतीय के दिल में है। यह भी सच है कि इस सपने को साकार करने के लिए हमें अपने शहरों को ही नहीं, अपने गांवों को भी विकास की राह पर लाना होगा। भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

आधुनिक शहरीकरण के दौर में एक बात अपना वजूद बनाये हुए है कि गांवों से ही शहर का विकास संभव है, न कि शहरों से गांवों का। भारत की लगभग 70-75 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में रहती है। आज सुबह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के काफी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

चाहे हम स्वच्छता की बात कर लें, चाहे ग्रामीण विकास की बात कर लें, जब तक गांवों में आप इंजीनियरिंग को ठोस रूप से लागू नहीं करोगे, आज देखने में आ रहा है कि एक तरफ सरपंच ने नाली बनवा दी, दूसरी तरफ पंचायत समिति ने खुर्रा बनवा दिया, तीसरी तरफ एमएलए और एमपी लैड से कोई पैसा लाकर कोई सीसी सड़क बना दी और गांव जो आज साफ-सफाई में बिलकुल पिछड़ रहे हैं, पानी भर गया, ऐसी स्थिति कई जगह हो गई, कहीं न कहीं ग्रामीण विकास में आपको इंजीनियरिंग का सिस्टम लागू करना पड़ेगा।

कई माननीय सदस्यों ने हर पंचायत समिति स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं के पदों की बात कही है। सही बात है, टेक्निकली पद खाली होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। आज जो अनुबंध के आधार पर नौकरी करता है, जिनको अपनी नौकरी जाने की कोई परवाह नहीं है, वह लोग ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कोई न कोई ठोस रूपरेखा आप बनायें।

माननीय मंत्री महोदय, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत और जिला प्रमुख, जो हमारा पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है, आज हालात यह हैं, मैं हमारे जिले नागौर की बात करूं तो पिछले अक्टूबर में जिला परिषद की साधारण सभा हुई। नागौर पंचायत समिति की बात करूं तो, मंत्री महोदय, पिछले 12 महीने में कभी साधारण सभा ही नहीं हुई। मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी माननीय विधायकगण बैठे हैं, मैं तो आपसे इतना निवेदन करूंगा कि साधारण सभा में आप हमें भी बुलाते हो और यह सही है कि 3-3, 4-4 पंचायत समितियों का इलाका एक-एक विधान सभा में लगता है, सब जगह बुलाते हैं, लेकिन प्रोटोकोल आपने ऐसे बना दिये, आप एक तरफ तो प्रोटोकोल में कह रहे हो कि विधायक चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, आज पंचायत समिति में जाते हैं तो पता लगता है कि अध्यक्षता प्रधान करेगा, यदि जिला परिषद की बात करें, तो जिला प्रमुख करेंगे। कहीं न कहीं यह जो टकराव है, इस टकराव के बारे में भी आपको गहनता से सोचना है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि नागौर के अन्दर जिला परिषद की साधारण सभा में जिन कार्यों के अनुमोदन हो गये, उनकी फाइलों को छह महीने से आज तक प्रशासनिक अधिकारी दबाये बैठे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि नागौर पर सिर्फ ना-गौर न रखें, उस पर भी जरा गौर करें। नागौर चूंकि पंचायती राज की जन्म स्थली है, आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार आप गौर करके इस नब्ज को आप टटोलें। क्योंकि साधारण सभाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। न तो पंचायत स्तर पर साधारण सभाएं हो रही हैं, न ही पंचायत समिति स्तर पर साधारण सभाएं हो रही हैं।

पंचायत समिति के जो अधिकतर सदस्य हैं, आज बाहर विधान सभा का घेराव कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से आये हैं, उनकी जो भी लीगल मांगे हैं, आपका जो सर्कुलर है, इसके अन्दर इनको प्रति बैठक भत्ता बहुत कम मिल रहा है, जिला प्रमुख, प्रधान की जो तनख्वाह की बात है, वह सही बात है। आर्थिक युग है, हमें कहीं न कहीं इन चीजों पर जरूर गौर करना होगा। जो व्यक्ति ईमानदारी से यदि जीवन जीना चाहे तो उसको ठीक तरीके से सैलरी भी मिले, उसको ठीक से भत्ते भी मिलें, ताकि वह कहीं न कहीं अपनी नैतिकता को जिन्दा रख सके, क्योंकि आर्थिक युग है।

माननीय मंत्री महोदय, 1947 में जब भारत को स्वतन्त्रता मिली, उसके बाद से ही भारत और राज्य सरकारें गांवों के विकास के लिए कार्यरत हैं। पिछले कई दशकों से असंख्य ग्रामीण विकास योजनाएं और परियोजनाएं लायी गयीं, मगर दुर्भाग्यवश भारतीय गांव आज भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। गांवों के विकास हेतु सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं, लेकिन क्या आम जन को सरकारी योजनाओं का फायदा समय पर मिल रहा है? हम देखते हैं कि आये दिन गांवों के लोग अपने कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। कभी साहब छुट्टी पर हैं, कभी कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है। मैं तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, जिनका नारा ही व्यवस्था परिवर्तन है। हमारा मकसद भी यही है कि किसी भी काम से कोई गांव का नागरिक किसी कार्यालय में जाये तो सबसे पहले उसका मान-सम्मान हो, फिर उसका काम भी सम्मानित तरीके से हो।

सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांव का आर्थिक, सामाजिक व

(श्री नारायण बेनीवाल)

ढांचागत विकास करना है, ताकि गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। लेकिन क्या ऐसा सही में हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि आज भी कई गांव-ढाणियां मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी घुमंतू जातियां गाड़िया लोहार, जोगी, नाथ, कालबेलिया सहित अनेक जातियों के लोगों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए ये कहूंगा कि चूंकि यह अन्तिम बजट है और लोग बड़ी उम्मीद लगाकर आपकी तरफ टकटकी लगाये देख रहे हैं, इसके अन्दर मेरा पूरा भरोसा है कि आप कोई न कोई ऐसा कैम्प लगाकर उन लोगों को भी आप अच्छी सौग़ातें देंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान नागौर जिला परिषद के एक बहुत बड़े मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान पत्रिका में एक बहुत बड़ी खबर छपी, भैरूंदा पंचायत समिति का मामला था, 'बिना शौचालय बनाये उठाया 36 लाख का भुगतान, एसीबी में पहुंची शिकायत। माननीय सभापति महोदय, इन सारे शौचालयों का भुगतान वहां के आपरेटर ने विकास अधिकारी के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों के खातों में सारा पैसा डाल दिया। जब अखबारों के अन्दर खबर छपी, जनप्रतिनिधि ने बात उठायी तो जो कम्प्यूटर आपरेटर, जो कि अनुबन्ध पर है, उसके खिलाफ छोटी-सी कार्यवाही करके इस फाइल को दफन कर दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब तक आप बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक जनता के अन्दर हम बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी मांग करूंगा कि नागौर के जो पूर्व सीईओ थे, उनके खिलाफ, दिशा जैसी मीटिंग और विजिलेंस जैसी मीटिंग में उन्होंने सौ करोड़ की सेंक्शन ट्रांसफर होने के बाद जारी कर दी। उन पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दिशा की कमेटी ने यहां सरकार को भेजा। सरकार के यहां से बहुत बड़ेबड़े सर्कुलर जारी होते हैं, लेकिन सीईओ साहब पब्लिक के अन्दर कह रहे हैं कि हमारी ऊपर बात हो गयी है। ऊपर तो किस से बात हुई, यह तो आप जानें। आपका व्यक्तित्व मैं जानता हूं। इस मामले को आप बड़ी गहराई से लेकर ऐसे व्यक्ति पर आप तुरन्त बड़ी कार्यवाही करें।

मेरे एक-दो सुझाव हैं। एक तो साधारण सभाओं का समय पर

(श्री नारायण बेनीवाल)

आयोजन हो। नरेगा में प्रत्येक खेत में टांका निर्माण आप करायें। नरेगा को कृषि कार्यों से जोड़कर आम व्यक्ति को आप राहत दिलायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो छोटी-मोटी विकास की बातें हैं, मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लम्बित प्रकरणों का तय समय पर निस्तारण कर ग्रामीणों को योजना का लाभ दिया जाये। नागौर में पंचायती राज स्वायत्त संस्थान के लिए बजट जारी किया जाये। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछली साल इसकी घोषणा जरूर की, लेकिन बजट जारी नहीं किया। इस बार 10 करोड़ का बजट जारी करके आप लोगों को एक नया तोहफा दें। स्मार्ट विलेज बनाये जायें, 4 हजार से ज्यादा की आबादी के जो भी गांव हैं उनमें स्मार्ट विलेज बनाये जायें। गांव में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध करवाये जायें। आवागमन व संदेश वाहनों में वृद्धि हो। गांवों में रोडवेज की बसें चलायी जायें। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो। स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित करना, जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यों में सहायता कर सकें। उत्पादन की पद्धतियों का विकास करना। शिक्षा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना। पंचायत मुख्यालयों पर डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि यह सही है कि स्वाध्याय से बच्चे बड़े-बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि हम सब सदस्यों की यही इच्छा है कि गांधी जी और अब्दुल कलाम साहब के सपने साकार हों, इसलिए पंचायती राज को सशक्त करना जरूरी है। हम सब मिलकर एक नया राजस्थान, जो एक नये भारत निर्माण का सपना है, हम सब मिलकर उस सपने में खरा उतरें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52-पंचायती राज, 53-ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे भारत के इतिहास में पंचायत संस्था एवं इसके सदस्यों को न्याय का स्वरूप माना जाता था। गांव के जो मुखिया की बात होती है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए सर्वमान्य होती थी। पंचायती राज

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

चुनाव में अब जो स्थितियां बिगड़ी हैं, उससे द्वेषता काफी बढ़ी है। इस द्वेषता का खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो उस गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन द्वेषतापूर्ण व्यवहार होने के कारण उसको हम धरातल पर अच्छे तरीके से नहीं उतार पाते हैं।

बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने उदाहरण के तौर पर रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि एक बहुत छोटा मिनिमम काम है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का, अगर किसी व्यक्ति ने किसी सरपंच को वोट नहीं दिया तो इस छोटे से काम के लिए भी उसे महीनों तक घूमना पड़ता है। ग्राम विकास अधिकारी कभी नहीं मिलता, कभी सरपंच के यहां जाना पड़ता है, कभी वह कहीं हाजिरी देता है, लेकिन यह द्वेषता जिस तरीके से बढ़ी है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव को चुनाव तक हमें सीमित रखना चाहिए, हम चुनाव किसी से द्वेषता निकालने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम चुनाव निर्वाचित क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते हैं। सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं को धरातल पर उतार सकें और उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

मैं यह बात भी कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में गांवों को सबसे सुरक्षित माना गया था। आपको भी ज्ञात है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो शहरों से वापस लोग अपने गांवों की तरफ एवं अपनों के बीच लौटने के लिए मजबूर हो गये थे। भारत में अगर किसी को सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है तो गांव को भी माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान और गांवों से निकलता है। आज बहुत महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें मैं समझती हूं कि अगर हम अच्छे विचार व्यक्त करते हैं जिससे कुछ फायदा हो, यह हमें करना चाहिए।

मैं पेयजल के लिए बोलना चाहूंगी। मनरेगा एक बहुत सुदृढ़ योजना है, जिसके माध्यम से हम गांवों तक रोजगार देते हैं। इन्हीं दिनों में माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा के अनुरूप मनरेगा को शहरों में भी लागू किया गया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि मनरेगा के माध्यम से हमें पक्के काम को शहरों की तर्ज पर गांवों में भी लेकर आना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं विधायक कोष से, सरपंच के माध्यम से, एमपी के कोष से हम बनाते हैं, लेकिन उन संस्थाओं को बाद में सुदृढ़ तरीके से

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

कैसे रखा जाये, उसका रखरखाव कैसे हो, उसको कैसे संचालित किया जाये, इनके माध्यम से अगर हम मनरेगा में इन कार्यों को जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और विकास कार्यों में यह भागीदारी सुनिश्चित भी होगी।

दूसरा, समय के अनुरूप गांवों की जनसंख्या भी बढ़ी है, जो गांव आज से 25-30 वर्ष पूर्व थे, उनकी जनसंख्या बढ़कर आज एक छोटे कस्बे का रूप लेती जा रही है। समय के बदलाव के कारण जो विसंगतियां थीं, समाज के अन्दर चोरी और लूट वगैरह के जो मामले बढ़े, उससे गांव भी वंचित नहीं हैं। ऐसे में मेरा एक अनुरोध यह भी है कि गांवों को भी हमें स्ट्रीट लाइट से जोड़ना चाहिए, ताकि इन सब चीजों पर लगाम लगायी जा सके।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गांवों में कोई भी संस्था, चाहे स्कूल है, चाहे पीएचसी है, उप स्वास्थ्य केन्द्र है, पशु चिकित्सालय है, बसावट से थोड़ी दूरी पर होगी तो उसके बीच में आने वाली आगोर भूमि या गोचर भूमि में हमें कटौनी रास्ता नहीं मिलता है। विधायकों के पास और सांसदों के पास ज्यादातर ग्रामीणों की मांग आती है कि उस रास्ते को पक्का करवाया जाये, लेकिन आगोर भूमि जोहड़ पायतन होने के कारण हम उसे नहीं करवा पाते हैं। इसमें भी कोई संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन सरकारी संस्थाओं के साथ लोगों का जुड़ाव आसानी से हो सके। मैं इसकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहती हूं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी। कई बार गांव से लोगों की शिकायत आती है। चुनाव पर आकर टिक जाती है कि फलाना सरपंच को हमने वोट नहीं दिये और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सीरियल नंबर पर मेरा मकान था, उसको छोड़ कर दूसरे का बनाया जा रहा है। वहां उस गरीब पर फिर अत्याचार होता है। वह कभी विधायक के पास जाता है, कभी सांसद के पास जाता है, कभी बीडीओ के पास जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से और एक व्यक्ति को उसका हक दिलाया जाए, तो इस पर हमें काम करना चाहिए।

मैं आपका ध्यान ड्रेनेज व्यवस्था पर दिलाना चाहूंगी। जैसे जनसंख्या बढ़ी, पानी का दोहन भी बढ़ा। गांव छोटे थे, उसमें ड्रेनेज व्यवस्था नहीं थी।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

अब आप स्वयं भी गांव जाते हैं तो देखते होंगे कि काफी गांवों के अंदर निकलना मुश्किल हो जाता है। इनमें पानी के ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, वह हमें देखनी पड़ेगी। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, दुमकी गांव की बात करूं तो बीच गांव के अंदर गंदा पानी इकट्ठा होता है और गांव के अंदर लोगों के घरों तक मुख्य द्वार तक पहुंचने लगा है। मैंने भी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लैटर लिखा। अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरीके से नौरंगपुरा, नांगलबड़ी, डाणा जो चैनपुरा पंचायत में आता है, चांदगोठी, ये बड़े गांव हैं, बारिश के दिनों में आप गाड़ी लेकर भी नहीं निकल सकते हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमें विचार करना पड़ेगा।

दूसरी बात, यह कहना चाहूंगी कि अगर गांव से लगते हुए खेत हैं कोई भी किसान उसमें डिग्गी नहीं बनवाना चाहता है। पंचायत के थ्रू ऐसा कोई काम हो सकता है और हम उससे डिमांड करें कि आप इसको खेती में भी यूज कर सकते हैं तो शायद हो, क्योंकि किसान अपने घर से पैसा लगाए, ऐसा वह सक्षम नहीं है। मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि गांव से लगते हुए जो खेत हैं, किसानों को हमें प्रेरित करना चाहिए कि जो ड्रेनेज का पानी है, अगर वह आप खेतों में यूज करेंगे तो उससे दोहरा फायदा हमें मिल सकता है। साथ ही ये जो पानी है, इसको अगर हम जमीन में संचित करें तो वाटर हार्वेस्टिंग का हम काम कर सकते हैं। हर रोज पानी दोहन से ग्राउण्ड वाटर काफी नीचे जा चुका है।

सभापति महोदय, एक बड़ी समस्या और आती है। अभी फिलहाल मेरे विधान सभा क्षेत्र के केरलीबास, खारिया गोदारन, बांसकितान से एससी समाज से लोग आते हैं और सामुदायिक भवन के लिए विधायक कोटे से भवन चाहते हैं या फिर उस पहले से बने हुए भवन को सुदृढ़ करने के लिए पैसे की मांग करते हैं। लेकिन जब लैटर लिखा जाता है तो उस चल रहे सामुदायिक भवन की जगह पर बोल दिया जाता है कि ये गोचर भूमि है या आगोर भूमि है, उसमें आपका पैसा नहीं जा सकता। वह पहले से बने हुए सामुदायिक भवन किस मद से बने, यह समझ से परे है। वह कैसे बनें? तब उसमें पैसे कैसे लगे? आज हम उस जगह पर पैसा नहीं दे सकते। आज समाज बार-बार आता है कि समाज को जरूरत है। पहले वाला जो सामुदायिक भवन है वह जर्जर हो चुका है, नये भवन आप दीजिए। इस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर राज्य स्तर पर अनुदान राशि दी जाती है। जैसा कि मैं कहना चाहूंगी कि पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के हिस्से में जो राशि आती है, वह जनसंख्या की गणना के आधार पर आती है। मैं यहां पर आपका ध्यान राजगढ़ ब्लाक की तरफ जरूर दिलाना चाहूंगी। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, 68 पंचायतें हैं। पंचायत समिति राजगढ़ में निर्माण कार्यों में अपनी चहेती पंचायतों को ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है। कुछ-कुछ पंचायतें तो ऐसी हैं जिनमें अनुदान बिलकुल भी नहीं दिया गया है। इस ओर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगी कि राजगढ़ पंचायत समिति के अंदर ऐसे कार्यों को वार्षिक योजना में जोड़ने हेतु ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव में भेदभाव नहीं किया जाए। वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन हेतु साधारण सभा की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी की देखरेख में मॉनिटरिंग करवाई जाए। वार्षिक योजना में सभी पंचायतों के प्रस्तावों को शामिल किया जाए। मैं इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगी, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी इस कार्य के लिए मिली थी, आपने इस पर गौर भी फरमाया था। बीडीओ ने पांच-पांच लाख सरपंचों के स्वीकृत किये थे। कार्य भी हो चुके हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि पंचायत समिति अपने चहेतों के कार्य कर देती है। ये बीडीओ का क्षेत्राधिकार भी था, बावजूद उसके ये पैसे अभी तक सरपंचों को रिलीज नहीं किये गये हैं। आपने जांच भी करवाई, निर्देश भी दे दिए, इसके बावजूद ये पैसे अभी तक सरपंचों तक नहीं दिये गये हैं।

साथ ही, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि गालड़ पंचायत की शिकायत आप तक भी पहुंची होगी। घोटाले की जांच हुई। सरपंच दोषी पाया गया। देरी के कारण अभी-भी परिवादी के ऊपर अनावश्यक रूप से सामाजिक तौर पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसे कार्यों में देरी न हो। अगर हम इसमें सज़ा सुनिश्चित करते हैं, सही समय पर हम उसको धरातल पर लेकर आते हैं तो परिवादी कभी नहीं डरेगा और घोटालों को उजागर करने में प्रेरित रहेगा।

साथ ही, गोचर भूमि में बसे हुए लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हाल ही में राजस्थान में कोर्ट कचहरी में लोग काफी गये हैं। काफी लोगों ने

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

गोचर भूमि में बसे हुए लोगों की शिकायतें की हैं। आपको मालूम है कि जब कोई भी परिवार अपना घर बसाता है तो कितने लाखों से वह उस भूमि पर अपना भवन तैयार करता है और उसे अपनी आंखों से टूटते हुए देखता है तो तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे मामले को लेकर भी हमारे पास पहुंचे। वे चाहते हैं कि गोचर भूमि के बदले में, वह खुद भूमि खरीद कर विभाग को देना चाहते हैं ताकि उनके घर को बचाया जा सके और वह गोचर भूमि कन्वर्ट हो सके। अगर इसमें कुछ हो सकता है तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, साथ ही, मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़ी पंचायत समिति मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति है राजगढ़, जिसमें 68 पंचायतें आती हैं। हर गांव में सुदृढ़ तरीके से विकास के कार्य हों, इसके लिए मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि नयी पंचायत समिति बनायी जाए ताकि हमारी योजनाओं को लोगों तक हम बहुत आसानी से पहुंचा सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह जी मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52-पंचायती राज विभाग एवं मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, इस सरकार की पुरानी घोषणाओं में से आधी से ज्यादा पर तो अभी तक अमल नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। इस बजट में आमदनी कहां से होगी, इसका कोई अता-पता, ठिकाना नहीं है। घोषणा और बजट को तो आपने पारित कर दिया, मगर 2023 में सरकार रिपीट नहीं होने वाली, इसलिए मनमर्जी से घोषणा कर रहे हैं। यह बजट डूबती हुई सरकार का पोस्ट डेटेड चेक है। ग्राम पंचायतों के विकास को अगर देखा जाए तो विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों में, मंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय बहुत ही सहनशीलता रखते हैं और पूनियॉ जी से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, मंत्री महोदय, हमारी पंचायतों में विकास अधिकारी, जो सचिव हैं, आज भी तीन-तीन पंचायतों में एक-एक सचिव को कार्य दे रखा है, इसलिए विकास के अंदर बाधा हो रही है। अगर आपको जांच करनी है तो गिर्वा पंचायत समिति को देखना, उसके अंदर तीन-तीन पंचायतें एक सचिव को दे रखी हैं। पंचायतों का लाइट बिल कटा जा रहा है। उनकी किस्तें बराबर नहीं हो रही हैं। पनघट योजना का बिल जो पंचायत के ऊपर है, उसको पीएचईडी के अंदर रखेंगे तो

(श्री फूल सिंह मीणा)

गांव के अंदर विकास भी होगा। पंचायत के विकास के लिए वह राशि बचेगी। राशन डीलर आज धरने पर बैठे हुए हैं। उनके बारे में भी सरकार कुछ सोचे और उनकी मांगों पर गौर करके उनको कोई न कोई सुविधा देने का वादा करे।

माननीय सभापति महोदय, विकास की बात की गई है। खाद्य सुरक्षा में आज भी हमारे ग्रामीण परिवार वंचित हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप खाद्य मंत्री भी रहे हो, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज भी हमारे ग्रामीण खाद्य से वंचित हैं, क्योंकि पोर्टल खोला ही नहीं है। पोर्टल नहीं खोली तो इस योजना से जो लाभ लेने के अधिकारी हैं, जिनके घर में खाने को दाना नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको आज भी राशन से वंचित रख रखा है। पोर्टल खोलकर राशन दिलाने के लिए उनका नाम जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, वन अधिकार सामुदायिक पट्टे, चाहे हमारे स्कूल का हो, आंगनबाड़ी का हो, मां-बाड़ी का हो, चाहे हमारे वन विभाग में रहने वाले, वर्षों से गांव में रहने वाले लोग, वन विभाग में अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके वहां जाने के लिए रोड नहीं है, उनको भी पट्टे देकर व्यवस्था देने का कोई न कोई प्रावधान रखें, ताकि हमारे गांव के आदिवासी लोग सरकारी योजना का भी लाभ ले सकें।

सभापति महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उदयपुर की झीलें, झीलों की नगरी है मगर वहां मृत पशुओं को डालने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मृत पशु की मिट्टी पिछोला झील, फतेहसागर झील, इन बड़ी झीलों में जा रही है, वह पानी हमारे पीने के काम आ रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। उदयपुर के पास गोरेला गांव है, रोड के किनारे मवेशी डाल देते हैं। वहां एक परिवार के पास 20-20, 30-30, 100-100 मवेशी हैं। आये दिन कोई न कोई पशु मर जाता है, रोड पर डालने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मंत्री महोदय, किसी न किसी पंचायत में ऐसी व्यवस्था करवाएं कि मृत पशुओं के लिए या तो कोई स्थान चिह्नित किया जाए या फिर उनको उठाकर कहीं न कहीं नगरपालिका लेकर आए। ऐसी स्थिति में हमारी पंचायतें सिसारमा, बूजडा, गोरला, चोकडिया, बड़ी उंदरी, छोटी उंदरी, अलसीगढ़, पीपलबास आदि ऐसी पंचायतें हैं जहां मृत पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं है।

(समय: 14.42 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

महानरेगा के अन्दर मजदूरों को बराबर भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं

(श्री फूल सिंह मीणा)

आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत कालिबास, पोपलटी, धार, झाबला, स्वरूपा, चनावदा, खजूरी, खरपीना, अमरपुरा, चांजता, छोटी उंदरी, बड़ी उंदरी, पंचायत मजरा ढाणी पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। नरेगा के अन्दर काम करने वाले मज़दूरों को अपना अंगूठा लगाकर दर्ज कराना पड़ता है, नेटवर्क की भारी समस्या आ रही है। नेटवर्क की समस्या से हमारे ग्रामवासियों को राहत दिलाई जाए। मंत्री महोदय, आप भी ट्राइबल से आते हो, ट्राइबल एरिया में नेटवर्क की व्यवस्था करवाएं।

सरकार के विधायकों ने अपने नेता राजीव गांधी जी का नाम लिया। राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, उन्हीं की बात करता हूं। प्रधान मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि इस ग्राम का विकास कैसे होगा, मैं एक रुपया भेजता हूं और उस लाभार्थी के पास केवल और केवल पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं। इसलिए इस कांग्रेस का विकास नहीं हो पाया, न जनता का विकास हुआ। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वहां से डायरेक्ट खाता खोलकर उस लाभार्थी तक पैसे पहुंचाने का काम किया।

मेरी ग्राम पंचायत पोपलटी में उच्च प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। वहां पर फांदा गांव, राजस्व गांव है, वहां पर प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय कम से कम छह-छह किलोमीटर दूर है, वहां के बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलें ताकि वहां बच्चे पढ़ सकें।

सभापति महोदय, अमरपुरा ग्राम पंचायत में वर्षों पहले एक डैम बना था। अमरपुरा के अन्दर बना हुआ है और टीडी डैम के नाम से पुकारा जाता है। अमरपुरा पंचायत व गांव वालों को न तो सिंचाई के लिए पानी देते हैं, न पीने का पानी देते हैं। उसके लिए भी आप कोई व्यवस्था कराएं, ताकि वहां के गांव वालों को राहत मिल सके।

हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीने पर व्यक्ति में अपने अधिकारों के लिए दहाड़ने की ताकत आ जाती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना हो तो शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सरकार ने 20 प्रतिशत नामांकन वृद्धि द्वारा दावा किया है। यह पूर्व सरकार की योजना थी।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): नामांकन तो बढ़ गया लेकिन शिक्षा के लिए अध्यापक नहीं हैं। आज भी मेरी ग्रामीण विधान सभा में अनेक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद पड़े हैं।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

(माननीय सदस्य श्री फूल सिंह मीणा के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 04 देखें)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 52 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान गांवों का प्रदेश है, पूरा देश गांवों में बसता है। गांव के लोकतंत्र की कल्पना इस देश में किसी ने की थी तो महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए पहली बार देश के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी संविधान संशोधन 73 व 74 लेकर आये ताकि पंचायती राज को मजबूत बनाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ने पिछले साढ़े चार साल के अन्दर, खासकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए बेहतरीन प्रबंधन किये हैं। गांवों की लम्बे समय से समस्याएं पेंडिंग थीं, पट्टों की, आबादी विस्तार की, सरकार ने उस पर चर्चा करके प्रशासन गांवों के संग पट्टे बांटने की योजना बनाई थी, वह ऐतिहासिक साबित हुई है। हमने पिछले बजट के दौरान, 2022-23 में करीब-करीब दस लाख ग्रामवासियों को पट्टे दिये थे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो बेहतरीन काम हो सकते थे, गांवों में आने-जाने के साधन, सुविधा मुहैया करानी थी, सरकार ने उस पर काम किया। तत्कालीन भारत सरकार के आर.डी. मिनिस्टर, हमारे अध्यक्ष डा. सी.पी. जोशी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ग्राम पंचायतों के लिए भवन नहीं थे, पंचायतों की बैठक होनी चाहिए थी, 2 लाख 58 हजार ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हम लोगों ने स्थापित किये। हमने स्थापित किये, भारतीय जनता पार्टी ने नाम

(श्री जगदीश चन्द्र)

बदल दिए। हम नाम बदलने के लिए नहीं कह रहे लेकिन वास्तव में पंचायतों को शक्ति प्रदान करने के लिए डा. सी.पी. जोशी का फैसला था, जब वह मिनिस्टर थे।

राजस्थान की सरकार ने गांव की गरीब आबादी को भूख प्यास से बचाने के लिए इंदिरा रसोई का फैसला किया ग्रामीण लेवल पर। इस बजट में उसकी तादाद बढ़ाई गई है। गांव का आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि सरकार दु:ख-सुख में हमारे साथ खड़ी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार का 2022-23 बजट था, 2023-24 बजट में सबसे महत्वपूर्ण योजना नरेगा थी। कोरोना के दौरान गांव के लोगों को सबसे ज्यादा सम्बल प्रदान किया गया, वह नरेगा के माध्यम से किया गया, जिसकी मिसाल इस देश में कायम की गई। 100 दिन रोजगार गारंटी कानून जब देश में बना, इन लोगों ने विरोध किया। पिछले बजट में 25 परसेंट पैसा किया, 70 हजार करोड़ रुपये कम कर दिए, इस बजट में 33 परसेंट पैसा फिर कम कर दिया। इस योजना को बंद करने की तैयारी की जा रही है। योजना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि केन्द्र सरकार का कानून है। आपको पर्लियामेंट में बिल लेकर आना पड़ेगा। बंद तो नहीं किया लेकिन पैसा कम कर दिया इस कानून को कमजोर करने के लिए, जिसकी मैं निंदा करता हूं कि ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो सीधे गांव से जुड़ी सेवा थी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ एक चिट्ठी भारत सरकार की मेरे पास में है। यह भारत सरकार की चिट्ठी जिला कलेक्टर बाड़मेर, जिला कलेक्टर बीकानेर एवं जिला कलेक्टर जैसलमेर और गंगानगर को लिखी गयी। यह चिट्ठी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की चिट्ठी है, जिसमें बोर्डर डवलपमेंट एरिया का जो पैसा आता था, भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया 30 सितम्बर, 2022 को। इसके साथ-साथ बोर्डर के जो गांव थे, जहां पर डवलपमेंट के काम होते थे, जो बेसिक सुविधाएं गांव में मिलती थीं, इस सरकार ने वह बंद कर दी।

माननीय सभापति महोदय, जो हिन्दुस्तान की बोर्डर पर, सरहद पर जो लोग रहते हैं, समय-समय पर जब भी देश पर संकट आया है तो बोर्डर के लोगों ने देश की मदद की है और एक सिपाही की तरह सरकार के साथ

(श्री जगदीश चन्द्र)

मिलकर उन्होंने काम किया है, पर बड़े अफसोस की बात है कि भारत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। हमने पच्चीस सांसद यहां से चुनकर भेजे थे पर बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि एक भी मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने बी.ए.डी.पी. योजना को चालू करने के लिए सरकार से दरख्वास्त नहीं की। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत के प्रधान मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री इस बात को महसूस करें कि दूरदराज में बोर्डर पर जो लोग बसे हुए हैं उनकी चिंता तो आप करते हो लेकिन आप चिंता केवल कागज पर करते हो, हकीकत में नहीं। यह चिट्ठी मेरे पास है, यह भारत सरकार की चिट्ठी है जिसके तहत इस योजना को बंद किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 17 पंचायतें जो जीरो लाइन से मात्र 500 मीटर पर हैं, जिनके डवलपमेंट के काम बंद हो गये हैं, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ आपसे यह निवेदन करना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ भारत सरकार ने इस साल जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, पैसा तो बढ़ाया है लेकिन पिछले दो साल का पैसा अभी तक भी पेंडिंग पड़ा है राजस्थान सरकार का, दो साल से प्रधानमंत्री आवास गांवों में बन नहीं रहे हैं। यह बन नहीं रहे हैं, पैसा बढ़ा दिया बजट के अन्दर, अभी केन्द्र सरकार का बजट पास होगा लेकिन वह पैसा एक में तो बढ़ा दिया गया और एक में घटा दिया गया लेकिन दो साल का पैसा बाकी पड़ा है, तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार उस पैसे को रिलीज करे ताकि हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा, उड़ान जैसी योजना, जो खासकर ग्रामीण भारत में, ग्रामीण राजस्थान के अन्दर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी, हमारी माता-बहिनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान सरकार की योजना 19 सितम्बर, 2021 में स्टार्ट की थी, उसकी सफलता की मैं कामना करता हूं और यह एक बेहतरीन योजना है। पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है, लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने पेश की है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ गांवों में आने जाने के

(श्री जगदीश चन्द्र)

लिए साधन की सबसे ज्यादा दिक्कत थी। सड़कें नहीं थीं, कच्चे रास्ते थे, तो सरकार ने पिछले बजट में दस करोड़ रुपये की सड़कें दी थीं हर विधान सभा क्षेत्र के लिए और इस साल भी हमने दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसके साथ-साथ बजट में एक किलोमीटर की सी.सी. रोड का जो प्रावधान किया है, निश्चित तौर पर यह एक बेहतरीन काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब देश के प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंहजी थे तो डाक्टर मनमोहन सिंहजी ने पहली बार गांव से गांव जोड़ने की जो योजना थी, वह डाक्टर मनमोहन सिंहजी ने स्टार्ट की थी ताकि गांव में लिंक रोड हो, गांवों में आने-जाने के साधन की दिक्कत नहीं हो और जिसका सबसे ज्यादा फायदा कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था तो उन्हीं सड़कों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने पिछले चार साल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में जो फैसले किये हैं, वे बेहतरीन फैसले किये हैं। हमने नई पंचायत समिति बनाई, नई पंचायत भी बनाई है, लोगों की आवश्यकता के हिसाब से स्टाफ का रिक्रूटमेंट भी किया है और उस रिक्रूटमेंट का असर भी नजर आने लगा है और बेहतरीन तरीके से काम भी हो रहे हैं लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमारा जो इस साल का पैसा था, वह पैसा अभी तक नहीं दिया गया। भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। बात तो ग्रामीण क्षेत्र की करते हैं, ग्रामीण जनता की बात करते हैं लेकिन हकीकत में मन में कुछ ओर है। यह जो दिल्ली की सरकार है उसका गांव के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है, अगर गांव के लोगों से कोई लेना-देना होता तो इस तरीके की जो बेहतरीन योजनाएं थीं, वे योजनाएं यहां पर बंद नहीं होतीं।

माननीय सभापति महोदय, ये लोग किसान की बात करते हैं और अगर किसान की बात करते तो ये सब्सिडी का पैसा कम नहीं करते। फर्टिलाइजर में आपने पैसा कम कर दिया इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो डवलपमेंट की बात है अब सिर्फ राजस्थान की सरकार कर रही है, राजस्थान

(श्री जगदीश चन्द्र)

की सरकार के मुख्य मंत्री कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे सादुलशहर का पंचायत समिति का जो भवन है 62 साल हो गये उस पुराने भवन को, यहां पर मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि उस भवन को दोबारा बनाने की कोशिश करें और इसके साथ-साथ करीब-करीब 20 पंचायत ऐसी हैं जहां पर भवन जर्जर हो चुके हैं, जिनको बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि यह सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने स्वराज की कल्पना की थी। स्वराज की कल्पना इसलिए की थी कि देश में सही लोकतंत्र का, जो नीचे के स्तर तक लोकतंत्र जायेगा तब जाकर देश मजबूत होगा। गांधीजी हमेशा गांवों की बात करते थे और गांवों में जब तक आदमी का विकास नहीं होगा तो शहर का विकास नहीं हो सकता और गांव का डवलपमेंट और गांव का विकास तब ही हो पायेगा जब हमारी बेहतरीन शिक्षा की सुविधाएं हों, हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों और हमारे गांव का जो स्किल्ड डवलपमेंट है, उसको जब तक डवलप नहीं कर पायेंगे तो विकास नहीं हो पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना, यह एक बेहतरीन योजना थी, गांव का जो वेस्टेज पानी था, जिसका इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया। हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उस योजना पर हम पूरा काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने गांवों में जो ग्रामीण विकास का बेहतरीन काम था, राजीव गांधी सेवा सेंटर के माध्यम से एक जगह पर ही सारी चीज को कंसोलिडेट करके गांवों की लोगों की समस्याओं का समाधान करने की हमने यह कोशिश की है।

इन लोगों ने आधी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैचिंग स्कीम के साथ

(श्री जगदीश चन्द्र)

स्पांसर थीं, उन स्कीम्स को बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान गांवों का प्रदेश है। यह गांवों का प्रदेश है, इस गांवों के प्रदेश की तरक्की के लिए सरकार को बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कुछ मेरे क्षेत्र की डिमांड हैं जो मैं आपकी आज्ञा से टेबल करना चाहता हूं और आप अगर आज्ञा प्रदान कर दें तो मैं टेबल कर दूं? बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: टेबल करने की इजाजत है। श्री प्रताप लाल भील।

(माननीय सदस्य श्री जगदीश चन्द्र के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 04 देखें)

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मांग संख्या 52 - पंचायती राज एवं मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पंचायत समिति लगती हैं, सायरा, गोगुंदा, कोटड़ा एवं बड़गांव। कोटड़ा पंचायत समिति में लगभग 66 ग्राम पंचायतें हैं और पंचायती राज का जब पुनर्गठन होने जा रहा था तो हमने देवला अलग से पंचायत समिति बनाने के प्रस्ताव सरकार को भेजे थे, पर राजनीतिक द्वेषता के कारण से वह हमारी पंचायत समिति नहीं बन सकी। सरकार से मैं यह मांग करूंगा कि वहां पर पंचायत समिति बनायी जाये और कोटड़ा में मामेर जो हमारा है, उसमें भी अलग से एक पंचायत समिति बनायी जाये।

प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे हो गया परन्तु जो सर्वे करने वाला था उसके द्वारा भेदभाव होने से कुछ हमारे भाई उससे वंचित रह गये, तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि उनका भी अलग से सर्वे करवाकर जो वंचित परिवार हैं उनको भी जोड़ा जाये।

एक बी.पी.एल. योजना का 2002 में हमने सर्वे करवाया था और 2005 में जाकर हमने इसको लागू किया था लेकिन अब लगभग 18 वर्ष पूरे हो गये हैं और अभी तक वापस सरकार ने उसका सर्वे नहीं करवाया है, तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि बी.पी.एल. का नया सर्वे करवाकर जो वंचित परिवार हैं, उनको लाभ दिया जाये।

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

बाकी जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं या जिला परिषद् के सदस्य हैं, चुनाव के समय तो उनका चुनाव करवा देते हैं पर उनका केवल मात्र प्रधान बनना या जिला प्रमुख बनने तक का ही अधिकार रहता है, उसके बाद में इन सदस्यों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि इनके लिए भी अलग से कोई ऐसा प्रावधान करे ताकि उनको अधिकार मिल सकें।

इसके अलावा, चरागाह भूमि पर वर्षों से हमारी कई बस्तियां वहां पर बसी हुई हैं और उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जो भी सरकार की तरफ से योजना है, उनके पास पट्टा नहीं होने से वे उसके लाभ से वंचित रहते हैं, तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि पूर्व में जैसे हमने क्षतिपूर्ति करके उनको पट्टा देने की योजना बनाई थी तो अभी वर्तमान में शायद इस योजना को बंद कर दिया है, तो सरकार से मैं यह मांग करूंगा कि जो चरागाह भूमि पर हमारी बस्तियां बसी हुई हैं उनको आबादी के पट्टे जारी किये जायें।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जनजाति क्षेत्र है और वन क्षेत्र में जो भी हमारी बस्तियां बसी हुई हैं उनको सरकार की ओर से वनाधिकार के पट्टे दिये जाते हैं। अभी आपके जो शिविर लगाये गये थे तो उसमें बहुत सारे वनाधिकार के आवेदन आये थे। आवेदन आने के बाद में अभी तक कोटड़ा पंचायत समिति में लगभग पांच हजार आपके आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनको किसी प्रकार के कोई वनाधिकार नहीं दिये गये हैं, तो सरकार से मैं यह मांग करूंगा कि वनाधिकार के पट्टे भी जारी किये जायें।

इसके अलावा जो हमारे सामुदायिक भवन के मामले हैं, जैसे कोई विद्यालय भवन वन क्षेत्र में बना हुआ है, कोई आंगनबाड़ी केन्द्र है या और भी जो उस गांव के विकास के लिए जो भी जरूरत पड़ती है तो उनके लिए हमें यह पट्टे दिये नहीं हैं, तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि इनको भी वनाधिकार के पट्टे दिये जायें।

इसके अलावा हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में हमने विद्यालय भी खोल दिये, क्रमोन्नत भी कर दिये लेकिन आज की तारीख में बहुत पुराने, कम से कम 15-15, 20-20 साल से जो विद्यालय के भवन बने हुए हैं, उसमें ही आपके यह बारहवीं का है या दसवीं का विद्यालय चल रहा है, तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि हमारे यहां पर अलग से विशेष व्यवस्था करके यह जो विद्यालय भवन रहित हैं उनको भवन के लिए राशि दी जाये और जो

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

विद्यालय हमने क्रमोन्नत किये, वहां पर स्टाफ अभी तक भी स्वीकृत नहीं किया गया है। आसपास के विद्यालयों से स्टाफ उधार लेकर उन विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है, इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, 2018 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के दौरान बहुत सारे पुल और सड़कें टूट गयी थीं लेकिन अभी तक भी उन पुल और सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको वापस ठीक किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र की 2011 की जनगणना में प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो गांव वंचित हैं, उन गांवों को सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही की जाये।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2006-07 में विद्यार्थी मित्र लगाये गये थे। 6500 के लगभग विद्यार्थी मित्र ऐसे रह गये हैं जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। सरकार से मैं मांग करूंगा कि उनको भी नियमित करने की कार्यवाही करें।

इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूर्व में व्यक्तिगत कुआं खोदने की योजना थी, वह सरकार द्वारा बन्द कर दी गयी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि व्यक्तिगत कुएं खोदने की स्वीकृति जारी की जाये।

माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया। शौचालय तो बन गये लेकिन अभी तक उनका रख-रखाव और देखरेख नहीं हो रही है। सरकार से मैं मांग करूंगा कि उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में किसानों के जो खेत हैं, वे छोटे-छोटे हैं। सरकार से मैं मांग करता हूं कि टीएसपी क्षेत्र के किसानों को सिंगल फेज के कृषि के कनेक्शन दिये जायें। ऐसी व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा से जो वंचित परिवार हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाये। विधायक कोष की निधि हमको समय पर नहीं दी जाती है। 2018, 2019 और 2020 की भी अभी तक किस्तें हमको नहीं दी गई हैं। सरकार से मांग करूंगा कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूज्य महात्मा गांधी जिस ग्राम स्वराज के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े थे और स्वाधीनता के बाद हुकूमत किसी पार्टी की रही हो, उन्होंने यह प्रयास किया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके, लेकिन हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री थे तब दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। वेंकट नायडू ग्रामीण विकास के मंत्री होते थे। सोनिया गांधीजी खुद उसमें शामिल हुई और उसमें यह तय किया गया कि फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों ही पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जायें। जो संवैधानिक संशोधन राजीवजी के जीवित रहते पारित नहीं हो सका भारतीय जनता पार्टी के असहयोग के कारण, वह नरसिम्हाराव की तत्कालीन सरकार ने पारित किया, लेकिन 29 विषय पंचायती राज के जो संवैधानिक सूची में दिये हैं, आज इतने सालों के बाद भी उनकी क्या स्थिति है?

माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में हमने संकल्प पारित किया था 2003 से 2008 के बीच में कि फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जायें, लेकिन आज पूरा देश व्यथित है, लोग व्यथित हैं कि आपने यह जो थ्री टियर सिस्टम पंचायती राज का दिया है, वह जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में पूरी तरह से असफल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह महालेखाकार की रिपोर्ट है। क्या टिप्पणियां की हैं उन्होंने? किस हालत में लाकर हमने पंचायती राज संस्थाओं को खड़ा कर दिया है? उनकी कोई निजी आय नहीं है, कोई पूंजीगत आय नहीं है। सारी संस्थाएं राज्य सरकार और भारत सरकार के अनुदान पर निर्भर हैं। उन सभी संस्थाओं में, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, स्थायी समितियां गठित करके जो अधिकार देने का सोचा गया था, उन स्थायी समितियों के क्या हालात हैं? कोई पूछता है वह तो छोड़िए, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव हो जाने के बाद बैठकों के अलावा उनकी क्या पूछ है तो एक तरीके से पंचायती राज का निचले स्तर पर हालात ठीक नहीं हैं। हम उस स्तर पर पहुंच गये हैं कि नये सिरे से वापस विचार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, पहले वार्ड पंच प्रधान चुनता था, उसकी भागीदारी होती थी। सरपंच जिला प्रमुख चुनता था, उसकी भागीदारी होती थी।

(श्री संयम लोढ़ा)

कभी भी प्रधान के दफ्तर में चला जाता था। वह मानता था कि मुझे बनाने में इसका सहयोग है। सरपंच जिला प्रमुख के दफ्तर में चला जाता था। उसको आदर और सम्मान प्राप्त होता था। आज हम कहां आकर खड़े हो गये हैं? मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा पंचायती राज मंत्रीजी से और इस सदन में बैठे हुए कांगेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों के माननीय सदस्यों से, एक की यहां पर सरकार है, एक की दिल्ली में सरकार है, हमें थ्री टियर सिस्टम को छोड़कर वापस पुरानी व्यवस्था पर आ जाना चाहिए जिसमें वार्ड पंच की भी निर्वाचन में भागीदारी हो, सरपंच की भी निर्वाचन में भागीदारी हो। पंचायती राज व्यवस्था हमारे लिए कोई नयी नहीं है। वैदिक काल में भी थी। बुद्ध के काल में भी थी। वहां से आज हम इस स्थिति पर आ गये हैं। आज नीचे हालात बहुत गम्भीर हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा। महालेखाकार ने टिप्पणियां की हैं। क्या हालात हैं? आप किसी भी पंचायत समिति और जिला परिषद् में रिकार्ड मांग लीजिए, पट्टा बही मांग लीजिए। पट्टा बही हर महीने की आखिरी तारीख को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में जमा करानी चाहिए। आपको किसी पंचायत की पट्टा बही वहां पर नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत के महालेखाकार इस पंचायती राज विभाग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र मांगे तो वह भी यह पंचायती राज विभाग देने के लिए तैयार नहीं होता है। सितम्बर, 2021; जनवरी, 2022, फरवरी, 2022; अप्रैल, 2022; यह महालेखाकार की टिप्पणी है कि हमने इतने पत्र लिख दिये, लेकिन जिन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की हम जानकारी मांग रहे हैं, विभाग हमें नहीं दे रहा है। माननीय सभापति महोदय, केवल ताजा वर्षों का ही नहीं है, पिछले सालों के भी, केवल इस 2021-22 की रिपोर्ट के अन्दर 10 हजार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्णन दिया है उन्होंने। 2018 से उपयोगिता प्रमाण पत्र बाकी हैं माननीय सभापति महोदय।

मैं आपको निवेदन करूंगा कि काम कराने के क्या हाल हैं। ये टिप्पणियां महालेखाकार ने की हुई हैं। आप कोई योजना ले लो। बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम ले लो, एमएलए लैड ले लो। काम हो गये, लेकिन मौके पर काम नहीं हैं। पैसे उठ गये और काम नहीं हुआ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के महालेखाकार कह रहे हैं। बारां, सीकर, जोधपुर, चूरू, भीलवाड़ा आदि नौ जिला परिषदों के बारे में यह वर्णन भारत के महालेखाकार ने किया है और

(श्री संयम लोढ़ा)

मजे की बात तो यह है कि बाकी के जिला परिषदों ने तो अपने लेखा विवरण भी महालेखाकार को उपलब्ध नहीं करवाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस संस्था और विभाग की आदत पड़ जाये कि हम तो किसी भी तरह की जानकारी किसी को भी नहीं देंगे, आपका लम्बा अनुभव है, आप तो खुद जानते हैं कि नीचे क्या स्थिति है। कोई पट्टा बनो, पट्टे के पैसे पंचायत में जमा होते हैं। पचास साल पुराने का बता देंगे, तीस साल पुराना बता देंगे, चालीस साल का पुराना बता देंगे। वह नागरिक जो पट्टा बनवा रहा है, उसके तो पैसे लग रहे हैं, लेकिन पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? पंचायत के खाते में नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय जब उत्तर दें तब बतायें कि राजस्थान में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिन्होंने निजी आय की है? ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं और जो अपने बूते पंचायत चला रहे हैं, अपने बूते पंचायत में विकास के कार्य कर रहे हैं, जो सिर्फ राज्य सरकार और भारत सरकार के अनुदान पर निर्भर नहीं हैं?

मैं आपके माध्यम से नरेगा का निवेदन करूंगा कि 15 दिन में भुगतान करना है, पर आप बताना जब आप जवाब देओ, जनवरी का दूसरा पखवाड़ा, फरवरी, डेढ़-डेढ़ महीने से लोगों को पेमेंट नहीं हो रहा। मैं यह नहीं कहता कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मनमोहन सिंहजी और श्रीमती सोनिया गांधी जिस भावना के साथ यह मनरेगा कानून लाये थे, ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, ये तो उस मनरेगा की व्यवस्था को ही खतम करना चाहते हैं। देश को याद है, जब मनरेगा को कांग्रेस का स्मारक देश के प्रधान मंत्रीजी ने बताया था और इसी साल नरेगा के अंदर बजट में भी उन्होंने कटौती की थी। माननीय सभापति महोदय, 2019 का जो अमाउंट है 1,942 लाख का, मैं निवेदन करूंगा टोटल नंबर आफ हाउस कम्प्लीटेड 100 डेज, यह फिगर लगातार घट रहा है। 2019 में 5 लाख 88 हजार 321, इसके बाद बढ़ा 2019 -20 में, 2020-21 में बढ़ा, लेकिन 2021-22 में घटकर वापस 9 लाख 91 हजार हो गये। 2022-23 में घटकर 3 लाख 17 हजार हो गये। यह क्या कारण है कि ऐसी महत्वपूर्ण स्कीम जो गांवों के लिए संजीवनी साबित हुई है, उसमें लगातार कमी आ रही है और दूसरी तरफ मैटेरियल कम्पोनेंट का खर्चा बढ़ रहा है?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि नरेगा एक मजदूरी

(श्री संयम लोढ़ा)

आधारित स्कीम है, जो इसलिये लायी गयी थी कि लोगों को रोजगार दिया जाये। 2019-20 में मैटेरियल का खर्चा 28.14 प्रतिशत था, 2019-20 में घटकर 20 प्रतिशत पर आया और 2020-21 में 13 प्रतिशत पर आया, लेकिन 2021-22 में बढ़कर 21.87 प्रतिशत हो गया और 2022-23 में बढ़कर 32.15 प्रतिशत हो गया। इसका क्या कारण है?

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ मजदूरी के अवसर घटा रहे हैं और दूसरी तरफ मैटेरियल कम्पोनेंट का खर्चा बढ़ रहा है। अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने बहुत उदारतापूर्वक यह घोषणा की कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो 100 दिन काम लोगों को मिलता है उसको बढ़ाकर 125 दिन करेंगे। लेकिन क्या उसके लिए आपके विभाग की तैयारी थी? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 3 लाख 16 हजार परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 15 मार्च को 100 दिन पूरे किये हैं और 15 मार्च को ही 2022 को 6 लाख 87 हजार परिवार ऐसे थे, जिन्होंने 100 दिन पूरे किये। क्या मैं पूछ सकता हूं कि 2022 की तुलना में 2023 में यह फर्क क्यों आया? उन 3 लाख 16 हजार में से भी कितने नये लोगों के जॉब कार्ड बने? मात्र 2 लाख लोगों के।

माननीय सभापति महोदय, जब तक आप विभाग को इस बात के लिए तैयार नहीं करेंगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी तो पूरे हिन्दुस्तान में सामाजिक न्याय के मसीहा हैं और सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र के अंदर पूरे हिन्दुस्तान को उन्होंने एक दिशा दी है, लेकिन आपका विभाग निचले स्तर पर अगर लोगों को लाभान्वित करने के लिए तैयार नहीं होगा तो मुझे खेद है कि हम कितनी भी घोषणाएं कर लें, उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह 15वें वित्त आयोग का फिगर मेरे पास है, मंत्रीजी, आप उत्तर दो तब बताना कि आपका इतना खर्चा कम क्यों हुआ? आप पैसा क्यों नहीं खर्च कर पाये? आपके पास जिला परिषद मद में 1,106 करोड़ रुपये उपलब्ध थे 2022-23 के अंदर और आपने खर्चा कितना किया, मात्र 97 करोड़। पंचायत समिति मद में 5,466 करोड़ और खर्चा कितना किया, 477 करोड़। यही स्थिति आपकी ग्राम पंचायतों के मद में है। ऐसे कौनसे कारण हैं कि आपकी संस्थाओं के पास पैसा पडा हुआ है लेकिन आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए कौन अधिकारी

(श्री संयम लोढ़ा)

जिम्मेदार हैं? आपने इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की है? हम लोग रोज देखते हैं, माननीय सभापति महोदय, हर सोमवार को कभी मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंस कर रही हैं, कभी विभागों के प्रमुख सचिव कर रहे हैं, कभी माननीय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, कभी माननीय मंत्रीजी कर रहे हैं। जब सभी आप कांफ्रेंस कर रहे हैं तो यह पैसा पड़ा हुआ क्यों रह जाता है? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि देश के प्रधान मंत्रीजी ने वादा किया था कि गांव में कोई भी मजदूर का घर ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका कच्चा मकान रह जाये। आज राजस्थान के अंदर हमें बताओ तो सही कि आवास के यह 12 लाख आवेदन लम्बित क्यों हैं? लोगों के मकान क्यों नहीं बने? इसकी पूरी डिटेल्स दो, इसका पूरा खुलासा करो और 2021-22 के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास मिले, अभी तक भी पूरे नहीं हुए। 30 फीसदी आवास पूरे नहीं हुए और 1 लाख 20 हजार परिवार ऐसे हैं, जिनको अभी तक सैकण्ड किस्त नहीं मिली। 26 हजार परिवार ऐसे हैं, जिनको थर्ड किस्त नहीं मिली।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह बतायें कि 2022-23 के अंदर एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी तक पंचायतों को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? भारत सरकार का क्या इरादा है? भारत सरकार अब किस चीज का इन्तजार कर रही है? माननीय सभापति महोदय, लोगों को आवास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि यह एक फिगर मेरे पास एक्सपेंडिचर का भी है। 2021-22 में 1,058 करोड़ रुपये आपको मिले और टोटल अमाउंट आपके पास अवेलेबल था 2,974.99 करोड़ रुपये। यह मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा, यह आपके विभाग का प्रतिवेदन है, उसमें उल्लेख है। 2,974 करोड़ रुपये के अवेलेबल अमाउंट के अगैन्स्ट में आपने खर्चा कितना किया, 696 करोड़ रुपये, जो टोटल अवेलेबल अमाउंट का सिर्फ 23.42 फीसदी था।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से 2022-23 के अंदर सेंट्रल स्टेट स्पोंसर्ड एण्ड डवलपमेंट स्कीम्स में 7,153 करोड़ रुपये आपको मिले और टोटल अमाउंट अवेलेबल हुआ वह 2,837 करोड़ रुपये था। आपने खर्चा कितना

(श्री संयम लोढ़ा)

किया, 423.55 करोड़ रुपये का। माननीय सभापति महोदय, क्या गांवों में लोगों को विकास नहीं चाहिए? क्या गांवों में लोगों को नालियां नहीं चाहिए? क्या गांवों में लोगों को सी.सी. रोड नहीं चाहिए? क्या गांवों में लोगों को सामुदायिक भवन नहीं चाहिए? क्या गांवों में जो बच्चे हैं, उनके खेल मैदान की चारदीवारी नहीं चाहिए, क्या उनको खेल मैदान नहीं चाहिए? फिर आप यह ब्याज क्यों खा रहे हो? सरकार का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और आप उसमें खर्चा नहीं कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, कर रहा हूं मैं।

प्रति परिवार के रोजगार के अवसर दिवस, यह भी इनका प्रगति विवरण कह रहा है। 2019-20 में 59, 2020-21 में 61, 2021-22 में 60 और 2022-23 में 43, क्या कारण हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपको एक निवेदन करूं..(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। श्री रूपा राम।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खतम तो करने दो। मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी बात के लिए मैं आपको दोष नहीं देता। इस विभाग को ठीक करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत है। निचले स्तर तक इतनी जड़ता आ चुकी है कि जब तक आप इच्छा शक्ति के साथ लोगों को लाभ देने का नहीं सोचेंगे, तब तक जो ग्राम स्वराज का लक्ष्य है वह प्राप्त करने से हम बहुत दूर रहेंगे। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा राम जी।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52 व 53 - पंचायती राज व ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश में सबसे पहले 02 अक्टूबर, 1959 को हमारे हिन्दुस्तान के पहले प्रधान मंत्री स्व. जवाहरलाल जी नेहरू ने हमारे नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की थी। देश के पहले जिला प्रमुख स्व. लिखमाराम चौधरी थे और नागौर जिले के पहले प्रधान हरिराम जी बगड़िया थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पंचायती राज की

(श्री रूपा राम)

नागौर में जो स्थापना हुई, उसकी याद में नागौर में जहां स्थापना के समय चबूतरा बनाया गया था, वहां पर एक भव्य संग्रहालय बनाया जाये जिसमें पंचायती राज की सारी व्यवस्थाओं का वहां लेखा-जोखा हो, जानकारी हो। ग्रामों में समुचित विकास बाबत मूल सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि एक विभाग के विकास में कई विभागों का प्रभाव होता है। जैसे गांवों के विकास में जलदाय विभाग का भी दखल है, बिजली विभाग का भी दखल है। पीडब्ल्यूडी विभाग का भी उसमें सहयोग या असहयोग हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग का भी है, अच्छे हास्पिटल हों। शिक्षा विभाग का भी है।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के विकास की जब चर्चा चल रही है तो मैं आपके माध्यम से इतना कहूंगा कि आज गांवों में ज्यादातर किसान रहते हैं, किसान की सबसे ज्यादा जरूरत बिजली है। इस सरकार ने 4 साल में बिजली को लेकर जितनी परेशानी गांव के आदमियों को दी, जितनी परेशानी किसानों को दी, मैं समझता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे खुद को सवा4 साल में सबसे पहले कड़वे शब्द या नाराजगी के शब्द मिले तो बिजली के लिए मिले। लोगों ने यहां तक कहा कि, एमएलए साहब, हमें गांवों में बिजली से वंचित क्यों किया जा रहा है? जब हमारी नीतियां ही ऐसी बन रही हैं कि हम गांवों में न तो पानी की सुविधा देंगे, मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के लोगों को भी पता है कि बिजली को लेकर गांवों में आक्रोश सभी जाति के लोगों में है। खास तौर पर किसान जो अपनी फसल के लिए बिजली को तरसते थे, बिजली नहीं मिली, गांवों में और शहरों में बिजली का फर्क है। आज अगर गांवों में बिजली नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे?

सभापति महोदय, आज गांव का आदमी, हमारी बहन, बेटियां सवेरे खाना बनाने के लिए भी बिजली को तरसती हैं। बिलौना करने के लिए भी बिजली को तरसती हैं। चक्की चलाने के लिए और पंखे के लिए भी बिजली को तरसती हैं। गांव के बच्चों की यदि पढ़ाई नहीं होगी, गांव के बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी तो गांव में विकास होना संभव नहीं है। किसान 80 परसेंट गांवों में रहते थे। धीरे-धीरे किसान गांवों में असुविधा की वजह से शहरों में जा रहे हैं। आज गांवों में किसान 60, 65 परसेंट ही रह रहे हैं। किसान पलायन करके

(श्री रूपा राम)

शहरों में आ रहे हैं। अगर गांव का विकास करना है तो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, अच्छे हास्पिटल की व्यवस्था, सरकारी विभागों की व्यवस्था, अच्छे महाविद्यालयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश, प्रदेश की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांव का चहुंमुखी विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश के चहुंमुखी विकास की बात करना बेमानी होगा। वास्तव में ग्रामीण जन को, किसानों को, मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

आज किसान की फसल ईश्वर पर या सरकार पर निर्भर है। आज प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान की फसल के खराबे की जांच करके, उसका भी निवारण, निराकरण हमारी सरकार या विभाग जल्दी से जल्दी नहीं करते। यह किसानों के लिए बहुत दुख की बात है।

सभापति महोदय, मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों का अधिकार दिया जाये। मनरेगा योजना में पक्के कार्यों को जोड़ा जाये। ग्राम पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि के साथ अधिकारों में पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जाये। इसके लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सरपंच अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई सरपंच पारदर्शिता का ध्यान नहीं देकर कार्य में गुणवत्ता नहीं ला रहा है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, गांव से शहरों की ओर पलायन चिन्ता का विषय है। गांव में किसान की उपज का मूल्य भी नहीं है और उपज भी नहीं मिल रही है, इसके कारण अपना पुश्तैनी धंधा खेती-बाड़ी छोड़कर शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे देश को बहुत नुकसान होगा। यदि देश का किसान अन्न पैदा करना बंद कर देगा तो देश-प्रदेश में अन्न की कमी हो जायेगी।

बिजली की पूर्ति के बारे में इस बार आपने कहा कि बिजली की दरें सस्ती कर देंगे। बड़े दु:ख की बात है कि बिजली गांवों में मिलती ही नहीं है। आप तो जांच करा लीजिये। बिजली की वजह से आपके गांवों का विकास प्रभावित हुआ है। आपको बिजली विभाग के अधिकारियों को भी कहना चाहिए।

आप प्रदेश में जांच के नाम पर सत्ता पक्ष के विपक्षी गुट के सरपंचों को बेवजह परेशान कर रहे हैं जबकि इसके विपरीत सत्ता पक्ष से राजनीतिक

(श्री रूपा राम)

संरक्षण प्राप्त करने वाले सरपंचों को मनरेगा या अन्य विकास कार्यों में भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए भी सरकार की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है।

देश-प्रदेश में किसानों का मुख्य काम खेती एवं पशुपालन है। आज सबसे बड़ी दु:ख की बात तो यह है कि गांवों में बकरी, भेड़, गाय, भैंस या ऊंट, इन सबको पालने के लिए किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। जो चारा है वह किसानों के लिए धान से भी महंगा हो रहा है। गांवों में शुद्ध दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है। वह अगर पशुओं की देखरेख की वजह से या पशु कम हो जायेगे तो उसमें भी कमी होगी। जो गांवों में प्रतिभाएं मिलती हैं, उनके स्वास्थ्य में भी कमजोरी आयेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान में बछड़ों की बिक्री पर रोक है, इससे गौ धन पालना बंद हो गया है। इसके कारण हर गांव, ढाणी में आवारा गायों के झुंड के झुंड घूमते रहते हैं, जो एक चिंता का कारण है।

पंचायत में वार्ड सभा एवं ग्राम सभा में लिए गये विकास कार्यों के प्रस्तावों पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। ग्रामों में साफ-सफाई बाबत, ग्राम की पंचायत को सफाईकर्मी रखने बाबत अनुदान मिलना चाहिए। मनरेगा योजना के पेटे हुए निर्माण कार्यों का भुगतान ग्राम पंचायत को समय पर मिलना चाहिए।

पंचायत समिति मकराना में विकास अधिकारी का पद 30.09.2022 से रिक्त चला आ रहा है, इसलिए पंचायत समिति मकराना में शीघ्रातिशीघ्र विकास अधिकारी लगाया जाये, जिससे कि हमारे विकास के कार्य बाधित न हों। पंचायत समिति मकराना में 39 ग्राम पंचायतों में केवल 24 ग्राम विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री रूपा राम (मकराना): 15 पोस्टें रिक्त चल रही हैं। रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): 10 मिनट हैं।

श्री सभापति: 8 मिनट हैं। दिया हुआ है। आप बीच में क्या डायरेक्शन देंगे?

श्री रूपा राम (मकराना): हो गया क्या टाइम? एक मिनट और दे दो। एक मिनट ही दे दो।

श्री सभापति: प्लीज, विराजें आप। विराजिये।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट। बोल लूं एक मिनट? एक मिनट दे दो। ग्राम पंचायतों को सरकार वैसे तो ग्राम की रीढ़ मानती है।

श्री सभापति: अपनी सीट पर जाइये।

श्री रूपा राम (मकराना): लेकिन वर्तमान समय में पंचायतों के पास कागजी कार्यवाही के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि मस्टररोल तथा टेंडर की जटिलता, बीएसआर की बाजार दरों में न्यूनतम दरें, भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये अब आप। विराजिये। विराजिये। श्री पदमाराम।

श्री रूपा राम (मकराना): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। एक मिनट आप विराजिये। आप सभी माननीय सदस्यों का टाइम आपके सचेतकों द्वारा निर्धारित किया गया है। आपका टाइम 8 मिनट दिया गया है। एक मात्र अभिनेश जी महर्षि हैं, जिनका टाइम 10 मिनट किया गया है। सबका अपना अलग टाइम है। 10 मिनट दिया गया है। 15 मिनट दिया गया है। 04 मिनट भी दिये गये हैं, इसलिए आप बार-बार बीच में यह मत कहिये कि 01 मिनट दीजिये। आज मजबूरी यह है कि समय पर कार्य निर्धारित करना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई होगा और उसके बाद में मुखबंद करके बाकी सारी मांगें पारित की जायेंगी। मेहरबानी करके सहयोग करें। जब मैं दूसरा नाम पुकार लूं तो आप विराजने की कृपा करें। श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52-पंचायती राज एवं मांग संख्या 53-ग्रामीण विकास पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज जिस मांग पर चर्चा हो रही है, यह गांव की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था है जहां गांव का, गरीब का विकास कैसे हो, हर राज्य सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना गांव तक कैसे पहुंचे, इसका सही संचालन करने का दायित्व ग्राम पंचायत के ऊपर है। ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम पंचायत का सरपंच होता है।

(श्री पदमाराम)

हमारी सरकार में ग्राम पंचायतों को मजबूती देने के लिए, ग्राम पंचायत के हर पिछड़े को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उसको ध्यान में रखते हुए कई नवाचार किये हैं और कई घोषणाएं की हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना रोजगार की गारंटी कानून पास किया। उस कानून के तहत हमारे बाड़मेर जिले में लाखों की तादाद में टांके बने। वे टांकें आज हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। बरसात नहीं हुई तो भी वो साल भर टांका काम में आता है। पानी की भयंकर समस्या होने के उपरांत भी पाली के अंदर सरकार ने ट्रेन से पानी पहुंचाया पर हमारे बाड़मेर जिले के अंदर उस टांके का जो अमृत जल है, बरसात का जल है, उसके पानी को पीने से किसी टाइप की बीमारी नहीं होती है, वह हमेशा काम आता है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और पंचायती राज मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने नरेगा को मजबूती देने के लिए कई नयेपन किये। आज यदि हम भारत सरकार की बात करते हैं, भारत सरकार की मंशा है कि नरेगा बंद कैसे की जाए, इसके लिए वे सीधे तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उसका बजट कम कर रहे हैं1 33 परसेंट बजट को कम करना, जिस ग्राम के विकास की बात करते हैं, गरीब को सहारा देने की बात करने वाले लोग, नरेगा के अंदर 33 परसेंट धन कम कर देंगे तो गांव के आदमी को मजबूती कैसे मिलेगी? ग्राम पंचायत के लोगों का काम कैसे होगा? विपक्ष के उप नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि आपकी आवाज मजबूत है और आप हर समय पार्टी का हर पक्ष रखने की कोशिश करते हो और जनता की आवाज हर मामले में आप बुलंद करना चाहते हो, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि नरेगा में जो धन कम किया है उसको बढ़ाया जाए। नरेगा में टांके की दर हमारे बाड़मेर जिले में 3 लाख रुपये थी और वो अब कम कर दी है, मैं माननीय मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले की जनता की आवाज आप सुनें और हर टांके की रेट 3 लाख रुपये करें।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा का उद्देश्य था जनता को रोजगार देना, नरेगा का उद्देश्य यह नहीं था कि रोजगार न मिले। कोरोना काल के अंदर यह एक संजीवनी साबित हुआ और गरीब आदमी, जिसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था उसको नरेगा के माध्यम से रोजगार मिला है।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा उप नेता महोदय से निवेदन है कि पिछले 9 साल के अंदर ग्राम पंचायतों की जो हालत बनी है, ग्राम पंचायतों का जो रेशो था, वह पूरा बिगाड़ दिया है, समय पर पेमेंट नहीं दे रहे हो। सामग्री के मद का पैसा समय पर नहीं आने के कारण आज कोई भी ग्राम पंचायत का रेशो मेनटेन नहीं हो रहा है। आप मेहरबानी करके नरेगा के मजदूर का काम करने वाले और जो ठेकेदार लोग हैं, जो सामग्री डालते हैं और ग्राम पंचायत का मुखिया जो काम करता है, उसको यदि दो-दो साल तक पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा? आज विषम महंगाई के समय के अंदर यदि आप उनका सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि बाड़मेर में जो पिछड़ा जिला योजना थी, बीएडीपी थी और यूटीपी थी, अनटाइड फंड, ये तीनों ही फंड बंद कर दिए, इसका क्या कारण है? केन्द्र सरकार की मेहरबानी से ये तीनों ही, माननीय उप नेता महोदय, बीएडीपी योजना में बिना किसी भेदभाव से सबका काम हो रहा था, क्यों बंद कर दी? बीएडीपी बंद कर दिया, अनटाइड फंड बंद कर दिया, ऐसा कौनसा जुल्म कर दिया? उसके अंदर जो सड़कें बनी थीं, जो ट्यूबवैल बने थे, वो सब आज किससे नवीनीकरण होंगे? आप बात करते हो कि हम जनता के हितैषी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं, मेहरबानी करके उसमें आप निवेदन करें।

माननीय सभापति महोदय, जो इंदिरा आवास योजना थी, उसको चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, बहुत बड़ी बात है, पहले इसमें 70 हजार रुपये मिल रहे थे, अब सवा लाख किये, उसे नरेगा के अंदर डालकर लीपापोती का काम किया। परंतु आपने एक बहुत बड़ा जो लैंडलाइन नम्बर लिखकर, अब गांव के ढाणियों में लैंडलाइन नम्बर तो है ही नहीं, दूसरी बात जियो टैगिंग के नाम पर सवा लाख लोग हमारे बाड़मेर जिले के, आपने पोर्टल बंद कर दिया, हम सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार का पोर्टल चालू नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। आप मेहरबानी करके उसके बारे में पैरवी करें, यह गरीब का मामला है, गरीब को छत देना चाहते हैं तो न्याय करो। न्याय करके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब को तो नहीं मिल रहा है, जो मजबूत लोग हैं उनको आवास मिल गया, गरीब आदमी के खाते में लिख दिया कि इनके पास लैंडलाइन नम्बर है। इनको तो रहने की झोंपड़ी ही नहीं है, लैंडलाइन नम्बर कहां लगाएंगे? उसके बारे में आप पैरवी करें।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हमारी सरकार में जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको स्थायी करने की सोच थी। ग्राम सेवक को वीडीओ बनाया।

माननीय सभापति महोदय, आज जो पीएम आवास बन रहे हैं, उन पीएम आवास को यदि पांच साल बाद या दस साल बाद वो क्षतिग्रस्त होते हैं, नरेगा की सड़कें जो ग्रेवल सड़कें हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पीएमजीएसवाई की जितनी भी सड़कें थीं, वो सड़कें आज जर्जर हालत में हैं, पिछले तीन साल से पीएमजीएसवाई की सड़कों के नवीनीकरण का कोई भी फंड नहीं आ रहा है, आप मेहरबानी करके सरकार से निवेदन करें, ...(व्यवधान) नहीं आ रहा है। गोदारा साहब, आपके यहां कोई नई स्कीम नहीं है, यह तो पूरे राजस्थान की स्कीम है। उसमें राजस्थान सरकार का 40 परसेंट का हिस्सा है। हर योजना में राजस्थान सरकार का हिस्सा है। राजस्थान सरकार के हिस्से में आप सरपंचों को मजबूती देने के लिए टेंडर प्रक्रिया बंद करें। टेंडर प्रक्रिया में सामने लड़ने वाला आदमी है वो हमेशा उस जीते हुए सरपंच के काम के अंदर घोंचे डालने के सिवाय और कोई काम नहीं करता है। आप मेहरबानी करके इसमें कोई नयापन करें, जो नया काम होगा, नई रोशनी होगी, नये काम में आम आदमी को मजबूती मिलेगी। पक्के काम नरेगा में होने चाहिए पर पक्के कामों के साथ-साथ जो बीएसआर रेट है, जो हर काम के लिए बीएसआर रेट काम आ रही है तो ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? उसके बारे में आप कुछ करें।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित)। श्रीमती संतोष।

श्री पदमाराम (चौहटन): जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं उनके मानदेय की व्यवस्था करें। नरेगा में जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52 और मांग संख्या 53, पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

आज सदन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है, भारत गांवों का देश माना जाता है, जो भारत की

(श्रीमती संतोष)

आत्मा है वह गांव माने गये हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज में जो आज हमारी स्थिति है, गांवों का जितना विकास होना चाहिए, उतना विकास नहीं है। कहीं न कहीं इसमें जो कुछ कमियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। मैं बता देना चाहूंगी कि गांवों के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आज गांव के व्यक्ति को नहीं मिल पा रही हैं, उसके कारण गांव के लगभग सभी निवासी पलायन करके शहरों की तरफ जा रहे हैं। इन मूलभूत सुविधाओं में, मैं सीधे-सीधे विषय पर ही आऊंगी क्योंकि समय कम है, हम पेयजल की बात करें, सड़कों की बात करें या बिजली की बात करें, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे ग्रामवासियों को नहीं दी जा रही हैं।

पेयजल योजना, जल जीवन मिशन योजना महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान में जो पेयजल का संकट है, उससे यह योजना उबार सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि आज जल जीवन मिशन योजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और इतना घटिया उसके अंदर काम हो रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में पीने के पानी की जो समस्या है, उसका समाधान हो पाएगा क्योंकि मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र की तो वहां 156 जो स्कीमें हैं, उनमें से 40 वाटर वर्क्स हैं अभी तक वहां काम भी शुरू नहीं हुए हैं और जहां पर शुरू हुए हैं वहां बिलकुल ही घटिया स्तर का काम हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिला बोर्डर पर है, वहां पर सिर्फ नहरी पानी ही हमको पीने के लिए उपलब्ध हो पाता है, धरातल का पानी खारा है इसलिए, 21 मार्च से हमारे नहरबंदी प्रस्तावित है। अभी तक काम नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ा संकट हमारे सभी ग्रामवासियों के सामने खड़ा है कि अगर डिग्गियों में पानी नहीं भरा गया तो आने वाली गर्मी के समय में पीने का पानी कहां से आयेगा? गांवों का विकास, इसकी एक बानगी हमारे सामने है कि कैसे होगा, कि पीने के लिए पानी भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, जो एक महत्वपूर्ण योजना है, एक गरीब का सपना होता है अपना घर बनाना, उनको घर देने के लिए अभी विभागीय त्रुटि के कारण 9.73 लाख लोगों के मकान के लिए नाम काटे गए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी सरकार से कि

(श्रीमती संतोष)

उनको जोड़ा जाए ताकि गरीब को घर मिल सके। और जो सैकंड और थर्ड किस्त लगभग सभी की बाकी है प्रधान मंत्री आवास में, वह किस्त भी उन्हें दी जाये और प्रधानमंत्री आवास पूरे नहीं हुए, उन्हें पूरा करवाकर इसमें जो कमी है कि पहले जो आवास के लिए आवेदन करता है, उसे छोड़कर जो बाद में आता है, उसे किस्त दे दी जाती है, ऐसी विसंगतियां दूर करके प्रधानमंत्री आवास का लाभ जनता को दिया जाये।

अगर मैं सड़कों की बात करूं तो ग्रामीण एरिया में सड़कें बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में हैं। आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। बड़े-बड़े गड्ढे हैं। गांवों के विकास की जो बात हम कर रहे हैं, वह कहां से होगा? गांवों में सड़कों की सुचारु व्यवस्था की जाये।

अगर गांव का विकास हम करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण एरिया में होना बहुत जरूरी है। शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था वहां नहीं होने के कारण, अध्यापक नहीं होने के कारण, स्कूलों में भवन नहीं होने के कारण वहां से जो बच्चे पढ़ने के लिए शहर की ओर आते हैं, उनके माता-पिता भी फिर शहर की ओर ही आना चाहते हैं। गांवों के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

बिजली की बात हम करते हैं। अभी सुबह माननीय मंत्री जी ही बता रहे थे कि लगभग दो लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है। ढाणियों में बिजली कनेक्शंस नहीं हैं। सरकार के पास इसकी कोई रूप-रेखा नहीं है कि उन ढाणियों में कैसे कनेक्शंस दिये जाएं। हमने एमएलए लैड से भी जो पैसा दिया है ढाणियों में लाइट के लिए, वह भी स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। आज भी हमारे गांव अंधेरे में हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे गांव का विकास होगा?

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में जो ठेका प्रथा है, उसे हटाकर पंचायतों के द्वारा किया जाये, ताकि कुछ सही काम हो पाये। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निकासी और सफाई की बहुत बड़ी कमी है, उसे भी दूर किया जाये। प्रोपर सफाई की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिये। गांवों के विकास के लिए खेल मैदान हेतु भूमि दी जाये ताकि वहां के युवा मजबूत हो सकें। सरपंचों द्वारा जो मनरेगा के तहत कार्य करवाये गये हैं, उन विकास कार्यों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है।

कुल-मिलाकर चारों तरफ कमियां ही कमियां हैं और ग्रामीण विकास

(श्रीमती संतोष)

की हम बात कर रहे हैं। जनता जल योजना, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना थी, उसे पीएचईडी को हैंडओवर कर दिया गया है। उसके बाद उनके कर्मचारियों का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि पीएचईडी विभाग भी नहीं कर रहा है और पंचायत भी नहीं कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच अपनी पंचायत के विकास के लिए ठेकेदारों के चक्कर लगाता है। ठेकेदार कम बीएसआर रेट पर पंचायत से एक वर्ष का अनुबन्ध तो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य मैटेरियल तक नहीं देते, तो विकास कार्य कैसे होंगे?

पंचायत समिति व जिला परिषद् की वास्तविक स्थिति का तो सभी को पता है लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। ग्राम पंचायतों के विकास की राशि में मानदेय कर्मियों, सहायकों, कोविड सहायक, सुरक्षा गार्ड एवं पम्प चालक के मानदेय राज्य वित्त आयोग से भुगतान के प्रावधानों को निरस्त कर इनके मानदेय का भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा किये जाने का प्रावधान किया जाये। पंचायत समिति लेवल पर पंचायतों के टेंडर लेट होते हैं, उस कारण विकास नहीं हो पाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अतिशीघ्र टेंडर होने चाहिये। ग्राम पंचायतों में मास्टर प्लान बनाकर प्रस्ताव तो लेते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि अपनी इच्छानुसार ही वह मास्टर प्लान चहेतों को दे दिया जाता है।

राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायतों को मिलने वाली छठे वित्त आयोग की राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों को नहीं मिला है, जिसके कारण सरपंच विकास कैसे करवा पायेगा? माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति में कनिष्ठ लिपिक, ग्राम विकास अधिकारी, जे ईएन, ए ईएन के पद खाली हैं, उन्हें भी भरवाया जाये, ताकि गांवों में कुछ अच्छा काम हो पाये। एमएलए लैड की प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद पूर्ण रूप से उसका तखमीना भी बना लिया जाता है। उसके बाद जारी करने के बाद भी अधिकारी मौन हैं, जिसके कारण गांवों में विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ, तहसील स्तर की जो पंचायत है, मेरे क्षेत्र में 24 एससी और रावला मण्डी, वहां के जो कनिष्ठ लिपिक हैं उनके एक-एक ही पद हैं, बड़ी पंचायतें हैं, तो वहां दो-दो कनिष्ठ लिपिक लगाये जाएं।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और।

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक स्थलों पर पुरुषों और स्त्रियों के लिए पृथक् शौचालय बनाये जाएं। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित किये जाएं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): ई-मित्र संचालकों को नरेगा कम्प्यूटर डेटा एंट्री आपरेटर के पद पर स्थायी नियुक्ति दी जाये और संविदाकर्मियों को नियमित किया जाये। धन्यवाद।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 52 और 53 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: पांच मिनट में समाप्त करना है आपको।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, देश में मनरेगा जैसा कानून आया था, जिसमें गांवों के अन्तिम छोर पर बैठे गरीब को रोजगार नसीब हुआ, किन्तु भाजपा तो मनरेगा को खतम करना चाहती है, इसीलिए केन्द्रीय बजट में मनरेगा में 33 परसेंट की भारी कटौती की गयी है। राजस्थान में भी मनरेगा की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी खामियों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, सिस्टम की तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने से गरीबों को अपनी मजदूरी खोकर वापस घर लौटना पड़ता है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों के बीच महिलाएं मनरेगा के कामों में जाती हैं। एक मिनट भी लेट होने पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो पाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी के प्रावधान में शिथिलता बरती जाये। मौसम के अनुसार मनरेगा का काम समय पर नियत किया जाये।

सभापति महोदय, मनरेगा में मेट को करीब एक साल से, मजदूरों को करीब तीन महीने से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि काम पूरा होते ही मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाये। सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ के अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालयों में खेल

(श्री गिरधारीलाल)

मैदानों का अभाव है, मनरेगा के तहत खेल मैदानों की स्वीकृति की जाये। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में पिछले कई वर्षों से मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बापेऊ, देराजसर, सुरजनसर, सेरूणा, तोलियासर, जालबसर, लाखनसर पंचायतों में निर्माण कार्य को फिजिकल डिफिकल्टी बताया जा रहा है, किन्तु मैटेरियल लिस्ट जारी होने से पहले कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है, जिस कारण सम्बन्धित फर्मों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। अत: पिछले वर्षों का बकाया भुगतान करवाया जाये। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा के तहत काम कराये गये थे, उनमें ऑनलाइन साइट नहीं खुलने की वजह से आज भी तीन-तीन सालों के बकाया भुगतान पड़े हैं।

पंचायती राज व्यवस्था पर बात हो रही है। गांव में, विशेषकर गोचर में भारी तादाद में परिवार आबाद हुए हैं। आज अन्तिम छोर पर जो गरीब आदमी बैठा है, उसको गोचर में बसे होने के कारण सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस योजना को गोचर में किसी तरह जो 10 बरस से या 15 बरस से बसे हुए हैं, उनका सर्वे करवाकर उन्हें सरकारी योजना का लाभ दिलवाया जाये। साथ ही, मनरेगा के तहत हर खेत को जल हौद या डिग्गी से जोड़ा जाये, जिससे आम आदमी को मनरेगा का लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, विशेषकर गांवों में घनी आबादी है, पशुपालक रहते हैं। पिछली भाजपा सरकार ने 300 गज के पट्टे जारी करने के आदेश किये थे। उस टाइम मैं सरपंच था। मैंने इसका विरोध भी दर्ज कराया था कि कम से कम 1200 गज के पट्टे दर्ज कराये जाएं। उस समय हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता पंचायती राज मंत्री थे। उन्होंने वीसी पर कहा था कि आप राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा, गांवों में पशुपालन का धन्धा है, भेड़-बकरी का धन्धा है तो कम से कम वहां 1200 गज के पट्टे दिये जाएं, न कि शहर की तर्ज पर 300 गज के पट्टे। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूंगा कि ग्रामीण परिवेश को देखते हुए कुछ पट्टों में रियायती दर पर 1200 गज के पट्टे किये जाएं।

सभापति महोदय, सरपंच सबसे ताकतवर होता है। ग्राम पंचायत सबसे

(श्री गिरधारीलाल)

ताकतवर होती है, मगर गांवों में जो कर्मचारी होता है, आज तक वह सरपंच की अवहेलना करता आ रहा है। सिर्फ एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, वह इनसे साइन कराती हैं, बाकी चाहे पटवारी हो, चाहे जलदाय विभाग के कर्मचारी हों, आज तक ग्राम पंचायत की अवहेलना करते रहे हैं, इसलिए ग्राम पंचायत के सरपंच को ताकतवर बनाया जाए। सरपंच को अगर हम सुदृढ़ करेंगे तो गांव की सरकार सुदृढ़ होगी, लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और जनता में, पंचायती राज में गांधी जी ने जो सपना देखा था वह पूरा होगा।

सभापति महोदय, पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था जनता पार्टी के टाइम में भैरोंसिंह जी ने की थी, उसमें उनकी राजनीतिक चाल थी कि गांवों में बीजेपी को कैसे खड़ा किया जाए। त्रिस्तरीय व्यवस्था इसलिए की गयी थी और पार्टी के चिह्न पर चुनाव कराये जा रहे थे। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था किया जाए।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): साथ ही, मैं यह चाहूंगा कि पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को भी वित्तीय अधिकार दिये जाएं और उनके मानदेय, भत्ते हरियाणा की तर्ज पर बढ़ाये जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात सात मिनट में पूरी करेंगे।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52 और 53 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद, आभार।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज की बात करते हैं। ग्रामीण विकास के अन्दर सबसे जो अहम रोल है वह पंचायती राज व्यवस्था का है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्दर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के विकास का कार्य होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अन्दर पंचायत समिति बावड़ी है, जिसमें पिछले तीन साल के अन्दर छह बीडीओ चेंज कर दिये। वहां पर जो भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी है, जिसको ग्राम पंचायत मैलाणा के अन्दर लगा रखा है, उसके विरुद्ध में जोधपुर के सीईओ कार्यालय से कार्यकारी अधिकारी ने सरकारी गबन का मुकदमा दर्ज कराया है जो अभी लम्बित है। उस मुकदमे में वह जमानत पर है, फिर भी उसको वहीं ग्राम

(श्री पुखराज)

पंचायत मैलाणा में लगा रखा है। उस पंचायत की उसने यह स्थिति कर रखी है कि उस पंचायत में महिला सरपंच है, जिसको काम नहीं करने देता तथा ग्राम पंचायत में नरेगा के मस्टररोल तक वह इश्यू नहीं कर रहा है, जिसके कारण से उस ग्राम पंचायत में नरेगा की मजदूरी लोगों को नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इस तरह का जो भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी मैलाणा ग्राम पंचायत, बावड़ी पंचायत समिति में है उसको तुरन्त प्रभाव से हटायें। पहले भी उसको शिकायत पर हटाया गया था लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसको वापस कैन्सिल कर दिया। जब हम एक तरफ गांव के विकास की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टोलरेंस की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे अधिकारी को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसके खिलाफ जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी, सीईओ ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि गांव के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले गांवों के अन्दर जो गरीब लोग बैठे हैं, जिनके पास रहवास के लिए भूखण्ड नहीं है और वे लोग कहीं आगोर में बैठे हैं, कहीं गोचर में बैठे हैं, कहीं ओरण में बैठे हैं तो ऐसे लोगों को किसी न किसी माध्यम से नियम निकालकर उनको पट्टा देने की व्यवस्था सरकार करे। जब उनको रहवास के पट्टे मिलेंगे तभी सरकार की दूसरी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका वे लाभ ले पायेंगे।

अभी प्रशासन गांवों के संग जो अभियान चला, उस अभियान के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतें जेडीए, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर आती हैं। जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चला, उसमें सरकार की मन्शा थी कि हर गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पट्टे मिलें, लेकिन उस अभियान के अन्दर जोधपुर विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी की ड्यूटी नहीं लगायी, जिससे उन 25 ग्राम पंचायतों के अन्दर किसी भी तरह के पट्टे का कोई काम नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि ऐसी जो ग्राम पंचायतें हैं जो जेडीए के कार्य क्षेत्र में आती हैं तो उनमें कोई अलग से अभियान चलाकर जेडीए के अधिकारी उन गांवों में जाएं और जो बैठे हैं उनको चिह्नित करके उनके पट्टे जारी करें।

(श्री पुखराज)

माननीय सभापति महोदय, हम गांव के विकास की बात करते हैं और जब विकास की बात आती है तो जो इस प्रदेश की जनसंख्या है उसके 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं तथा उनका मुख्य धंधा, आजीविका है वह खेती है, खेती के अन्दर इस बार कहीं भी सरकार उनको पर्याप्त बिजली नहीं दे पायी। गांवों के अन्दर अभी भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं लेकिन कहीं भी सिंगल फेज सप्लाई 10-12 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पा रही है तथा कटौती हो रही है तो जब हम गांवों को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो किसान को सुदृढ़ करना पड़ेगा, किसान को मजबूत करना पड़ेगा, किसान के विकास की बात करनी पड़ेगी।

मैं गांव के विकास की बात करता हूं तो गांवों के अन्दर गांव के सरपंच को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको अलग से बजट दिया जाना चाहिए, गांव में सफाई व्यवस्था हो, गांव के अन्दर पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही हो। गांव के अन्दर जो भी संस्थाएं हैं उनके अन्दर पर्याप्त कर्मचारी हों, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो और चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो जिनके बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो उनको भी भरा जाए ताकि गांवों के अन्दर जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो सरकार गांव का विकास करना चाहती है वह सही तरीके से हो। सरकार ने जिस विकसित प्रदेश की कल्पना की है, अगर विकसित प्रदेश की कल्पना को साकार करना है तो गांवों को मजबूत करना पड़ेगा, गांव के पंचायती राज सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा, गांव के सरपंच और ग्राम पंचायतें हैं उस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा।

श्री सभापति: श्रीमती गायत्री त्रिवेदी।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि एमएलए लैड से जो कार्य हो रहे हैं उनकी समय पर एएस, टीएस और एफएस की स्वीकृति जारी हो ताकि गांव के अन्दर उनका भी काम समय पर हो। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52-पंचायती राज विभाग एवं मांग संख्या 53-ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास पुरुष श्री अशोक जी गहलोत द्वारा राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो बजट पेश किया है वह अभूतपूर्व है। राजस्थान में जो जन-कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं से आज आदमी राहत महसूस कर रहा है और साथ ही राजस्थान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान आज विकास के मामले में देश में एक मॉडल राज्य साबित हो रहा है।

मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारे रायपुर, हमीरगढ़, भोपालगढ़, दूड़िया, ओज्याड़ा, खैराबाद, देवली, बरड़ोद, बिलिया कलां, कारोई कलां, सेथूरिया, दरीबा, गून्दली, सांगवा, रामपुरिया, कोचरिया, गुरला को जोड़कर नवीन पंचायत समिति बनायी जाये, ताकि उक्त पंचायतवासियों को सहूलियत हो सके।

वर्तमान में NMMS के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा में श्रमिकों की हाजिरी होती है जबकि मेरा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा अधिकांशत: पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण नेटवर्क की समस्या बनी रहती है और कई-कई दिनों तक नेटवर्क समस्या से हाजिरी नहीं होने के कारण श्रमिकों को बिना हाजिरी करवाये वापस जाना पड़ता है। अत: मैं पंचायती राज मंत्री जी से महात्मा गांधी

(समय: 16.00 बजे)

नरेगा में श्रमिक की हाजिरी की समस्या में आवश्यक सुधार करवाने की मांग करती हूं ताकि महानरेगा कानून के अनुसार संचालन, क्रियान्वयन हो सके। वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला परिषद द्वारा समय पर कच्चे एवं पक्के काम जारी नहीं करने के कारण महानरेगा श्रमिकों के सौ दिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य मूल्यांकन हेतु वर्तमान में कनिष्ठ तकनीकी सहायक को केवल माप मूल्यांकन दर्ज करने का ही अधिकार है। जब तक उस मापपुस्तिका में सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर न हो उस माप मूल्यांकन का कोई महत्व नहीं होता है। दूसरी तरफ, महात्मा गांधी नरेगा में सहायक अभियन्ता के पद काफी रिक्त पड़े हैं। अत: कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जो सबसे वरिष्ठ हो, उसे माप और मूल्यांकन को प्रमाणित करने का अधिकार मिले, ताकि महात्मा गांधी नरेगा में कानून के अनुसार समय पर कार्य सम्पादित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, तकनीकी सहायक का मानदेय 2010 में

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

13 हजार रुपये था, जिसमें सरकार द्वारा आज दिनांक तक कोई वेतन वृद्धि नहीं की गयी है जबकि पंचायत सहायकों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 16 हजार 900 रुपये कर दिया गया है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक सरकार की विभिन्न योजनाओं का तकनीकी कार्य कर रहे हैं, लेकिन महानरेगा योजना के अलावा अन्य योजनाओं में कार्य करने के बदले किसी भी प्रकार अतिरिक्त भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक को समस्त प्रकार की तकनीकी कार्य करने के लिए शिड्यूल्ड आफ पावर दी जाये, जिससे कनिष्ठ तकनीकी सहायक की जिम्मेदारी तय हो सके, महानरेगा कार्य की गुणवत्ता हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात पंचायती राज मंत्री से कहना चाहूंगी कि जो स्कीम भारत सरकार की है, उसमें हमारे आवास मण्डल बहुत ही कम दिये जा रहे हैं। अतः इसका सर्वे करवाकर हमारे गरीबों को लाभ दिलाया जाये।

अन्त में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मान में चन्द लाइनें कहना चाहूंगी-

"लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज,
तब जाकर कहीं यह सुहानी प्रभात हो रही है।।
माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ तो बात है आपके व्यक्तित्व की,
जो हर तरफ आपकी तारीफ, आपकी ही बात हो रही है।।"

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52- पंचायती राज और मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज महत्वपूर्ण डिमांड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर चर्चा हो रही है। ग्रामीण विकास से ही सम्पूर्ण देश का, सम्पूर्ण प्रदेश का विकास हो सकता है। ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ग्राम पंचायत के द्वारा सभी विभागों को मिलाकर पूरी पंचायत का प्लान

(श्री नरेन्द्र नागर)

बनाया जाना चाहिए। उस प्लान के अनुरूप, जिस प्रकार के वित्तीय संसाधन ग्राम पंचायत के पास हो, उस हिसाब से वहां काम हो।

वर्तमान में स्थिति यह है कि कहीं एक बार इंटरलाकिंग लगती है, उसकी नाली बाद में बनती है, उसका ड्रेनेज सिस्टम अलग होता है, इसका पूरा प्लान बने, ताकि उसका सदुपयोग हो सके और पंचायत का व्यवस्थित विकास हो सके। निश्चित रूप से सभी विभागों को मिलाकर गांवों का प्रोग्राम बनाना चाहिए।

साथ ही, वर्तमान में नरेगा बहुत बड़ी योजना है। वर्तमान में नरेगा के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं नरेगा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। नरेगा की बहुत-सी जगह तो अच्छी स्थिति है, बहुत-सी पंचायत समितियों में इस प्रकार की स्थिति है। वर्तमान में तो फिर भी सुधार हुआ है, नहीं तो इस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी कि 500-500 रुपये में मस्टररोल बिकती थी, 500 रुपये एक लैबर को दिया जाता है, उसके बाद में यह भी फायदा है कि यदि वह एक दिन भी काम पर नहीं जाता है, उसको 500 रुपये मिलते हैं तो उसकी हाजिरी भी पूरी बनती है, हाजिरी इसलिए पूरी भरी जाती है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक उसका पैसा तय होता है।

जब कच्चा काम नरेगा के रूप में, पक्का काम भी उस पंचायत को निश्चित रूप से मिलता है। वर्तमान में तो सुधार हुआ है, क्योंकि जब से इन्होंने फोटो लेना शुरू किया है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। हमको नरेगा के माध्यम से स्वच्छता पर विशेष ध्यान ग्राम पंचायत के द्वारा देना चाहिए। नरेगा में कुछ लैबर की मस्टररोल में निरन्तर हाजिरी लगे और नियमित गांवों की सफाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था गांवों में हर ग्राम पंचायत की, हर गांव में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

हम चाहते हैं कि टेंडर के माध्यम से हो, बहुत-सी जगह बीएसआर से तीस परसेंट बिलो भी रेट आती है। मंत्री महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं सब जगह की स्थिति तो बताना नहीं चाहता हूं, पर बहुत-सी जगह हमारे पास भी ये शिकायत आई है कि जिस सरपंच का प्रतिद्वन्दी होता है वह तीस से चालीस परसेंट बिलो रेट लगाकर उसको परेशान करने की नीयत से उसको काम नहीं करने दे रहा है। यह बिलकुल हकीकत है। ऐसी स्थिति में उस पंचायत की विकास की गति रुक जाती है, वह आगे काम करना ही नहीं चाहते हैं। हमने इस प्रकार की स्थिति देखी है।

(श्री नरेन्द्र नागर)

साथ ही, प्रधानमंत्री आवास की स्थिति यह है कि ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव जीतने के बाद भेदभाव बरतते हैं। प्रधानमंत्री आवास की जब सूची डिक्लेयर हाती है, आवास की सूची डिक्लेयर होने के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा उसको दोबारा देखा जाता है कि वास्तव में कच्चा मकान है या पक्का मकान है या कैसे मकान है? जो अपने चहेते होते हैं उनके अच्छी स्थिति में मकान होने के बाद भी उनका कच्चा मकान लिख दिया जाता है और जो उसका प्रतिद्वन्दी होता है, उसके मकान नहीं होने के बाद भी उसका पक्का मकान लिख देते हैं, उसका नाम हट जाता है। उसके बाद उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। उसको बहुत बड़ी दिक्कत आती है।

साथ ही, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिन्होंने भी लागू की, आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत जी ने आरक्षण लागू किया और यह त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की। पंचायती राज, पंचायत समिति से प्रधान, मैम्बरों से जिला परिषद्। वर्तमान में आज भी बहुत सारे सदस्य बाहर बैठे हैं। वास्तव में, इनको कहीं न कहीं अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो वोट देने के बाद इनका अधिकार खतम हो जाता है। पंचायत समिति के सदस्य केवल प्रधान बनाने के लिए होते हैं, जिला परिषद के सदस्य केवल जिला प्रमुख बनाने के लिए होते हैं।

मंत्री महोदय, इनकी जो समितियां होती हैं, उन समितियों की पालना, उन समितियों का जो दायित्व है और जो उनका अधिकार है, उसकी भी पालना अधिकारी नहीं करते हैं। जैसे स्थायी प्रशासन समिति है, जो निर्णय पारित होता है, उसको ट्रांसफर, पोस्टिंग करने का अधिकार है, समिति के निर्णय करने के बाद भी विकास अधिकारी आदेश नहीं निकालता है। इन समितियों से भी उनका मोह भंग हो गया है। इसलिए आगे आने वाले समय में मैं मानता हूं कि पंचायत समिति, जिला परिषद्, इसके लिए हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जबरदस्ती पैसा देकर तैयार करने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आगे आने वाले समय में वास्तव में आने वाली है।

सभापति महोदय, डांग क्षेत्र में, आपको भी पता है। अभी पता नहीं डांग क्षेत्र में क्यों पैसा नहीं आ रहा है? इन योजनाओं के माध्यम से पिछले दो-तीन साल से डांग क्षेत्र की जो पंचायतें हैं, उनका अच्छा विकास हुआ था, पर पिछले बहुत समय से इसका पैसा नहीं आ रहा है। इसका जल्दी पैसा मिले ताकि और विकास आगे बढ़ सके।

(श्री नरेन्द्र नागर)

साथ ही, तीसरी सन्तान का जो विषय है, 1995 के बाद जिसकी तीसरी सन्तान है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं मानता हूं कि इसमें एक अमेंडमेंट वापस लाने की आवश्यकता है। तीसरी सन्तान हमारे लिए तो लागू नहीं होती है, पर उन पंचायती राज के चुनाव लड़ने वालों के लिए तीसरी सन्तान का नियम लागू है, तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि अब इसको 1995 की जगह 2020 मान लो, 2022 मान लो, ताकि यह बीच का गैप, आगे आने वाले लोग तो उसको कंट्रोल रखें, पर जिनके हैं कम से कम उनसे तो बाध्यता हट जाये। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से हो।

वास्तव में पट्टे दिये हैं तो बहुत-बहुत बधाई। सरकार के द्वारा पट्टे दिये जा रहे हैं, पर वास्तव में पट्टे नियमित मिले। एक अधिकार उसको पट्टे के रूप में मिल जाता है। वर्तमान में पट्टे के माध्यम से उसको बैंक के द्वारा भी लोन दिया जाता है। वास्तव में उसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। साथ ही, जो बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, ऐसी पंचायतें भी हैं, क्योंकि सरकार तो नगरपालिका का गठन भी करती है, वह कहीं न कहीं राजनीतिक भेदभाव के हिसाब से करती है। यदि प्राथमिकता पर करें तो उसकी जनसंख्या के हिसाब से, उसके नोर्म्स के हिसाब से करें तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी विधान सभा पूरी ग्रामीण विधान सभा है और 71 ग्राम पंचायतों में खानपुर ग्राम पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत है जो मैं मानता हूं कि शायद पूरे प्रदेश की पहली या दूसरी पंचायत होगी, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बाद भी उसमें नगरपालिका का गठन नहीं हुआ, तो अग्निशमन यंत्र वगैरह ऐसी सुविधा जो नगरपालिका के अकोर्डिंग उसकी सुविधा बढ़े, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। वैसे मंत्री महोदय बहुत जागरूक भी हैं, सतर्क हैं, इन्होंने बहुत सारा कंट्रोल भी किया है। पहले जब आप नागौर साइड गये थे तो पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर अंकुश लगाने का काम निश्चित रूप से किया है क्योंकि जिस विभाग का मुखिया ईमानदार हो, वास्तव में उस विभाग में बहुत बड़ा अन्तर उसका निश्चित रूप से पड़ता है। आगे आने वाले समय में मेरा तो यही निवेदन है कि किस प्रकार से इस पंचायती राज के माध्यम से गांवों को विकास की ओर आगे बढ़ा सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पिलानी विधान सभा क्षेत्र से चुन करके आया हूं। बड़ी कम्फर्टेबल कांस्टिट्यूएन्सी है। दो पंचायत समिति हैं, 44 पंचायतें हैं, 3 नगरपालिकाएं हैं। बहुत ही अच्छी तरह से डवलपमेंट का काम एक्सीलरेट हो रहा है, अच्छी तरह चल रहा है और जहां तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज का सवाल है, पूरे राज्य में बहुत शानदार काम चल रहा है। न केवल हमारे राज्य में इस कार्य की सराहना हो रही है बल्कि अगर आस-पास के राज्यों से तुलना करें तो हमारा यह जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग है, यह एक बहुत अच्छी परफोर्मेंस दे रहा है। इससे हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है उस पर चार चांद लग रहे हैं लेकिन कई बार चांद में भी कोई न कोई स्पाट नजर आ जाता है, हमको भी नजर आता है और होता भी है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति हैं। एक पंचायत समिति की प्रधान बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। दूसरी पंचायत समिति की प्रधान से मुझे कोई वैसे शिकायत नहीं लेकिन मैं तथ्यात्मक बात आज के इस अवसर पर कहना चाहूंगा क्योंकि आज विषय पंचायत समिति का है। इस पंचायत समिति को सुप्रीम कोर्ट से सैंक्शन मिली और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पिलानी पंचायत समिति 24 पंचायतों के गठन से कायम हुई। उसके चुनाव हुए प्रधान भी बनी, सभी कुछ बना और अधिकारी हो गये, संचालन हो रहा है। उसकी बिल्डिंग भी आपके आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम लोग बना रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी 24 पंचायतों के सरपंचों की और 19 बीडीसी मैम्बर्स की इस प्रधान के द्वारा जब से यह कुर्सी पर बैठी है, तब से यह किसी कागज पर साइन नहीं कर रही है। साइन नहीं करने का कारण क्या है? It is best known to her. इसका मुझे नहीं पता। अब 19 बीडीसी मैम्बर्स में से 15 बीडीसी मैम्बर्स, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यहां आकर मिले थे। अपनी असंतुष्टि व्यक्त की थी कि, साहब, यह न तो किसी कागज पर साइन करती है और चूंकि नयी पंचायत समिति थी, आफिस का फर्नीचर आया। पंचायत समिति नयी बनी तो आफिस का फर्नीचर तो आना ही था। डेढ़ साल बाद कई लोगों के कहने के बाद उस फर्नीचर के बिल पर साइन किये। टीए बिल्स पर साइन नहीं कर रही। उसका खाली वेरिफिकेशन होता है। दो-दो साल के एवं 2022 के टीए बिल अभी तक पड़े हैं। आफिस फर्नीचर के बिल पर

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

साइन नहीं किये। जब कई लोगों ने कहा, बाहर के लोगों से भी कहलवाया कि आफिस तो चलेगा अन्यथा मैं मेरे विधायक कोटे से एक दरी लाकर देता हूं खादी भण्डार की, फिर आप और आपके बीडीसी मैम्बर्स और आपके स्टाफ मैम्बर्स उसमें बैठ जाना। मैं ट्रक लगवाता हूं और उसका भुगतान करिये अन्यथा हमारी पंचायत समिति की साख खराब होती है बाहर। पंचायत समिति का फर्नीचर आया था और उसका भी भुगतान नहीं हो रहा था। इतनी टिपिकल पोजिशन है।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी एबनोर्मल सी लगेगी हाउस को बात। ढाई साल हो गये स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं बुला रही है। बीडीओ ने कई बार उसको रिमाइण्ड कर दिया। हमारी जो बीडीओ है उसने कई बार उसको लिख दिया कि प्रधान मैडम, स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाइये, ताकि जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनका निपटारा हो सके। बिना स्टेंडिंग कमेटी के वो निर्णय नहीं लिए जा सकते जो कि उसकी विषय वस्तु है। फिर भी नहीं बुलायी और कई काम पेंडिंग पड़े हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आईजीपीआरएस का बजट, नमूने बता रहा हूं मैं आपको छोटेछोटे कि क्या वर्क स्टाइल है, कार्य की शैली क्या है। आईजीपीआरएस इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का ट्रेनिंग का बजट अलाट हुआ, ट्रेनिंग के बिल्स पर साइन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, अब उसका मैं नहीं बता सकता। अब एक अभी प्रोग्राम था वनगोठड़ी का जो एक पंचायत है, एक ऐसा व्यक्ति जो बीडीसी मैम्बर में झुंझुनूं जिले में हाइएस्ट वोटों से हारा, वहां प्रधान उसको साथ लेकर के गयी और घोषणा की बात आयी कि पंचायत के लिए कुछ कह दो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कह नहीं सकती, मेरे को तो बोलना ज्यादा नहीं आता, तो उस व्यक्ति के माध्यम से पंचायत समिति की घोषणा करवायी। यह हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसी बात भी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी भी है, बोलती भी है लेकिन यह जो स्टाइल आफ वर्किंग है उससे हमारे पंचायती राज का जो वर्किग है, वहां का पंचायत समिति का वर्किंग है उसमें प्रश्न चिह्न लगता है। साधारण सभा की एक मीटिंग हुई थी पहले उसमें बीडीसी मैम्बर्स ने जो डवलपमेंट के कार्य अप्रूव किये, उन कार्यों के लिए भी साइन नहीं करती।

आज स्थिति यह है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि पांच करोड़ रुपये बैंक में पड़े हैं। आपने यहां से जो पैसे भेजे हैं, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

पैसे आये हैं वो बैंक में रखने के लिए नहीं आये, वो पैसे ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों के विकास करने के लिए आये हैं। साइन नहीं कर रही है, सीईओ ने जिला कलेक्टर से बात करके यहां रेफरेंस भी किया है। आपको रेफरेंस किया है कि यह साइन नहीं करती। क्यों नहीं करती, साइक्लोजिकल बात है या और कोई प्रोब्लम उसके साथ है या किसी के बहकावे में नहीं कर रही या और कोई आशा है कि बहुत जल्दी राजस्थान का पूरा राज्य उसका हो जायेगा, तब जाकर साइन करेगी। ये चीजें अब बहुत गम्भीर बात है, तो सीईओ ने आपको निवेदन किया है, माननीय मंत्री महोदय, कि यह साइन नहीं कर रही है पंचायत समिति का काम नहीं हो रहा है। आप साइन करने का अधिकार किसी अधिकारी को दे दीजिये ताकि वो सारे कामों की परफोर्मेंस के आधार पर जो बिल बने हैं जो काम हुए हैं उनका भुगतान हो।

हमारे यहां पानी का संकट बहुत भयंकर है। बहुत भयंकर ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। एसएफसी का पैसा पड़ा है, दूसरा पैसा पड़ा है। एक तरफ पैसा पड़ा है दूसरी तरफ लोग प्यासे मर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, इस ओर आप देखें, उसको निर्देश देवें या तो वह साइन करे, लेकिन निर्देश देने वाली बात तो आप नोटिस दे चुके हैं पहले उसको। आपके नोटिसेज का उसने जवाब भी दिया है, जहां तक मेरे को जानकारी है, उसने क्षमा मांगी है कि क्या मांगी है, मैंने कागज देखा नहीं है इसलिये मैं यहां हाउस में गलत बात नहीं कहता, लेकिन वो लीपापोती करके जवाब आ गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। और दूसरा यह है कि 19 मैम्बर्स में से 15 मैम्बर्स आपसे हाथ जोड़ कर गये थे। बहुत समय की बात हो गयी, माननीय मंत्री महोदय, आप झुंझुनूं गये, आपसे वो मिले थे और उन्होंने अपनी व्यथा आपको बताई थी। इस मर्ज का इलाज करना जरूरी हो गया। पांच-पांच करोड़ रुपये, छह-छह करोड़ रुपये बैंकों में पड़े हैं और गांवों में काम नहीं हो रहे हैं जबकि दूसरी जो पंचायत समिति है उसमें धड़ाधड़ काम हो रहे हैं। पैसा ज्यों ही भेजते हैं उसका खर्चा हो जाता है और गांवों के लोग राजीखुशी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी स्थिति पर आप गौर फरमायें और गौर फरमा कर वहां जो साइन का अधिकार है, हस्ताक्षर करने का अधिकार है वह किसी भी अधिकारी को जिसको आप अच्छा समझें उसको दे दें, ताकि पंचायत समिति पिलानी का काम बहुत भली प्रकार से चले।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

सभापति महोदय, यह तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात हुई। विधान सभा क्षेत्र में भी खाली एक पंचायत समिति की बात हुई। दूसरी पंचायती राज इंस्टिट्यूशंस, जिला परिषद, आपका पूरा राजस्थान बहुत शानदार चल रहा है और मैं इस हाउस में जो आपकी चारों तरफ प्रशंसा है, कार्य की प्रशंसा है, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा है, आपके डिसिजन लेने की क्षमता की जो प्रशंसा है उसमें मैं भी अपनी आवाज मिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आप सब जगह यश और कीर्ति पा रहे हैं वैसे ही पिलानी पंचायत समिति का सुधार करके और उस प्रधान का इलाज करके आप कृपया उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, 24 पंचायतों को, 19 बीडीसी मैम्बर्स को न्याय प्रदान करें। थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 52 और 53 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राज्य में वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम विकास अधिकारियों के अन्तर जिला स्थानान्तरण की मांग करता हूं। सभापति महोदय, इन्होंने कई साल पहले खुद आन्दोलन लड़कर इस पर रोक लगवाई थी लेकिन आज समय की मांग है कि इनका स्थानान्तरण खोला जाये।

विधान सभा क्षेत्र भादरा की पंचायत समिति के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि ठेकेदारों की प्रक्रिया जो पंचायतों में, सभापति महोदय, काम सरपंच करते हैं, यह ठेकेदारों को बीच में यों ही फंसा दिया और ये दो-तीन परसेंट का बिल देते हैं और कुछ नहीं करते। बिल उठा कर पार हो जाते हैं और शिकायत होती है तो सरपंच की होती है। ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के खिलाफ ही कार्यवाही होती है, उस ठेकेदार का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिये ठेकेदार की प्रथा ही आप, मंत्री महोदय, बन्द करवाओ।

पूरी गलियों का निर्माण करो, पूरे चौक का निर्माण करो। नरेगा में स्वीकृति निकलती है 17 फीट की। अब गलियां कहीं 30 फीट हैं, कहीं 40 फीट हैं या कोई चौक है अब दलितों का चौक है उसको आप बनाना चाहते हो, उनका लिविंग स्टैण्डर्ड ऊंचा करना चाहते हो, आपने शर्त लगा दी 17 फीट से फालतू तो हम सैंक्शन नहीं निकालेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि जो कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है, उस काम को कम्प्लीट करवाया जाये।

(श्री बलवान पूनियां)

नरेगा में बजट में जो केन्द्र सरकार ने 33 परसेंट कटौती की है, मैं उसकी निंदा करता हूं और आपके मार्फत मांग करता हूं राजस्थान की सरकार के मार्फत, राजस्थान की जनता के मार्फत देश के प्रधान मंत्री के कानों तक अगर यह गूंज जाये, तो मैं कहता हूं ग्रामीण राज को मजबूत करने के लिए 33 परसेंट बजट वापस बढ़वाया जाये ताकि नरेगा में काम हो। नरेगा में डवटेल करके काम हो, खेतों में काम हो, नरेगा का काम चले, लोगों को रोजगार मिले।

सभापति महोदय, नरेगा में जो मेट लगते हैं यह गड़बड़ कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कतई हां नहीं भरते कि यह गड़बड़ नहीं करते, लेकिन मेट को टर्मिनेट कर दिया जाता है, आईएएस टर्मिनेट नहीं होते, आरएएस टर्मिनेट नहीं होते, कोई कर्मचारी टर्मिनेट नहीं होता। होता है तो वह बहाल हो जाता है, सभापति महोदय, लेकिन यह मेट बहाल नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय से मेरी इल्तिजा है कि आप इनको वार्न कीजिए, एक साल के लिए टर्मिनेट कीजिए या फिर इनको सुनवाई का मौका दीजिए, इनको तो सुनवाई का ही मौका ही नहीं है।

सभापति महोदय, मेट का भुगतान भी एक बड़ा मामला है। आज पूरे राजस्थान से राशन डीलर आये हुए हैं, यह कह रहे हैं कि हमें मानदेय दिया जाये। सभापति महोदय, आजकल राशन की दुकानें छोटी-छोटी हो गई हैं। यह गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए सरकार इनका न्यूनतम मानदेय तो तय करे ही करे ताकि इनका जीवनयापन हो सके।

आज हनुमानगढ़ की जिला परिषद ने लैटर निकाल दिया कि आपके गांव के जोहड़ में मछली पालन होगा और उसका ठेका जिला परिषद करेगी। सभापति महोदय, पंचायत के पास इतनी-सी आमदनी होती है कि निजी काम में, जैसे स्कूल के रंगरोगन की बात आ गई, अर्जेंट कोई ट्रोली मिट्टी की डालनी पड़ गई, कहीं समतलीकरण का काम आ गया, पंचायत के पास निजी आय का एक ही साधन था, उस साधन पर जिला परिषद ने जिस तरीके से अपना डाका डाला है, इसको बंद कराया जाये और पंचायत के पास ही रखा जाये।

सभापति महोदय, पीएम आवास योजना में लोगों के नाम कट जाते हैं। गांव में हम जन सुनवाई करने के लिए जाते हैं, गरीब आदमी कहता है

(श्री बलवान पूनियां)

हमको मकान दिलवाओ। मकान कहां से दिलवायें, मकान के लिए तो वह कह रहे हैं कि लिस्ट तो दोबारा इतने साल बाद बनेगी। इसलिए मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की जाये ताकि लोगों की मांग पर हम काम कर सकें।

जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और उप प्रधान के मानदेय तय किये जायें। चौकीदारों को संविदा कर्मी के रूप में लिया जाये। पक्के कामों में आनलाइन हाजिरी की व्यवस्था की गई है, इससे काम में रुकावट आई है इसलिए पक्के कामों में आनलाइन हाजिरी नहीं की जाये। गांवों में 600 वर्ग गज का पट्टा 100-200 रुपये में जारी किया जाये, यह हमारी मांग है। नरेगा में खेतों से नरेगा को जोड़ा जाये और नरेगा में 150 दिन हर मजदूर के पूरे करवाये जायें ताकि बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। फार्म नंबर 6 नरेगा में अनिवार्य रूप से लागू कराया जाये ताकि लोगों को नरेगा में 150 दिन रोजगार मिल ही सके, नहीं तो बहुत सी जगह यह बहाने हो जाते हैं कि काम सैंक्शन ही नहीं है, आपको काम कहां से दें? अगर फार्म 6 उनसे लिया हुआ है तो उन्होंने दिन लिखकर दिये हुए हैं कि इन-इन दिनों में हमें काम मिलेगा, इसलिए फार्म 6 को सख्ताई से लागू करा जाये।

सौर ऊर्जा गांवों में गलियों में रोशनी करने के लिए लगाई जाये। पिछली सरकार में लगी, उसमें कोई घोटाला हो गया, घोटालों से डरना भी नहीं चाहिये। घोटाले होते हैं तो उन पर कार्यवाही करो। यह थोड़े ही है कि घोटाला हो गया तो अब आगे काम करेंगे ही नहीं। शहर में इतनी जोरदार लाइटें होती हैं और गांव में इतनी अंधेरी रातें, ऐसे हो ही नहीं सकता। आज बराबरी की बात करते हैं, आज पंचायती राज की डिबेट चल रही है, सौर ऊर्जा में हम पूरे हिन्दुस्तान में फर्स्ट हैं, लेकिन गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसलिए हर एक गली से दूसरी गली में सौर ऊर्जा की लाइटें हों और जोरदार लाइटें लगें ताकि रात भी हमारी रोशन हो जाये।

एससी, एसटी के मोहल्लों में खासकर इंटरलॉक और गलियों की स्वीकृति निकाली जाये। मैं मांग करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रासलाना, नेठाना, रामगढ़, अजीतपुरा, शेरढ़ा, गेहूद, दीपलेना, बरवाली, भरवाना, भनाई, कलाना, किराडाबड़ा, अनूपशहर, सुहाला, यह बड़े गांव हैं, यहां अम्बेडकर सामुदायिक भवन बनाये जायें।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, जिन जगह जाकर लोग बस गये, लोग तो जमीन पर ही बसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से 10-15 साल पहले लोगों को यह पता ही नहीं था कि आप जोहड़-पायतन में बस गये, आप वन विभाग में बस गये, आप गोचर में बस गये। सभापति महोदय, गरीब आदमी गांव के बीच का घर छोड़कर बाहर गया, मकान बना लिया। अब उसे न पीएम आवास योजना का फायदा मिल रहा है, न कोई दूसरी योजना का फायदा मिल रहा है, न उसका पट्टा बन रहा है, न उसको लोन मिल रहा है। जहां जो बस गया, वहां उन लोगों को पट्टा दिया जाये। राजस्थान सरकार इस चीज का हल निकाले, यह जनता से जुड़ी हुई बात है। सभापति महोदय एक दूसरे की आपस में बिगड़ जाती है तो एसएलपी में चले जाते हैं और जाकर आदेश करा लाते हैं कि मकान तोड़ दो। साहब, किसी का मकान टूटना, किसी का अरमान टूटना है। अभी आप ताज्जुब करोगे, एक हाईकोर्ट के आदेश से 350 मकान टूट गये। लोग जर-जर आंसू रोये हैं। आज की स्थिति में दोबारा मकान नहीं बनता है। इसलिए मेरी आपके मार्फत सरकार से इल्तिजा है कि आप व्यवस्था कीजिए, जिस भी किस्म की जगह है, वह जगह दूसरी जगह अलाट कराइए। यह सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, हम सब लोग नियम बनाने वाली जगह बैठे हैं, हम यह नियम बना सकते हैं। जोहड़-पायतन की आज इतनी जरूरत नहीं बची जितनी जरूरत पहले थी। हां, गोचर की आज भी जरूरत है, आज वन विभाग की जरूरत है, लेकिन वह जगह ट्रांसफर कीजिए। जहां जो लोग बसे हैं, उन लोगों को वहां वह जगह रेगुलराइज कीजिए, पट्टे दिलवाइए, सरकारी योजना का फायदा दिलवाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बेहतरी से काम आगे बढ़ रहे हैं। हम काम कर रहे हैं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधर रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ जो सारी बातें मैंने रखी हैं, इनको सरकार पूरा करेगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। माननीय सदस्या, 8 मिनट में आपको अपना समाप्त करना है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, मुझे 10 मिनट दिये थे, हमारे नेता ने 10 मिनट दिये थे।

श्री सभापति: आपकी पार्टी के सचेतक ने ही बताया है 8 मिनट।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): हम गांवों से आते हैं, हमारी बात को रखेंगे।

श्री सभापति: अब आप इतना समय मत खराब कीजिए, 8 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 52 और 53 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद जो स्थितियां देश की थीं, उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन हुए हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। आज भी हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और इस बात को भी हम जानते हैं कि शहरों के विकास का रास्ता भी गांवों से ही आता है। ऐसे में निश्चित तौर पर हमें गांवों का विकास करना चाहिये। मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि संविदाकर्मियों का अल्प मानदेय है और इसके साथ-साथ उन्हें सेवा की सुरक्षा प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पंचायती राज का कहीं न कहीं विकास होगा, रुके हुए काम पूर्ण होंगे।

जनप्रतिनिधियों के मानदेय के बारे में हम सबको पता है। आज हमारे सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि काफी समय से उनकी मांग चल रही है। मैं खुद पंचायती राज में चुनाव लड़ी हूं, उनकी व्यथा को मैं समझ सकती हूं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाये ताकि हम ग्रामीण विकास की पहल को पूर्ण कर पायें।

साथ ही साथ, पंचायती राज संस्थाओं को अनेक अधिकार दिये जाने की घोषणा के बाद भी अन्य विभागों से, जैसे चिकित्सा, बाल विकास, शिक्षा, सामाजिक न्याय विकास, इनकी आशा के अनुरूप सहयोग नहीं मिल रहा है। स्टाफ के अभाव में कार्य संपादित करने में भी कई बार पंचायती राज संस्थाओं की छवि भी खराब होती है। इसलिए पंचायती राज को रबर स्टाम्प न समझ कर उनको पूरा अधिकार दिया जाये, यह मेरा निवेदन है।

साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि स्वीकृत पदों की तुलना में जो कर्मियों की कमी है, उसे भी सरकार पूर्ण करेगी तो निश्चित तौर पर गांवों का विकास होगा।

ग्राम पंचायतों में जो अति आवश्यक काम हैं, जैसे सफाई व्यवस्था,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कचरे का निस्तारण, जरूरतमंद गरीब की सहायता करना, इन सबके लिए बजट की आवश्यकता होती है, मुझे लगता है इसकी स्वतंत्रता भी अगर उनको दी जायेगी तो बहुत अच्छा होगा। आज बारिश में गांव में कीचड हो जाये और खेतों तक, श्मशान तक जाने का रास्ता न हो और पंचायत यह चाहती है कि 50 हजार रुपये की रेती को डाले, तो उसके लिए भी पंचायत समितियों की तरफ देखना पड़ता है कि कब आदेश देंगे, कब क्या होगा, तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये।

साथ-साथ ही मैं, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी, हमारी पंचायती राज संस्थाओं का जनहित के लिए उत्तरदायित्व बनता है, किन्तु उस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए मानव संसाधन स्वीकृत नहीं करना, निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है, यह हमें करना चाहिये। पंचायती राज संस्थाओं के भवनों का भी हम सबको मालूम है कि अगर भवन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली आवश्यकता उनकी यह होती है, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये। पंचायती राज में हमारे नियुक्त कनिष्ठ सहायक, विकास अधिकारियों का स्पष्ट जॉब चार्ट नहीं बना हुआ है, उसे भी हमें स्पष्ट करना चाहिये ताकि उत्तरदायित्व का निर्धारण समय पर हो सके।

ग्राम पंचायत स्तर पर कई समस्याएं जैसे, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कानून व्यवस्था, राजस्व, नागरिक आपूर्ति की हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सभी राशन डीलर धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि अभी तक हम उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यह हमें करना चाहिये और इन समस्याओं के निस्तारण के लिए नैतिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को जब हम जिम्मेदार मानते हैं, उनकी बदनामी होती है। अगर देखा जाये तो वास्तविक रूप में जो अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग नहीं करते, उनको इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिये। लेकिन हमेशा हम पंचायतों को ही दोषी ठहराते हैं।

साथ ही, मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से यह भी मांग करना चाहूंगी मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं उसमें 52 पचायतें हैं। 38 पंचायतों, हमारी जो केशोरायपाटन पंचायत समिति है उसका अगर दायरा देखेंगे तो 130 किलोमीटर दूर से हमारी जो जनता है वह पंचायत समिति में काम के लिए

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब सरकार पूरे ही राजस्थान में पंचायत समितियां बना रही है और लगातार घोषणा कर रही है, मेरी 38 पंचायतों के लिए सरकार ने कुछ पहल भी की थी, शुरुआत भी की थी, अधिकारियों ने जमीन भी देखी थी, लेकिन क्या राजनीतिक पेच फंसा कि आज तक उसकी घोषणा नहीं हो पायी है। मुझे लगता है कि आपको जनहित में इसकी घोषणा भी करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करना चाहूंगी कि आज भी हमारी चरागाह की जमीनें खुर्दबुर्द की जा रही हैं। चाहे हमारे यहां पर 8 लेन की सड़कें बन रही हों, चाहे दूसरी सड़कें बनती हों, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो 50-60 बीघा की चरागाह की जमीनों को 30-30 फीट की खाई के रूप में बदल दिया है। हमारी जो 33 केवी जीएसएस की लाइनें थीं, उनको डेमेज कर दिया। ऐसी स्थिति में पंचायतों की जो जमीनें हैं, सरपंचों की बात को सुना जाये और इसे रोका जाये। उन्हें पावर दी जाये।

साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी पंचायत समिति में लगातार हर छह महीने में, चार महीने में वीडीओ चेंज हो जाते हैं, उससे हमारे विकास कार्य रुकते हैं। मेरा निवेदन है कि इतनी जल्दी वीडीओ चेंज नहीं करें, उनको भी आप कम से कम काम करने का मौका दें।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांग रखी है, लेकिन हमारे जो पंचायत समितियों के प्रधान होते हैं, उनको किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी जाती है। जब कलेक्टरों की रात्रि चौपाल होगी तो उसकी सूचना ही नहीं है। किसी भी तरह की कोई जन सुनवाई होगी तो उसकी सूचना नहीं है। ऐसे में हम जनप्रतिनिधियों को इग्नोर क्यों किया जाता है? इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए।

साथ ही, मैं यह भी निवेदन करूंगी कि बिना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। कहीं न कहीं जिला परिषदों में हम लोग देखते हैं, पंचायत समितियों में भी देखते हैं कि कहीं न कहीं सरपंच से विचारधारा मेल नहीं खाती है तो उसे विकास की दृष्टि से पछाड़ देते हैं, उसका कोई विकास नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मैं टाइम से बैठ जाऊंगी, मैंने नोट कर रखा है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हम एमएलए फंड की राशि जिला परिषद के मार्फत गांवों तक पहुंचाने के लिए स्वीकृति जारी करते हैं, उसकी राशि समय पर नहीं पहुंच पा रही है। एक बहुत बड़ी राशि है। मुझे लगता है कि हम सभी 200 एमएलएज की यह प्रोब्लम हो सकती है। उसे भी तुरन्त प्रभाव से लाभ पहुंचाया जाये। साथ ही, हम जिस संस्था को वर्क एजेंसी बनाते हैं वही संस्था वर्क एजेंसी बने, न कि सीईओ, जिला परिषद अपनी इच्छा से किसे भी वर्क एजेंसी बना दे, जैसा कि अभी मेरे बूंदी जिले में हो रहा है। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगी।

साथ ही, मैं आपसे यह भी मांग रखना चाहूंगी कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें आप देखें कि क्या कारण रहा? एक बहुत बड़ा फाल्ट, माननीय सभापति महोदय, पीएम आवास योजना के जो मकान थे, 2018 की जो नयी सूची है, 2018 की पूरी नयी सूची अभी तक गायब है। क्या टेक्निकल फाल्ट रहा जिसकी वजह से यह सूची डिक्लेयर नहीं हो पाती। जियो टैगिंग करते हुए क्या कमी रही? इसको भी दूर करेंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अगर दिल्ली का मैटर भी है तो आप यहां से जाइये, वहां बात कीजिये और हमारी 2018 की जो सूची है, उसको लेकर आइये क्योंकि हमारे पीएम आवास योजना के 14 हजार मकान 2018 से रुके हुए हैं। यह बहुत बड़ी कमी है।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान की मैटेरियल की राशि नहीं आ रही है। आपको पता होगा। फाइनेंस विभाग तो पंचायती राज के ऊपर डाल रहा है, पंचायती राज विभाग फाइनेंस विभाग की तरफ डाल रहा है। जो एसएफसी की राशि थी, उसमें जो प्रोब्लम है, उस कमी को दूर करें। मुझे लगता है कि राजस्थान में आधी से ज्यादा पंचायतों में आज भी एसएफसी की राशि नहीं पहुंची है। इसके लिए भी आप कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ हो पायेगा।

मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। कुछ जगह तो जहां सरपंच पावरफुल है, वहां तो उन्होंने वन विभाग में भी मकान बना दिये हैं, लेकिन आज हमारे हजारों मकान इस तरह रुके हुए हैं, जहां पर पट्टे नहीं मिल पाते। हमारे एमएलए फंड की राशि में जहां आजादी के बाद तीन बार सड़क बन गयी, सड़क टूट गयी, मैंने पैसा दिया। मैं अमरपुरा गांव का आपको बता रही हूं। प्रधान जी की पंचायत है। मेरे राशि का पैसा भी सीईओ

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साहब नहीं लगाने दे रहे। निश्चित तौर पर आपका जो प्रपत्र नम्बर 6 है, उसकी बार-बार पूर्ति करके हम लोग भेजते हैं, लेकिन वह नहीं हो पाता तो ये सारी कमियां दूर करने का काम करेंगे तो पंचायती राज मजबूत होगा। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिश चन्द्र जी मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटोली, हैदरीपुरा, फुलेता, देवली, रानीपुरा, सूंथड़ा, खातोली, बोसरिया, निवारिया, देवड़ावास, धूणी, गुराई, घाड़, चारनेट, धुंआकलां, जुनिया, सीतापुरा, चांदली, राजमहल, गांवड़ी, कनवाड़ा, रामसागर, बालूंदा, नासरदा, ख्वास के पंचायत भवन जर्जर स्थिति में हैं। वहां मीटिंग भी नहीं हो सकती है। पिछले 20 साल में उनके रख-रखाव के लिए 500 रुपये भी स्वीकृत नहीं हुए। महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार ने जब भवन बना दिये हैं तो इसके रख-रखाव के लिए समय-समय पर बजट देना चाहिए, ताकि हमारी पंचायतों का काम निर्बाध रूप से चल सके।

महोदय, इसी तरह से मेरा सुझाव है कि वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है, परन्तु ग्राम पंचायत फंड द्वारा इनमें विकास कार्य अनुमत नहीं होने के कारण से ग्राम पंचायत कोई भी काम नहीं करवा सकती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी ग्राम पंचायत मद से विकास कार्यों की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नासरदा, बनेठा, सौंप, नगर फोर्ट, घाड, आवां, राजमहल, ककोड़, देवली, खातौल, अलीगढ़, चौरू, पचाला, धुआंकलां आदि बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी ग्राम पंचायत मद में ज्यादातर हिस्से की उनकी जो पूरी आमदनी है, वह सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने में लग जाती है, विकास के लिए पैसा नहीं रुकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नगरपालिका क्षेत्रों की भांति ग्राम पंचायतों में भी सफाई कर्मी लगायें और उसका पेमेंट सरकार करे। जो ग्राम पंचायत का बजट है, वह हमारे विकास के लिए काम आये।

महोदय, इसी क्रम में मेरा एक और सुझाव है। माननीय मंत्री बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

एक अम्बेडकर लाइब्रेरी स्थापित की जाये, ताकि हमारे गरीबों को आगे बढ़ाने में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकार द्वारा एक एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जाकर उसका संचालन भी ग्राम पंचायत के अधीन हो। यह करवायें, ताकि जगह-जगह लोग अस्पतालों में जाना चाहते हैं, हमारी राज्य सरकार की नीतियों के कारण सब डिलीवरीज अस्पतालों में हो रही हैं, पर गांवों में आने-जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, पिछले चार वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ एक ही पंचायत में ग्रामीण विकास पथ स्वीकृत हुआ है। हमारी योजना यह थी कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक विकास पथ होगा। काफी समय गुजर गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर ध्यान दे, क्योंकि यह हमारा जनता के साथ एक वादा है और मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में कोई सकारात्मक घोषणा मंत्री महोदय करेंगे।

महोदय, एक बड़ा विषय है कि जो एमएलए बनता है या एमपी बनता है, वह पांच बच्चे वाला भी बन सकता है, दस बच्चे वाला भी बन सकता है और बिना बच्चे वाला भी बन सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह कानून अच्छा है तो हमारे सरपंचों पर जुर्माना क्यों? उनको किस चीज की सज़ा मिल रही है? सरपंच भी जन प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा वे भी डायरेक्ट चुने जाते हैं, उन पर भी वे ही कानून लागू हों जो एमएलए और एमपी पर होते हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बेतुके कानून को सकारात्मक पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक करे और जनता को राहत दे।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की बड़ी अच्छी नीति है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसी तरह आप भी अपने फंड से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक छोटा-मोटा खेल स्टेडियम बनाने की व्यवस्था करें, ताकि जो हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

जैसा कि मेरे से पूर्व विधायक ने कहा था कि पंचायत समितियों और पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था। मेरे यहां भी एक पंचायत समिति दी गयी थी, उसका अखबारों में आ गया था। चर्चा भी हो गयी थी। पास हुई थी, पंचायत

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

समिति नगर फोर्ट। पता नहीं, कहां क्या हुआ, वह रुक गयी। अगर उसका प्रस्ताव विचाराधीन है, मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरे यहां 76 ग्राम पंचायतें हैं, दो नगरपालिकाएं हैं। मैंने सुना है कि 20 -20 पंचायतों में ही पंचायत समिति है, इसलिए इसमें थोड़ा सा देखें। मेरे नगर फोर्ट का जो प्रस्ताव विचाराधीन है, उसको भी आप पास करवाने की कृपा करें।

महोदय, स्ट्रीट लाइट। गांवों में जो बिजली के खंभों पर लाइट है। पंचायतों के पास तो पैसा नहीं है, बजट नहीं है पर हमें लाइट की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अपने फंड से सौर ऊर्जा लगाये, दूसरी ऊर्जा लगाये, पर हमारे गांवों में लाइट की व्यवस्था करे। स्ट्रीट लाइट लगाये। इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

मंत्री महोदय, अंत में मेरा अनुरोध है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वहां लगे हुए हैं, इनका स्थायित्व होना चाहिए। जिसको लगा दिया दो साल टिका, तीन साल टिका, कब तो वह लगता है, कब काम समझेगा और काम समझने का आता है तो उसके जाने का समय आ जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको सहानुभूतिपूर्वक देखें और जिनको भी लगाना है सोच-समझकर आप लगाएं और लग जाए, उसके बाद उसको काम करने की स्वतंत्रता हो। ऐसी मैं आशा करता हूं।

अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना का, ऐसे-ऐसे गांव जोड़े हुए हैं कि इस गांव में इसके कोई पात्र नहीं हैं। यहां टेलीफोन लगा हुआ है, वहां तो टेलीफोन की लाइन ही नहीं है। आदमी बीपीएल का और पूरे गांव की लिस्ट नहीं है। कभी कहते हैं, साहब, इंटरनेट में कोई गड़बड़ी हो गयी, कभी कहते हैं दिल्ली से हो गयी, जहां से भी हो गयी, बहुत सारे हमारे ऐसे गरीब लोग हैं, जो इस सुविधा से वंचित रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चाहे दिल्ली जाना पड़े, आप दिल्ली जाएं, वहां जिससे भी सम्पर्क करना है वह करें। राज्य सरकार को जो भी करना है, परंतु हमारे जो ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, उनको लाभ दिलाएं। साहब, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 52 व 53 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं राजसमन्द विधान सभा, मेरे

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

इधर 48 पंचायत हैं और किसी पंचायत की जनसंख्या 5 हजार से, किसी की 10 हजार से भी ज्यादा है और किसी पंचायत की 3 हजार, 4 हजार है।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव रखना चाहूंगी कि जैसे नगर में हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की है, वैसे ही अगर गांवों में इस तरह की व्यवस्था करें कि जो ग्राम पंचायत 5 हजार की जनसंख्या से ज्यादा है, वहां पर हम ग्राम परिषदों का निर्माण करें और वहां पर एक अधिकारी नियुक्त करें तो वहां के विकास को थोड़ी गति मिलेगी और कहीं न कहीं वहां पर जो एसएफसी और एफएफसी किस्तें कम पड़ती हैं, वह भी उन लोगों को अच्छे रूप में मिल सकेगा। उन गांवों का स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से विकास हो सकेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और रखना चाहूंगी कि मेरा अनुभव यहां पर बैठे हुए जितने भी विधायकगण हैं उनसे सबसे ज्यादा कम है। लेकिन जो छोटा-सा अनुभव है पिछले दो साल में मैं सोचती हूं कि कोरोना की वजह से शादियां बिलकुल भी नहीं हुई थीं। इन दो सालों में इतने सारे आयोजन हुए हैं, जब भी हम गांवों में जाते हैं तो एक ही डिमांड होती है कि हमारे यहां पर सामुदायिक भवन नहीं है, हमें सामुदायिक भवन दीजिए। अब प्रोब्लम यह होती है कि कोरोना से पहले अगर गांव में कोई बारात आती है या कोई बच्ची की शादी के लिए बारात लेकर आता है, तो स्कूल्स अलाउ कर देते थे, बारात को रोकने के लिए वह कमरे दे देते थे। अब ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ग्रामवासियों को सबसे बड़ी परेशानी आती है कि यदि हम हमारी बच्चियों की शादी करते हैं तो बच्चियों की शादी भी ढंग से नहीं हो पाती। अच्छा बड़ा गांव देखकर शादी होती है कि अच्छा, वहां पर दूसरी व्यवस्था होगी या नहीं होगी। मैं मंत्री महोदय से यह मांग करती हूं कि सभी ग्राम पंचायतों में आप एक सामुदायिक भवन, एक कम्युनिटी सेंटर ऐसा बनाएं जहां पर मिनिमम 10 कमरों की रहने की व्यवस्था हो। अच्छे बड़े हॉल हों ताकि गांव का कोई भी छोटा-मोटा, बड़ा आयोजन हो तो वहां पर अच्छे से हो सके।

इसके अलावा 1000 से अधिक संख्या वाले गांव में या जिस गांव में 1000 से अधिक संख्या है, 1000 की संख्या को अगर हम लें तो वहां पर ज्यादा सामुदायिक भवन बनाने का हमें भी हो, इजीली हम उसमें अनुशंसा कर सकें क्योंकि जब हम सामुदायिक भवन के लिए अनुशंसा करते हैं तो यह कह

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

कर मना कर दिया जाता है कि गांव में एक सामुदायिक भवन आलरेडी है। विषय ये है कि अलग-अलग समाजों के अलग-अलग सामुदायिक भवन होते हैं, क्योंकि उनकी अलग रीति-नीति होती है। अलग तरीके से वे अपने कोई भी कार्यक्रम, चाहे शादी-समारोह हो या मौत-मरण का हो, वह अलग से करना प्रिफर करते हैं। हमें एमएलए लैड, एमपी लैड में यह अनुशंसा मिले और हम यह अनुशंसा उन लोगों की जारी कर सकें ताकि हम गांव वालों को हैल्प कर सकें।

सभापति महोदय, एक्चुअली बात यह है कि इतने वर्ष बीत गये आजादी को और आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं, भले ही वह पानी हो, बिजली हो या सड़क हो। अगर इन समस्याओं पर कुछ सीरियस डिस्कशन नहीं हुए तो जो पलायन की समस्या है, वह इतनी बड़ी समस्या है कि हम सब जो यहां पर जितने भी विधायक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके सामने यह समस्या आगे खड़ी है। जब हम विकास निधि से कोई भी अनुशंसा करते हैं तो अनुशंसा में भी एक बहुत बड़ी प्रोब्लम हमारे सामने आती है कि कितने गांव में जहां पर ग्राम सेवक या सरपंच किसी एक पार्टी को बिलोंग करते हैं और किसी एक पार्टी को बिलोंग नहीं करते तो वह गांव के विकास को रोकने का अधिकार रखते हैं। इसमें भी कोई डिस्कशंस होने चाहिए क्योंकि एक पंचायत है मेरे विधान सभा क्षेत्र में कानादेव गुड़ा, जहां पर मैं आज तक कोई सामुदायिक भवन या कोई लाइब्रेरी या कोई काम नहीं दे सकती क्योंकि जितनी बार भी मैं काम देती हूं तो ग्राम सेवक से यह लिखकर आ जाता है कि मौके पर जमीन ही नहीं है, जबकि जमीन बहुत है। इस पर भी कोई अच्छे कड़क नियम बनें ताकि विधायक अपनी विकास निधि का रुपया अच्छे से दे सकें।

धार्मिक स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल हैं गांवों में, वहां पर चबूतरे, सामुदायिक सभागार या धर्मशाला निर्माण करने का ग्रामवासियों का बार-बार आग्रह रहता है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि वे जरूर से इस तरफ भी ध्यान दें और ऐसी कोई नीति निकालें ताकि लोगों की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं गांवों में बन सकें। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने गांवों में शहरों के समान सुविधाएं देने का वादा किया था कि वह जरूर करेंगे, चार वर्षों में।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, एक मिनट और बोलूंगी। दो मांगें और रखनी है मुझे। सौर ऊर्जा की मेरे से पहले भी विधायकों ने बात की कि सौर ऊर्जा की लाइट्स हों या पानी की टंकी पर सोलर पैनल्स हों, वह हमें अलाउ नहीं होते। या तो आप हमारे एमएलए लैड में उसको चेंज करें या गांवों में दें ताकि डीएसआर आज तक हमारे नहीं बनी है, सौर ऊर्जा हम नहीं दे सकते।

सभापति महोदय, दो मांगें रखनी हैं इसलिए प्लीज आप मुझे 30 सैकण्ड और बोलने का मौका दीजिए। केलवा एक बहुत बड़ी पंचायत है मेरे विधान सभा क्षेत्र में, वहां पर उप तहसील की मैं मांग रखना चाहती हूं। आत्मा, तलाई, पड़ासरी, बामनटूकड़ा, केलवा, करेड़ा, धायला, पशुन, बोरज, तासोल, खटावना में पटवार भवन हैं और करीबन 01 लाख से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर रहते हैं। ये सारी जनता लाभान्वित होगी, अगर आप हमें उप तहसील की घोषणा करते हैं। गिलुण्ड के अंदर पुलिस थाना एवं आईटीआई कालेज की भी मैं मांग रखना चाहूंगी।

एक विशेष छोटी-सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि जितनी पंचायतें हैं, वहां पर कचरा उठाने के लिए वैन्स हमें अलाउड नहीं है देने के लिए। वहां पर यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे शहरों में तो वैन्स आकर कचरा उठा लेती हैं लेकिन गांवों में कचरे को उठाना होता है तो हर बार की यह समस्या होती है। एमएलए लैड में हमें यह भी अनुशंसा दें। या तो आप लोग हर पंचायत पर एक-एक कचरा वैन दें या फिर हमें अलाउड करें ताकि हम उनको दे सकें। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52 व 53 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ज्यादा नहीं बोलूंगा। सामने वाले बैठे हैं, इन पर ही कुछ बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ये नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, जो जाते-जाते पंचायती राज में एक ऐसा काला कानून बनाकर गये हैं कि जिससे आज तक हम सब लोग परेशान हैं। हम अकेले परेशान नहीं हैं, ये इधर वाले भी परेशान हैं। जाते-जाते इन्होंने एक कानून बनाया कि जो हमारे एलडीसी हैं और ग्राम विकास अधिकारी हैं, वह एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं होंगे। कोई डूंगरपुर, बांसवाड़ा का धौलपुर में लगा है, कोई धौलपुर का डूंगरपुर, बांसवाड़ा

(श्री गिर्राज सिंह)

में लगा है, वे लोग अपने घर नहीं जा सकते हैं। माननीय मंत्री जी, इन्होंने जो काला कानून बनाया था, आप इसको खतम कीजिए। ये छोटे कर्मचारी हैं। जब बड़े कर्मचारियों के लिए तो ऐसा कोई नियम-कानून लागू नहीं है, इन छोटे कर्मचारियों के लिए ऐसे नियम व कानून लगा रखे हैं। इनके कानून में संशोधन करके, इनके ट्रांसफर कराए जाएं और ये अपने घर भेजे जाएं।

सभापति महोदय, मेरे यहां बाड़ी पंचायत समिति में 1965 का एक भवन बना हुआ है, वह पूरा क्षतिग्रस्त है, नयी एक बिल्डिंग बनाई जाए। 1965 के बाद में तो काफी लोग बदल गये। मंत्री जी, एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। जो ग्राम पंचायतों में रिक्त पद पड़े हैं, ग्राम विकास अधिकारियों के, एलडीसी के, इनकी भर्ती कराई जाए।

मंत्री जी, एसएफसी की दो किस्त बकाया पड़ी हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की दो-दो किस्त पंचायतों व जिला परिषदों में बकाया पड़ी हैं। मंत्री जी, जिला परिषद् व पंचायत समिति में समय से पैसा पहुंच जाए तो विकास के कार्य चालू हो जाएंगे। अभी चुनाव आने वाले हैं। कहीं प्रधान आंदोलन करते हैं। कहीं सरपंच आंदोलन की तैयारी करते हैं। जो पद खाली है, उन पर भर्ती कराई जाए।

मंत्री जी, मैं एक मांग करता हूं। अभी शिक्षा के पेपर हुए थे, इनमें राजस्थानी भाषा के आठ-दस क्वेश्चन लगाये थे। मंत्री जी करौली से आते हैं, मैं धौलपुर से आता हूं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, यह हमारी बेल्ट के लोग राजस्थानी भाषा को नहीं जानते हैं। अपन जो भी भर्ती करें, राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा, कौन-कौनसी भाषा के आपने लगाए, उससे बच्चों को बहुत समस्या आई है। एक-दो नम्बर से, कुछ पाइंट से बच्चे रह जाते हैं। आठ से दस क्वेश्चन लगाना, एक क्वेश्चन दो नम्बर का होता है। मैं इस सदन में मांग करता हूं, आगे जो भी भर्ती करें, राजस्थानी भाषा में कोई भी पेपर नहीं कराया जाना चाहिए। किसी भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो। हम इसका पूरा विरोध करेंगे। एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं। अगर छप गया तो कोई बात नहीं है। हमारे लोग राजस्थानी भाषा जानते ही नहीं हैं। पहले आप स्कूलों में भाषा की किताब चालू करें, वह भाषा पहले हर जगह समझाई जाए, उसके बाद आप इस भाषा को लागू करो। इससे पहले अगर आपने यह भाषा हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी तो सभी पूर्वी राजस्थान वाले इसका विरोध करेंगे। हम बहुत जबरदस्त आंदोलन करेंगे।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आगे किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती में राजस्थानी भाषा का एक भी प्रश्न आयेगा, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। धौलपुर से जयपुर तक करेंगे। पूर्वी राजस्थान से हम जितने भी आते हैं, हम सभी आपका विरोध करेंगे। अब की बार काफी बच्चे हमारे पास आये कि हम इस भाषा को नहीं जानते हैं, यह हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। आगे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, एक बात और। मंत्री जी, हमारे पास माडा का पैसा नहीं पहुंच रहा, न डांग विकास का पहुंचा। डांग विकास का थोड़ा सा पैसा पहुंचा है, तो जिला प्रमुखों में उन्होंने अपने हिसाब से एक ही क्षेत्र में दे दिया। जिसको जिला प्रमुख बनाते हैं, उसी को जाकर वह इस पैसे को दे देता है। सभापति महोदय, जिन पंचायतों में पहले डांग विकास का पैसा पहुंच चुका है उनमें नहीं दिया जाए। जो ग्राम पंचायतें शेष रह गई हैं, उनमें पैसा जाए। मंत्री जी, आप ऐसा आदेश निकालना कि आगे के लिए वह पैसा हर ग्राम पंचायत में बांटा जाए। जिनमें दे दिया उनमें दोबारा से नहीं दिया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, मैं शेष मांगें टेबल करना चाहती हूं।

श्री सभापति: इजाजत है।

(माननीय सदस्या श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 04 देखें)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 52 व 53 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण विकास व पंचायती राज, पूरी जनसंख्या के 85 परसेंट, जनता के विकास का आधार है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सरकारों की मंशा भी रही है कि सरकारें गांवों के माध्यम से गांव की एजेंसी को सारा अधिकार देकर ग्राम के विकास के माध्यम से इस देश का विकास करें।

सभापति महोदय, व्यक्ति के जीवन में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, ये सब चीज़ें कहने को अधिकार तो ग्राम

(श्री अभिनेश महर्षि)

पंचायतों को दे दिए लेकिन अभी हकीकत में धरातल पर इन सब एजेंसीज के माध्यम से हम जो काम करवाना चाह रहे हैं, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में कहा था कि इन गांवों के विकास के लिए हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाएंगे। मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 40 ग्राम पंचायतें हैं, तो क्या 40 ग्राम पंचायतों में विकास पथ बनाएंगे? मुझे याद है कि बजट पेश करते वक्त यह कहा था, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि आप लोगों ने जो गौरव पथ बनाये थे उनके अंदर फेरोकवर नहीं लगाये थे, नाली नहीं बनाई थी। हम लोग नालियां भी बनाएंगे, फेरोकवर भी घरों के सामने लगाएंगे और गांव का विकास कर देंगे।

सभापति महोदय, एक गांव के अन्दर डेढ़ किलोमीटर की घोषणा करने के बावजूद पाइंट एक किलोमीटर का, चालीस में से एक में बन पाया है। हम घोषणा करते हैं वह या तो सोच समझकर करें। कम से कम ग्रामीण विकास के लिए की जाने वाली घोषणाओं पर अमलीजामा पहनाने का कष्ट करें। आज दिन तक सभी ग्राम पंचायतें इंतजार कर रही हैं कि कब नालियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी, फेरोकवर लगेंगे।

सभापति महोदय, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार देने की योजना बनाएंगे। आज दिन तक कोई मूर्त रूप नहीं ले सकी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा के बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 52-पंचायती राज व मांग संख्या 53-ग्रामीण विकास पर विचार

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने यह बात कही, रिपीट नहीं करूंगा। फिर भी कहना चाहूंगा, आज शहरों के अन्दर चमचमाती रोशनी होती है और गांव अंधेरे में डूबे रहते हैं। सोलर सिस्टम के माध्यम से अलग से बजट दिया जाना चाहिए। गांव रात में अंधेरे में नहीं डूबें, गांवों में रोशनी करने के लिए, सोलर सिस्टम के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित परिवार हैं, उनका दोबारा सर्वे कराकर जिनके पेमेंट नहीं हो रहे, उनके पेमेंट करवाए जाएं। जो वंचित है, उनका दोबारा सर्वे करवाया जाए।

सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि जो बीपीएल परिवार हैं, उनमें भी विसंगतियां आई हैं, उनके लिए भी दोबारा से सर्वे करवाना चाहिए। जो वास्तव में बीपीएल हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो बीपीएल नहीं हैं, वह लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था शहरों की तरह आज गांवों में भी करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा सिंगल फेज ट्यूबवैल का है। सिंगल फेज ट्यूबवैल पहले बनी, उसके बाद उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दे दी। उसके बाद, पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश निकालकर फिर दोबारा उनकी जिम्मेदारी पीएचईडी डिपार्टमेंट को दे दी। अब कोई भी सिंगल फेज ट्यूबवैल खराब हो जाती है, न तो ग्राम पंचायत उसको ठीक करवाती है, यह कहकर कि हमारे पास बजट नहीं है, न ही पीएचईडी डिपार्टमेंट करवाता है। इसके बारे में भी सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय करे।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने ढाणियों में कनेक्शन दिये थे। हम लोग बार-बार इस डिमांड को उठाते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, नाम पसंद नहीं है तो कोई दूसरा रख दो, लेकिन सुदूर गांव में, ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति ने क्या कुसूर किया है? ढाणी में कनेक्शन देने के लिए जब भारत सरकार योजना बना चुकी है, तो राजस्थान सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

जिला परिषद्, पंचायत समिति सदस्य, बाकी साथी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको किसी तरह के कोई अधिकार नहीं होते हैं। वह भी चुनाव लड़कर,

(श्री अभिनेश महर्षि)

जन प्रतिनिधि बनकर आते हैं। जिला परिषद् के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य भी बहुत बड़े एरिया से चुनकर आते हैं। उनको सिर्फ साल में दो या तीन बार मीटिंग में इतिश्री कर ली जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बाकी सरपंचों, प्रधान के लिए वेतनमान दिया जाता है, उसी तरह से उनको भी वेतन दिया जाना चाहिए, ताकि वह भी जन प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य कर सकें। जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे सरकार को जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय, 50-50 साल पहले गांवों के अन्दर लोग-बाग बस गये थे। यह बहुत प्रैक्टीकल समस्या है। उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि हम लोग कहां बसे हुए हैं। कोई वन विभाग की भूमि थी, कोई गोचर थी, अन्य किसी किस्म की भूमि थी, उस पर लोग-बाग़ बस गये, मकान बना लिए, सरकारों ने बिजली पानी का कनेक्शन दे दिया, उसके बावजूद, अब उनके ऊपर किसी न किसी तरह से तलवार लटका दी जाती है। कई-कई जगह तो यह स्थिति होती है कि बुलडोजर चल जाते हैं। उनकी जीवनभर की गाढ़ी कमाई धूल धूसरित हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को इसके बारे में हाई लेवल पर मीटिंग करके, बात करके उनके बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। जो जहां बस गया, उसको वहां बसने की इजाजत दी जानी चाहिए। जो भी तरीका निकले, यह सरकार का काम है।

(समय: 17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अंबेडकर भवन बनना चाहिए। अभी यह बात आ रही थी कि गांवों में बारात ठहराने की व्यवस्था नहीं है। पहले तो स्कूल में ठहरते थे, अब कोई जगह भी नहीं बची है। मैं यह बात कहना चाहता हूं, यह गांव के लोगों की पीड़ा है और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की बहुत भयंकर स्थिति है। गांवों के अन्दर उनकी बारात को ठहराने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके पास में इतने बड़े मकान भी नहीं होते हैं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एक अंबेडकर भवन और अंबेडकर भवन के नाम पर आप छोटा-सा भवन बनाकर, उसके लिए सरकार अलग से बजट जारी करे जिससे उन लोगों को लाभ मिल सके और सही मायने में जो सरकार की मंशा होती है कि हम पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का काम करें, तो यह अंबेडकर भवन यदि बना दिये जायेंगे तो गांवों के अन्दर काफी रिलीफ मिल जायेगी।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, चूरू जिला परिषद् में मनरेगा में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की पत्रावलियों को डम्प करके रखा हुआ है जबकि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य गरीब को रोजगार देने का काम है। अब ऐसी स्थिति में या तो यह स्वीकृत ही नहीं करते और यदि स्वीकृत कर देते हैं तो जियो टैगिंग नहीं होती है और जियो टैगिंग हो जाती है तो जे.ईएन. उसका बिल नहीं बनाता है, तो इसके ऊपर भी कोई दिशा-निर्देश जारी करके चूरू जिला परिषद् के अन्दर यह जो व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं के लिए डम्प करके रखा हुआ है इसके लिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि इसके बारे में भी दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

अब प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की छह पंचायतें ऐसी हैं जो नई बनी थीं। इसमें डाटा एस.एस.ओ. आई.डी. पर अपडेट नहीं होने के कारण यह सैंक्शन नहीं निकल पा रही है। यह छह ग्राम पंचायतें जो नई बनी हैं उनके अन्दर स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर 2017-18 के बाद में न तो कोई प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो रहा है और न ही अन्य कोई सुविधाएं ही मिल रही हैं इसलिए आप अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि यह डाटा एस.एस.ओ. आई.डी. के ऊपर अपलोड करवायें।

माननीय सभापति महोदय, बस मैं समाप्त कर ही रहा हूं। जो जर्जर भवन हैं उनके भवन निर्माण करवाये जायें और जो मनरेगा के तहत कम्प्यूटर और डाटा एंट्री आपरेटर हैं इनको नियमित करने के लिए सरकार विचार करे। प्रशासन गांवों के संग अभियानों के तहत जो पट्टे जारी करने की बात की थी या जो काम बताये गये थे, वे सब काम अभी अधूरे पड़े हैं, तो इनके ऊपर भी विचार करें। आवासीय पट्टे हेतु जो ग्राम पंचायत स्तर पर पद रिक्त पड़े हैं उन पदों को भी जल्दी से जल्दी भरने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उनको आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार योजना बनाये और बी.पी.एल. परिवारों का पुनः सर्वे करवाये। विधायक कोष से कार्य स्वीकृत करने के बावजूद भी, जैसा मेरे से पूर्ववर्ती वक्ता ने भी कहा है कि वहां पर जो पंचायत, जो सरपंच या जो ग्राम पंचायत मतलब, आपके साथ में सामंजस्य नहीं है, वहां से लिखा हुआ यह आ जाता है कि यह सम्भव नहीं है,

(श्री अभिनेश महर्षि)

यह जमीन नहीं है, तो कोई न कोई बहाना लगाकर जो विधायक कोष का पैसा है, उसको भी रोक दिया जाता है।

दूसरा, प्रदेश में तीन हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में जल निकासी प्रबंधन, पक्की नालियां निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पार्क, खेल मैदान, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाकर इनको स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की कृपा करें। राशन डीलर धरने पर बैठे हैं, उनसे जल्दी से जल्दी बात की जानी चाहिए और बात करके उनकी भी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

हां, फर्जी पट्टे वाला भी कह रहा हूं, आपकी बात भी कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बीदासर पंचायत समिति में ढढेरू ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा इतना भयंकर तांडव नृत्य किया जा रहा है, वह मनमानी करता है, व्यक्तिगत दुश्मनी रखता है। चाहे लोगों को मकान की बात हो या चाहे अन्य कोई सुविधाएं देने की बात हो, उनके ऊपर अड़चन लगाता है। वहां पर आंदोलन हुआ, लोग टंकियों के ऊपर भी चढ़ गये, उसके बाद में अधिकारियों से वार्ता हुई और वार्ता करने के बाद में यह तय हुआ कि इसको दूसरी जगह लगा दिया जायेगा, कोई दंड नहीं है लेकिन फिर वह वहीं पर आ गया और उनको निशाना बनाकर काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको उचित निर्णय करना चाहिए।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): एक बस लास्ट बात कहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह पर एक फर्जी पट्टा गिरोह बना हुआ है और वह लोन दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाकर फर्जी पट्टे देने का काम करते हैं। उनके ऊपर भी काम करें।

मुझे माननीय शंकर सिंहजी ने यह बताया कि इनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी यह बहुत बड़ा मसला है, व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय को भी कह देंगे, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी आप लगाम लगाने की कृपा करें।

बाकी, गांवों का विकास होगा तब ही इस देश का विकास होगा और तब ही 85 परसेंट जनता गांवों से निकलकर शहरों के अन्दर जो आज जा रही है और पलायन करने के ऊपर मजबूर हो रही है उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। जब आधारभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी तो निश्चित रूप से यह सब काम सम्भव हो जायेगा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार।

डाक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने भारत को संविधान दिया। शहर हो या चाहे गांव हो सबको विकास का अधिकार दिया। समान विकास हो। आज भी भारत की आबादी 70 प्रतिशत गांवों में बसती है। शहरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन ठेठ ढाणी में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था कि भारत का यथार्थ गांवों में बसता है अर्थात्, झोंपड़ी में बसता है। तब तक भारत का विकास सम्भव नहीं है जब तक भारत की ढाणी का विकास सम्भव नहीं है और इस ढाणी-ढाणी और गांव-गांव का विकास पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय को कि आपने जब से इस विभाग का कार्यभार सम्भाला है, शानदार और जानदार काम आप कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर भी आपने अंकुश लगाया है और खास बात मैं यह कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब यथार्थ को गांव में बसने की बात कही है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र की प्रगति का सपना नहीं देखा जा सकता है। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के विकास में सबकी भागीदारी हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र में बुद्धि और विद्या का जितना अधिक प्रचार और प्रसार होगा, वह राष्ट्र उतना ही उन्नतिशील होगा।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधीजी ने ग्राम स्वराज का नारा दिया था और ग्राम स्वराज का नारा देने का अर्थ यह था कि ग्राम का विकास गांव की चौपाल पर बैठकर ग्राम सभा के माध्यम से हो। यह त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनायी पंचायती राज व्यवस्था की, जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे भारत सरकार से पैसा आता हो, चाहे राजस्थान सरकार से पैसा आता हो, यह पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह भारत सरकार ने दिया है,

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

कुछ कहते हैं कि यह राजस्थान सरकार ने दिया है। सरकारें आती और जाती रहती हैं लेकिन यह जनता भारत की है और यह जनता का पैसा है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका खर्चा होना चाहिए, यह मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधीजी का जो सपना था ग्राम स्वराज का उसको चरितार्थ पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। आज की तारीख में हमारे मंत्री महोदय ऊर्जावान हैं, आपके एडिशनल चीफ सैक्रेटरी साहब अभय कुमारजी भी ऊर्जावान हैं। आप मिलकर शानदार काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तीन साल पहले पंचायती राज का पुनर्गठन किया था और पंचायती राज का पुनर्गठन हो या चाहे किसी भी विभाग का पुनर्गठन हो, सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी दफ्तर ग्राम के पास जाकर खुले। इसके लिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने पंचायत समिति बैजूपाड़ा बनायी, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय का लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तीन ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, गंगवाना, टुडियाना और बालाहेड़ी, जिनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के साथ परसादी लालजी के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला और फिर हम दोनों मिलकर पंचायती राज मंत्री महोदय रमेश मीनाजी के घर गये, तो आपकी कृपा से हमारे यहां पर नई पंचायत समिति की पिछले बजट में घोषणा हुई। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मण्डावर को जो आपने पंचायत समिति नई बनायी थी उसका बजट इम्प्लीमेंटेशन करके हमें दें। उसमें कुछ ग्राम पंचायतें कम पड़ रही हैं, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि टुडियाना, बालाहेडी और गंगवाना इन तीनों पंचायतों को तो महवा पंचायत समिति में जोड़ने की कृपा करें क्योंकि तीनों पंचायतों में तीन साल गुजरने के बाद भी चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाये हैं। जब भी चुनाव आता है तब वह चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं।

हमारे ही आंदोलनकारी एक नेताजी, वहां से एक पशु की पूंछ पकड़कर

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

जयपुर की ओर कूच करते हैं और जब हजारों लोग उनके साथ आते हैं तो उस भोली-भाली जनता के साथ धोखेबाजी करते हैं और बीच में ही गायब हो जाते हैं। जैसे कई बार चकमा देकर कभी आमागढ़ पहुंच जाते हैं, कभी दूसरी जगह पुलिस को चकमा देकर पहुंच जाते हैं, तो मैं तो यह समझता हूं कि यह पायजामा भी पुलिस को चकमा देकर गायब हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, राठौड़ साहब मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाये और प्रवेश किया जाये तो सत्य बोला जाये। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक रोक तो लगायी कि संगठन के माध्यम से ही आंदोलन कर सकेगा। अब अगर कोई आंदोलन करता है और सही बात पर आंदोलन करता है तो ही जनता साथ देगी।

मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार वीरांगनाओं का सम्मान करती है। बहिन मंजू देवी हो, चाहे बहिन सुन्दरी देवी गुर्जर की बात हो, चाहे बहिन मधुबाला मीणा की बात हो, के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा है कि उनकी जायज मांगें मानने के लिए हम आज भी तैयार हैं। उन्होंने उसके देवर को नौकरी देने की बात कही और, राठौड़ साहब, आपने उनकी इस बात को मजबूती से समर्थन किया है लेकिन आप उन वीरांगनाओं के बारे में सोचो जिनके हजारों वीरों ने शहादत दी। उनकी सोचिए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है। मेरे क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ, महिला का पति उस एक्सीडेंट में मारा गया। उनके कोई बच्चा नहीं था, न बेटा था और न बेटी थी। वह बहू दूसरी जगह चली गयी। 10 लाख रुपये उसको मुआवजा मिला। उसके ससुर और सास जब मेरे पास आये तब खून के आंसू रो रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वीरांगनाओं के बच्चों का जो अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश नहीं करें।

श्री सभापति: वीरांगनाओं पर नहीं, पंचायती राज पर बात करिये आप। वीरांगनाओं की छोड़िए आप।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो बजट में घोषणा की मण्डावर पंचायत समिति की, उसको लागू करने की कृपा करें।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने तीन कालेज खोल कर दिये हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री आदरणीय टीकारामजी पालीवाल का जन्म हुआ था। वहां आपने राजकीय महाविद्यालय खोला है। मैं निवेदन करूंगा कि उस कालेज का नामकरण टीकाराम पालीवाल राजकीय महाविद्यालय करने की कृपा करें।

आपने जो महवा में कन्या महाविद्यालय खोला है, उसका नामकरण सावित्री बाई फुले के नाम से करने की कृपा करें। साथ ही, महवा में जो आईटीआई कालेज खोला गया है, उसका नामकरण कप्तान छुट्टन लाल मीणा के नाम पर करने की कृपा करें।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सभी समाजों के आयोग और बोर्ड का गठन किया है, कोली समाज के विकास हेतु मैं झलकारी माता विकास बोर्ड की मांग करता हूं। प्रजापति समाज हेतु यादे माता विकास बोर्ड की मांग करता हूं और योगी समाज के लिए गुरु गोरखनाथ विकास बोर्ड की मांग करता हूं। दलित एवं पिछड़ों के विकास के लिए महर्षि बालीनाथ विकास बोर्ड की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निःशक्तजन के लिए घोषणा की थी कि उनकी 55 वर्ष की उम्र होने से पहले अगर वह अपाहिज हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं तो उनके लिए नियम कानून बनाया जायेगा, उनको अनुकम्पा नियुक्ति देने की बात की थी। बिन्दु संख्या 91 पर यह दर्ज है पिछले बजट में। मैं निवेदन करूंगा कि आप उसके नियम और कानून जल्दी से जल्दी बनाकर निःशक्तजन को राहत देने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार को युवाओं के रोजगार के बारे में और अधिक सोचना चाहिए।

अन्त में एक और निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और ग्राम विकास अधिकारी सभी वर्गों का राज्य स्तर पर होना चाहिए।

एक और निवेदन है कि राशन डीलर हड़ताल पर बैठे हैं, उनको भी मानदेय मिलना चाहिए। उनकी जो पोस मशीन है, उसकी राशि 22 हजार रुपया है। सरकार ने 50 हजार रुपये काट लिए। अब पोस मशीन को बन्द कर

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

देना चाहिए, जब राशि 22 हजार रुपये है तो उसको रोक देना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए धन्यवाद। पुन: मंत्री महोदय का आभार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग सख्या 52- पंचायती राज विभाग और मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका और मेरी पार्टी के नेताओं का बहुत-बहुत आभार।

मैं कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र 2018 के कुछ बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकषित करना चाहूंगा। पेज नम्बर 3 क्रम संख्या 5, किसानों की फसल के नुकसान के आकलन की व्यवस्था में सुधार करते हुए उसे व्यावहारिक बनाना तथा उसकी फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाना। आपने चार वर्षों में कभी अल्प वर्षा, कभी अतिवृष्टि, कभी पाला, कभी असमय बरसात से हुए नुकसान, अभी इस वर्ष भी पाला पड़ा, ओले पड़े, असमय बरसात होने से नुकसान के पेटे एक रुपये का मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, क्रम संख्या 6, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी। आपने नहीं की।

क्रम संख्या 7, वृद्ध किसानों को पेंशन, लेकिन किसी भी किसान को पेंशन नहीं दी गयी है। मनरेगा योजना के तहत कृषि कार्यों एवं भूमि विकास के कार्यों को जोड़ना। ऐसी स्वीकृतियां आपने जारी नहीं कीं।

पेज नम्बर 5 क्रम संख्या 3, लघु और सीमान्त किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा करना। अभी तक नहीं किया गया।

क्रम संख्या 7, चल पशु चिकित्सा की व्यवस्था करना। आपने नहीं की।

पेज नम्बर 6 क्रम संख्या 5, सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर कराना। सरकार ने अभी सहकारी समितियों के चुनाव तो करवा लिए मगर उसके आगे बैंकों के चुनाव रोक दिये क्योंकि शायद समितियों के चुनाव में सरकार की हालत बहुत खराब रही।

पेज नम्बर 18 क्रम संख्या 11, प्रदेश में रोडवेज बसों को यथावत

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

चालू रखने का वादा किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पूर्व में चलने वाली उदयपुर से बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी से नीमच, बड़ी सादड़ी से चित्तौड़, उदयपुर से बोहेड़ा, एक दो बसों को छोड़कर लगभग सभी बसें बन्द कर दी गयी हैं।

आपने अभी बजट में घोषणा की कि महिलाओं को किराये में 30 परसेंट से बढ़ा कर 50 परसेंट की छूट दी जायेगी। जब ग्रामीण बसों को ही बन्द कर दिया गया है तो यह छूट किसको दी जायेगी? मेरा सरकार से निवेदन है कि लोक परिवहन की जो बसें हैं और प्राइवेट बसें जो चल रही हैं उस रोड पर, उनमें भी महिलाओं को 50 परसेंट की छूट दी जाये।

पेज नम्बर 25 क्रम संख्या 3, पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान एवं खेल परिसरों का निर्माण करेंगे लेकिन आपने नहीं किया। पेज नम्बर 30 क्रम संख्या 4, सभी सरकारी विभागों व निगमों में एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी वर्ग के खाली पदों के बैकलाग को शीघ्र भरने का वादा किया गया मगर पूरा नहीं हुआ।

पेज नम्बर 38 क्रम संख्या 51, राजस्थान में गर्मी के मौसम में घरों में आगजनी की विकराल समस्या को देखते हुए पीड़ित परिवार को त्वरित सहायता के रूप में एक लाख रुपया सात दिन के अन्दर-अन्दर देकर मदद की जायेगी लेकिन इन चार वर्षों में आपने ऐसा नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2019 क्रम संख्या 33 सरकार आने वाले पांच वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों में एक-एक नया ग्रामीण विकास पथ बनायेगी, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की 91 पंचायतों में से सिर्फ एक पंचायत में विकास पथ बना है, 90 बाकी हैं। माननीय मंत्री महोदय, ध्यान दें और उनकी स्वीकृति जारी करावें।

बजट घोषणा 2019 क्रम संख्या 106, राज्य की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाये जायेंगे। मेरे यहां पर एक भी नहीं बना। सभी पंचायत मुख्यालयों पर नन्दीशालाएं खोलेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं खुली। एक-एक मेडिकल मोबाइल वेन उपलब्ध करायेंगे।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): साहब, टेबल कर दूं फिर? आपने बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: टेबल कर दीजिए।

(माननीय सदस्य श्री ललित कुमार ओस्तवाल के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 04 देखें)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 52- पंचायती राज और मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधीजी का और लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज पूरे हिन्दुस्तान में जो नरेगा चल रही है, यह कांग्रेस की देन है और गरीबों के लिए संजीवनी जड़ी-बूटी बनकर काम कर रही है। आपने कोरोना में देखा होगा, उस समय महामारी में नरेगा में गरीब लोगों को काफी आर्थिक सहायता पहुंचाई। इनकी सरकार और विपक्ष के साथीगण बड़ी-बड़ी घोषणाएं और वायदे करते हैं। मोदीजी ने नरेगा का बजट नहीं बढ़ाया बल्कि घटा दिया। कई प्रकार के नियम और कानून लागू कर दिये। केन्द्र की मोदी सरकार नरेगा धीरे-धीरे खतम करना चाहती है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि पीएम आवास से जो वंचित लोग हैं उनका वापस सर्वे करवाया जाये और बचे हुए लोगों का नाम सूची में जोड़ा जाये। जैसे उपर गांव ग्राम पंचायत है, जैसे भैना ग्राम पंचायत है, ऐसी कई पंचायतें हैं जिनका पीएम आवास सूची में नाम नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पात्र लोगों के नाम छूट गये हैं, उनको वापस जुड़वायें। जो सर्वे हुआ था उसमें कई लोगों का नाम नहीं है और वह वास्तव में गरीब हैं, सूची में नाम नहीं है, वापस सर्वे करवाकर पात्र लोगों का बीपीएल सूची में नाम जोड़ा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे टीएसपी की बात भी करूंगा। वहां जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां उद्योग-धंधे कुछ भी नहीं हैं। सभी लोग वहां से पलायन करते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं। वहां पर कोई कारखाने नहीं हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी और मंत्रीजी ने 25 दिन तो बढ़ाये हैं लेकिन मैं पूरे टीएसपी क्षेत्र के लोगों की ओर से मांग करना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी क्षेत्र को देखते हुए कम से कम 200 दिन कार्य दिवस बढ़ाये जायें।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा के माध्यम से भूमि का समतलीकरण कराया जाये। पशु कैटल शैड बनाये जायें और व्यक्तिगत जो भी

(श्री गणेश घोघरा)

फायदे हों, वह दिलाये जायें। पुराने कुएं गहरे कराये जाएं। नये कुएं खोदे जायें और कुओं की पक्की मुण्डेर करवायी जाये। यह नरेगा के माध्यम से करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही वहां विलायती बबूल हैं, इनके कांटे भी इतने खतरनाक हैं, वह चुभ जायें तो उनको हास्पिटल भी जाना पड़ सकता है और उस बबूल के नीचे न तो कोई घास उगती है बल्कि पूरी जमीन को घेर रखा है। हमारे यहां वागड़ में एक पत्ता आता है वह बिलकुल खुरदरा होता है, उसको गाय, बकरी या भैंस खा जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी चमड़ी भी खुल जाती है, उसको घेबरा कहते हैं। जहां-जहां पर भी ऐसे जो पौधे हैं, जो नुकसानदायक हैं, उनको नरेगा के माध्यम से मस्टररोल चलाकर विलायती बबूल और घेबरे निकाले जायें।

माननीय सभापति महोदय, आज की महंगाई के जमाने में मोदीजी ने कहा था कि अच्छे दिन आयेंगे, दो करोड़ रोजगार दे देंगे और 15 लाख रुपये खातों में दे देंगे, लेकिन वह नहीं आये। तेल का भाव बढ़ा दिया, खाद्य सामग्री का भाव बढ़ा दिया और इतनी महंगाई हो गयी। मेरे क्षेत्र के लोगों की मांग है, उनके अनुसार प्रति व्यक्ति मजदूरी जो आज उनको 250 रुपये से ऊपर मिलती है, उनकी मजदूरी 500 रुपये की जाये और जो मेट और कारीगर हैं, उनकी प्रतिदिन की मजदूरी एक हजार रुपये की जाये। यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद नेटवर्क की समस्या आ रही है। हमारे यहां पहाड़ी इलाका है, जंगल एरिया है तो कहीं पर तो नेटवर्क पकड़ता है, कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता है, मेरे खुद के घर में मेरा खुद का ही मोबाइल नहीं पकड़ता है, तो वहां ऑनलाइन हाजिरी में दिक्कत आ रही है। जहां पर नेटवर्क काम नहीं करता है तो वहां पर ऑफलाइन ऐसी कोई, मंत्रीजी, आप व्यवस्था करें जहां पर हाजिरी नहीं भरती है, वह रोज जाकर वापस आ जाते हैं तो 25 दिन जो सरकार ने बढ़ाये हैं, उनको 100 दिन भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कोई सुविधा करें तो उनको मजदूरी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आज सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख की मांग है कि इनका वेतन-भत्ता बढ़ाया जाये। यह पूरे राजस्थान की मांग है और इन जन-प्रतिनिधियों की मांग है।

(श्री गणेश घोघरा)

माननीय सभापति महोदय, आज जो स्कूलें हैं, सरकारी भवन हैं, जैसे पंचायत है, पीएचसी है, सीएचसी है, इनमें चारदीवारी नहीं है और लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, कोई परकोटा बनाकर अतिक्रमण कर रहा है, तो नरेगा के माध्यम से 60:40 का जो भी रेशो है, जिस सरकारी भवन की चारदीवारी नहीं है वहां पर चारदीवारी बनवायी जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह मांग करूंगा। इसके बाद घरों के, जो चरागाह भूमि में, बिलानाम भूमि पर, शहर में तो हम पट्टे दे रहे हैं मकानों के, लेकिन गांवों में जो लोग बसे हुए हैं उनको भी पट्टे दिलाये जायें।

माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर पंचायत समिति के लिए भूमि गुमानपुरा में आबंटित की है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति के लिए जो भूमि आबंटित की गयी है तो इस भवन के लिए आप स्वीकृति दें तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे यहां गामड़ी आहड़ा में तहसील खोली, पालदेवल में तहसील खोली, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और भूमि आबंटन के भी कैम्प लगाये। इससे कई लोगों को फायदा मिला और जो कुछ बचे हुए हैं पुन: दोबारा भूमि आबंटन का कैम्प लगाया जाये और उन पात्र लोगों को दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से, सरकार से और मंत्रीजी बैठे हुए हैं, इनसे मांग करना चाहूंगा कि गामडी आहड़ा में पंचायत समिति खोली जाये और पालदेवल में भी पंचायत समिति खोली जाये। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52- पंचायती राज और मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सबसे पहले तो हम ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए विचार रखते हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैं सोचती हूं कि हमें हर पंचायत में स्कूल, पार्क, चिकित्सा केन्द्र, श्मशान, खेल मैदान एवं सामुदायिक भवन का अलाटमेंट एवं निर्माण जैसे

(श्रीमती कल्पना देवी)

महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्राथमिकता देनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, कई ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव तो ले रखे हैं खेल मैदान के लिए, सामुदायिक भवन के लिए परन्तु प्रशासन स्वीकृति नहीं दे रहा है। SDM से फाइल ADM के पास पहुंचाने में और ADM से कलेक्टर तक पहुंचाने में बहुत विलम्ब करते हैं या फाइल एक तरफ पटक देते हैं और यह गांव वालों की समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अलाटमेंट की बात करूं तो कई ऐसी पंचायतें हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जो पेरिफेरी में आ रहे हैं, इसके कारण पंचायतों की जमीन UIT के अधीन हो गयी है और पंचायत को हर कार्य के लिए UIT से NOC जारी करानी पड़ती है। भले ही पौधा लगाने का कार्य हो या आबादी विस्तार का काम हो, उन्हें NOC लेनी पड़ती है UIT से। कभी-कभी UIT NOC तो दे देती है, पर अलाटमेंट का लैटर नहीं निकालती है।

माननीय सभापति महोदय, अलाटमेंट की बात करूं तो मेरी ग्राम पंचायत रंगपुर में थोड़े दिन पहले ही श्मशान के लिए जमीन अलाट की गयी थी, परंतु उस श्मशान की जमीन पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो उस श्मशान तक कैसे पहुंचे? जिस खातेदारी की जमीन थी, जब भी किसी को श्मशान जाना होता था उस समय लड़ाई होती थी उस खातेदार से, तो ऐसे समय में जब परिवार दु:ख की घड़ी में है और फिर वह उस खातेदार से लड़ाई करे। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि अधिकारी इसका भी रास्ता निकालें, या तो इसमें रास्ता दें या एक दूसरी जमीन अलाट करा दें। वहीं रंगपुर पंचायत में अभी हाल ही में लोगों को आपने DLC रेट पर जमीन बेची है, उसी के बगल में अभी भी जमीन है, या तो उस जमीन को अलाट करा दें या जो वर्तमान में आपने अलाट करायी है, वहां से श्मशान घाट के लिए रास्ता निकाल दें।

माननीय सभापति महोदय, इसी पंचायत की बात करूं तो एक ग्राम गंगाइचा पंचायत में आता है, लगातार वहां की समस्या के बारे में सदन में भी मैं बोल रही हूं। यह गंगाइचा बिलकुल चम्बल के किनारे बसा हुआ है और कटाव के कारण यह खतरे में है, कभी भी वहां पर कुछ हादसा हो सकता है। हमने इस गांव के लिए एक सुरक्षा दीवार की मांग रखी थी, इसका शुरू में 01 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव बना था, अभी तक उस सुरक्षा दीवार को नहीं

(श्रीमती कल्पना देवी)

बनाया गया है, उसी सुरक्षा दीवार का आज की तारीख में प्रस्ताव 7 करोड़ का बन गया है, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आये दिन मुझे कहते हैं कि फण्ड के अभाव में यह नहीं हो सकता। जब आप DLC रेट पर इसी पंचायत की जमीन बेच रहे हैं तो उस जमीन का पैसा इन गांव वालों की सुविधा के लिए, इनको बचाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं?

ऐसे ही आपने एक पट्टा अभियान चलाया था, परन्तु क्या आपने कलेक्टर, एस.डी.एम. से यह पूछा कि गांव में क्या समस्या आ रही है? क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे जारी हो रहे हैं? ऐसे प्रमाण पत्र मांगें जा रहे थे, जो मिल नहीं रहे थे, तो क्या आप उसके लिए रास्ता निकाल सकते हैं ताकि गांव वालों को पट्टे मिल सकें?

माननीय सभापति महोदय, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि कृषि भूमि में कई गांव वालों ने बहुत साल पहले अपने बाड़े की जमीन बेच दी होगी और मकान बन चुके हैं। 50-60 साल पहले जो जमीन बेची गयी है या ग्राम वालों ने खुद ने ही अपने मकान बना लिए हों या परिवार में बंटवारे के कारण, परन्तु उनको भी पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं। इस पर भी आप ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप पटवारी या ग्राम सेवक या किसी को आथोराइज करें कि वह सर्वे करें और 50-60-70 जो भी आप निर्णय करें भले कितने समय के लिए, वहां जाकर सर्वे करें और ऐसे लोगों को कम से कम पट्टे जारी करें।

श्री सभापति: श्रीमती रमिला खड़िया।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ग्राम सेवक की बात करूं तो एक ग्राम सेवक को चार-चार पंचायत दी गयी हैं। एक मेरी महिला ग्राम सेवक है जिसका आठ बार आपने ट्रांसफर कर दिया है और वर्तमान में आपने उसको सस्पैण्ड कर दिया, जबकि उसका आई.डी. भी नहीं बना है, तो आपने उसको क्यों सस्पैण्ड किया? एक महिला ग्राम सेवक के पीछे पड़कर उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? ग्राम सेवक आलरेडी इतना भारी काम कर रहे हैं। एक ग्राम सेवक लगभग 3 या 4 पंचायत हैण्डल कर रहा है, तो मेरी आपसे यह मांग है, यह शालिनी हाड़ा, जो मेरी ग्राम सेवक है, इसको परेशान क्यों किया जा रहा है? प्लीज आप इस पर ध्यान दें।

(श्रीमती कल्पना देवी)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरी एक ग्राम पंचायत कोलाना है, जिसमें बावड़ीखेड़ा आता है, उस ग्राम पंचायत में लगभग 18 गांव हैं। बावड़ीखेड़ा जो दूसरे एण्ड पर है, लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को आना पड़ता है, बारिश के समय में यह पूरा कट जाता है, क्योंकि बीच में आल्या बांध भी आता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अलग से एक पंचायत बनायें ताकि जब कोलाना पंचायत और बावड़ीखेड़ा दोनों, इन 18 गांवों को ग्रामवासियों के जो रोजमर्रा के काम होते हैं, इनको वहां पर सुविधा मिले।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि मण्डाना मेरा डार्क जोन है, यहां सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मांग रखती हूं कि आप थोड़ा इस पर अपनी तरफ से भी ध्यान दें कि सिंचाई का पानी कैसे इन लोगों को दिया जाये ताकि यह कार्य कर सकें।

श्री सभापति: श्रीमती रमिला खड़िया।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मेरा लास्ट पाइंट है। बिजली की समस्या है। वहां पर आये दिन कटौती होती है वह भी शाम के समय। महिला पूरे दिन खेत में काम करके आती है, जब उसको खाना बनाना होता है तो बिजली काट देते हैं। महिलाएं कितना काम कर रही हैं, थककर आती हैं, क्यों ऐसे समय बिजली की कटौती करें। आये दिन तीन-चार घंटे की कटौती कर रहे हैं।

दूसरी एमएलए फंड की बात करूं तो मेरे यहां से एफएस टीएस जारी करने में इतना विलम्ब कर रहे हैं, कई कार्य ऐसे हैं जो एक साल पहले हमने दिये हुए हैं फिर भी लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। इनका लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति: प्लीज विराजें। विराजिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): हम चाहते हैं कि गांव मजबूत हों, तभी हमारा विकास होगा।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 52 और 53 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र है, वह नरेगा के ऊपर निर्भर रहता है। काफी समय से नरेगा चल रहा है। यह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की देन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में खेड़ा धरती है, सज्जनगढ़ में भी ऐसे एरिये हैं, उसमें कुएं से ही फसल ली जाती है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जिन-जिन किसानों के कुएं हैं, उनमें दो फसल ले पाते हैं। जिन किसानों के पास कुएं नहीं हैं वह एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं। अगर समय पर पानी नहीं बरसता है तो वह फसल सूख जाती है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुएं और कैटल शैड ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत हों। इसकी मैं मांग करती हूं। अभी मार्च का महीना चल रहा है। अभी तक कुएं और कैटल शैड निकले नहीं हैं। जिला परिषद् में ही सब पड़े हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसान नरेगा के तहत काम करके अपने कुएं बांध लेते हैं और 8 से 10 महीने बाद भी उनके बिल नहीं लगते हैं। 2-2 साल तक उनके नरेगा के भुगतान नहीं होते हैं। किसान बिल लेकर इधर-उधर दौड़ते फिरते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो कुएं बांध लिए गये हैं, उन किसानों के बिल लगें और उनका समय पर भुगतान किया जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुएं और कैटल शैड की ज्यादा से ज्यादा किसानों की मांग है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं छोटे-छोटे तालाब और एनिकट की भी मांग करती हूं।

सभापति महोदय, हमारा एरिया गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ है। मेरे यहां के लोग गुजरात व मध्य प्रदेश में काम पर जाते हैं। कई तो वहां पर अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत सारे तो आ भी नहीं पाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि कुएं छोटे-छोटे तालाब और एनिकट मिल जायें तो हमारे काश्तकार अपने घर पर ही खेती करें और काम करें।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मेरी पंचायत समिति

(श्रीमती रमीला खड़िया)

कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में जे.ईएन. की पोस्ट खाली पड़ी है, जेटीए की पोस्ट खाली पड़ी है। कुशलगढ़ में 51 पंचायतें हैं। जेटीए करीब 16 हैं और 35 पद रिक्त पड़े हैं। ग्राम विकास अधिकारी 20 हैं और 21 पद रिक्त हैं। एलडीसी 26 हैं और 25 रिक्त पड़े हैं। इसी तरह से जे.ईएन. की भी पोस्ट खाली पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि यह पद भरें। ऐसा का ऐसा ही सज्जनगढ़ में भी है।

सभापति महोदय, मेरे कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में भवन ही नहीं हैं। राजीव गांधी पाठशाला में पंचायत समिति चल रही है। मैंने पहले भी यह मुद्दा उठाया था। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि हमारे कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में नये भवन बनें और वहां पंचायत समिति चले। मैं मांग करती हूं कि इन दोनों पंचायत समितियों के भवनों के पैसे आबंटित करें और जल्दी से जल्दी उन भवनों को बनायें। कुशलगढ़ में राजा-महाराजाओं के टाइम का कोई भवन था, उसमें चल रही है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि सरपंच 5 साल के लिए चुनकर आता है। सरपंचों को वार्ड पंच के माध्यम से हटाया जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं इस कानून को संशोधित करें। सरपंच 5 साल के लिए बनता है, लेकिन उसको हटा देते हैं। उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि कई सरपंचों, कई प्रधानों पर संतानों के केस लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि इन केसों को भी हमारी सरकार वापस लेगी। अभी 5-5, 10-10 साल हो गये, उसके बाद में भी यह केस वापस नहीं हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारी ग्राम पंचायतों में छोटी-छोटी सड़कें, एनिकट, तालाब और कोई ऐसी समस्या है तो अपने सरपंच के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से यह सड़कें और तालाब बनायें।

सभापति महोदय, अभी गर्मी का समय आ गया है। कुशलगढ़ विधान सभा में मात्र 11 हैंडपम्प मिस्त्री हैं, 40 पद रिक्त पड़े हैं। वहां पानी नहीं मिलता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। इंसान

(श्रीमती रमीला खड़िया)

तो कहीं से भी पानी पी लेता है, मगर जानवर कहां पानी पीने के लिए जायें? 21 पंचायतों में टैंकर लगाये जाते हैं। टैंकरों का भुगतान भी समय पर नहीं होता है।

सभापति महोदय, कई ऐसी पंचायतें हैं, जैसे ग्राम पंचायत भंवरदा में स्कूल भी नहीं है, सड़कें भी नहीं हैं और न ही पीने का पानी है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हैंडपम्प, छोटे-छोटे तालाब एवं एनिकट दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कसारवड़ी और घाटा क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करें। हैंडपम्प मिस्त्री 2016 से लगे हुए हैं, इनका स्थायीकरण किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर। माननीय सदस्य, आप 4 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 4 मिनट में। कृपा रखो न हमारे ऊपर। मैं तो बोला ही नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 52- पंचायती राज और 53- ग्रामीण विकास पर चर्चा की जा रही है, दोनों महत्वपूर्ण मांगें हैं। आपका संरक्षण भी चाहूंगा, आप थोड़ा सा समय दें।

गांव और गांव की सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। एक आदर्श गांव कैसा होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी झलक बता रहा हूं। गांव के अंदर पक्की सड़कें हों। गांव तक जाने की सड़कें हों सीसी सड़कें हों। मौहल्ले में नालियां हों। सफाई की व्यवस्था हो, रोशनी हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार के साधन हों, आवागमन के लिए बसें हों, कृषि, सिंचाई के साधन हों। दिन में काश्तकारों को बिजली मिले। जब खेत से गांव में महिलाएं आयें तो 24 घंटे बिजली मिले। ऐसी व्यवस्था होगी तो सारा काम ठीक होगा।

सभापति महोदय, मैं महात्मा गांधी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। राम राज की स्थापना के लिए काम करने की सोच उन्होंने रखी। इसी के तहत तत्कालीन सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। यानी गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए। गांव का डवलपमेंट, गांव के लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के हाथ में हो।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे तत्कालीन उप राष्ट्रपति और मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत, जिस समय मैं 1993 में जीतकर आया था और 1995 में उन्होंने पंचायती राज संशोधन किया था, उस संशोधन के आधार पर उन्होंने सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भैरोंसिह जी शेखावत को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन गांव के एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग में राजनीतिक चेतना डालने का काम अगर किसी ने किया तो उनका नाम भैरोंसिंह जी शेखावत था। आपकी सरकार ने तो एससी और एसटी को, ओबीसी और महिला को कभी भी सरपंच बनने का मौका नहीं दिया, वार्ड पंच बनने का मौका नहीं दिया, प्रधान और जिला प्रमुख बनने का मौका नहीं दिया लेकिन शेखावत साहब ने उनको मौका देकर उनमें राजनीतिक चेतना लाकर जनजागरण का काम किया, उनको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया। आपने सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी को गुमराह करके राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से पहले गांव के अंदर ग्राम न्यायालय हुआ करते थे। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा कि आज कोर्टों के अंदर जितने भी छोटे-छोटे केस हैं, पहले ग्राम न्यायालय हुआ करते थे। जब हम छोटे थे तब देखते थे कि एक व्यक्ति के गले के अंदर लगा हुआ होता था चपड़ास और वह आवाज लगाता था, कोर्ट में जिस प्रकार से आवाज लगती है और गांव के अंदर सरपंच वो न्याय करता था, ऐसी ग्राम न्यायपालिका आप चालू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, गांव के लोग बड़े सीधे-सादे होते हैं, उनको पुलिस बड़ी तंग करती है। गांव के अंदर जाएगी, पुलिस उनको तंग करेगी, चौकी लगा देगी और डिवाइडर खड़े कर देगी और मोटरसाइकिल वालों को कहेगी कि आपके हेलमेट नहीं है, हजार रुपये का चालान कटाओ। हजार रुपये में तो हेलमेट ही आ जाएगा। फोर व्हीलर वालों को कह देते हैं कि आपके सीट बेल्ट नहीं है। रात को जब बिजली आएगी, कोई व्यक्ति अपने खेत पर जा रहा है तो उनको भी कहेंगे कि घर से बाहर क्यों निकले हो, खेत पर रात को क्यों जा रहे हो? ऐसी समस्याएं गांवों में बनी रहती हैं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन भी होता है। सीसी सड़कें बनती हैं गांव में और बार-बार उन सड़कों को तोड़ने का काम खनन माफिया करता है। जिस समय ठेका नहीं होता है उस समय तो पुलिस कोई ध्यान नहीं देती लेकिन जैसे ही ठेकेदार आता है तो पुलिस और प्रशासन मिलकर गांव वालों को डराते-धमकाते हैं, उन सड़कों पर ओवर लोड वाहन निकालने का काम करते हैं।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम सब मिलकर गांवों के विकास के लिए, विधायक राशि जो अभी पूरी नहीं दी गई है उस विधायक राशि को रिलीज किया जाए और गांवों के विकास के लिए हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे तो सारा काम ठीक रहेगा। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(समय: 17.42 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 52 और 53 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद।

पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग एक आम नागरिक, जो गरीब व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ विभाग है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे चौरासी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत समिति चिखली जो 2015-16 में बनी है, मतलब 2015-16 के अंदर स्वीकृत हुई है उसका भवन आज तक नहीं बन पाया है, भवन का काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। उसको लेकर मैंने कई बार शिकायतें भी की हैं, इसको लेकर जांचें भी हुई हैं लेकिन अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए थी, उन अधिकारियों पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहूंगा इसके भवन का अतिरिक्त बजट है या आप हमें बता दीजिए तो हम विधायक कोटे से भी बजट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके होते हुए और हमारे होते हुए भी अगर हम इस भवन को इस सरकार में भी नहीं बना पाएंगे तो कहीं न कहीं पंचायत समिति के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी तहसील भवन में चल रहा है।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, हमारे पंचायत समिति चिखली की यदि बात करें, पंचायत समिति चिखली के अंदर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर शौचालय और एसबीएम योजना के प्रचार-प्रसार में ही एक साल में 44 लाख रुपये का बजट उठा लिया है, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, उसको लेकर हमने शिकायत भी की है, अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी ओर उन लोगों ने जांच को डाइवर्ट कर दिया है और सरपंचों पर जांच डाल दी है, सरपंचों पर उन अधिकारियों ने प्रेशर किया, ठेकेदार को लाकर कहा गया कि इस ठेकेदार से आपको शौचालय बनाने ही पड़ेंगे, उन्होंने बनवाए और सरपंचों ने 50 शौचालय के लिए कहा कि 50 शौचालय बने हैं, उनको भुगतान कर दिया जाए लेकिन पंचायत समिति के अंदर वहां पर कुछ अधिकारियों ने फेरबदल करके फर्जी साइन करके 50 की संख्या की जगह 100 कर दी और इस तरह से एसबीएम में प्रचार-प्रसार में फर्जी राशि उठाई गई। इस प्रकार से ठेकेदार को काम देकर कार्यवाही करवाई गई है। मैं चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही हो और जो वास्तविक दोषी लोग हैं उन पर कार्यवाही हो।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग के कई कार्मिक अभी आज धरने पर आए हुये हैं, हमारे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य 17 से 18 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व करता है, पंचायत समिति सदस्य 2 से 3 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व करता है। आम पब्लिक पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य को सरपंच से बड़ा मानती है और उनसे अपेक्षा करती है लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उनको किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं दिया गया है, तो हम चाहेंगे कि उनको कोई अधिकार दिए जाएं, वित्तीय पावर दिए जाएं और उनको सैलरी दी जाए, प्रति माह 10 हजार रुपये की उनकी व्यवस्था की जाए। उनकी लम्बे समय से मांग है, आज हजारों की संख्या में जिला परिषदों से, पंचायत समितियों से पूरे राजस्थान से यहां आये हुए हैं तो उनकी मांग को पूरा किया जाए क्योंकि लोगों की उनसे अपेक्षा रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मेटों की मांगों को लेकर अभी हमने कहा कि ऑनलाइन करो और मेटों को भुगतान हम मैटेरियल पेमेंट के साथ देते हैं, कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार महीने हो जाते हैं लेकिन मेटों का भुगतान नहीं

(श्री राजकुमार रोत)

हो पाता है और वो मेट एंड्रॉइड फोन कहां से लाएगा, कैसे लाएगा, या तो उनको एंड्रॉइड फोन देने की व्यवस्था करें या फिर उनका जो भुगतान लेबर पार्ट के साथ किया जाए और समय पर किया जाए। उनकी कई मांगें हैं, उन मांगों को माना जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी संविदा सेवा नियम, 2022 लाए, पंचायत समिति में और बाकी हमारे जो भी कार्मिक लगे हुए हैं उनको कहा कि 2021 से पहले वालों को लिया जाए, तो मैं चाहूंगा कि पंचायत समितियों के अंदर, जिला परिषदों के अंदर जो आपरेटर लगे हुए हैं, उन आपरेटरों की मांग है कि संविदा सेवा नियम, 2022 है तो दिसम्बर, 2022 तक जितने भी लगे हुए हैं उन सबको इस सेवा नियम में लिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज संविदा सेवा नियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत एमआईएस मैनेजर, प्रोग्रामर के पदनाम को प्रोग्रामर करने के बाबत इनकी मांग है, इस मांग को पूरा किया जाए। हमने पूर्व में 2014 से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कार्यरत ई-मित्र प्लस आपरेटरों को पंचायत मुख्यालयों पर लगाया गया, फिर बीच में हटा दिया गया, तो हम चाहेंगे कि इन आपरेटरों को पंचायत मुख्यालयों पर कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में स्थायी भर्ती की जाए। पंचायत समिति हमारे झोंतरी, सीमलवाड़ा, डूंगरपुर में इस तरह की दस पंचायत समितियां हैं, कई बार सरपंचों को जिला परिषद् में प्रस्ताव भेजना पड़ता है, तीन-तीन, चार-चार महीने हो जाते हैं लेकिन नरेगा में सैंक्शन नहीं निकल पाती है, वहां पर हमारे जो जिला प्रमुख बैठे हुए हैं, उनकी काफी लापरवाही है, उनकी वजह से वहां के कार्मिक काम नहीं कर पाते हैं और एक तरीके की वहां पर तानाशाही बना रखी है। आप सबको अवगत है कि वहां पर जो जिला प्रमुख बैठा है वो कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने मिलकर बैठाया है, इसलिए यह स्थिति बन रही है, तो हम चाहेंगे कि, माननीय मंत्रीजी, जिला परिषद् की व्यवस्था को सुधारें। नरेगा के समय पर काम निकालें।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा जो योजना है उस योजना को लेकर अभी चर्चा हो रही थी। हमारे बीजेपी के साथी चर्चा कर रहे थे लेकिन केन्द्र सरकार का बजट जो इस बार आया और नरेगा की इन लोगों ने जो स्थिति की है, अगर नरेगा के इतिहास की बात करें तो नरसिम्हाराव, जो हमारे प्रधान

(श्री राजकुमार रोत)

मंत्री थे 1991 के वक्त, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया। इसके बाद यूपीए-फर्स्ट में जब हमारी सरकार बनी, उसमें 2005 में नरेगा कानून बना, उस कानून को बनाने में यूपीए-फर्स्ट में लगभग आठ-दस संगठनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। कई सोशल एक्टिविस्ट थे, इस समय पर मैं उन सोशल एक्टिविस्टों को भी याद करना चाहूंगा, जैसे अरुणा राय, ऐसे कई सोशल एक्टिविस्ट थे।

श्री सभापति: विराजें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमारा जो समय मिला है उस समय में बोलने का अवसर प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा की मैं बात कर रहा था तो उस दौरान जो कानून बना उस कानून की वजह से आज प्रत्येक व्यक्ति, आम व्यक्ति, दलित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति जो गांवों में रह रहा है उनको एक सम्बल मिला था लेकिन इस बार केन्द्र सरकार ने जो काम किया है, भाजपा की सरकार ने जो काम किया है, आनलाइन सिस्टम लागू कर दिया। गांवों में नेटवर्क नहीं आता है और फोटो खींचना है, फोटो खींचते हैं दस जनों का, अपलोड होता है छह से सात जनों का। पेमेंट की जो स्थिति कर रखी है और एक आधार बेस्ड पेमेंट का, हम मानते हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन गांवों में जो स्थिति रहती है, आधार में नाम कुछ और है, बैंक में खाता है उसमें थोड़ा-बहुत अलग है। इसके अलावा जॉब कार्ड में थोड़ा-बहुत अलग है, उस व्यक्ति को आधार में चेंज करवाना है, जॉब कार्ड में चेंज करवाना है, बैंक में नाम चेंज करवाना है, तो ग्रामीण इलाके के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं हद से ज्यादा, तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस पर कुछ व्यवस्था करे। केन्द्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 33 परसेंट बजट कटौती की है। पिछली बार राजस्थान को 38 करोड़ कार्य दिवस मिले थे और इस बार 22 करोड़ कार्य दिवस मिले। आने वाले समय में यही लोग गांवों में कहते हैं, कोई विधायक है तो उस पर आरोप लगाते हैं, कोई प्रधान है तो उस पर आरोप लगाते हैं कि यह बैठा है, इस वजह से ऑनलाइन हुआ, यह बैठा है, इसकी वजह से यह हुआ लेकिन देश की जनता समझ गई है कि केन्द्र में बैठी हुई सरकार क्या काम कर रही है। गरीबों के लिए नरेगा को खतम करने का काम किया गया है।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, राजीविका महिला है, राजीविका समूह से कई लोग सदन में आये, कई प्रधान भी बने, कई सरपंच भी बने लेकिन हमने राजीविका महिलाएं हैं, जो क्लस्टर बने हुए हैं उनको कहीं बैठने की जगह नहीं दी है, उनकी मीटिंग कहां हो, इसके लिए उनको इधर-उधर भटकना पड़ता है, तो इतना बड़ा हमारा डिपार्टमेंट है तो राजीविका महिलाओं के क्लस्टर मुख्यालय पर उनके भवन के लिए, उनके शौचालय के लिए व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, कैटल शैड का कई सदस्यों ने बताया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। हैंडपम्प मिस्त्री की बात करें, लास्ट टाइम 1996 में भर्ती हुई थी। हम एमएलए कोटे से हैंडपम्प खुदवाते हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए कार्मिक नहीं लगाते हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मैं अन्त में एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमने जो 300 हैक्टेयर के तालाब पंचायती राज को दे रखे हैं, एक तालाब को, उसकी नहर को ठीक करने में दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपये लगते हैं। या तो पंचायती राज उसकी गाइडलाइन में सुधार करे या फिर वापस इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को दे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बात को स्वीकार करते हुए डूंगरपुर जिले में नरेगा की जो स्थिति बनी हुई है उसे सुधारने के लिए निवेदन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय जुझारू हैं, उनका एक दौरा हुआ था, मैं चाहूंगा, वापस दौरा हो और स्थिति सुधरे। सागवाड़ा पंचायत समिति में सरपंच बना, उस तारीख से लगाकर आज तक उन सरपंचों का एफटीओ नहीं हुआ है। वे सरपंच इधर-उधर भटक रहे हैं, उनका एफटीओ किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा जी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सब गांव के विकास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं, मंत्री जी भी विराजमान हैं, गांव के विकास की बात मैं बताती हूं। कई गांवों और गांवों की ढाणियों की आप शाम के टाइम लाइट काट देते हैं। प्रधान मंत्री जी ने योजना भी निकाली, ''बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ'', तो शाम के टाइम आप लाइट काट देंगे तो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? मैं आपसे निवेदन करती हूं, गांव का विकास तभी होगा जब लाइट, पानी और बिजली की व्यवस्था होगी।

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

नरेगा की बात यहां हो रही है। नरेगा में कई लोग जा रहे हैं, पर उन्हें पेमेंट नहीं हो रहा है। इस कारण लोग बहुत दुखी हैं। नरेगा में आज तक किसी गांव में पक्के काम नहीं दिये गये। सरपंच करने के लिए तैयार हैं, पर आप लोगों ने पक्के काम नहीं दिये। न गांव में कोई खुर्रे की बात है, न कोई नाली का पैसा है, न ही कोई पक्के काम का पैसा आप दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की बात आपको बताना चाहती हूं। डेढ़ लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना से आप दे रहे हैं। आप बड़ेबड़े लोग विराजमान हैं। क्या डेढ़ लाख रुपये में आज के समय में कोई मकान बना सकता है? एक कमरा भी नहीं बना सकता। मैं निवेदन करना चाहती हूं, मंत्री जी भी विराजमान हैं, पांच लाख रुपये की आप घोषणा करेंगे तो अच्छी तरह से किसान मकान बना सकता है।

शौचालय की बात आपको बताना चाहती हूं। आप बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दें, पर किसान, गरीब आदमी तक वह योजना नहीं पहुंचती। आपके कर्मचारी उसे बीच में ही बन्द कर देते हैं। दूसरा, जो किसान है, आज आपके सामने इतनी आबादी बढ़ रही है, पर आप लोग पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं। किसान आबादी बढ़ने से बाहर ही जायेगा, गांवों में कहां रहेगा? आपसे निवेदन है कि आप पट्टे जारी करें। आपके कलेक्टर या जो भी अधिकारी हैं, वे आदेश करके पट्टे जारी कराएं।

आज गांवों में कहीं भी जाकर आप देख लें। न कोई डाक्टर है, न कोई पीएचसी, सीएचसी है और न ही कोई व्यवस्था है। आज गरीब लोग भटकते फिर रहे हैं। आज कई लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा है और बड़ेबड़े लोगों को गेहूं मिल रहा है। जो दिन में दिहाड़ी करते हैं शाम को जब वे घर आते हैं तो उन्हें आटा नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो पहले उनके नाम जोड़ें ताकि उन्हें गेहूं मिल सके। आज वे लोग आफिस में जब जाते हैं तो उन्हें कोई सुनने वाला ही नहीं है। उनकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। वे कहते हैं, आप कौन हैं? वह कहता है, गरीब हूं, किसान का बेटा हूं, दलित हूं। उनकी आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप ऐसी योजना चलाएं कि गरीब आदमी को गेहूं मिल सके और वह अच्छी तरह से अपने बच्चे पाल सके।

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

लाम्बा, जारोड़ा और लीलियां गांव के लिए मैंने पहले भी आपसे मांग की है, बड़े गांव हैं, हास्पिटल नहीं है, एक पीएचसी की आप घोषणा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, पीएचसी की तो वे बैठे हैं, वे करेंगे। आज तो इनसे बात करें।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): मेरी तो आप सब सुन लें। मेरा आप सबसे निवेदन है।

श्री सभापति: आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। बोलिये, बोलिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): हमारे विधान सभा क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा फंड दें ताकि वहां का विकास हो सके। आठवीं तक, दसवीं तक, बारहवीं तक की स्कूलें आज तक बन्द पड़ी हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जो भी स्कूलें बन्द हैं, उन्हें चालू करवाएं। जो भी रिक्त पद हैं, उन्हें आप भरें।

किसान की बात आप करते हैं। किसान को आज तक न तो मुआवजा मिला, न ही किसान की आज तक खेती की कोई गिरदावरी हुई। जिनकी गिरदावरी हो गयी, उन्हें मुआवजा ही नहीं मिला।

आप लोग सब विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिनकी भी फसल नष्ट हुई है उन्हें मुआवजा मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल जी।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52 - पंचायती राज विभाग और मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पंचायती राज अत्यन्त महत्व का विषय है जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है। गांवों के खेत-खलिहान और गांवों के विकास की यह पहली सीढ़ी है।

जहां तक ग्रामीण विकास का सवाल है, पूरे देश में गांवों की सरकार, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, राजस्थान में पंचायती राज का पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को गठन किया गया। यह हमारे प्रदेश के लिए एक विकास की धुरी बना। इसे 73वें संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा हमारे राजीव गांधी जी की सोच द्वारा प्रदान किया गया।

(श्री गोपाल लाल मीना)

जो त्रि-स्तरीय व्यवस्था है- जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीनों मेरे यहां हैं। इस त्रि-स्तरीय व्यवस्था में जिला परिषद्, पंचायत समिति के लोग आज धरना भी दे रहे हैं। यह बात सही है कि उन्हें भी कुछ अधिकार मिलें। मिलने भी चाहिये, क्योंकि जो व्यक्ति 60 हजार के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है, उसे कुछ अधिकार नहीं है। जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो 6-7 हजार के ऊपर प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिये। मैं यह नहीं कहना चाह रहा कि उन्हें अधिकार किस तरीके से मिलें। और भी राज्यों में जो अधिकार मिल रहे हैं, उनके तहत दें। शहर में पार्षद होता है, उसे सारे अधिकार मिलते हैं। उसी तरह पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिये। इससे व्यवस्था और अच्छी तरह से सुधर पायेगी।

जब चुनाव होते हैं, उसके बाद केवल दो-तीन मीटिंग्स होती हैं, उनमें जाना पड़ता है और उसके बाद वे घर बैठ जाते हैं। उन्हें लगातार इस त्रि-स्तरीय व्यवस्था में मजबूत करना चाहिये, उन्हें अधिकार देने चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा जो एमएलए लैड है उसकी ऐसी व्यवस्था हो कि वह विकास के लिए जहां भी पंचायत में किसी एजेंसी को दें, तुरन्त वहां चला जाये। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उनका थोड़ा सरलीकरण कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि विकास जल्दी से जल्दी हो पायेगा।

पंचायती राज के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि पंचायती राज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी एक योजना थी ''निर्मल भारत'', ''स्वच्छ भारत'' उसका पर्यायवाची है। केन्द्र सरकार ने केवल उसका नाम बदल दिया है। बीजेपी ने सिर्फ इस योजना का नाम बदलकर हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर झाड़ू निकाल दी।

यह स्वच्छ भारत का काम किया है। यह योजना आज भी है और पहले भी थी। हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें निर्मल भारत के नाम से यह योजना थी। इस योजना को आगे बढ़ाने का काम पहले से भी हो रहा था लेकिन अखबारों में, मीडिया में दिखाकर अलग से पहचान बनाने का काम किया है।

(समय: 18.00 बजे)

(श्री गोपाल लाल मीना)

मैं समझता हूं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

आज इन्दिरा आवास योजना का नाम बदलकर पी.एम. आवास कर दिया गया। अभी मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे। वे बता रहे थे कि उसमें डेढ़ लाख रुपये मिलते हैं। यह केन्द्र सरकार का मामला है। हमारी तरफ से तो 5 लाख रुपये दें और 5 लाख रुपये से कम में कोई आवास बनता भी नहीं है। आप प्रधान मंत्री से मांग करें, मैं भी करता हूं और यह पूरा सदन करता है कि उन गरीब लोगों को कम से कम 5 लाख रुपये मिलें। डेढ़ लाख रुपये में न तो वह मकान बना पाता है और न उसका मकान बन पाता है। आज महंगाई इतनी हो गयी इसलिए 5 लाख रुपये होने चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

जो हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने नरेगा चलायी, उस नरेगा का आज 35 परसेंट बजट कम कर दिया तथा नरेगा को बिलकुल निचले स्तर पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोरोना के अन्दर अगर नरेगा नहीं होती तो उस समय बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी, लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं थे। उस समय भी नरेगा काम में आयी और नरेगा की वजह से ही आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब आदमी हैं उनको खाने के लिए अनाज मिला, उस समय उनको रोजगार मिला और नरेगा ने इस देश की गरीब जनता के लिए आगे बढ़ने का काम किया। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो केन्द्र सरकार है वह गरीबों के हित में आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी क्योंकि गरीब की जो कोई योजना चलती है उस योजना को सबसे पहले बन्द करने का काम केन्द्र सरकार करती है।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखकर इस देश में नरेगा लाये और देश के कोने-कोने में नरेगा का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि गरीबों को, किसानों का उन्होंने 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया। यह जो वर्तमान में केन्द्र सरकार है, जो गरीब लोगों की कृषि की जमीन है उसके लिए यह सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आयी, कृषि के काले कानून लेकर आयी।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री कन्हैया लाल जी चौधरी।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): यह जो वर्तमान में केन्द्र में सरकार है यह केवल गरीबों का शोषण करने का काम कर रही है, पैसे वालों का कर्ज माफ कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया।

इस पंचायती राज की जो व्यवस्था है, आज जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य बैठे हैं उनके लिए मैं मंत्री जी से पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों की बात सुनें। उनकी जो भी व्यवस्था है उनको सही तरीके से जो शहर में जिला परिषद का सदस्य है उस तरीके से व्यवस्था को पूर्ण किया जाये। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री कन्हैया लाल जी।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 52- पंचायती राज और 53- ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले विकास के लिए वार्षिक योजना बनती है और उस वार्षिक योजना से ही उस गांव का सम्पूर्ण विकास होता है। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वार्षिक योजना ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत का सरपंच बना लेता है। वह न प्रेक्टिकल में ग्राम सभा करता है, न कभी सीआर को, पंचायत समिति सदस्य को, न जिला परिषद सदस्य को बिठाते हैं। सरपंच जीत कर आता है, दस सरपंच के लिए लड़ते हैं, उनमें से एक 300-400 वोटों से जीतकर आता है और उसके हिसाब से वह प्लानिंग कर लेता है। विशेषकर जब विधायक वगैरह वहां जाते हैं तो वे कहते हैं कि विधायक साहब से पैसे लो क्योंकि वह बाकी जगह तो काम करता नहीं है। चाहे केन्द्र का बजट हो, चाहे राज्य का बजट हो, सीधे उनके खाते में जाता है और उसकी मनमर्जी से किसी पर्टिकुलर एरिया में सीसी रोड बनाकर वह काम खतम कर देता है और बाकी पूरा क्षेत्र ऐसे ही पड़ा रहता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंचायत में साल में वार्षिक योजना बनती है तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी हो। जिस तरह से आज पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य मांग कर रहे हैं, बाहर धरना दे रखा है तो उन लोगों की भी उसमें भागीदारी रहे तथा पूरे गांव के बीच में

(श्री कन्हैया लाल)

वार्षिक योजना बने, प्लान बने तो कम से कम प्रोपर जगह पर पैसा लगे। वे शुरुआत ही गलत करते हैं। वार्षिक योजना पहले नहीं बनती थी, अब बनाना चालू कर दिया और एक बार बनाकर वे पटक देते हैं जहां-जहां उनको जरूरत है। जहां पर सीसी रोड की जरूरत नहीं है और आबादी के बाहर ही बना देंगे क्योंकि 30 परसेंट पैसा खर्च करके जेब भरने का काम करते हैं, तो कम से कम पहले इसकी शुरुआत करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विधायक मद की अगर बात करें तो एक ग्राम पंचायत में पांच साल में दस लाख रुपये से ज्यादा का हिस्सा नहीं आता और वहां पर हम कोई सामुदायिक भवन वगैरह बनाना चाहते हैं तो वहां पट्टे में इतने राइडर लगे हुए हैं कि ग्राम पंचायत लिखकर दे देती है कि पंचायत की जगह है, पर इसके बावजूद भी जिला परिषद से उसकी सैंक्शन नहीं आती है।

मैं मेरी बात करूं तो मेरे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में मेरे विधायक मद के कम से कम तीन करोड़ रुपये हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर बने, तो गांवों में आज कोई भी शादी-विवाह हो, कोई भी कार्यक्रम हो तो उसके लिए सामुदायिक भवन की सब जगह मांग करते हैं, इसलिए नियम में थोड़ा संशोधन करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग एक सीट पर परेशान हो रहे हो, अपनी-अपनी सीट पर जाइये। आप भी प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज। इनको बोलिये कि अपनी-अपनी सीट पर जाएं, ऐसे नहीं। डिस्टर्बेंस होता है बोलने वाले को। अपनी सीट पर जाइये आप।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): जिससे उन सामुदायिक भवनों की सैंक्शन निकलेगी और वास्तव में गांवों की मुख्य मांग यही रहती है। वहां पर कोई भी सीसी रोड नहीं मांगता है और हर समाज यही चाहता है कि हमारे समाज के लिए सामुदायिक भवन बने। वह पूरा आबादी में है, कोई चरागाह में नहीं है इसलिए उसकी तो सैंक्शन निकले, इसके लिए आप थोड़ा सा डायरेक्शन जारी करें।

इसके साथ-साथ जिस तरह से गांवों के विकास में सरपंच का एक ही काम होता है कि हम सीसी रोड बना दें। सीसी रोड बनने के बाद में उसमें क्यूरिंग के लिए मिट्टी डाल देते हैं और जब बारिश आती है तो गिट्टी निकल कर जाती है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय,

(श्री कन्हैया लाल)

इसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स आप हर जगह नैसेसरी करें जिससे वह कम से कम एक फैक्टरी में टेस्ट होकर तो आयेगी और उसकी कम से कम दस साल की गारंटी होगी, बाकी कोई भी सीसी रोड दो साल, तीन साल से ज्यादा नहीं टिकती है। वह जितना भी बजट आप दस साल से दे रहे हो, बीस साल से दे रहे हो वह पैसा केवल वहीं पर वेस्टेज चला जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग यूनिट बनायें।

हर ग्राम पंचायत में एक जे.ईएन. की व्यवस्था हो। ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्टें हैं उनमें चार-चार, पांच-पांच ग्राम पंचायतों पर एक है, तो जो भी अटके हुए काम हैं उनको तुरन्त चालू करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम दस साल तक तो उस ग्राम पंचायत में पैसा लगे।

नरेगा की अभी बात चल रही थी और सभी कह रहे हैं कि नरेगा के अन्दर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद ही उसका पैसा मिलता है। हमारे 80 परसेंट लोग खेती पर निर्भर हैं और 20 परसेंट लोग मजदूरी करते हैं, तो कम से कम खेत पर किसान जाए तो उसको नरेगा से जोड़ें। हो सकता है कि यह केन्द्र सरकार की है बाकी आप लोग यहां से भी अभिशंसा करें और कोई ऐसी योजना लेकर आयें जो खेत से जुड़े तो उस नरेगा मद का पूरा का पूरा पैसा सदुपयोग में आये तथा किसान का भला हो।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। धन्यवाद। थैंक यू।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अभी मेरे तीन मिनट तो बीच में वे ही बोल लिए।

श्री सभापति: आपका चार मिनट था।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): विद्यार्थी मित्रों को परमानेंट करें। इसके साथ-साथ पी.एम. आवास के अन्दर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सबसे बड़ा काम है कि जो 2011 और 2018 की जो भी लिस्टें हैं उनको सार्वजनिक करें क्योंकि वह ग्राम विकास अधिकारी जेब में रखता है कि मैं तेरा नम्बर इसके अन्दर ला दूंगा, तू मेरे को बीस हजार रुपये दे दे। अगर वह सार्वजनिक हो जाए तो उस भ्रष्टाचार पर काफी बड़ा अंकुश लग जायेगा, इसलिए यह जरूर करें। मंत्री महोदय, यह मेंडेटरी करें जिससे यह भ्रष्टाचार नहीं हो क्योंकि उस गरीब आदमी को लगता है कि यह मेरा नाम जोड़ देगा जबकि वह नहीं जोड़ सकता। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, आपने ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी जीवनदायिनी किसान, मजदूर, गरीब के लिए नरेगा है। हमारी कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के टाइम पर नरेगा को शुरू किया था। आज कोरोना जैसी महामारी में नरेगा ही ऐसा लोगों के पास रोजगार था जिससे लोगों ने उस महामारी में भी अपना जीवन-यापन किया। सामने वाली पार्टी क्या कहती है कि नरेगा कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है फिर भी हम कांग्रेस की विफलता के प्रतीक को चलायेंगे। ये वे लोग हैं जो गांव और गरीब के खिलाफ हैं। इनके मन में अडानी और अम्बानी जैसे लोग बसे हुए हैं तो ये लोग गरीब के पेट का दर्द क्या जानें। आज नरेगा की जो स्थिति है, उसमें जो पक्के काम हैं उनका पेमेंट, जैसी मेरी मंत्री जी और तमाम लोगों से बात हुई कि नरेगा का जो पक्के काम का पेमेंट है वह भारत सरकार दे नहीं रही है, तो हम हमारे विपक्ष के भाइयों से निवेदन करेंगे कि 25-25 सांसद इनके जीतकर गये हैं, ये उनसे कहकर नरेगा के पक्के काम का पेमेंट दिलायें।

जहां तक मेरा पर्सनल मानना है, नरेगा में हम व्यक्तिगत कामों को प्राथमिकता दें। जिससे आदमी काम भी करेगा, उसके घर में रोजगार भी होगा, चाहे उसके वहां एनिकट बनाना हो, चाहे कुआं खोदना हो, चाहे खेत पर मेड़ डालना हो या उसके खेत के बाहर सड़क बनाने का काम हो, यदि इन कामों को हम नरेगा में प्राथमिकता देंगे तो हमें आने समय में इस काम का, क्योंकि जितने भी काम गांवों में होने थे वे करीब-करीब गांवों में पूरे हो गये हैं, अब आप नरेगा को व्यक्तिगत लाभ की स्कीम से जोड़ें, यह मेरा सुझाव है।

तत्कालीन पंचायती राज मंत्री आदरणीय पायलट साहब ने एक गांव चार काम की स्कीम चलाई थी। आज चाहे खेल मैदान की बाउण्ड्री हो, चाहे चरागाह विकास हो, चाहे मॉडल तालाब हो तो ये जो सारे काम हैं। नरेगा पूरे सवा चार साल से राजस्थान में उसी रफ्तार से चल रही है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नरेगा को आप खुद व्यक्तिगत लाभार्थियों में जोड़ें, जिससे लोगों को लाभ मिल सके।

अभी हमारी बहन इन्दिरा जी बोल रही थीं, वाकई सही बात है। आज

(श्री राकेश पारीक)

इस महंगाई के जमाने में डीजल, पेट्रोल इसके साथ-साथ सीमेंट, पत्थर हर चीज महंगी हो गई है। हम इस सदन से मांग करेंगे, भारत सरकार से मांग करें कि पांच लाख रुपये, यह जो प्रधान मंत्री कह दो, लोगों के मन में इन्दिरा गांधी की बहुत छवि है, लोगों के दिल में, लोग यही कहते हैं कि इन्दिरा आवास है, चाहे आप कितना ही नाम कागजों में लिख दो प्रधान मंत्री का या उसका, लेकिन यह जो स्कीम है पी.एम. आवास योजना, इसमें पूरा राजस्थान का सदन, विपक्ष भी चाहेगा कि पांच लाख रुपये हम उस आदमी को दें।

दूसरा, मालपुरा वाले चौधरी साहब बता रहे थे, वाकई सही बात है। प्रधानमंत्री आवास स्कीम है, जिससे ग्राम सचिव एवं तमाम पोस्ट वाले लोग यदि राज़ी हो गये तो उसको मकान मिलता है, नहीं तो लिख देते हैं, तेरे 2011 की लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए तेरा मकान नहीं बनेगा। इसमें भ्रष्टाचार की बू भी आती है। मेरा आपसे आग्रह है कि गांव के बाहर प्रधानमंत्री आवास स्कीम के लाभार्थियों, किस-किस को तो लाभ मिल गया और किसको मिलने वाला है और किसको कब-कब मिलने वाला है, उसकी वहां पर पेंटिंग कराई जाये, जिससे आम जनता उसको पढ़कर गुमराह नहीं हो।

जहां तक पंचायती राज का सवाल है, मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने राजीविका मिशन के तहत पूरे राजस्थान में दौरे किये, आप पंचायती राज विभाग की सभी योजनाओं के बारे में अनुभव रखते हैं। मुझे भी अजमेर में आपके साथ जाने का मौका मिला। मेरा आपसे आग्रह है कि पंचायतें 1959 में बनीं, बहुत-सी पंचायतों के भवन क्षतिग्रस्त हैं। खासतौर से, मंत्री महोदय, मैं मेरे इलाके की मांग करूंगा, आप पैन भी निकालें, मेरी भिनाय पंचायत समिति का भवन जर्जर हालत में हो गया है, आप उस पंचायत समिति भवन का नया निर्माण करायें। जो ग्राम पंचायतें पुरानी हो गई हैं, उनको आप दिखवाकर उन पंचायत भवनों की स्वीकृति निकालें।

सभापति महोदय की तरफ ध्यान जा रहा है, बोलने के लिए काफी बातें हैं। मुझे पांच मिनट दिये हैं, इसलिए ये मुझे टोके नहीं, उससे पहले मैं बैठ जाऊंगा।

पंचायती राज विभाग के अन्दर खासतौर से आपके बीडीओ, आपके जिला परिषद् के लोगों को आप बोलें कि इन नेताओं की, अधिकारी अपने कानून से चलें न कि प्रधान क्या कह रहा है, प्रमुख क्या कह रहा है, इन

(श्री राकेश पारीक)

चीजों में चलने से, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अन्दर भी हम ऐसे ही चलेंगे तो इस पंचायती राज से देश में कोई फायदा नहीं है, न प्रदेश में फायदा है, न जिले में फायदा है। इन्हीं सभी बातों के साथ धन्यवाद, राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री कालूराम जी।

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, मांग संख्या 52 - पंचायती राज और मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास विभाग पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले पंचायती राज में जो कार्य हो रहे हैं, व्यक्तिगत काम, माननीय मंत्री महोदय, इस पर ध्यान दें। आपने हर पंचायत स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत व्यक्तिगत काम के फार्म भरवाये थे, आज तक एक काम स्वीकृत नहीं हुआ। जेटीए वहां का प्रधान है, जेटीए वहां का अधिकारी बनकर बैठा है। वह एस्टीमेट बनाकर जिला परिषद को नहीं भेजता है। उस गरीब का एस्टीमेट वह जिला परिषद में अगर भेज देता तो उसका काम वहां स्वीकृत हो जाता है। आप इसकी जानकारी कर लें, कोई भी जेटीए, एक-एक पंचायत में दो-दो सौ, तीन-तीन सौ फाइलें पड़ी हैं। वह जेटीए एस्टीमेट नहीं भेजता है।

हम एमएलए लैड के कार्य देते हैं, हम एमएलए लैड में कन्वर्जन के लिए कार्य देते हैं तो हमें बताया जाता है कि कन्वर्जन में पांच लाख आप दें तो दो लाख नरेगा से मिलेगा और एक पंचायत में 75-75 लाख के डायरेक्ट काम सैंक्शन हो जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, वे कैसे हो जाते है? इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक-एक पंचायत में 25-25 लाख के काम, एनिकट डायरेक्ट निकल जाते हैं और जब विधायक दस लाख रुपये देता है तो उसे कहते हैं कि पांच लाख आपको नरेगा से मिलेगा। आप इसमें नियम बनायें। आपकी जन घोषणा क्रियान्वयन की किताब मैंने कल पढ़ी थी। उसमें आपने बताया था कि 6541 कार्य स्वीकृत किये गये 1 हजार 373 करोड़ रुपये के, जिनका कन्वर्जन के माध्यम से क्रियान्वयन किया गया, तो यह कन्वर्जन किस प्रकार से देय है? कितना पैसा अपने कोटे से कन्वर्जन में विधायक को देना पड़ता है और कितना नरेगा से लग सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो। हम पांच लाख दें, दस लाख नरेगा से मिले तो 15 लाख का काम होगा तो पक्का काम होगा। वह पैसा हमारा 60:40 का रेशो बढ़ाता है। मान

(श्री कालूराम)

लें, हमारा पांच लाख रुपये जायेगा तो आपका पैसा लेबर में कम पड़ेगा तो इसलिए कन्वर्जन में ज्यादा से ज्यादा काम कराये तो उस क्षेत्र में ज्यादा विकास होगा।

एक प्रधानमंत्री आवास, सबसे ज्यादा खराब स्थिति प्रधानमंत्री आवास में है। हमारे जिले में 23 हजार नाम कटे हैं। वे सिस्टम से नाम कटे हैं। माननीय मंत्री महोदय, जिसके लैंडलाइन टेलीफोन नहीं है उसके लिख दिया कि इसके टेलीफोन है। जिसके कच्चा मकान है, उसके लिख दिया कि इसके पक्का मकान है। जिसके जॉब कार्ड में नम्बर गलत है। इसमें उस आम गरीब आदमी की क्या गलती है? जॉब कार्ड के आधार से ही नाम कटे हैं। वह जॉब कार्ड कहां सुधारेगा? वह पंचायती राज में अपने को सुधारना पड़ेगा। आपके जॉब कार्ड की मिस्टेक के वजह से नाम कटे थे, 23 हजार करीब नाम कटे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, इन नामों को वापस जुडवायें।

अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि कोई सरपंच चुनाव लड़ता है, उसके सामने पांच और लड़ते हैं। जो उसको वोट नहीं देता है उसके आगे लिख देता है कि उसके पक्का मकान है। उसके मकान नहीं आ सकता है। ग्राम सभा में लिखकर पारित कर देता है, तो उसको आप और हम कोई नहीं कर सकते हैं। इसमें एक नियम बनायें, कमेटी बनायें और उसकी जांच करायें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य धरने पर बैठे हैं, इनके लिए आप कुछ अलग से व्यवस्था करें। ये चुनाव जीतकर आते हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। इनको चुनाव जीतने के बाद कोई पूछता नहीं है, तो इनको भी आप कुछ अधिकार दें, जिससे ये भी कुछ काम कर सकें।

आपने नन्दी गोशाला खोलने की घोषणा की थी, अभी तक नहीं खुली है। ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत सभी सड़कें टूट गई हैं। ठेकेदार आता है, सड़क तोड़कर चला जाता है और आज दिन तक वे सड़कें नहीं बनीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन में जो रोड टूटी हैं उनको बिलकुल सही तरीके से बनाया जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले।

ग्रामीण क्षेत्र में जहां 40 से 50 परसेंट एससी की आबादी है तो उस

(श्री कालूराम)

क्षेत्र में आप एक्स्ट्रा 20 से 25 लाख रुपये का सामुदायिक भवन, सीसी रोड बनाने का काम करें। ऐसा कई गांवों में देखने को नहीं मिला है। जहां 40-50 परसेंट से अधिक की आबादी निवास करती है वहां आपको बनाने की जरूरत है। इसकी लिस्ट बनाकर उन लोगों को फायदा देने की जरूरत है।

विधान सभा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे शहरों में, नगरपालिकाओं में सफाई होती है, ग्रामीण क्षेत्र में सफाई नहीं होती है, रोड बना देते हैं, नाली बना देते हैं, रोड के ऊपर पानी निकलता है, तो सफाई के लिए आप या तो हमारे नरेन्द्र भाई साहब ने कहा था कि नरेगा की लेबर लगायें या वहां कोई अलग कर्मचारी फिट करें। टीएस, एफएस से पैसा तो खूब मिलता है, हर पंचायत में पैसा मिलता है, वह पैसा व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं होता है। यह साफ सफाई के लिए बहुत जरूरी है। उस क्षेत्र में सफाई करायी जाये।

कई गांवों में आज दिन तक श्मशान नहीं बने हैं, खेल मैदान नहीं बने और अमृत सरोवर, जो प्रधान मंत्री जी की सबसे बड़ी सोच थी कि अमृत सरोवर बनायें तो आज दिन तक अमृत सरोवर अभी तक एक-एक पंचायत में एक-एक बनना था, अभी यों मान लो कि मेरी पूरी साठ पंचायतों में से बीस पंचायतों में अमृत सरोवर नहीं बना, तो अमृत सरोवर बनाने की भी बहुत जरूरत है।

जिस प्रकार से राजीव गांधी जल संचय योजना चल रही है पंचायत राज ग्रामीण विकास के अन्तर्गत, इसमें बहुत बड़ा घपला होता है। राजीव गांधी जल संचय योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में आता था, इस प्रकार से राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग करायें। इसका टेन्डर होता है और टेन्डर होकर वह ठेकेदार और यह जे ईएन, ए ईएन मिलकर भ्रष्टाचार करके वह काम होता है।

मेड़बंदी, डिग्गी या एनिकट, ऐसे एनिकट हैं, एक बार मैं एनिकट देखने गया तो वहां नींव ही नहीं थी, ऊपर जमीन के ऊपर एनिकट बना दिया तो, माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो सुविधा है इसको करने की जरूरत है।

आज जो डीलर लोग हड़ताल पर बैठे हैं, उनको भी ध्यान में रखा

(श्री कालूराम)

जाये और जिस प्रकार से आप सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, बिलकुल आपको कराने की जरूरत है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, सभापति महोदय। पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में हुई थी और आज हम महाराष्ट्र और केरल में जाकर पंचायत का मॉडल देखने जाते हैं हिवड़ा बाजार, महाराष्ट्र और केरल में। हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। समय का अभाव है। मुझे पंचायती राज का काफी अनुभव है। प्रथम इकाई से प्रधान, जिला प्रमुख और जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं लेकिन मैं समय के अभाव को देखते हुए कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, वास्तव में आज आप सवेरे से यहां विराजमान हैं उसके लिए धन्यवाद आपको, एक मिनट भी आप बाहर नहीं गये।

नरेगा के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी नरेगा को हमने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा है और तब से हमारे यहां नेटवर्क नहीं आ रहा है और उन मेटों को हम कोसते हैं। न जाने हम क्या-क्या मेटों के लिए बात करते हैं लेकिन उन मेटों का मैं खुद जाकर एक-एक साइट पर देख कर आया हूं, उनको फोटो खींच-खींच कर चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर दूरी तक जाकर और उन मेटों को वह फोटो अपलोड करना पड़ता है। कई बार तीन-तीन, चार-चार बार जाना पड़ता है उनको और दिन में दो बार फोटो अपलोड करना पड़ता है। मेरा सरकार से, मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि एक-एक मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया, वैसे उनको भी आप एक-एक मोबाइल उपलब्ध करवा दें और उनका कुछ भत्ता भी अलग से बढ़ायें तो यह और ही ज्यादा सार्थक होगा और सही रहेगा।

दूसरा निवेदन है मेरा कि नरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उसमें मशीनरी के उपयोग की छूट दे दें आप। उसमें शत-प्रतिशत काम होगा, विकास होगा और वह मजदूर खुद अपनी तरफ से कोई मशीन अगर लगाते हैं तो उस पर रोक नहीं लगानी चाहिये, छूट दे दें ताकि आपका शत-प्रतिशत विकास का काम होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है आपसे कि पंचायत चुनावों को दलगत राजनीति

(श्री खुशवीरसिंह)

से दूर रखें। जिस तरह सरपंचों के चुनाव होते हैं वैसे ही समितियों के और जिला परिषद के चुनाव होने चाहिये। दलगत राजनीति से आप दूर रखें।

मेरा तीसरा आपसे निवेदन है कि आरक्षण की जब व्यवस्था है तो ईडब्ल्यूएस को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विशेष आरक्षण दिया है, तो पंचायती राज में भी उनके दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करायें और यह आप जब भी भाषण दें या मुख्य मंत्री महोदय से इसकी घोषणा करवायें।

हमारे जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्य चालीस-चालीस हजार, पचास-पचास हजार वोटों से जीत कर आते हैं। कई उम्मीदों के साथ जीत कर आते हैं। मुझे पूरा अनुभव है इस बात का, लेकिन उनके पास में कोई पावर नहीं होती है। हम जाते हैं, पूछते हैं कि, साहब, हमें दो पावर मिला है, एक तो समोसा और एक केला। ये दो पावर हम मीटिंग में जाते हैं तो हमें मिलता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको मानदेय दिया जाये और साथ ही वित्तीय अधिकार उनको दिया जाये ताकि वो समय पर अपने काम कर सकें।

दूसरा मेरा निवेदन है सरकार से कि आज राशन डीलर हैं और अभी राशन डीलरों की जो बात हुई है, राशन डीलर को हम सब कोसते भी हैं और राशन डीलर किन परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं, उनको छीजत तक नहीं मिलती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उनको मानदेय दिया जाये और दूसरा बंगाल मॉडल की तरह उनके लिए बंगाल मॉडल लागू किया जाये ताकि वो अपना सही तरीके से काम कर सकें।

(समय: 18.24 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसी तरह ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारण कर कैडर घोषित किया जाये। मंत्री महोदय, आप जाणूदा पधारे थे और जाणूदा में उस बगीचे के अन्दर पचास हजार लोगों के बीच में आपने घोषणा करवायी थी मुझसे विधायक कोष से उसकी बाउण्ड्री बनाने की। पिछली बार जब मैं विधायक था तब आधी बाउण्ड्री मैं बना चुका था और इस बार अड़ंगा लगा दिया जबकि यह तहसीलदार का पत्र है और तहसीलदार ने इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह राजस्व खाते में भूमि धारक का नाम राजस्थान सरकार है। वह राजस्थान सरकार की भूमि है और अभी तक उसकी बाउण्ड्री

(श्री खुशवीरसिंह)

नहीं हो पायी। मंत्री महोदय, आप और हम किस मुंह से वहां जायेंगे? आज आप घोषणा करें और यह राजस्व रिकार्ड में सरकार की भूमि कहला रही है, न तो कोई मंदिर माफी की है न कोई डोली की जमीन है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी परमिशन जारी कर दें। मैंने अनुशंसा कर रखी है विधायक कोष से, उसकी बाउण्ड्री बन जाये और पिछली बार विधायक था तब भी मैं आधी बाउण्ड्री बना चुका हूं विधायक कोष से तो इसमें कोई इस तरह की अड़चन आनी नहीं चाहिये। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है।

सभापति महोदय, हमारे यहां नयी पंचायत समिति गठन हुई है बगड़ी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब तक नये चुनाव नहीं हों, तब तक उनको भंग नहीं किया जाये और उनको यथावत रखा जाये ताकि अभी चुनाव करके आये हैं और वापस वो चुने जायेंगे तो उसमें भारी परेशानी होगी इसलिये उसका नया गठन जब जनरल चुनाव हो उसके साथ में किया जाये।

बीपीएल का सर्वे हुआ लेकिन अभी तक नाम नहीं जुड़ा तो मेरा सरकार से अनुरोध है और जब बोर्ड बनाने की हम सोच ही रहे हैं, बोर्डों का गठन हो ही रहा है, तो मैं कुछ मांग सरकार से करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि हमारे यहां श्रीयादे प्रजापति कुम्हार के लिए बोर्ड का गठन किया जाये, महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाये, शहीद मेजर दलपत सिंह जी के नाम से विकास बोर्ड गठन किया जाये और विश्वकर्मा विकास बोर्ड का गठन किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 52 और 53 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस भारत देश की आत्मा गांवों में निवास करती है और पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रथम सीढ़ी गांव की ग्राम सभा होती है। किसी भी कार्य के विकास हेतु उसकी प्रथम सीढ़ी का मजबूत होना अति आवश्यक है। जब ग्राम सभा मजबूत होगी तो पंचायती राज के कार्यों के माध्यम से विकास अपने आप होते चला जायेगा।

सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि पंचायतह राज के अधीन कई विभाग आते हैं चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सड़क हो, पानी हो, पेयजल हो, यह सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पंचायती राज के अधीन आती हैं, परन्तु

(श्री गोविन्द प्रसाद)

आज जो हमें आवश्यकता है आज जो ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य, इनका भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि दो पंचायतों पर एक जनपद सदस्य होता है और नौ या ग्यारह पंचायतों पर जिला परिषद् सदस्य होता है, उसका सरपंच से भी ज्यादा अधिकार होता है, परन्तु उसको न तो अधिकार दिये गये हैं, न वित्तीय अधिकार दिये गये हैं और न उनको मानदेय, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं मंत्री महोदय से कि इनको अधिकार दिये जायें ताकि उनका अलग फंड बनाया जाये, वो भी विकास की ओर अग्रसर हों।

दूसरी चीज, खाद्य सुरक्षा के तहत जो राशन डीलर आज धरना दे रहे हैं उनकी भी मांग वाकई में वाजिब हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता। थोड़े से कमीशन पर काम करते हैं, तो उनको भी मानदेय दिया जाये और उनका नियमितीकरण किया जाये। मैं आज मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं।

आज, मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब गांव में आत्माएं निवास करती हैं लेकिन मेरे यहां नरेगा में मृत आत्माओं का नाम चल रहा है, और मृत आत्माएं रात को हमें भी परेशान करती हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं मंत्री महोदय, इसकी जांच कराइये आप और उसमें जांच होती है तो अफसर लीपापोती करके उसको वापस जिन्दा आत्माएं बना देते हैं। यह हाल है आपके नरेगा का। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो तीन ब्लाक में है और 65 ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समिति मनोहर थाना में 27 ग्राम पंचायतें हैं, अकलेरा में 31 हैं और झालरापाटन में 7 ग्राम पंचायत हैं, इन ग्राम पंचायतों में और तीनों ब्लाक में करीबन 98 पद रिक्त हैं, उन पदों को भरा जाये।

दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जिस तरह से जहां नगरपालिका नहीं है और उस ब्लाक में जो ब्लाक पंचायत समिति स्थित है वहां पर जो यह कई जगह आग लग जाती है, कई किसानों की कड़ब जल जाती है, घास जल जाता है, तो इसके लिए अग्निशमन मशीन प्रत्येक ब्लाक, जहां नगरपालिका है वहां तो फिर भी मौजूद है लेकिन जहां नगरपालिका नहीं है वहां अग्निशमन मशीन जरूरी है, क्योंकि कहीं किसान की कड़ब जल जाती है, कहीं किसान की घास जल जाती है और मशीन

(श्री गोविन्द प्रसाद)

समय पर नहीं पहुंच पाती है। अगर आप नहीं दे सकते हो तो हम विधायक कोटे से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह नोर्म्स में होना चाहिये और इसको आपको नोर्म्स में डालना चाहिये। कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिनको मैं आपके सामने रखता हूं।

मंत्री महोदय, मेरी पंचायत समिति मनोहर थाना में चार साल में विकास अधिकारी के 12 ट्रांसफर हुए हैं, हर चार महीने में एक ट्रांसफर। अगर इस तरह से स्थानांतरण होंगे तो किस तरह से विकास होगा? हम क्या आशा कर सकते हैं विकास होगा? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से स्थानांतरण न करें ताकि विकास आगे बढ़े।

मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह से पंचायतों में भेदभाव किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की ग्राम पंचायतें हैं, जहां हमारा सरपंच है, वहां न तो पक्के काम दिये जाते हैं, न कच्चे काम दिये जाते हैं...

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): और कांग्रेस की पंचायतों में करोड़ों रुपये के काम दिये जाते हैं और हमारी पंचायतों में लाख रुपये भी नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भेदभाव न करें और समानता का व्यवहार करें, यही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 52 - पंचायती राज एवं मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का, सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने ट्राइबल जिला प्रतापगढ़ में पंचायत पुनर्गठन में तीन पंचायत समितियां और 70 पंचायतें बनाकर प्रतापगढ़ के उन आदिवासी परिवारों का, आदिवासी भाइयों-बहनों के क्षेत्र में जो विकास नहीं के बराबर था और 1450 छोटी-छोटी पंचायतें थीं, क्योंकि हमारे आदिवासी क्षेत्र में गांवों में घर दूर-दूर होते हैं, उसको देखते हुए छोटी-छोटी पंचायतें बनाने का काम किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ पंचायत भवन वन क्षेत्र में हैं और उसकी किस्तें भी कम आती हैं, उनके भवन नहीं बन पाये, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा

(श्री रामलाल मीणा)

कि 15-20 पंचायत भवन हमें नरेगा के अलावा दे दिये जायें, बाकी नरेगा में कुछ बन रहे हैं। तीन पंचायत समितियों के लिए दो-दो करोड़ रुपये की किस्त आ गई है, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से राजस्थान में पंचायती राज और ग्रामीण विकास में माननीय मंत्री जी के कारण से परिवर्तन आया है, पहले इस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन जैसे ही हमारे माननीय मंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद से नरेगा जैसी योजना में भी स्थायी काम होने लगे हैं। आज कहीं एनिकट बन रहे हैं, कहीं तालाब बन रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है।

आज मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में नरेगा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना लागू करके 25 दिन तो बढ़ाये हैं, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में 150 दिन करने की मैं मांग करता हूं। आज मजदूरों की 220 रुपये की रेट है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 30-40 रुपये मजदूरी मिलती थी, आज 200-220 रुपये मजदूरी मिल रही है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं इस मौक़े पर मांग करता हूं कि मजदूरों की रेट को 220 से बढ़ाकर 400 रुपये की जाये। मेट पूरी नरेगा को संचालित करता है, उसके 500 रुपये किये जायें। मेट की तनख्वाह मजदूरों के साथ आये, सामग्री के साथ नहीं आये।

माननीय सभापति महोदय, जब आपने बीएसआर रेट लागू कर दी है, नरेगा में टेंडर प्रणाली का सारे सरपंच विरोध करते हैं, इसलिए इस टेंडर प्रक्रिया को बंद कर बीएसआर दर पर काम प्रारम्भ किया जाये ताकि ठेकेदारों के चक्कर में पंचायतों का विकास नहीं रुके। आज सब सरपंच परेशान हैं, इसलिए हड़ताल करते रहते हैं। माननीय मंत्री जी, वह आपसे भी मिले हैं। सरपंचों की तनख्वाह कम से कम 15000 रुपये, प्रधान, जिला प्रमुख, इन सबकी तनख्वाह बढ़ाने की भी मैं मांग करता हूं। पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों ने भी संगठन बनाकर मांग करना प्रारम्भ कर दिया है। उनके अधिकारों को भी तय किया जाये और उनकी भी तनख्वाह तय की

(श्री रामलाल मीणा)

जाये। माननीय मंत्री महोदय, आपको इस टेंडर प्रणाली को बंद करना ही पड़ेगा।

केन्द्र के बजट में 33 परसेंट नरेगा के बजट को घटाया गया। कोरोना काल में नरेगा ने ही गरीब क्षेत्र के लोगों को जीवन दान दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मांग करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को नरेगा कन्वर्जन में 5 लाख रुपये रुपये की स्वीकृति की पावर है, उसको बढ़ा कर नरेगा कन्वर्जन में 15 लाख किया जाये। पंचायत समिति में नरेगा कन्वर्जन में 10 लाख की पावर को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाये। जिला परिषद में एक्स ईएन को सिर्फ 50 लाख रुपये की पावर है, जबकि पीडब्ल्यूडी और अन्य डिपार्टमेंट में डेढ़ करोड़ की पावर है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिला परिषद के एक्स ईएन को डेढ़ करोड़ रुपये तक की स्वीकृति निकालने की पावर दी जाये।

आज पेपर लीक और कई सारे मामले सामने आते हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो जिला स्तर पर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर एवं भर्ती के सारे काम को जिला परिषद ने देखा था। यह पुन: जिला परिषद के माध्यम से ही हों ताकि सारी समस्याओं का समाधान हो सके। पंचायती राज में जो डिपार्टमेंट आते हैं उनका पंचायती राज सख्ती से निरीक्षण, मॉनिटरिंग करे, जिससे अच्छे ढंग से सभी डिपार्टमेंटों का काम हो सके, जनता के काम समय पर हो सकें।

माननीय मंत्री महोदय, थर्ड ग्रेड के कुछ टीचर पातेय वेतन में आते हैं, उनका न तो आज तक प्रमोशन हुआ, अगर उनके समय पर प्रमोशन होते तो आज वह प्रिंसिपल लेवल तक पहुंच जाते, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, इसलिए पातेय वेतन वाले शिक्षकों का समय पर प्रमोशन करने की मैं मांग करता हूं।

2013 की शिक्षक भर्ती में मेरे प्रतापगढ़ में हाई कोर्ट से एक आर्डर आया था कि जो बीएड एसटीसी रनिंग वाले हैं, उनको भी पात्र माना जाये। 2013 की भर्ती में उनको पात्र मानकर पोस्ट रिजर्व कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। आज वेटिंग में वह 15-20 बच्चे बाकी रह गये हैं, उस 2013 की भर्ती को भी पूरा किया जाये। एलडीसी भर्ती, 2013 को आपने पूरा किया, इसलिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पंचायत सहायक, पैराटीचर्स, शिक्षा कर्मियों को भी आपने नियमित करने का जो काम किया है, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ विद्यार्थी मित्र बाकी रह गये हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही करें।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, कन्वर्जन में व्यक्तिगत कुओं को नरेगा में हम कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक कुओं को अपन नरेगा में नहीं कर रहे हैं, इसलिए गाइड लाइन में सार्वजनिक कुओं को भी नरेगा में किया जाये ताकि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सके।

दूसरा, बीएसआर रेट के अलावा सीमेंट-सरिये की रेटों को बाजार दर पर किया जाये, क्योंकि सीमेंट और सरिये की रेटें कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। हाई रेट अगर होगी तो वह निश्चित रूप से सीमेंट के कट्टे कम डालेगा, सरिया कम डालेगा तो क्वालिटी में नुकसान होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीएसआर के साथ-साथ यह भी कराया जाये।

राशन डीलर काफी समय से मांग कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाये। अगर हमें चोरी को रोकना है तो निश्चित रूप से राशन डीलरों को सम्मानजनक वेतन दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52 व 53, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मनरेगा की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मनरेगा में जब श्रमिक काम करते हैं तो उनकी टास्क पूरी नहीं नापी जाती और इस कारण उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। साथ-साथ आज जो समस्या आ रही है, गांवों में नेटवर्क नहीं है, श्रमिक वहां जाता है तो उसकी हाजिरी नहीं लगती, तो जो कार्य दिवस की राशि उसको मिलनी चाहिये, वह उसको पूरी नहीं मिलती है, सरकार इस पर ध्यान दे और नेटवर्क की वजह से उसकी एब्सेंट नहीं लगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, विधायक कोष की राशि जो पंचायतों में दी जाती है वह सही ढंग से खर्च नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी समय सीमा होनी चाहिये। पार्टी बाजी के आधार पर सरपंच उसको रोक देते हैं और जो जेटीओ एस्टीमेट बनाते हैं, उसमें राशि बढ़ाकर छोड़ देते हैं। हमें कोई समाचार नहीं देते हैं। जितनी राशि दी जाती है, उसका एस्टीमेट बने तो अच्छी बात है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

उतना ही काम हो जाये तो अच्छी बात है, पर ऐसे विधायक कोष पर भी वे लोग अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोका जाये।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1960 के दशक में हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र की आबादी में चकों के ले-आउट प्लान और नक्शे बनाये गये थे, परन्तु 60 सालों में न तो इन्हें लागू किया गया और न ही राजस्व रिकार्ड में इन नक्शों के आधार पर कोई परिवर्तन किया गया। अब कुछ याचिका कर्ताओं द्वारा इन 60 वर्ष पुराने नक्शों के आधार पर हाई कोर्ट के आर्डर हो रहे हैं एवं गांव के गांव तोड़ने के आदेश हो रहे हैं। ये ले-आउट प्लान, कालोनाइजेशन विभाग, बीकानेर द्वारा बनाये गये थे, उनके पास प्रमाणित कापी भी उपलब्ध नहीं है। स्वामित्व योजना में सरकार द्वारा सभी गांवों के नये नक्शे बनाये जा रहे हैं, तो इन ले-आउट प्लान को सरकार निरस्त करे और नया ले-आउट प्लान लागू करे ताकि बसे हुए गांव न टूटें लोग बर्बाद न हों।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में एसएफसी का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरपंच संघ द्वारा इसको लेकर कई बार ज्ञापन दिये गये तथा वे अभी भी दर-दर भटक रहे हैं। श्रीमान जी, आपसे अनुरोध है कि एसएफसी की बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाये, ताकि पंचायतों का विकास हो सके।

सभापति महोदय, सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह लाख रुपये से अधिक की राशि के कार्य करने के लिए अधिकृत कर रखा है। विकास कार्य की राशि छह लाख से अधिक होने पर कार्य टेंडर प्रक्रिया में चला जाता है और कार्य पूर्ण होने में समय लगता है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि ये टेंडर पड़ता है, जो ठेकेदार को नाजायज कमीशन दिया जाता है, उसको हटाकर 10 लाख रुपये के काम करने का सरपंच को सीधा अधिकार दिया जाये, ताकि गांव के काम की क्वालिटी बढ़िया हो।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् के सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जाये, क्योंकि पंचायत समिति के सदस्य जो मीटिंग में आते हैं, जिला परिषद् का सदस्य मीटिंग में आता है, उसका खर्चा अधिक हो जाता है, इसलिए उनका मानदेय बढ़ाया जाये। पंचायत समिति व जिला परिषद् के सदस्यों को अधिकार दिये जायें ताकि वे विकास के कार्यों में सही भागीदारी निभा सकें और पंचायत में कराने वाले काम की गुणवत्ता के आधार पर उसका आकलन

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

भी किया जाये। टेण्डर न करके बीएसआर के आधार पर पीडब्ल्यूडी की तरह उनको काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ पंचायतें पट्टे नहीं बना रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पट्टे बनाने की जो बात है, उसकी समय अवधि होनी चाहिए ताकि कोई गरीब आदमी पट्टे से वंचित नहीं रहे और उसका हक न मरे। इसी के साथ-साथ पंचायत समितियों की बैठक त्रैमासिक होनी चाहिए। स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग उसके साथ हो, ताकि विकास के कार्यों की समीक्षा हो सके और गांव के अन्दर विकास हो सके।

मैं स्वच्छता के बारे में कहना चाहता हूं कि गांव के अन्दर नालियां बन रही हैं, गांव के अन्दर सड़कें बन रही हैं और गांव के अन्दर नालियों की वजह से मच्छर हो रहे हैं। उनकी सफाई नहीं होने के कारण आज भयंकर बीमारी फैल रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार सफाई कर्मचारियों की पंचायतों में भर्ती करे, ताकि वहां पर साफ-सफाई हो सके।

श्री सभापति: श्री नगराज मीणा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): विकास पथ के लिए आपने स्वीकृति दी थी। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में आज तक एक भी विकास पथ नहीं बना है। अत: भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर जो गौरव पथ बने थे, उन्हें वापस शुरू किया जाये। जिस प्रकार से आपने बजट में घोषणा की थी, उसको लागू करें ताकि आपके काम की तुलना हो सके, आपके काम की चर्चा हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो...

श्री नगराज (धरियावद): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 52 और 53 की अपनी मांगों को टेबल करता हूं।

श्री सभापति: इजाजत है।

(माननीय सदस्य श्री नगराज के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 04 देखें)

श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 52 और 53 को टेबल करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति: इजाजत है।

(माननीय सदस्य श्री हाकम अली खां के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 04 देखें)

(श्री सभापति)

श्रीमती इन्द्रा (अनुपस्थित), श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): पेयजल पर मैं टेबल करना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमार के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 04 देखें)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। हम मांग संख्या 52 और 53- पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि पूरे देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की घोषणा हमारे राजस्थान के नागौर से हुई। तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू स्वयं यहां पधारे और घोषणा की। उसके आधार पर नियम बने, कायदे बने, उसके बाद 1959 में जाकर चुनाव हुए। मैं बहुत गर्व के साथ याद कर रहा हूं कि 1959 के चुनाव में मेरे पिताजी ने भी गांव में चुनाव में भाग लिया था। पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। पुराने लोगों को याद होगा कि 1959 में पहला चुनाव हुआ था, दूसरा चुनाव कब हुआ था? लगभग 17 साल तक दूसरा कोई चुनाव नहीं हुआ और वही सरपंच चलते रहे।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दूसरा चुनाव 1964 में हुआ था।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 1964 तो उसके बाद 13 साल तक नहीं हुआ। वह आपके खाते में लिखा हुआ है। 13 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ और वो के वो ही सरपंच चलते रहे, कई उनमें से मर भी गये। धन्यवाद देना चाहिए, याद करना चाहिए स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत को कि संविधान संशोधन के बाद उन्होंने नगरपालिका और पंचायती राज, दोनों के लिए विधान सभा से भी कानून पास कराये। इतने मजबूत कानून पास कराये कि सारा देश, दूसरे स्टेट उस कानून को देखकर सीखते रहे और उसमें ऐसे सारे प्रोविजन डाले कि ये संस्थाएं कभी भी कमजोर नहीं हो सकतीं। नियमित समय पर आपको चुनाव कराना ही कराना है। विधायक का पद, सांसद का पद छह महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता तो वैसे ही सरपंच का पद खाली नहीं रह सकता, प्रधान का पद खाली नहीं रह सकता, प्रमुख का पद खाली नहीं रह सकता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संविधान के 73वें, 74वें संशोधन के बाद डालने पड़े।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हां, मैंने पहले बोल दिया, आपने थोड़ा कम सुना होगा। संविधान संशोधनों के बाद राजस्थान की विधान सभा ने कानून पास किये और वे कानून पूरे देश में मॉडल हैं, आदर्श हैं। यह मैं कहना चाह रहा हूं।

मैं इन पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा करना चाहूंगा। किसी भी संस्था को मजबूती आर्थिक आधार पर मिलती है। जब तक आर्थिक आधार मजबूत नहीं हो, तब तक कोई भी संस्था ज्यादा लंबी नहीं चल सकती? पंचायतों को क्या मिलता है? अब ये नये सिस्टम बन गये। भारत सरकार से मिल रहा है, राज्य सरकार से भी मिल रहा है। उनके आधार पर पंचायत चल रही है। पंचायतों की निजी आय शून्य है। वह निजी आय भी बननी चाहिए, उसके लिए हमने कभी व्यवस्था नहीं सोची। एक व्यवस्था सोच रखी है, कानून में प्रावधान है। उस पंचायत की किसी भी जमीन की रजिस्ट्री होगी, दस्तावेज का पंजीकरण होगा, उसमें से रजिस्ट्री शुल्क का कुछ हिस्सा पंचायत को जाने का प्रावधान है, आज तक किसी पंचायत को नहीं मिला है। वह एक सोर्स था जो कि हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से, पूरे पंचायत क्षेत्र में हमारे यहां बार-बार मांग आती है कि जूलीफ्लोरा बहुत ज्यादा है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कहते रहते हैं, हम जालौर वाले भी कहते हैं। जूलीफ्लोरा हमारे लिए मुसीबत है, लेकिन पंचायत के लिए वह असेट बन सकती है। उस जूलीफ्लोरा को हर साल काटा जा सकता है, वह तो हर साल बढ़ता है। उसे सर्दियों में काटा जाये और फिर उसके कोयले बनाये जायें। यदि वह कोयला बेचें, नीलाम करें तो पंचायत की आय का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।

इसी तरह से खनिज सम्पदा हैं। उस पंचायत क्षेत्र में यदि कोई खनिज सम्पदा है, उसकी रायल्टी सरकार ले रही है, खनिज विभाग ले रहा है, उसमें पंचायत को हिस्सा दीजिये। क्यों नहीं दे रहे? आपने ये जो बजरी के माफिया खड़े कर दिये, पूरा जिला एक आदमी को दे दिया। वह मर्जी चाहे, वह कर रहा है। मेरा पवित्र सदन के माध्यम से सुझाव है कि उस बजरी के छोटे-छोटे बनाइये। हर पंचायत का एक पट्टा बनाइये और उसकी नीलामी कीजिये। स्थानीय युवक को रोजगार मिलेगा, पंचायत की आमदनी होगी। उसमें से पंचायत को हिस्सा मिलना चाहिए। यह भी एक तरीका हो सकता है। इसी प्रकार से और भी कई तरीके निकाले जा सकते हैं। जो पंचायतों की दुकानें बनी हुई हैं उनका किराया समय पर मिलता रहे और अच्छा मिलता रहे।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पंचायतों की वह भी चिंता हो। पंचायत क्षेत्र में जो आबादी भूमि होती है, जो आबादी गांव की दर्ज है, वह तो ठीक है, उसके बाद मैंने मेरे खेत को आबादी में कन्वर्ट करा दिया, वह भी मेरी पंचायत क्षेत्र में आता है, लेकिन पंचायत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। उस पर वे पट्टे पंचायत नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? नगरपालिका क्षेत्र में मेरा खेत है और मैं उसको कन्वर्ट कराता हूं तो नगरपालिका उसमें पट्टा देने का हकदार बन जाती है। उसका विकास शुल्क लेने का हकदार बन जाती है। पंचायत क्यों नहीं बनती? यह प्रोविजन हमारे एक्ट में करने की आवश्यकता है। उससे भी इसमें बहुत बड़ी ताकत पंचायतों को मिलेगी। आबादी भूमि का रिकार्ड भी पंचायत के पास रहना चाहिए। पूरी पंचायत में जितनी भी आबादी भूमि है, उसका पूरा रिकार्ड, एक-एक खसरे का रिकार्ड, एक-एक इंच जमीन का रिकार्ड जैसे पटवारी के पास होता है, वैसे ही पंचायत भवन में भी होना चाहिए। इसी तरह से उस पंचायत क्षेत्र की जो गोचर भूमि है, शुरू में तो अतिक्रमण होते ही जाते हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 52- पंचायती राज विभाग और मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग की मांगें पारित होने तथा आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक समय बढ़ाया जाए?

(**स्वीकृत**)

सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 52 - पंचायती राज व मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास पर विचार

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, मैं गोचर भूमि की बात कर रहा था। पहले तो अतिक्रमण हो जाते थे, लेकिन उसको रोकने के लिए अच्छा कदम हमने उठाया है कि उसको तारबंदी से हम कवर करवा देते हैं, तो कम से कम नया अतिक्रमण तो नहीं हो। इसमें भी और अच्छा हो कि उसका

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सदुपयोग हो और उसमें से भी कुछ इनकम निकल सके पंचायत के लिए, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। गावों में भवन बनते हैं, उसकी इजाजत देने का, उसके बायलाज बनाने का कोई अधिकार पंचायत को नहीं है। जिसकी जैसी मर्जी वैसा मकान बना दे और बड़ा बना दे, छोटा बना दे, बाहर निकाल दे, कुछ भी कर ले, परंतु पंचायत के पास कोई बड़ा अधिकार उसमें नहीं है। उसके भी अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है, उसको भी रेगुलराइज किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमारे भारतीय संविधान के जो नीति-निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 40 में, पंचायती राज के लिए, उसमें जो प्रोविजन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसको लेकर भी हमको और अच्छा काम करने की आवश्यकता है। जो विषय हमने दिये हैं पंचायती राज को, कागजों में हमने बहुत सारे विभाग दे दिये, प्रारंभिक शिक्षा दे दिया, आयुर्वेद दे दिया, चिकित्सा विभाग दे दिया, कागजों में हमने बहुत अच्छे से दे दिया लेकिन उनका एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण अभी भी पंचायतों के पास नहीं आया है। पंचायती राज संस्थान को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

पट्टा देने के जो नियम हैं, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आप भी शायद उस समय थे सदन में जब 1996 में कानून बन रहा था पंचायती राज का, तब हमारे विधायक दल में डिस्कस हुआ था, तब मैंने निवेदन किया था उस समय के माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब से कि गांवों में बड़े लोगों के पास तो पट्टे हैं, एससी/एसटी/ओबीसी किसी के पास पट्टा नहीं है। मैंने कहा, मेरे गांव में मेरा जो पुश्तैनी मकान है, उसका भी पट्टा नहीं है। जब मेरे भाई की बैंक में नौकरी लगी और लोन लेने की आवश्यकता हुई, हम लोन मांगने गये बैंक में तो उन्होंने कहा कि पट्टा लाइए। पट्टा मांगने गये तो पंचायत ने कहा, पंचायत समिति में जाइए। पंचायत समिति में गये तो बोले कि 25 हजार रुपये लगेंगे, डीएलसी रेट के आधार पर। वह प्लाट ही 5-7 हजार का था, उस जमाने में। मैंने कहा, मैं नहीं बना सकता। भैरोंसिंह जी साहब को वह बात समझ में आयी। उन्होंने बाकायदा एक्ट में प्रोविजन किया, उसमें 50 रुपये और 100 रुपये का शुल्क रखा था, जो हमने आज 300 गज तक की जमीन का, पुश्तैनी मकान का, जमीन नहीं, पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का 200 रुपये, 400 रुपये ऐसा कुछ किया है, वह कोई खास बात नहीं है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, लेकिन जो खास बात मैं कहना चाह रहा हूं 26 साल हो गये उस कानून को लागू हुए, 26 साल बाद तो एक भी पुश्तैनी मकान किसी भी गांव में बिना पट्टे के नहीं बचना चाहिए था, लेकिन आज भी हैं। सरपंच, ग्राम सेवक रुचि ही नहीं लेते इसमें। जो प्रभावशाली लोग हैं, दबाव डाल सकते हैं, किसी तरह से सरपंच व ग्राम सेवक को मैनेज कर सकते हैं, उनको तो पट्टा बन जाता है, बाकी जो गरीब आदमी है, जिनको वास्तव में ज्यादा आवश्यकता है, वह वंचित रह जाते हैं। क्यों नहीं इसको अनिवार्य किया जाए? सरपंच व ग्राम सेवक को, जिसको आपने अब अधिकारी बना दिया है, वह ग्राम सेवक था तब ही ताबे में नहीं आ रहा था, अब उसको आपने ग्राम विकास अधिकारी बना दिया है। उसकी एसीआर में लिखा जाए कि तेरी पंचायत में एक भी पुश्तैनी मकान का एक भी पट्टा बाकी नहीं है। पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने में ग्राम सेवक को बहुत जोर पड़ता है, सरपंच को बहुत जोर पड़ता है। अगर दूसरा पट्टा बनाना है तो तैयार है। कब्जे का पट्टा बना लेगा, बाकी सारा खेल कर लेगा। इस बारे में भी चिन्ता किये जाने की आवश्यकता है। इसको अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंचों को भी अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है। सरपंचों के साथ-साथ जो त्रिस्तरीय हमने व्यवस्था की है, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्यों को भी अधिकार देने की आवश्यकता है। हमने जालौर में एक प्रयोग किया था। जब ऊकसिंह जी देवल हमारे जिला प्रमुख थे, जिला परिषद् में जितना भी पैसा सरकार से आता था, 31 मेम्बर हैं हमारे जिला परिषद् में, पूरे 31 भाग करते थे वे उसके, 31 लाख आये, एक-एक लाख सबको दे दिया। आपकी अनुशंसा पर वह एक लाख रुपया खर्च होगा। अघोषित रूप से हमने अधिकार दिया था। मैं विधायक था उस समय। हमने दे दिया था। वैसा कानून में प्रावधान क्यों नहीं हो सकता कि उनकी अनुशंसा पर भी कुछ काम होंगे, विकास के काम होंगे? विकास के कामों के लिए चाहिए तो कुछ पावर उनको मिले।

सभापति महोदय, गांव से 50-60 किलोमीटर दूर से, मेरी पंचायत समिति सायला बहुत लम्बी-चौड़ी है, इस पार से उस पार तक 70-80 किलोमीटर लम्बा है। इस कोने से उस कोने तक जब आदमी मीटिंग में भाग लेने जाता है और खासकर जब महिला जाती है तो उनके साथ में तो सहयोगी और कोई जाते ही हैं, तो वह सारा खर्चा उनके माथे पड़ता है। उसके बारे में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

भी हमको, उनके टीए/डीए के बारे में, उनके मानदेय के बारे में, बैठक में भाग लेने के मानदेय के बारे में, बैठक के अतिरिक्त भी, अब राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं रह गया है, अब राजनीति फुल टाइम जॉब होता जा रहा है। चाहे वह सरपंच के लिए हो, चाहे वह पंचायत समिति मैम्बर के लिए हो, चाहे जिला परिषद मैम्बर के लिए हो, चाहे प्रधान, प्रमुख के लिए हो, चाहे विधायक, सांसद के लिए हो। फुल टाइम जब वह राजनीति में अपना समय लगायेगा तो उसको अपने खर्चे निकालने लायक कुछ मिल जाए, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। इस बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरपंचों को अधिकार भी मिले और आर्थिक रूप से सरपंचों को, पंचायत समिति सदस्यों को और जिला परिषद मैम्बर्स को, प्रधान, प्रमुखों को भी कुछ हम मजबूत करें, कुछ सहयोग करें, ऐसी कुछ व्यवस्था हमको सोचनी चाहिए। मैं जालौर जिले के हमारी भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायकों की तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि हम इस मांग के पक्ष में हैं और इस पर आपको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं एलआईसी में नौकरी करता था, फिर मेरा बैंक में सलेक्शन हो गया। मारवाड़ ग्रामीण बैंक में मैनेजर बनकर जब मैं गया तो मेरी ट्रेनिंग हुई उदयपुर में। सवा महीने मैं वहां रहा। वहां मुझे फ्रांस का नागरिक मिल गया। वह घूमने आया था और हम शाम को 5 बजे बाद फ्री होते थे तो मिल गये। मैंने उससे बहुत सारी बातें कीं और दो-तीन दिन तक हम साथ रहे। मैंने एक सवाल उससे पूछा कि फ्रांस में गांव और शहर में क्या अंतर है? उसने एक वाक्य में जवाब दिया, the only difference is of population. शहर में आबादी ज्यादा होती है, गांव में आबादी कम होती है, बाकी कोई फर्क नहीं। अब जरा भारत के गांवों की कल्पना कीजिए। सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, रोजगार नहीं और आवागमन के साधन नहीं।

महात्मा गांधी ने इसी को 'ग्राम स्वराज' कहा है। ग्राम विकास की कल्पना वही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी इसी को 'आत्मनिर्भर गांव' की संज्ञा दी है, 'स्वावलंबी गांव' की संज्ञा दी है। जिस गांव में पानी की सुविधा पर्याप्त होगी, बिजली की सुविधा पर्याप्त होगी, चिकित्सा सुविधा होगी, बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार आसपास में उपलब्ध होगा और यदि बाहर जाना पड़े किसी काम से तो आवागमन के साधन और

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सड़क अच्छी होगी, कोई आदमी गांव छोड़कर शहर में जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन नगरीय विकास की डिमांड्स पर बोलते हुए माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि शहरों में आबादी बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि गांवों में सुविधाएं नहीं हैं। आप गांव की सुविधा बढ़ा दीजिए, गांव में ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि शहर आने की आवश्यकता ही महसूस न हो। शहर में रहने वाले गांव में भागना पसन्द करेंगे, यह परिस्थिति हमको बनाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारे काम हमको करने की जरूरत पड़ेगी। स्वच्छ भारत मिशन उसी का एक हिस्सा है।

सभापति महोदय, अभी कह रहे थे निर्मल भारत। निर्मल भारत, कागजों में ही थी वह योजना। हुआ क्या था उसमें? स्वच्छ भारत में क्या-क्या हुआ, आपको पता नहीं। हर घर में टॉयलेट बन गया। आपकी सरकार ने भी गांवों को ओडीएफ घोषित किया, हमारी सरकार ने भी किया। टॉयलेट बने हैं जब घोषित किया है। कोई खुले में शौच नहीं जायेगा। यह उपलब्धि इस बड़े देश में, इतने बिखरे हुए विशाल देश में यह उपलब्धि भारत सरकार कर पायी, उसके लिए हमको निश्चित रूप से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, परंतु उसका दूसरा चरण और तीसरा चरण अभी बाकी है। कमिटेड टॉयलेट्स अभी पूरे नहीं बने हैं, बहुत कम बने हैं। सार्वजनिक शौचालय बनने चाहिए और गांव का जो पानी है, चाहे शौचालय का हो, चाहे रसोई का हो, चाहे घर के आंगन का हो, उस पानी का प्रोपर डिस्पोजल होना चाहिए। यह अभी तक हम नहीं कर पाये हैं। बहुत सारे गांव कीचड़ से भरे पड़े हैं। बहुत सारे गांव गिना सकता हूं मैं। मेरा ढकातरा गांव, मेरा नोक गांव, ऐसे और भी गांव भरे पड़े है पानी से, कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है। पैसा भी है अपने पास। स्वच्छ भारत मिशन में पैसा भी पर्याप्त है, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसकी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

नगरपालिका में जो आपने घर-घर कचरा इकट्ठा करने की गाड़ियां लगाई हैं। आजकल तो ई-व्हीकल मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं। एक पंचायत को एक व्हीकल हमको देना चाहिए ताकि वह घर-घर से कचरा इकट्ठा करें तो गंदगी हो ही नहीं। इसकी भी हमको चिन्ता करने की आवश्यकता है। ओडीएफ प्लस को हमको सक्सेस करना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छी योजना है बहुत लोगों को, गरीबों को इसमें छत मिली है। इसके बारे में भी हमको थोड़ा और जागरूक होकर अच्छी उपलब्धि हासिल करनी चाहिए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, मनरेगा की बहुत चर्चा हो रही है। मनरेगा के कारण फायदा हुआ है, ऐसा कहते हैं। मैंने गणित निकाला है। 231 रुपये अधिकतम मजदूरी देनी थी और 125 दिन अब किया है आपने, साल में 125 दिन। 231X125 होता है 875 रुपये। आप 12 का भाग दीजिए एक महीने का 2400 रुपये। 2400 रुपये, यह तो हाइएस्ट है, इतना नहीं मिलता है, 231 नहीं मिल रहा। जालौर ज़िले में मुश्किल से 175 या 176 रुपये मिल रहा है, उसके हिसाब से तो और भी कम होता है। यदि पूरा दे दिया तो आप 2400 रुपये एक महीने का दे रहे हो जैसे आपने तो कुबेर का खजाना लुटा दिया, इतना कुछ नहीं है।

(समय: 19.00 बजे)

आप लोग बार-बार बोल रहे हैं नरेगा अच्छी योजना है। नरेगा में जो भुगतान हो रहे हैं, श्रमिक का भुगतान तो हो जाता है, 15 दिन की जगह दो-चार दिन ऊपर-नीचे हो जाता है, ठीक है। कुशल श्रमिक व मैटेरियल कम्पोनेंट, सामग्री का भुगतान समय पर नहीं होता है। कुशल श्रमिक को आपने मैटेरियल में डाल दिया। मजदूर तो पैसा टाइम पर ले लेता है और कारीगर को छह-छह महीने बाद मिलता है। यह व्यवस्था है, उसकी चिन्ता करनी चाहिए। कुशल श्रमिकों को भी समय पर भुगतान मिले। मैटेरियल कम्पोनेंट का भुगतान भी समय पर मिले।

मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास भीलवाड़ा का उदाहरण है। नरेगा के पेमेंट का मामला था। पांच-सात सरपंचों ने गड़बड़ की, घोटाला किया, उनकी शिकायत आई। पांच-सात सरपंचों का पेमेंट रोका जाए, जांच की जाए, लोगों ने यह मांग की। कलेक्टर ने 100 परसेंट का पेमेंट रोक लिया। 100 परसेंट पंचायतों का पैसा कलेक्टर ने रोक लिया। उन पांच को पनिश करिए। आपने उनको तो इनाम दे दिया, उनकी जांच नहीं हो रही है। पेमेंट रुका, उनके तो ठीक है। ईमानदारी से जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको आपने और पनिशमेंट दे दिया। मंत्री महोदय, तुरंत संज्ञान लीजिए, भीलवाड़ा कलेक्टर से बात कीजिए। पेमेंट करवाया जाना चाहिए।

नरेगा के लिए बार-बार आप बोलते हैं कि भारत सरकार ने बजट में राशि घटा दी। घटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, आपका यह रिकार्ड क्या बोल रहा है। मानव दिवस, मैं राजस्थान के आंकड़े बोल रहा हूं और आपके प्रगति प्रतिवेदन से लिए हैं। मंत्री महोदय, 46 करोड़ 5 लाख 34 हजार 802, 2020-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

21 में, नोट करिये। वर्ष 2021-22 में 42 करोड़, 46 से 42 करोड़ हो गया, 42 करोड़ 42 लाख 95 हजार 766 है। वर्ष 2022-23 में 33 करोड़ 15 लाख 78 हजार, एक तिहाई कम हो गया, आप दो तिहाई पर आ गये। जब आप काम ही नहीं करोगे तो पैसा कहां से मिलेगा, बजट कहां से मिलेगा? इस आधार पर ही तो भारत सरकार व राज्य सरकार के बजट तय होते हैं। आपकी परफॉर्मेंस से ही होते हैं। आप मजदूर ही नहीं लगा पा रहे हो।

मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, इस नरेगा के कारण सबसे ज्यादा संकट अगर किसी पर आया तो वह किसान पर आया, उसको मजदूर नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। इस योजना में कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए कि अगर किसान डिमांड करता है कि मेरे खेत में मजदूरी की आवश्यकता है, फसल काटने के लिए, फसल बोने के लिए, निराई-गुड़ाई के लिए, तो उसको प्राथमिकता से मजदूर दिए जाएं, उसकी व्यवस्था करिये। किसान मर रहा है, उसकी कोस्ट बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, क्योंकि उसको मजदूरी बहुत महंगी पड़ रही है।

आपने नरेगा को मैनेज करने के लिए तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था की है, तात्कालीक व्यवस्था है, टेम्परेरी है। आपने लम्बे-चौड़े नियम बनाए। सारा सर्कुलर मेरे हाथ में है। जूनियर टैक्नीकल असिस्टेंट (जेटीए) को आप 10 के आस-पास पंचायत देते हो। तीन साल से ज्यादा वह सर्कल में नहीं रहेगा। तीन साल बाद या तो वह हटेगा या उसको दूसरा सर्कल मिलेगा। एक समिति में, मेरे वहां 50 पंचायतें हैं, कम से कम पांच जेटीए होने चाहिए, एक लगा हुआ है, वह एक भी सात-आठ साल से है। वह क्या करेगा, वह अपनी पूरी मनमानी करता है। जिसको अपना कागज साइन करवाना है, जिसको अपनी एमडी भरवानी है, उसकी गरज करनी ही करनी है। सरपंचों के पास कोई विकल्प नहीं है। प्रधानों, प्रमुखों के पास, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। जहां पांच होने चाहिए, वहां एक लगा है। आप सर्कल क्या बदलोगे, हमारे पास एक ही है। नंगा क्या नहाएगा और क्या धोएगा। इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए। जेटीए की संख्या बढ़ाइये। इनका काम सिर्फ नरेगा का है, नाप करना और एमडी भरना। दुनिया भर की सारी पंचायतों का वही कर रहे हैं। विधायक कोष से मैं पैसा दे रहा हूं, एस्टीमेट कौन बनाएगा, जेटीए बनाएगा। सारे काम उनको सौंप दिये। दूसरा स्टाफ आपने देख रखा है, जे ईएन, एक्स ईएन, ए ईएन की पोस्ट खाली है, इसलिए वह सारा लोड भी उन पर पड़ रहा है। उनका

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

भी शोषण हो रहा है और वह भी शोषण कर रहे हैं। इसका कोई न कोई हल निकालना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार के समय गौरव पथ था। हर पंचायत में एक-एक रोड आज भी मौजूद है। राजस्थान की एक भी पंचायत नहीं बची। आपने भी यही नकल करने की कोशिश की थी विकास पथ के नाम पर। पांच साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बना है। आपके उधर के विधायक भी यही कह रहे हैं कि एक ही बना है। एक से अधिक किसी विधायक के बना हो तो बता दें। किसी समिति में बना हो तो बता दीजिए? नहीं है, आप नहीं कर पाये। आपने हमारी सरकार की होड़ करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाये, आप इसमें फेल हो गये।

महोदय, राशन डीलर की बात चल रही है। पहले भी इस विभाग के मंत्री थे, उनको मैंने चैलेंज करके कहा था और आज के मंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को एक राशन की दुकान दे दो और उस राशन की दुकान के आधार पर उसका घर चलाकर बता दो। कौन आयेगा, क्यों आयेगा? पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता था, अब वह पोस मशीन आने के बाद कुछ सम्भव नहीं है। आपको भविष्य में कोई राशन डीलर नहीं मिलेंगे। घर का देकर कौन धन्धा करेगा? इसलिए उनका मानदेय बढ़ना चाहिए।

आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विधायक मद का कोष है, उसमें बहुत सारे नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। पहले बहुत ईजी होता था, अब बहुत कठिन हो रहा है। अभी हरीश मीना जी कह रहे थे कि गांव-गांव में पुस्तकालय होने चाहिए। मैंने मेरे विधायक मद से, एक-एक लाख रुपये, स्कूलों के पुस्तकालय में पुस्तकें देने की अनुशंसा की। एक साल तो मिल गईं, दूसरे साल मना हो गया। सी.ई.ओ. बदल गया, उसका समझ में नहीं आया। उसने पंचायती राज विभाग को भेजा, वहां से ना आ गया। मेरे ना आने के बाद, दो महीने बाद दूसरे ज़िले में यस हो गया, उन्होंने किताबें खरीद लीं। बच्चों को अच्छी किताबें देना चाह रहे हैं, प्रेरणादायक किताबें हैं, महापुरुषों की जीवनियां हैं, वह अलाउ कीजिये।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

छात्रावास के लिए हर समाज अपनी-अपनी कोशिश करता है। हर समाज चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके लिए छात्रावास बनता है। राजपूत समाज ने कई जगह बना रखे हैं, विश्नोई समाज ने कई जगह बना रखे हैं, जयपुर में बना रखे हैं, ये अच्छे काम हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं छात्रावासों में कक्ष देने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। नियमों में संशोधन करके यह करें।

सभापति महोदय, कुल मिलाकर यह है कि पंचायती राज संस्थान को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने में अग्रणी रहा है। राजस्थान भैरोंसिंह जी के समय भी अग्रणी रहा है नियम बनाने में। अब भी राजस्थान का पंचायती राज संस्थान पूरे देश के लिए मॉडल बने, ऐसा कोई प्रयास हमको करना चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 37)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने छत्तीसवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 एवं मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023	1- बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023; 2- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023; एवं 3- राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 -पर विचार एवं पारण।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मंगलवार, दिनांक 21मार्च 2023	1- प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022; 2- राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023; एवं 3- जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 -पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री रमेश चन्द्र मीना।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 52 - पंचायती राज व 53 - ग्रामीण विकास पर विचार

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52 - पंचायती राज विभाग के सम्बन्ध में 72 माननीय सदस्यों से 197 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास विभाग के सम्बन्ध में 64 माननीय सदस्यों से 182 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी के उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को 24 घंटे में पहुंचा दिये जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज 6 घंटे और 25 मिनट के लगभग माननीय सदस्यों ने चर्चा की है जिसमें करीब लगभग 44 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, तो आज माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आज मांग संख्या 52 एवं मांग संख्या 53 पर बहुत बहुमूल्य चर्चा हुई। अपना उद्बोधन प्रारम्भ करने से पूर्व मैं आज की चर्चा में शामिल माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय

(श्री रमेश चन्द मीना)

सदस्यों द्वारा आज की चर्चा के दौरान जो भी बहुमूल्य विचार व्यक्त किये गये हैं, राजस्थान राज्य के लिए इन चर्चाओं का परिणाम सार्थक हो, इसका मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। ग्रामीण जनता के हितों के लिए हम लोग आपके अच्छे सुझावों का समावेश कर सर्वमान्य नीति निर्धारित कर सकेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जो विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर अति विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वंचित परिवारों एवं आमजनों को सुगम एवं आत्मनिर्भर जीवन यापन करने हेतु स्थितियां सृजित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है और स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध करवाकर आत्मनिर्भर बनाने के नये लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

मैं आज सदन में आप सबको यह बताना चाहूंगा कि पंचायती राज का इतिहास और विकास क्रम बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन समय से ही पंचायतों द्वारा गांवों के प्रशासन एवं व्यवस्था को चलाने के लिए एक व्यवस्थित और प्रमाणित व्यवस्था रही है। यह इतनी कारगर व्यवस्था रही है कि यह इस बात से पता चलता है कि आज भी भारत में पंचायती राज सफलतापूर्वक काम कर रहा है और आगे और नवीन ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।

पंचायती राज स्थानीय स्व-शासन की एक व्यवस्था है और भारत में स्थानीय स्व-शासन की संकल्पना कोई नई नहीं है। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ग्रामीण समुदाय ने इस व्यवस्था को जीवंत बनाये रखा है। इस समय-काल में कई साम्राज्य बने और ध्वस्त हुए लेकिन इन ग्रामीण समुदायों ने अपनी स्थानीय प्रशासन के अस्तित्व और भावना को सदैव कायम रखा। यह ही उनकी स्वीकार्यता और सफलता का कारण रहा है।

भारत में पंचायती राज इतिहास को तीन काल में विभाजित किया जा सकता है। पहला ब्रिटिश काल के आरम्भ से पहले का पंचायती राज का इतिहास, दूसरा ब्रिटिश काल के आगमन से स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने तक और तीसरा संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का इतिहास।

वैदिक युग के प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा और समिति जैसी इकाइयों का जिक्र

(श्री रमेश चन्द मीना)

मिलता है हालांकि उस समय कोई नागरिक प्रशासन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी, फिर भी यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह कमोबेश एक लोकतांत्रिक निकाय था। महाकाव्य युग में देखें तो रामायण के अध्ययन से पूर्व और जनपद तक अर्थात्, नगर और ग्राम व्यवस्था का संकेत मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर दस, बीस, सौ और एक हजार ग्राम समूह की इकाइयां विद्‌यमान थीं। इनमें ग्रामणी ही ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दस गांवों का प्रमुख होता था, बीस का अधिपति तथा शत ग्राम अध्यक्ष सौ और ग्रामपति एक हजार गांवों के प्रमुख होते थे। ये लोग अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे।

प्राचीन काल की मनु स्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी ग्रामों के स्थानीय स्व-शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मौर्य और मौर्योत्तर काल में भी ग्राम का मुखिया, वरिष्ठजनों की एक परिषद्, काउंसिल आफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण व्यवस्था को संचालित करता था। यह व्यवस्था गुप्त काल में भी थी। इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था विद्‌यमान थी जो कि परम्परा और रीति-रिवाजों के आधार पर संचालित होती थी।

मध्य काल में सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें विलायत कहा जाता था, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं। यहां ग्राम के शासन के लिए तीन महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिसमें प्रशासन के लिए मुक़द्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता के लिए और विवादों के समाधान के लिए चौधरी हुआ करते थे। मुगल शासन के दौरान सामंती ताकतों के बढ़ने से स्थानीय स्व-शासन प्रणाली कमजोर होती चली गयी।

ब्रिटिश काल के दौरान ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गयी और वे कमजोर हो गये। जब अंग्रेज भारत आये, उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी। हालांकि, स्थिति पहले जैसी अच्छी नहीं थी। तथापि, चाल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए इस ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उनकी स्वायत्तता को समाप्त किया।

वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद स्थिति बदलने लगी। जब शाही राजकोष

(श्री रमेश चन्द मीना)

पर दबाव बढ़ने लगा तब ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया। वर्ष 1870 में मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर विकास को गति दी। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन संस्थाओं का, उनका अत्यन्त आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया।

माननीय सभापति महोदय, भारत के आजाद होने और भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के नवनिर्माण के लिए पंचायती राज व्यवस्था का श्रीगणेश हमारी मरु भूमि से दिनांक 02 अक्टूबर, 1959 को नागौर में किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारम्भ किया और 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्था को स्थापित भी कर लिया, परन्तु केन्द्र सरकार ने इसका कोई ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने अपने-अपने तरीके से इसको लागू कर दिया।

जैसे कि राजस्थान में त्रि-स्तरीय पद्धति को अपनाया, तमिलनाडु में दो-स्तरीय पद्धति को अपनाया और पश्चिम बंगाल ने चार-स्तरीय पद्धति को अपनाया। इसके अलावा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात पद्धति में जिला परिषद् को शक्तिशाली बनाया गया।

इसके बाद में अनेक समितियां बनीं, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव दिये। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के माध्यम से शक्ति देने का कार्य हमारी कांग्रेस सरकार में प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधीजी के कार्यकाल में किया गया, जब इसे ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई, 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में पेश किया। अगस्त, 1989 में लोक सभा में यह विधेयक पारित तो हुआ किन्तु विपक्ष के सहयोग नहीं करने से राज्य सभा में यह विधेयक पारित नहीं हो सका और आखिर हमारी सरकार के ही प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव कार्यकाल में यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल, 1993 को प्रभाव में आया।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ग्रामीण विकास विभाग से यह चर्चा शुरू करना चाहूंगा, महात्मा गांधी नरेगा। माननीय सभापति महोदय,

(श्री रमेश चन्द मीना)

हमारे सम्माननीय माननीय मुख्य मंत्री महोदय की नरेगा के प्रति और हमारी सरकार की गरीबों के प्रति जो सोच है, इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर अत्यन्त गम्भीर हैं। उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हमारे द्वारा भारत सरकार को ग्राम-सभाओं से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति, जिला परिषद् के अनुमोदन के उपरांत 37 करोड़ 47 लाख का श्रम बजट तैयार कर भेजा था। मैं सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि ग्रामीण परिवारों की मांग के अनुरूप माहवार प्रत्येक जिले का श्रम बजट तैयार कर राज्य स्तर पर संकलित कर भारत सरकार को भिजवाया जाता है, परंतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक श्रम बजट में हर वर्ष कटौती की जा रही है। भारत सरकार ने राज्य द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रेषित 37 करोड़ 47 लाख के श्रम बजट में कटौती करके मात्र 24 करोड़ का श्रम बजट ही अनुमोदित किया। बार-बार अनुरोध करने पर अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केन्द्र सरकार ने 30 करोड़ के श्रम बजट पर सहमति दी है। आज हम स्वीकृत श्रम बजट 30 करोड़ के विरुद्ध 33 करोड़ 43 लाख की प्रगति अर्जित कर देश में प्रथम स्थान पर हैं। यह भारत सरकार को भी पता है कि हमारी सरकार द्वारा 2020-21 में 36.05 करोड़, 2021-22 में 42.43 करोड़ मानव दिवस अर्जित किये। इससे भी पूर्व हमारा राज्य रोजगार देने में प्रथम स्थान पर रहा है, परन्तु फिर भी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में मात्र 24 करोड़ का श्रम बजट स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु हमारे द्वारा 35 करोड़ 20 लाख का श्रम बजट तैयार कर भिजवाया गया, परन्तु भारत सरकार द्वारा मात्र 20 करोड़ का श्रम बजट स्वीकृत किया गया है। इससे यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर गम्भीर नहीं है या फिर इस योजना को खतम करना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि श्रम बजट पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद् तक इस प्रकार अनुमोदित श्रम बजट को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना इन संस्थाओं के स्थायित्व एवं स्वीकार्यता पर भी प्रश्न चिह्न लगाने जैसा है और जिस विकेन्द्रीकरण की मूल भावना से इनका गठन किया गया है, वह भावना भी प्रभावित हो रही है। एक तरफ हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2022-23 में, कोविड में लोग परेशान थे, लोगों को

(श्री रमेश चन्द मीना)

रोजगार नहीं मिल रहा था, राज्य की जनता को सहायता देने की दृष्टि से नरेगा में उपलब्ध कराये जा रहे 100 दिवस के रोजगार को पूर्ण करने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु विगत वर्ष बजट में घोषणा की थी। इसके लिए 750 करोड़ रुपये का राज्य मद से प्रावधान रखा गया। इस योजना को अब स्थायी कर दिया गया है। राज्य में अब तक 3 लाख 14 हजार परिवार 100 दिवस पूर्ण कर चुके हैं तथा 81 से 89 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 13 लाख 37 हजार है।

मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। 9 हजार 517 परिवारों ने 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार पूर्ण कर लिया है। इस योजना में वे कार्य भी करवाये जा रहे हैं जो अन्य योजना में कवर नहीं होते। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार गारंटी देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारम्भ की, जबकि दूसरी ओर भारत सरकार मनरेगा के बजट में लगातार कटौती करती जा रही है। यह भावना दिखाते हुए कांग्रेस सरकार मनरेगा को जिस उद्देश्य से लायी थी, उसे पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में सहरिया, कथोड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इन्हें आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। विगत वर्ष महात्मा गांधी नरेगा के तहत पंचशाला योजना के अन्तर्गत पौधशाला, कार्यशाला, निर्माणशला, पशुशाला व पोषणशाला के 50 हजार से अधिक कार्य करवाये जाने की घोषणा की गयी थी। उसके तहत कुल 70 हजार 505 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें पौधशाला के 1 हजार 589, पोषणशाला के 13 हजार 849, पशुशाला के 63 हजार 354, कार्यशाला के 416 तथा निर्माणशाला के 41 कार्य शामिल हैं। इस समय कुल 40 हजार 558 कार्य प्रगति पर हैं तथा 9 हजार 706 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 दिवसीय कार्ययोजना बनायी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम चरागाह विकास, सामुदायिक जलाशय विकास, श्मशान-कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, व्यक्तिगत जलकुण्ड, टांका एवं रोड विद ड्रेनेज के कार्य स्वीकृत किये जाने की घोषणा की

(श्री रमेश चन्द मीना)

थी। इसके तहत चरागाह विकास, सामुदायिक विकास, जलाशय विकास, श्मशान-कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, व्यक्तिगत जलकुण्ड, टांका एवं रोड विद ड्रेनेज के कुल 1 लाख 72 हजार 372 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 1 लाख 11 हजार 412 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यान विकास के तहत प्रति पंचायत समिति दो कार्यों के लक्ष्य जो कुल 704 होते हैं, 661 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 299 कार्य प्रोग्रेस पर हैं।

गरीब परिवारों की आजीविका सम्वर्द्धन वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के श्रेणी बी के 2 लाख 26 हजार कार्य लिए गये, जिनमें से 26 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 2 लाख कार्य प्रोग्रेस पर हैं।

महात्मा गांधी नरेगा की उपलब्धियों के लिए इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो कुल 62 लाख 16 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। अब तक 33 करोड़ 43 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लगभग 35 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा राज्य मानव दिवस सृजन में विगत वर्ष देश में प्रथम स्थान पर रहा। इस वर्ष भी अभी प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत 8 हजार 949 करोड़ 18 लाख रुपये व्यय हुए, जिसमें श्रम मद 5 हजार 792 करोड़ 86 लाख रुपये, सामग्री मद में 2 हजार 894 करोड़ 99 लाख रुपये तथा प्रशासनिक मद में 261 करोड़ 33 लाख रुपये का व्यय हुआ।

माननीय सभापति महोदय, यदि भारत सरकार से हमें समय पर राशि मिलती और हमारे द्वारा भेजा गया श्रम बजट यथावत स्वीकृत होता तो निश्चित रूप से देश में योजना के अन्य पैरामीटर्स में भी हम प्रथम स्थान पर होते।

मजदूरों की फर्जी हाजिरी रोकने के लिए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन वाले कार्यों पर एनएमएमएस एप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 98.03 परसेंट श्रमिक भुगतान निर्धारित सीमा में किया जा रहा है।

(श्री रमेश चन्द मीना)

माननीय सभापति महोदय, माह मई, 2021 में श्रमिकों के 1 लाख 38 हजार रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन लम्बित थे। हमने अभियान चलाकर इनका भुगतान करवाया। हम मात्र 19 हजार रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन विभिन्न अपरिहार्य कारणों से लम्बित हैं।

माननीय सभापति महोदय, विगत वर्ष हमने पात्र लाभार्थियों की भूमि पर 7 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय कर 5 लाख उद्यानिकी पौधों के रोपण की घोषणा की थी। मानसून, 2022 में 6 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 4 लाख 6 हजार पौधों का रोपण किया जा चुका है।

इसी प्रकार जल ग्रहण के कार्यों से कृषकों की आय बढ़ाने हेतु आगामी दो वर्षों में 50 हजार फार्म पौंड, डिग्गी, टांकों के निर्माण की घोषणा की थी, जिसमें आज दिनांक तक 25 हजार 569 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिनमें 1 हजार 416 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 10 हजार 981 कार्य प्रगति पर हैं।

गत सरकार के कार्यकाल पांच वर्षों की प्रगति और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की प्रगति की तुलना करें तो हमारी सरकार साढ़े चार वर्ष में ही गत सरकार की पांच वर्ष की उपलब्धियों से लगभग 80 परसेंट से अधिक उपलब्धि अर्जित कर चुकी है। नरेगा योजना में गत सरकार के कार्यकाल में पांच वर्ष में 90 करोड़ 38 लाख मानव दिवस सृजित किये गये, जबकि हमारी सरकार के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में 168 करोड़ 70 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं। इसी प्रकार विगत सरकार द्वारा 21 हजार 333 करोड़ रुपये का व्यय पांच सालों में किया गया, जबकि हमारी सरकार द्वारा 37 हजार 863 करोड़ रुपये का व्यय साढ़े चार साल में किया जा चुका है। विगत सरकार के कार्यकाल में पांच वर्षों में 8 लाख 89 हजार के कार्य पूर्ण करवाये गये, जबकि हमारी सरकार द्वारा साढ़े चार साल में 16 लाख 15 हजार कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं।

नरेगा एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसकी सतत मॉनिटरिंग और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हमने दो ग्राम पंचायतों पर एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीए) लगाने का निर्णय लिया था। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों पर एक जेटीए लगाने के लिए 3 हजार 591 पद और स्वीकृत कर दिये हैं, जिनकी संविदा नियम, 2022 के तहत भर्ती की

(श्री रमेश चन्द मीना)

कार्यवाही की जा रही है। यदि रोजगार की मांग पर 15 दिवस में रोजगार नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो जाता है। योजना के प्रारम्भ से ही महात्मा गांधी नरेगा एक्ट में प्रावधान था कि राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता सम्बन्धी नियम तैयार करेगी, परन्तु विगत 14 वर्षों में राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता नियम नहीं बनाये गये। हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के नियम तैयार कराये, जिसकी अधिसूचना 23 अगस्त, 2022 को जारी हो चुकी है। भारत सरकार के स्तर पर योजना संबंधी समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार से समय पर सामग्री मद का भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण स्थायी सम्पत्तियों के सृजन के साथ-साथ मेट, जे.टी.ए., कुशल श्रमिकों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के शेष रहे बिलों की फीडिंग हेतु भारत सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बहुत बड़ी राशि के बिल और मस्टररोल फीड नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रमिक योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले संवेदक परेशान हैं। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से आशा करता हूं कि वे इस समस्या को केन्द्र तक पहुंचायें और हम भी अपने स्तर पर प्रयासरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, सामग्री मद में टैक्स डिडक्शन का प्रावधान नहीं होने के कारण संवेदक समय पर टैक्स जमा नहीं करा पा रहे हैं। इससे सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, जब हमने इस विभाग का कार्यभार संभाला तब से लेकर अब तक लगभग 20 जिलों का भ्रमण कर हमारे द्वारा समीक्षा बैठक ली गयी। राज्य से तुरंत निरीक्षण दल भिजवाकर ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करवाया गया। हमें अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह की अनियमितताएं देखने को मिलीं। किसी जिले में तो भारत सरकार से नरेगा की सामग्री मद का भुगतान समय पर नहीं मिलने के कारण संवेदक से अग्रिम बिल तैयार करवाकर बिना मौके पर सामग्री डाले हुए भुगतान उठाया जा रहा था, कहीं पर मौके पर काम ही नहीं मिला। कहीं पर एक ही कार्यालय योजनाओं से भुगतान उठाया जा रहा था। किसी जिले में सक्षम अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया जा रहा था तथा कहीं-कहीं बिना

(श्री रमेश चन्द मीना)

तकनीकी डिजाइन के कार्य करवाये जा रहे थे। अधिकारियों के द्वारा मापदण्डों के अनुरूप निरीक्षण नहीं किये जा रहे थे। अब राज्य में अधिकारियों के निरीक्षण एरिया आफिसर एप पर ऑनलाइन दर्ज किये जा रहे हैं। यहां तक कि जिला कलेक्टर तो निरीक्षण ही नहीं कर रहे थे। इस वित्तीय वर्ष में अब तक जिला कलेक्टरों द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 51 प्रतिशत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा 89 प्रतिशत तथा विकास अधिकारियों द्वारा 91 प्रतिशत निरीक्षण दर्ज किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमने कार्ययोजना बनाकर राज्य स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये, जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कीं। लापरवाही करने वाले प्रत्येक स्तर के कार्मिक और अधिकारी पर आवश्यक अनुशासन की कार्यवाही की गयी, जिससे यह योजना पूर्ण पारदर्शिता के साथ राज्य में संचालित हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन 2010 में हुआ था। हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधीजी के हाथों से इसकी शुरुआत हुई थी। गरीबी उन्मूलन कैसे हो और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में कैसे इजाफा हो और उन्होंने जो देखा और महिलाओं के द्वारा फीडबैक राजस्थान से गया कि यहां पर एक मिशन शक्ति के रूप में आजीविका का गठन हुआ और उस गठन के माध्यम से जो सेल्फ हैल्प ग्रुप हैं, उसमें 10 से 15 महिलाओं के बीच में एक ग्रुप बनता है स्वयं सहायता समूह और 15 से 20 महिलाओं समूहों के बीच में एक ग्राम संगठन बनता है, जिसको बोलते हैं वी.ओ., उसके बाद में 15 से 20 ग्राम संगठनों पर सी.एल.एफ. क्लस्टर लेवल फैडरेशन होता है, जिसमें करीब तीन हजार सेल्फ हैल्प ग्रुप के सदस्य होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में इजाफा कैसे हो और उनको हम क्या काम-धंधा करवायें और वह कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए आज हमने जो काम किया है राजस्थान में वह तारीफ के काबिल है कि इन साढ़े चार बरसों में जो काम किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, विभिन्न कालावधियों में किसी भी प्रकार का कार्य करके जो अर्जित करता है, उसको आजीविका रोजगार कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त एवं

(श्री रमेश चन्द मीना)

आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी तकनीकी और सामाजिक क्षमताओं का विकास कर उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् की स्थापना 2010 में हुई।

माननीय सभापति महोदय, एक अम्ब्रेला योजना है, जिसके अन्तर्गत बहुत्सी योजनाएं चलायी जा रही हैं। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में यह सहायता प्रदान कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान राजीविका योजना में 22,188 गांवों में 01 लाख 93 हजार स्वयं सहायता समूह, 15 हजार 87 ग्राम संगठन, 448 संकुल स्तरीय संगठन का गठन कर 23 लाख 43 हजार परिवारों को जोड़कर लाभान्वित किया गया है। इनमें से 01 लाख 43 हजार स्वयं सहायता समूह को 543 करोड़ रुपये की राशि आजीविका संवर्धन एवं रिवाल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध करवायी है। वर्तमान में राजीविका समूह की बचत लगभग 800 करोड़ रुपये है। आजीविका संवर्धन के लिए इन्हें राजीविका परियोजना में 1233 करोड़ रुपये प्रदान किये गये। इन समूहों की आजीविका गतिविधियों के विस्तार के लिए बैंकों से भी 4 हजार 33 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। इनमें से 3166 करोड़ रुपये का ऋण हमारी सरकार के कार्यकाल में उपलब्ध करवाया गया। माननीय सभापति महोदय, सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि इन महिलाओं का NPA 2 प्रतिशत से भी कम है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 52 लाख परिवार वंचित थे। हमने सेचुरेशन के लिए राजीविका द्वारा वर्ष 2022 में 24 जिलों में अध्ययन करवाया था, जिसमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 52 लाख परिवारों में से केवल 84 प्रतिशत परिवारों को ही समूह में संगठित किया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार को भेजी गयी। उसके आधार पर कुल 46 लाख परिवारों को संगठित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभी तक कुल 39 लाख 57 हजार परिवारों को संगठित किया जाकर राज्य में 2 लाख 97 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। शेष 6 लाख 43 हजार परिवारों को 2023-24 में शामिल कर लिया गया है। यह समूह राजीविका के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं।

(श्री रमेश चन्द मीना)

राजीविका में ही पंचायती राज की तरह त्रिस्तरीय संगठन संगठित किये गये हैं अर्थात् सत्ता का पूरी तरह विकेन्द्रीकरण किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय ने देखा और उनके साथ एक प्रोग्राम करवाया। राज्य में नवीन समूहों के गठन हेतु नवम्बर, 2022 से 1032 सी.आर.पी. की टीमों को लगाया गया। यह शेष वंचित परिवारों के समूह बनायेंगी तथा पूर्व में गठित समूहों में नवीन सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में अब तक 23 हजार 652 ग्राम संगठन हैं। 764 क्लस्टर लेवल फैडरेशन गठित किये जा चुके हैं। यह सी.एल.एफ. राजीविका के मार्गदर्शन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह टेबल करवा दो। हम सब पढ़ लेंगे, आपसे वादा करते हैं। एक-एक अक्षर पढ़कर आयेंगे। माननीय सभापति महोदय, आप टेबल करा दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: शिकायत नहीं करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह होता है कभी? इस विधान सभा में नई परम्परा हो रही है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में मिनिस्टर कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वह पढ़ा हुआ दे सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, पढ़ा हुआ मान लो। मैं खुद इनके हालात समझता हूं, पढ़ा हुआ मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं, पढ़ा हुआ क्या, यहां पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने नियम पढ़े हैं? आपने इसके नियम पढ़े हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हां, पढ़े हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रेफरेंसेज कर सकते हो आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कहां पर मना किया हुआ है?

श्री सभापति: आप दोनों विद्वान विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में इससे बड़ा क्या मजाक होगा। माननीय सदस्यों ने जो बात कही, उस पर तो इन्होंने कोई काग्निजेंस लिया नहीं। अधिकारियों ने सारा लिखा हुआ भेज दिया और वह पढ़ दिया। हमारे सवाल खड़े करने का अर्थ क्या रहा? हम क्यों सवाल खड़े करेंगे फिर?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सुनने की क्षमता बढ़ाइये। (व्यवधान) सुनने की क्षमता बढ़ाइये। हम भी आपकी बातों को सुनते हैं।

श्री सभापति: मेरा आप दोनों से आग्रह है, आप विराजें। प्लीज मंत्री को अपना रिप्लाई पूरा करने दें। मंत्रीजी।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उप नेता जो यह बात बोल रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि जो बात हो रही है महिलाओं की, गरीब महिलाओं की, जिनको हमने साढ़े चार साल में 23 लाख 47 हजार महिलाओं को जोड़ा है, उनको काम-धंधा दिलवाया है। उसके लिए आप कोई सी.एल.एफ के भवन बनवाते। उनके लिए काम-धंधे की बात करते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम मान रहे हैं, पर आप यह प्रगति प्रतिवेदन मत पढ़ो।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह प्रगति प्रतिवेदन नहीं है, यह बजट प्रतिवेदन में भी नहीं मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रगति प्रतिवेदन का पेज नंबर बताना। (व्यवधान) प्रगति प्रतिवेदन का पेज नंबर 67 निकालकर दो। ...(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आप हरी किताब दिखाकर हमें डराने की कोशिश न करें। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं।

श्री सभापति: आप जारी रखें मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सुनने का माद्दा रखें। हम बोल रहे हैं, आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के अनुसार बोल रहे हैं। आप इस किताब को दिखाकर भय पैदा नहीं करें। थोड़ा धैर्य से बैठें।

(श्री रमेश चन्द मीना)

कोई बात गलत है और आपको लगता है, बिना किताब के भी मैं आपसे पंचायती राज पर डिस्कशन कर सकता हूं और आपको चैलेंज देता हूं कि आपके पास भी पंचायती राज रहा है, हमने क्या काम किये और आपने क्या काम किये हैं? +++

श्री सभापति: मैं यहां +++ पर डिस्कस नहीं कराऊंगा। प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप इसकी डिबेट रख लो। मंत्री महोदय, इसकी डिबेट हो जाये।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कभी भी।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप एक बार विराजिये। प्लीज, आप एक बार विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस पर डिबेट हो जाये। नहीं, नहीं, इसी की डिबेट कर लें।

श्री सभापति: वह बाद में करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने मेरा नाम लेकर आरोप कैसे लगा दिया? कैसे आरोप लगा दिया? एक्सपंज कराइये आप।

श्री सभापति: मैं उसको एक्सपंज करता हूं। मैं उसको एक्सपंज करता हूं। विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य दें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वर्तमान में 10 लाख से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन संबंधी उन्नत विकसित पद्धतियों से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से 8 लाख से अधिक परिवारों को हमारी सरकार के काल में लाभान्वित किया गया है।

हमारी सरकार के कार्यकाल में संगठित क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के प्रयास में कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया, जिसमें 22 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 66 करोड़ रुपये का दूध क्रय कर स्वयं सहायता समूहों के परिवारों की आजीविका संवर्धन में वृद्धि की गयी है।

इसी प्रकार सोयाबीन, धनिया और वैल्यू चेन विकसित करने हेतु 17 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का

(श्री रमेश चन्द मीना)

गठन किया गया, जिसमें 8 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक कंपनी द्वारा 17 करोड़ 54 लाख रुपये के उत्पाद विक्रय किये गये हैं।

राजीविका योजना में महिलाओं द्वारा 637 सरस बूथ और 309 दुग्ध संग्रह केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में स्टार्ट अप ग्रामोद्योग के अंतर्गत 21,389 से अधिक केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें किराना दुकान, मनिहारी, आटा चक्की, ब्यूटी पार्लर, सिलाई केन्द्र, अगरबत्ती बनाना, साबुन, डिटर्जेंट बनाने का कार्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इससे महिलाओं की आजीविका में वृद्धि हुई है।

विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 188 महिला कैंटीनों का 17 जिला स्तर पर, 171 पंचायत समिति स्तर पर संचालन किया जा रहा है। 24 जिलों में उड़ान योजना अंतर्गत सैनेटरी पैड उत्पादन इकाइयों का संचालन भी इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। अब तक स्वयं सहायता समूहों के 750 उत्पादों को अमेजोन पर ऑनलाइन बिक्री हेतु अपलोड किया गया है।

सभापति महोदय, पुलिस विभाग के सहयोग से 2 लाख 41 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सुरक्षा सखी में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। यह महिलाएं पुलिस के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं।

विगत वर्ष की बजट घोषणा की अनुपालना में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में ग्रामीण हाट एवं सुविधा के केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने एवं उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को एवं रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोआपारेटिव फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का शुभारंभ किया। देश में दूसरा राज्य है, जहां महिला निधि बैंक खोला गया है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 26 अगस्त, 2022 को उद्घाटन किया गया। इस महिला निधि बैंक से 1 करोड़ 42 लाख रुपये का ऋण समूहों से जुड़ी महिलाओं को वितरित किया गया है।

हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट में महिला निधि बैंक से ऋण, ब्याज पर राजीविका की महिलाओं को 8 प्रतिशत अनुदान की घोषणा

(श्री रमेश चन्द मीना)

की गयी है। इसके लिए आगामी वर्ष में 12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा दिया गया है। इससे इन गरीब महिलाओं को आर्थिक सम्बल मिलेगा। महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ऋण आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने पर 24 घंटे में 40 हजार रुपये का ऋण वितरित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मेरे कार्यभार संभालने के बाद विभाग की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से करवाने का निर्णय लिया था। राजीविका में मुख्य प्रचार-प्रसार सखी के माध्यम से ग्रामीण विकास, पंचायती राज के विभिन्न कार्य करवाये जा रहे हैं, जिसे राजीविका की महिलाओं ने सफलतापूर्वक किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या कहना चाहते हैं?

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, सहयोग करें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं, जो बात आप नहीं सुन रहे हैं, महिलाओं की अच्छी बात है, हमारे गरीब लोग, गरीब परिवार आगे बढ़ें।

हम आप लोगों से, विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में 764 सीएलएफ हैं, तो आपके विधान सभा क्षेत्रों में भी हैं। हम इसमें प्रति भवन के लिए 25 लाख रुपये दे रहे हैं। महिलाएं वहां इकट्ठी होंगी, वहां पर काम सीखेंगी। बाहर से लोग आयेंगे, दूसरे राज्यों से लोग आयेंगे उनको प्रशिक्षण देंगे। जो महिलाएं प्रशिक्षित होंगी, वे अन्य महिलाओं को सिखायेंगी। माननीय दिलावर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके विधायक कोटे से भी इसमें पैसा दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने तो पहले ही दे दिया।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दे दिया। अभी बन नहीं पाये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको कह रहा हूं, एक-दो सदस्य की बात नहीं है। अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में जो भवन हैं, वह बनवायें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप इधर आसन की तरफ देखें। कृपया शांत रहें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब तक 290 सीएलएफ को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जा चुका है। शेष के लिए 25 लाख रुपये प्रति भवन लागत से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत भवन निर्माण करवाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इन भवनों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद तैयार करने, बेचने, बैठक करने, प्रशिक्षण के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इन भवनों को कार्यशाला के रूप में विकसित किया जायेगा।

हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह सीएलएफ के सदस्यों के बीच में भी विश्वास पैदा करें, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करें। जब तक समुदाय की विशेष महिलाओं के बीच में यह भावना नहीं होगी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, सीएलएफ अपना संगठन नहीं मानेंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

राजीविका के अंतर्गत विभिन्न समूहों को सम्बल देने हेतु इस वर्ष केन्द्र द्वारा आबंटित राशि से अधिक खर्च होना अनुमान है। एनआरएलएम के 2022-23 के आबंटित बजट 412 करोड़ रुपये की राशि पूर्ण व्यय की जा चुकी है। 100 करोड़ से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनुमानित है। ऐसी स्थिति में राज्य में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि हम केन्द्र से चौथी किस्त मांग रहे हैं। विगत वर्ष तक इस योजना में तीसरी किस्त मांगने की स्थिति में भी हम नहीं आ पा रहे थे।

सभापति महोदय, राजीविका में नवाचार किये, जिनसे नियमित रूप से जिलों में समूह सम्बल संवाद के कार्यक्रम में हम शामिल हुए। वहां हम राजसमन्द, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर, बीकानेर आदि जिलों में गये।

महिलाओं से हमने वहां इंट्रेक्शन किया कि आप क्या काम-धंधा करती हैं? किस काम से क्या फायदा होता है? मंथली कितना पैसा कमाती हैं? हमने उनकी जो कहानी सुनी तो आप लोग भी कभी उनके बीच में जायें तो आपको भी रोना आ जायेगा। महिला जब घर से बाहर निकलती थी, विडो महिला, तो गांव के लोग कहते थे महिला अकेली जा रही है, कहां जा रही है। लेकिन जब

(श्री रमेश चन्द मीना)

उसने काम सीखा और अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनी घर, गृहस्थी का खर्चा चलाया। शादी, ब्याह के लिए पैसा कमाया, तब लगने लगा कि यह महिलाएं सही दिशा में आगे काम कर रही हैं। तब गांव के लोग जागे कि नहीं, इन महिलाओं की हमें मदद करनी चाहिए।

हमने देखा, कुछ महिलाएं ऐसा काम कर रही थीं जिनसे उनको मुनाफा नहीं हो रहा था। हमने पूछा, कहा, 2 हजार कमाते हैं, तो यह काम मत करो, दूसरा काम करो। कोई जैविक खेती करो या कोई ऐसा परिधान बनाओ जो बाजार में बिक सके। कोई परचूनी की दुकान या डेयरी, मतलब जो भी विभिन्न तरह के काम-धंधा कर सकते हैं, तो उनको टी-1, टी-2 समय पर फंड मिले और उनको हम बैंकों से ऋण कैसे दिलायें, यह बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए हमने अधिकारियों को दिशा-निर्देशित किया। समय-समय पर उनकी मीटिंग करवाई। उनके प्रशिक्षण यहां करवाते हैं। अन्य स्टेटों में भी भेजते हैं।

मैं खुद उड़ीसा गया था इसके लिए। उड़ीसा में जाकर मैंने देखा कि वहां राजीविका की महिलाएं, मिशन शक्ति के नाम से वहां पूरा डिपार्टमेंट चलता है। वहां पर जो महिलाएं काम कर रही थीं तो एक जिला परिषद् और जिला कलेक्ट्रेट के बीच में एक कैंटीन थी, जो महिलाएं चलाती थीं। वहां पर लाइन लग रही थी लोगों की, आम आदमी, दूसरे आदमी भी टोकन लेकर जा रहे थे कि यह मिशन शक्ति की महिलाएं अच्छा खाना देती हैं। उनके पेंटिंग के काम थे, दूसरे काम थे, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी गई, अच्छा काम कर रहे थे। वहां हमने देखा तो यहां पर आकर हमारे अधिकारियों के साथ, जो हमारे सीएलएफ के लोग हैं उनके साथ चर्चा की। चर्चा करने के बाद में हमें लगा कि जरूरत है इस प्रदेश में गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को आगे बढाने के लिए, तो वह हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपके सहयोग की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमने नवाचार किये हैं। श्रीगंगानगर में रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत राजीविका की महिलाओं द्वारा गंगानगर रेलवे स्टेशन पर हस्त निर्मित खिलौने की स्टाल का संचालन किया जा रहा है। राजसमन्द जिले में होली के उत्सव पर नैचुरल फूल और पत्तियों से शुद्ध हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। इस बार पांच फ्लेवर में कुल 21 क्विंटल गुलाल बनाई, जिसमें 6 लाख 30 हजार रुपये

(श्री रमेश चन्द मीना)

की आय होना अनुमानित है। झालावाड़ जिले में 555 सहायता समूहों द्वारा मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। इनके द्वारा पांच हजार किलोग्राम से ज्यादा शहद एकत्रित कर 12 लाख रुपये की आय अर्जित की गई है। चूरू जिले में 6 हजार 600 समूहों के सदस्यों को डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर डिजिटल साक्षर किया जा रहा है जिसमें 23 हजार 233 सदस्यों को राजकीय विद्यालयों के कम्प्यूटर लैब में स्मार्ट फोन से सम्बन्धित आधारभूत जानकारी देकर डिजिटल साक्षर किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें आप सभी को पता है कि आवास कैसे मिलता है, कितने पैसे भारत सरकार देती है, 60 और 40 के रेशो में, 60 भारत सरकार का हिस्सा होता है और 40 राज्य सरकार का हिस्सा होता है। इसमें तीन किस्तों में पैसा मिलता है। भारत सरकार द्वारा 1 लाख 20 हजार और 90 शौचालयों के 20 हजार 790 और 12 हजार शौचालय वाले, इस तरह से टोटल 1 लाख 52 हजार 790 की सहायता लाभार्थी को दी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, देश की औसत प्रगति 75.47 प्रतिशत है, वहीं राज्य की उपलब्धि 89.6 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक स्वीकृत 17 लाख 20 हजार 261 आवासों में से 15 लाख 40 हजार 740 यानी 89.6 प्रतिशत आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक योजनांतर्गत राशि 19 हजार 9 करोड़ 58 लाख में से 19 हजार 215 करोड़ 23 लाख आबंटित से अधिक 101 प्रतिशत का प्रयोग कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्विति हेतु जारी राज्य रैंकिंग में राजस्थान का दूसरा स्थान है। योजना क्रियान्विति में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिलों की रैंकिंग में राज्य के पांच जिले प्रथम पचास में आये हैं, जिनमें झालावाड़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी तथा राजसमन्द हैं। 20 जिले प्रथम 100 में शामिल हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल दिसम्बर, 2018 से अब तक 10 लाख 36 हजार आवास स्वीकृत किये गये तथा 10 लाख 75 हजार पूर्ण करवाये गये, राशि 12 हजार 375 करोड़ रुपये व्यय की। राज्य में पंचायत समिति मुख्यालय पर 500 प्रोटोटाइप मॉडल आवास निर्मित कराये गये। वर्तमान सरकार के कार्यकाल की योजना की वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित रहे चिह्नित परिवारों में से भारत सरकार द्वारा आवास प्लस एप पर अपलोड 12 लाख 84 हजार पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल

(श्री रमेश चन्द मीना)

किया गया, जिसमें से 2021-22 हेतु 3 लाख 97 हजार का लक्ष्य आबंटन के उपरांत अभी भी राज्य में 8 लाख 87 हजार पात्र परिवार शेष हैं। वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किये गये हैं। माननीय प्रतिपक्ष सदस्यों से निवेदन है कि जो वंचित लोग हैं, यह राशि भारत सरकार से दिलाएं तो वंचित लोगों के मकान बन सकें। इसी तरह से पहले भी मैं माननीय सदस्यों से, विपक्षी सदस्यों से कर चुका हूं कि अपलोड होने से 7 लाख 67 हजार वंचित रह गए थे। इसके अलावा रिजेक्टेड बाई सिस्टम 2 लाख 6 हजार परिवार वो रह गए थे, उनके सत्यापन में 1 लाख 55 हजार पात्र परिवार थे। इस तरह से वरीयता सूची में 9 लाख 22 हजार परिवार वंचित हैं। हमने केन्द्र सरकार को काफी बार पत्र भी लिखे हैं, मुख्य मंत्रीजी ने भी पत्र लिखे हैं और मैं खुद केन्द्रीय मिनिस्टर, गिरिराज सिंहजी से मिलकर आया हूं। उनसे भी निवेदन किया है कि किसी का नाम कट जाता है या दोबारा नहीं जुड़ पाता है तो यह अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। जो पात्र व्यक्ति वंचित हैं उनको हम आवास का सपना पूरा कर सकें, उनका मकान बनवा सकें, लेकिन यह बात हमारी भारत सरकार ने आज तक नहीं सुनी है। इसके बाद, काफी बार आग्रह करने के बाद भी भारत सरकार ने एक लैटर लिखा है कि किसी भी राज्य के इस तरह के प्रस्ताव मंजूर नहीं करेंगे, यानी 'न' कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था भ्रष्टाचार से लड़ाई के बारे में, पहले तुम्हें नकारेंगे, फिर वे तुम पर हंसेंगे, फिर वे तुमसे लड़ेंगे, फिर तुम जीत जाओगे। इसी सिद्धांत पर चलते हुए हमने भ्रष्टाचार के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। यथा सम्भव हमने प्रयास किया है कि विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं का पैसा हर हाल में गांवों के अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति तक पहुंचे, जो वास्तव में वंचित हैं लेकिन पात्र हैं। हमारा प्रयास जारी है, हम हर वंचित व्यक्ति तक हमारे विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं।

पहले हमारे देश में विकास को केवल रोजगार, आमदनी और आर्थिक विकास से जोड़कर देखा जाता था, परंतु 1990 के बाद इसमें व्यापक बदलाव आया है। आज के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कमजोर वर्ग के सशक्तीकरण से जोड़कर देखा जाता है। हम गरीबी उन्मूलन पर कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सब तक पहुंचा रहे हैं

(श्री रमेश चन्द मीना)

पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए गंभीर कदम उठा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्य व्यवस्था जवाबदेह और पारदर्शी रहे, इसके लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य बैठाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया है।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था, यह धरती हरेक की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। हमने ग्रामीण विकास प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संयुक्त निगरानी व्यवस्था कायम करने के निर्देश दिये, उसके हमें सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। हमने पृथक् से एक मीडिया सेल का गठन किया है, जो कार्य कर रहा है, जिस पर आम जनता की सभी छोटी-बड़ी शिकायतों को दर्ज कर रहे हैं, जिनका निराकरण स्थानीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्परता से करवाया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट पर 33 हजार से भी ज्यादा फोलोअर्स हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को लगभग 20 लाख लोगों तक पहुंचाया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा, हमारे मीडिया सेल द्वारा प्रसारित योजनाओं की जानकारी री-ट्वीट से शेयर किया जा रहा है। हमारा विभाग प्रतिवर्ष लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। यह राशि गांवों के अंतिम छोर पर बैठे हुए अति वंचित परिवार तक पहुंचे इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माननीय विधायक क्षेत्रीय विकास योजना है, वह 1999-2000 में प्रारम्भ की गई। इस मांग पर, इस योजना में आमजन को मिलने वाले वार्षिक लाभ को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 2021-22 में 2 करोड़ 25 लाख रुपये के स्थान पर 5 करोड़ रुपये के प्रावधान को स्वीकृति दी। हमारी सरकार द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत 19.03.2020 के द्वारा गाड़िया लोहार, अन्य घूमंतु समुदाय के लोगों की आवश्यकतानुसार 01 अतिरिक्त सामुदायिक भवन का निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान किया है। इस वित्तीय वर्ष में 444 करोड़ 51 लाख रुपये का व्यय किया है। इससे 9 हजार 25 स्थायी प्रकृति की अवसंरचनाओं का निर्माण किया है।

(समय: 20.00 बजे)

(श्री रमेश चन्द मीना)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, भारत सरकार द्वारा 2020-21, 2021-22 में आबंटित राशि रिलीज नहीं की गयी है। बाद में 2021-22 में प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये के स्थान पर 2 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में 69 करोड़ 5 लाख रुपये व्यय किये गये हैं, 1619 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु यह योजना 2021-22 में प्रारम्भ की गयी।

इस वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ 97 लाख रुपये व्यय किये गये और 126 कार्य पूर्ण हुए। मेवातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेव बहुल वाले क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, ढांचागत, आधारभूत विकास हेतु यह योजना 1986-87 में प्रारम्भ हुई। यह योजना अलवर, भरतपुर की 14 पंचायत समितियों की 310 ग्राम पंचायतों के 808 ग्रामों में संचालित है। इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 17 लाख रुपये व्यय किये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कोई बचाव का रास्ता खोजें।

श्री सभापति: आप त्राहिमाम, त्राहिमाम बोलें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, 2005-06 में यह योजना पांच जिलों में प्रारम्भ की गयी- अजमेर, पाली, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। 18 पंचायत समितियों में 1740 गांवों में यह संचालित है। इस योजना के दौरान 9 करोड़ 51 लाख रुपये व्यय कर 195 कार्य पूर्ण किये गये।

डांग क्षेत्रीय विकास योजना। दस्यु प्रभावित डांग क्षेत्र के विकास हेतु यह योजना 2005-06 में 8 जिलों में प्रारम्भ की गयी- सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बारां, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों में 2206 गांवों में संचालित है। इस योजना में 6 करोड़ 32 लाख रुपये के व्यय कर 124 कार्य पूर्ण किये गये।

माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा डांग, मगरा, मेवात योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ का प्रावधान प्रत्येक योजना में 40 करोड़ कर दिया है। (व्यवधान) अभी रुक जाएं थोड़ा, आपको फायदे की चीज मिलेगी। रुक जाएं, शान्ति बनाये रखें।

(श्री रमेश चन्द मीना)

मैं आपकी अनुमति से अब सदन का ध्यान पंचायती राज की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

73वें संविधान संशोधन का मूल तत्व ग्राम स्वराज से पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है। 15 अगस्त, 1947 को देश के स्वतंत्रता दिवस के प्रथम समारोह में देश के सभी राष्ट्रीय नेता नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शामिल हुए, परन्तु हमारे राष्ट्रपिता इस जश्न में शामिल नहीं हुए। गांधी जी ने अपने जीवन में दो सपने संजोये थे। पहला देश की आजादी, जो 15 अगस्त, 1947 को साकार हो चुका था। दूसरा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, जो अभी होना बाकी था। राष्ट्रपिता के शब्दों में, "मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करूंगा, जिसमें गरीबतम व्यक्ति यह अनुभव करे कि देश के निर्माण में उनकी प्रभावी राय है। ऐसा भारत जिसमें न कोई अमीर वर्ग हो, न कोई गरीब वर्ग हो। ऐसा भारत, जिसमें सभी समुदाय सम्पूर्ण सौहार्द्र के साथ रहेंगे। यह होगा मेरे सपनों का भारत।"

श्री सभापति: मंत्री महोदय, पास करवाएं आप तो इसे।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने जैसे ही इस विभाग का कार्य सम्भाला, विभिन्न अनुभागों में संचालित योजना, यथा प्रधानमंत्री आवास, जल ग्रहण, नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, विधायक/ सांसद क्षेत्रीय विकास योजना, राज्य वित्तीय आयोग, केन्द्रीय वित्तीय आयोग, राजीविका आदि योजनाओं की पर्याप्त जानकारी आम जनता को नहीं है ... (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यदि आपको इनके आगे के भाषण की सारी जानकारी है तो कृपया आप प्रताप सिंह जी से बात कर लें। नयी मांग जो पैदा हो रही है, उस पर आप प्रताप सिंह जी से बात कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रताप सिंह जी, हमें पूरी जानकारी है। मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया।

श्री सभापति: आप तो त्राहिमाम, त्राहिमाम बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, क्या कोई बचाव का रास्ता है? कोई रास्ता हो तो बताएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: त्राहिमाम, त्राहिमाम।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आपने इतने करोड़ों रुपये की घोषणा कर दी। कार्य हो ही नहीं रहे हैं। तरह-तरह के बहाने बनाकर कार्य रोके जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, पास कराएं आप तो।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वे आम जनता को पता नहीं होती हैं, तो हमने एक कार्ययोजना बनाकर अधिकारियों की ही जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें करवायीं और लोगों के बीच में गये।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, बहुत टाइम लगेगा। आप तो पास करवाएं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ 16/17 सीसीए की कार्यवाही की।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, बाकी का टेबल कर दीजिये। अब पास कराइये आप।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसके अलावा जो हमारा नरेगा है, अन्य स्कीम्स हैं, उनकी सोशल आडिट भी करवा रहे हैं। घर-घर लोग जाते हैं। उसके बाद कुछ गड़बड़ आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप टेबल कर दीजिये। पास करवाइये आप। अभी बहुत बिजनस बाकी पड़ा है। आप टेबल करिये, मंत्री महोदय। बहुत बिजनस बाकी पड़ा है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं जो कहने जा रहा हूं, विपक्ष के साथी सुन लें। (व्यवधान) मैं इसलिये कहने जा रहा हूं, आप जब बात करते हैं पंचायती राज की, तब कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। यह भ्रष्टाचार मेरे अकेले की या इन सभी की देन नहीं है। यह सब लोगों की, जन प्रतिनिधियों की, एमएलएज की, विधायकों की देन है, क्योंकि वहां जब ग्राम सभा होती है, तब कोई नहीं देखता कि क्या काम होगा, क्या नहीं होगा। कौन बीडीओ लगना चाहिये, कौन अपना आदमी लगना चाहिये, बस।

इस तंत्र को कैसे कमजोर किया जा रहा है। हमने हमारे साथियों की भी सुनी है। उन्होंने हमें जो भी कुछ भला-बुरा कहा है, सुना है, लेकिन हम

(श्री रमेश चन्द मीना)

चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, जिसके लिए योजना बनी है, वह अन्तिम छोर पर रहता है, झोंपड़ी में रहता है, वहां तक हमारी योजनाएं, विकास वहां तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने संकल्प लिया है। जहां-जहां हम जिलों में गये, पहली बार मैं जिलों में गया, अधिकारी जाते नहीं थे, क्योंकि ये जयपुर बैठते हैं, आईएएस हैं, सीनियर हैं सब, जाना नहीं होता इनका, मीटिंग लेने जाते हैं तो वापस एक दिन में आ जाते हैं। प्रभारी सचिव है तो सुबह जाकर शाम को आ जायेगा, लेकिन जब तक हमारा अधिकारी मीटिंग नहीं लेगा, वहां के लोकल विधायक और जन प्रतिनिधियों को नहीं बुलायेगा और गांव के लोगों से चर्चा नहीं करेगा कि काम हो रहा है कि नहीं, हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो हमने जहां-जहां देखा, रैंडम रूप से चैक किया। हम यहां से टीम लेकर गये स्टेट लेवल से तो देखा कि कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं फर्जी बिल बन गये हैं। ये सब चीजें हमने पकड़ीं। पकड़ने के बाद में जो हमने कार्रवाई की, मैं यहां सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि यह आप अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनियमितताओं में बीडीओ है...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, अभी बहुत बिजनस बाकी है। पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पांच मिनट में नहीं होगा।

श्री सभापति: आप टेबल करें। बहुत बिजनस बाकी पड़ा है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): +++

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार मैं आपको नमूना दिखाऊंगा, आप अधिकारियों को कोटड़ी पंचायत समिति पर भेजें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह भी देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मुझे ऐतराज है। +++ यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति: सब विलोपित किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये हमारी स्थापित परम्पराएं नहीं हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उप-नेता जी, आप बीच में व्यवधान नहीं करें। मैं मेरी बात पूरी करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, व्यवधान की बात नहीं है। न तो यह व्यवस्था है कि कोई पढ़कर बोले और उसके बाद +++ ही कहे कि मुखबन्द आपको करवाना है कि नहीं करवाना। अगर ये चाहते हैं कि हम चले जाएं तो हम चले जाते हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मुखबन्द अभी बाकी है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उप-नेता, आपको ऐसा लगता है।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजें। मुखबन्द करके, ये बाकी मांगें पास करानी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर ये नहीं बैठेंगे तो मैं और मेरा दल तो जा रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप प्लीज विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बात है कोई! ये गांधी जी से चालू हुए थे, महाभारत से चालू हुए, हम कुछ बोले नहीं। महाभारत से चालू हुए चाणक्य तक पहुंच गये।

श्री सभापति: विराजिये आप। मंत्री महोदय, इसे कन्क्लूड करें आप प्लीज। पांच मिनट में कन्क्लूड करें। 50 मांगें मुखबन्द कराकर पास करानी हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं उप-नेता को कहना चाहता हूं कि जब ये बोलते हैं तो अच्छा लगता है सबको। ये विधायक बैठे हैं, इनके भी समय को आप खाते हैं, वह अच्छा लगता है आपको। मैं एसटी का विधायक हूं, मंत्री हूं तो क्या आपको सुनने में परेशानी हो रही है? मैं आदिवासी इलाके से आता हूं। अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं। आप उसे दूसरे रूप में पेश करके मुझे बैठाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमें अधिकार नहीं है सदन में बात करने का? (व्यवधान)

हमने जो काम किया है, राठौड़ साहब, ईमानदारी से काम करना एक साल, पता लग जायेगा कि ईमानदारी क्या होती है और ईमानदार आदमी में कितनी ताकत होती है। उसके जमीर में कितना पावर होता है। (व्यवधान) ऐसे

(श्री रमेश चन्द मीना)

ही नहीं होता काम। आपने पैसे कमाये हैं, सम्पत्तियां अर्जित की हैं। वह कोई काम नहीं आयेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आदमी यह मुट्ठी खोलकर आया है और खोलकर जायेगा वापस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: कोई आरोप नहीं है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नोटिस भी दे रखा है। जब पिछले राज में आप मंत्री थे तब नोटिस भी दिया था। सब लिखा है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मेरा निवेदन सुनें, 50 डिमांड हैं। पांच मिनट में आप समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): शोर्ट में बोल रहा हूं, दस मिनट लूंगा। दस मिनट।

श्री सभापति: बाकी बहुत मांगें पास करनी हैं, अभी 50 हैं। प्लीज, विराजें आप।

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जहां आसन का सम्मान नहीं, वहां हम बैठना पसन्द ही नहीं करते। मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो अधिकारियों ने लापरवाही की, उनके खिलाफ 17 सीसीए, 16 सीसीए में कार्यवाही की है। जो बार-बार रिमाइंडर आता था एसीबी से तो 127 लम्बित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों में से 52 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की जांच कर दी। 5396 ग्राम विकास अधिकारी जिनकी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि रिक्त पदों पर भर्ती हो तो इसके लिए हमने 5156 अभ्यर्थियों की सूची विभाग को प्रेषित कर दी है और जल्दी ही आपको ग्राम विकास अधिकारी पंचायतों में मिलेंगे तथा इनको शीघ्र ही हम पोस्टिंग दे देंगे।

(श्री रमेश चन्द मीना)

इसी तरह हमने कनिष्ठ सहायक भर्ती, 2013 में चार हजार पद की भर्ती किये जाने की घोषणा की। काफी लम्बे समय से ये लोग इंतजार कर रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री की संवेदनशीलता की वजह से अनेक बाधाओं के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका मिला और अभी तक हमने 3181 अभ्यर्थियों का सत्यापन कर उन्हें विधिवत ग्राम पंचायतों में कार्य ग्रहण करवाया जा चुका है। इसी तरह हमने आरआरडीएस सेवा के 69 पदोन्नत विकास अधिकारियों में से 18 को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 12 को जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका के पद पर पदस्थापित किया है। राज्य मुख्यालय पर वरिष्ठ पदों पर इनका पदस्थापन किया है। हमारा ध्येय इस कैडर का सशक्तीकरण कर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना है। एक ग्राम विकास अधिकारी यह नहीं सोच सकता था कि मैं विकास अधिकारी बनूंगा, एसीईओ बनूंगा तो इस तरह विभाग के अधिकारियों का सामंजस्य और एक तरफ आरआरडीएस, दोनों का हमें पंचायती राज का अनुभव मिल रहा है।

इसी तरह से हमने 2019 में 57 नई पंचायत समितियों, 1456 ग्राम पंचायतों का गठन किया। इस वर्ष बगड़ी-सोजत (पाली), सीकरी-नगर (भरतपुर), बनोखर-कठूमर (अलवर) को पंचायत समिति बनाया। वर्तमान में राज्य में 356 पंचायत समितियां और 11,251 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। अभी 55 पंचायत समितियों में भूमि का आबंटन हो गया है, 33 वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी हैं। 1456 ग्राम पंचायतों में से 3 नगरपालिका क्षेत्र में चली गई हैं। 1453 ग्राम पंचायतों के भवनों में 1432 को भूमि आबंटन कर दी है और 1410 की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। वर्तमान में 451 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण करवाया जा चुका है, 938 प्रोग्रेस पर हैं। इसी तरह हमारे जो 129 अम्बेडकर भवन की 2019-20 में घोषणा की थी उनमें 150 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी, 105 प्रोग्रेस पर हैं, 24 के टेंडर होना बाकी हैं। इसी तरह आपके 15वें वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग, स्वामित्व योजना के अन्तर्गत 24 जिलों में 12,531 गांव में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया है, 709 गांवों में 22,097 प्रोपर्टी का वितरण किया जा चुका है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट में राजस्व, पंचायती राज के कार्मिकों के साथ जन-प्रतिनिधि प्रमुख, प्रधान, सरपंचों को टैबलेट दिये जाने की घोषणा की, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री रमेश चन्द मीना)

इसके साथ-साथ आज जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की बात भी विधायकों ने उठायी थी कि उनकी मांगें हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मानदेय भत्तों में 2022 से 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गयी थी। यह वृद्धि दिनांक 7.4.2022 द्वारा अधिसूचित कर दी गयी। इस वर्ष की बजट घोषणा में इनके मानदेय भत्तों में 15 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गयी जो 1.4.2023 से प्रभावी होगी। इसमें 1 लाख 28 हजार जन-प्रतिनिधि लाभान्वित होंगे।

जल ग्रहण, वाटरशैड, वाटरशैड में जो हमने काम किया है, वह मैं आपको शोर्ट में बताना चाहूंगा कि वाटरशैड डिपार्टमेंट के माध्यम से भूसंरक्षण और जल संरक्षण का काम होता है। सतही पानी को रोकना और नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कैसे रीचार्ज करें और जो रिवाइंस हैं, जो बेकार भूमि है, बंजर भूमि है उसको सिंचित करना है, तो उसके लिए हमने राजीव गांधी जल संचय योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से करीब 7 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया है। अब जो जिलों में हमने टेंडर रखे हैं, राज्य सरकार पर डाकूमेंट तैयार किये गये हैं, टेक्निकल बिड की राज्य स्तर से उसकी देखरेख हमारी होगी। पहले वाटरशैड के इनके टेंडर होते थे, चाहे स्टेट की योजना हो, चाहे केन्द्र की हो, तो उसमें 50 परसेंट बिलो, 60 परसेंट बिलो होते थे। अब उनमें टेक्निकली अच्छा अनुभवी ठेकेदार आयेगा, अच्छा काम करेगा, टेंडर बिलो नहीं जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि धरातल पर काम हो रहे हैं।

दूसरा, जो हमारे विधायक साथी हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं उनकी पंचायत समिति या जिला परिषद में कोई चर्चा नहीं होती थी और बिना चर्चा के लिए सीधे लोग अपना प्लान बनाते और पैसा भारत सरकार और राज्य सरकार से ले लेते थे, तो अब एजेंडे पर यह चर्चा भी होगी जिससे उनकी खामियां, कमियां हैं उनका भी पता लगेगा क्योंकि ग्राम सभा में पहले अनुमोदन होगा फिर पंचायत समिति पर, फिर जिला परिषद पर और उसके बाद वहां का सम्बन्धित विधायक, जिला प्रमुख से भी उस जिला परिषद में चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड पार्टी से इनका हम निरीक्षण करवायेंगे जिससे आने वाले समय में गुणवत्तापूर्वक काम हो और ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित हो।

(श्री रमेश चन्द मीना)

इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन में जो काम हम कर रहे हैं, उसमें 1 लाख 69 हजार 613 परिवारों में शौचालय के निर्माण करवा दिये हैं। इसके अलावा 500 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनाये हैं, लेकिन ये काफी जगह बन तो गये हैं लेकिन इनकी रेगुलर सफाई नहीं हो पाती। काफी जगह मॉडल टॉयलेट भी बनाये। जब हमने हमारे विभाग के अधिकारियों को कहा कि जब हम किसी को शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये देते हैं तो विभाग के द्वारा 50 हजार का मॉडल टॉयलेट क्यों बनाया जा रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो उनके भी कुछ के निरीक्षण किये जिनमें कुछ सही मिले, कुछ ठीक नहीं मिले। तो हम चाहते हैं कि जहां घनी आबादी वाले गांव हैं वहां पर ओडीएफ प्लस वाली बात हो रही है तो तरल कचरा प्रबन्धन है, ठोस कचरा प्रबन्धन है उन दोनों में से एक होगा। पूरे घरों में, पूरे स्कूलों में, आंगनबाड़ी है, हर गांव में शौचालय होगा तो वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होगा। काफी जगह तालाब जैसा बन जाता है, तो उसमें फिर रीसाइकल के द्वारा उस पानी को खेती के उपयोग में लिया जाता है, तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट 2023-24 में घोषणा की है कि 10 हजार से अधिक आबादी वाले 25 गांवों में Shallow Sewer Treatment Plants तथा 75 गांवों में FSTP लगाने की घोषणा की है। FSTP में 15 से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों का फीकल स्लज उपचारित किया जाएगा जिस पर 650 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये व्यवस्थाएं गांवों में शहरों जैसी होगी जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

कुछ घोषणाएं हैं। वर्ष 2023-24 में 800 करोड़ का ऋण स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उद्यम हेतु व्यक्तिगत ऋण भी दिलाया जाएगा। महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगामी वर्ष में 200 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। मुख्य मंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के माध्यम से इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए राजीविका के अन्तर्गत संचालित संकुल स्तरीय संगठन के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में इतनी ही राशि व्यय कर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा। आगामी वर्ष में विशेष योग्यजन हेतु

(श्री रमेश चन्द मीना)

पृथक् से स्वयं सहायता समूह का गठन कर 2500 परिवारों को जोड़कर राजीविका के माध्यम से उनका कौशल विकास आजीविका संवर्द्धन किया जाएगा।

बाजार में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए स्वयं सहायता समूह के 10 हजार सदस्यों को जैविक खेती कार्यक्रम से आगामी वर्ष में जोड़ा जायेगा। राज्य में स्वयं सहायता समूह की सात हजार महिलाओं हेतु व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर उनका आजीविका संवर्धन किया जायेगा। आरसेटी के माध्यम से आगामी वर्ष में बीस हजार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। वर्ष 2023-24 में चार हजार अति गरीब परिवारों को चयनित कर राजीविका के माध्यम से तीन वर्षों में उनका चरणबद्ध रूप से आजीविका विकास किया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा, वर्ष 2023-24 में लगभग तीन हजार हैक्टेयर भूमि में चरागाह विकास के कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से लगभग 600 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पशुओं को चारा उपलब्ध होने के साथ-साथ जलवायु एवं पर्यावरण में सुधार होगा, साथ ही पंचायतों की निजी आय बढ़ेगी।

महात्मा गांधी नरेगा योजना से वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक जल संग्रहण ढांचे (वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) का निर्माण करवाया जायेगा। इस प्रकार कुल 11,252 जल संग्रहण ढांचे के निर्माण पर लगभग 1100 करोड़ रुपये महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से व्यय किया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 500 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा। इन कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपये का व्यय महात्मा गांधी नरेगा मद से किया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, गुणवत्ता बढ़ाने, निगरानी एवं सुधार हेतु मुख्यालय पर मुख्य अभियन्ता के अधीन एक राज्य स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा, जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, लेखाकर्मी एवं अन्य पद रखे जायेंगे। उक्त पद पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति के पद होंगे। इन पर होने वाला व्यय लगभग 3 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष नरेगा योजना के प्रशासनिक मद से किया जायेगा।

(श्री रमेश चन्द मीना)

प्रदेश के सरपंच, वार्ड पंच, आमजन, विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी देने हेतु लघु फिल्में तैयार करवाई जायेंगी तथा इनके लघु अवधि के वीडियो तैयार कर यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड किये जायेंगे।

राज्य सरकार की समस्त फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ गांव के अन्तिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु "एक गांव, एक अधिकारी अभियान" शुरू किया जायेगा। इस अभियान में विभाग का अधिकारी/कर्मचारी एक गांव को गोद लेगा तथा उस गांव के पात्र परिवार को फ्लैगशिप योजनाओं से लाभान्वित करवाने की जिम्मेदारी उस अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

पंचायती राज नियम 1996 में बनाये गये थे, तब से अब तक कार्य प्रक्रिया में तथा योजना के क्रियान्वयन में काफी बदलाव आया है, जिससे क्रियान्वयन में समस्याएं आ रही हैं। अतः मैं पंचायती राज नियम, 1996 की समीक्षा हेतु एक समिति के गठन की घोषणा करता हूं।

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आबंटन एवं आवासीय पट्टा जारी करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए पट्टा आबंटन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपादित कराने हेतु एक SOP (शिड्यूल आफ पावर) जारी की जायेगी।

बस लास्ट है, सभापति महोदय। राजस्थान की पहचान ऐसे गांवों से है, जहां ऐतिहासिक किले, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल एवं वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी/रिजर्व एरिया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज के माध्यम से वन विभाग, पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग एवं देवस्थान विभाग के समन्वय से "स्वच्छ आंगन" परियोजना का शुभारम्भ कर कार्य किया जावेगा। इस परियोजना में विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेन्स से इन स्थानों पर ठोस, तरल एवं प्लास्टिक कचरे का चरणबद्ध प्रबन्धन एकीकृत रूप से करते हुए वहां आने वाले पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों को एक अभूतपूर्व एवं बेहतरीन अनुभव दिया जा सकेगा।

इस अभिनव पहल के तहत त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, सांवलिया सेठ मंदिर, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बेणेश्वर धाम, रामदेवरा, कैला देवी, महावीर जी सहित ऐसे कुल 25 धार्मिक स्थलों को प्रथमतया चयनित किया गया है।

(श्री रमेश चन्द मीना)

जलग्रहण, आगामी वर्ष में राजीव गांधी जल संचय योजना लगभग 2630 करोड़ रुपये के 2 लाख जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य करवाये जायेंगे। 2 हजार हैक्टेयर बंजर भूमि में चरागाह एवं उद्यानिकी कार्य संपादित कर राज्य के लगभग 5 हजार गांवों की 20 लाख हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया जायेगा। लगभग 73 हजार कृषकों के खेतों में टांके, 17 हजार कृषकों के फार्म पोण्ड तथा लगभग 2 हजार किसानों के खेतों में ड्रिप स्प्रिंकलर पाइपलाइन लगाकर लाभान्वित किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में लगभग 46 हजार एनिकट, पक्का चैक डैम, मिनी परकोलेशन टैंक आदि संरचनाओं का निर्माण कराया जायेगा।

सभापति महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर, वंचित को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। हम आशा करते हैं कि इस स्वशासन के प्रयोग को सफल बनाने में हमें सभी का सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।

मांग संख्या 52 - पंचायती राज का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 52 - पंचायती राज विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,78,47,86,000/- (नब्बे अरब अठहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,26,48,62,000/- (इक्यावन अरब छब्बीस करोड़ अड़तालीस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द करके प्रस्तुत की जा रही हैं।

सूचना

विराटनगर में भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, अभी एक घंटे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के आसपास में भारी ओलावृष्टि हुई है, पकी हुई फसल बिलकुल खराब हो चुकी है भयंकर ओले पड़े हैं।

मैंने कृषि महोदय को अभी वीडियो भी दिखाया है, फोटोग्राफ भी दिखाये हैं। हमारे यहां सब्जी बहुत अच्छी संख्या में होती है। फसलें बहुत अच्छी संख्या में हैं और कटाई का समय चल रहा है, गेहूं तो अभी खड़ा है। मैंने कृषि मंत्री महोदय को वीडियो दिखाया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गिरदावरी के तुरन्त प्रभाव से आदेश दिये जायें और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये।

श्री सभापति: विराजिये।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 01 - राज्यपाल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 - राज्यपाल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,21,59,000/- (सात करोड़ इक्कीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 02 - राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 - राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,57,26,000/- (एक अरब एक करोड़ सत्तावन लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 05 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,53,06,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ तिरपन लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - विधि एवं विधिक कार्य विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,80,57,63,000/- (अठारह अरब अस्सी करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 07 - मंत्री परिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 - मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,10,04,000/- (बीस करोड़ दस लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 08 - सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 - सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,30,36,10,000/- (पांच अरब तीस करोड़ छत्तीस लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 09 - निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - निर्वाचन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,81,91,07,000/- (चार अरब इक्यासी करोड़ इक्यानवे लाख सात हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,01,81,92,000/- (बारह अरब एक करोड़ इक्यासी लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा एक छोटा-सा निवेदन है। मैं आपके मार्फत से विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे ना पक्ष लॉबी में बैठे हुए हैं तो ये जो मांगें पास की जा रही हैं, ये प्रदेश के विकास के लिए की जा रही हैं, कम से कम इसमें तो सहयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए उनको पंचायती राज के मंत्री का भाषण नहीं सुनना था, उनकी मांगें नहीं सुननी थीं तो ये मांगें तो आप उसके लिए मंजूर करवा रहे हैं, जिससे प्रदेश का पूरा विकास होगा।

इसमें यह आरोप लगेगा उनके ऊपर, अगर वो आज शामिल नहीं होते हैं तो यह आरोप लगेगा कि प्रदेश का विकास वो नहीं चाहते हैं।

मांग संख्या 11 - पंजीयक एवं मुद्रांक

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 - पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री सभापति)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,02,29,55,000/- (दो अरब दो करोड़ उनतीस लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12 - आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - आबकारी विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,13,28,17,000/- (दो अरब तेरह करोड़ अटठाइस लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,65,92,78,000/- (बीस अरब पैंसठ करोड़ बानवे लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,35,17,01,000/- (अठारह अरब पैंतीस करोड़ सत्रह लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15 - पेंशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 - पेंशन के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री सभापति)

2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,60,51,59,69,000/- (दो सौ साठ अरब इक्यावन करोड़ उनसठ लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,65,22,78,000/- (चार अरब पैंसठ करोड़ बाइस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,53,27,38,000/- (छह अरब तिरपन करोड़ सत्ताइस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,50,88,62,000/- (चार अरब पचास करोड़ अठासी लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति विभाग के

(श्री सभापति)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,03,49,11,000/- (दो अरब तीन करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,23,38,35,000/- (दो अरब तेईस करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,84,61,88,000/- (बारह अरब चौरासी करोड़ इकसठ लाख अठासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 80,16,13,000/- (अस्सी करोड़ सोलह लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार विभाग के

(श्री सभापति)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,94,08,89,000/- (सत्रह अरब चौरानवे करोड़ आठ लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,10,09,91,000/- (पांच अरब दस करोड़ नौ लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,99,09,11,000/- (पचास अरब निन्यानवे करोड़ नौ लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37 - देवस्थान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 - देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,92,84,000/- (छिहत्तर करोड़ बानवे लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के

(श्री सभापति)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,58,18,41,000/- (एक अरब अठावन करोड़ अठारह लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,69,93,39,000/- (दो अरब उनहत्तर करोड़ तिरानवे लाख उनतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,93,24,43,000/- (चौरासी अरब तिरानवे करोड़ चौबीस लाख तैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,36,31,06,000/- (साठ अरब छत्तीस करोड़ इकतीस लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,79,97,82,000/- (चार अरब उनासी करोड़ सतानवे लाख बयासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 99,19,71,36,000/- (निन्यानवे अरब उन्नीस करोड़ इकहत्तर लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48 - उद्यानिकी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48 - उद्यानिकी विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,58,05,40,000/- (आठ अरब अठावन करोड़ पांच लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49 - गोपालन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49 - गोपालन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,83,61,68,000/- (अठारह अरब तिरासी करोड़ इकसठ लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 50 - सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 - सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,71,47,99,000/- (ग्यारह अरब इकहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,51,32,97,98,000/- (तीन सौ इक्यावन अरब बत्तीस करोड़ सतानवे लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 54 - ऊर्जा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 54 - ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,69,81,69,96,000/- (एक सौ उनहत्तर अरब इक्यासी करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री सभापति)

14,70,14,39,000/- (चौदह अरब सत्तर करोड़ चौदह लाख उनतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 56 - उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 56 - उद्योग विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,36,50,92,000/- (पांच अरब छत्तीस करोड़ पचास लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,02,43,98,000/- (पांच अरब दो करोड़ तैंतालीस लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 58 - खान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 58 - खान के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,88,34,65,000/- (एक अरब अठासी करोड़ चौंतीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 59 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 59 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री सभापति)

राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,71,59,000/- (एक अरब सैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,22,06,15,000/- (उनतीस अरब बाईस करोड़ छह लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,93,60,000/- (उनतीस करोड़ तिरानवे लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 62 - परिवहन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 62 - परिवहन के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,87,77,56,000/- (ग्यारह अरब सतासी करोड़ सतहत्तर लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री सभापति)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,87,31,000/- (एक अरब तिहत्तर करोड़ सतासी लाख इकतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,06,66,000/- (छियानवे करोड़ छह लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.43 बजे शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत निगमों द्वारा जारी कृषि कनेक्शन

300. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विगत बजट में कृषि कनेक्शनों की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 मार्च, 2022 तक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अब तक कितने कृषि कनेक्शनों के डिमांड नोटिस जारी कर दिये गये हैं तथा कितनों की राशि जमा की जा चुकी है? डिस्कॉमवार व अधीक्षण अभियन्ता वृत्तवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तीनों डिस्कॉमों में अब तक कितने कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) माह दिसम्बर, 2022 तक शेष रहे कनेक्शनों को कब तक जारी कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2021-22 के बजट में 50 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी एवं वर्ष 2022-23 के बजट में 01 जनवरी, 2013 से 22 फरवरी, 2022 तक के लम्बित लगभग 3 लाख 38 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों को आगामी दो वर्षों यथा 2022-23 एवं 2023-24 में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने हेतु घोषणा की गई थी।

जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगमों द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक वृत्तवार जारी किये गये मांग पत्र में से 31 दिसम्बर, 2022 तक जमा हुए मांगपत्रों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ-1", "अ-2" व "अ-3" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त में से तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 तक जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट "अ-1", "अ-2" व "अ-3" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त में से माह दिसम्बर, 2022 के अन्त में रहे लम्बित कृषि कनेक्शन वरीयतानुसार शीघ्रातिशीघ्र सतत प्रक्रिया के तहत जारी किये जा रहें हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर में महाराणा प्रताप खेल गांव में घटिया सामग्री लगाने पर दर्ज मुकदमा

302. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव में क्रिकेट स्टेडियम में घटिया सामग्री लगाने के कारण ब्यूरो द्वारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था? यदि हां, तो उक्त दर्ज मुकदमे की एफआईआर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ब्यूरो द्वारा उक्त का अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आरोपियों की पत्रावलियां जल संसाधन विभाग में लम्बित होने के कारण उक्त आरोपियों के विरुद्ध ब्यूरो अभियोजन स्वीकृति व अन्वेषण की कार्यवाही नहीं कर पा रहा है? यदि हां, तो ब्यूरो द्वारा उक्त के संबंध में कब-कब व किस स्तर के अधिकारी को आवेदित किया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एफ.आई.आर. का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उक्त अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया है तथा अभियोग में आरोपीगण 1. श्री कैलाश दान सान्दू, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता हाल सेवानिवृत्त 2. श्री सोहन लाल लोकवानी, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता हाल सेवानिवृत्त 3. श्री देवेश शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता 4. श्री मुकेश जानी, सहायक अभियंता 5. श्री विमल कुमार मेहता, सहायक अभियंता, नगर विकास न्यास, उदयपुर एवं 6. श्री हेमराज वरदार ठेकेदार मैसर्स प्रमाण कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 193, 409, 420 एवं 120बी भादंस. प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 25.02.2019 को चालान का निर्णय लिया गया।

(3) जी हां। प्रकरण के आरोपियों में से आरोपी 1. श्री कैलाश दान सान्दू एवं 2. श्री सोहन लाल लोकवानी का अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव जल संसाधन विभाग में दिनांक 04.11.2022 से लम्बित है।

(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री)

अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राज. जयपुर को दिनांक 04.11.2022 को प्रेषित किये गये थे, जिन पर निर्णय प्राप्त होना शेष है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अल्पकालीन फसली ऋण वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें

307. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर अल्पकालीन फसली ऋण वितरण में हो रही अनियमितताओं एवं वांछित राशि के ऋण अनुपलब्धता की शिकायतों पर संज्ञान एवं निस्तारण की कार्यवाही समय पर नहीं हो रही है? यदि हां, तो सरकार उक्त के संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी संस्थाओं के अवधिपार ऋणी सदस्यों द्वारा ऋण राशि का भुगतान करने के उपरांत भी उक्त को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण को एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित करने के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 लागू है। इसके तहत सहकारी फसली ऋण पोर्टल से कृषक के आधार बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद उसकी साख सीमा एवं बैंक में उपलब्ध तरलता के आधार पर सभी किसानों को एकरूप प्रणाली से ऋण वितरण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अवधिपार कृषक जिनके पक्ष में कोई ऋण बकाया नहीं है, उनके द्वारा ऋण हेतु आवेदन करने पर उनकी पात्रता अनुसार नियमित रूप से ऋण वितरण किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना में अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रताड़ित करने के दर्ज प्रकरण

248. श्री रूपा राम (मकराना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मकराना में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक अनुसूचित जाति की महिला को प्रताड़ित, छेड़छाड़ एवं मारपीट करने के कुल कितने प्रकरण कौन-कौनसे पुलिस थाने में दर्ज हुए व कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत स्थित पुलिस थाना मकराना पीलवा, गच्छीपुरा व परबतसर में दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर, 2022 तक अनुसूचित जाति महिला प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं मारपीट के कुल 24 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 13 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुलिस चौकी लाडजी का कुआं, जोधपुर के भवन का मुख्य मार्ग का दरवाजा खोलने की योजना

249. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर अन्तर्गत पुलिस चौकी लाडजी का कुआं, जोधपुर के भवन के मुख्य मार्ग पर स्थित दरवाजे को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो किस आदेश से और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त दरवाजे को पुन: खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस चौकी लाडजी का कुआं थाना खाण्डाफलसा, जोधपुर पूर्व,

(गृह मंत्री)

का मुख्य मार्ग पर स्थित दरवाजा बन्द नहीं है और न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा बन्द करने के आदेश पारित किये गये हैं।

(2) पुलिस चौकी लाडजी का कुआं थाना खाण्डाफलसा जोधपुर पूर्व, का दरवाजा बन्द नहीं है।

नवलगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने की योजना

250. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय एवं संकाय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के किन-किन विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय, विषय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की मांग के आधार पर अतिरिक्त विषय व संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय एवं संकाय खोलने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ के निम्नांकित विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं विषय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1. एस.एस.डी. राय जे.पी. मुरारका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरवासी।
2. सीताराम कयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसावा।
3. सुमन गोयल मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसावा।
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनतलाई।

(शिक्षा मंत्री)

5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कसेरू।

6. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलसिया।

7. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलडी।

(3) जी हां। उक्त प्राप्त प्रस्तावों में से क्र.सं. 1 से 3 में अतिरिक्त विज्ञान संकाय तथा क्र.सं. 4 पर अंकित विद्यालय में अतिरिक्त भूगोल विषय खोले जा चुके हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के संबंध में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा संख्या 11 के अनुसार 500 राजकीय विद्यालयों में नये विषय/संकाय प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त घोषणा की अनुपालना में विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के प्राप्त शेष प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत अतिरिक्त विषय/संकाय खोले जा सकेंगे।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी (मानसरोवर) जयपुर की भूमि अवाप्ति

251. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर के सेक्टर-जी के मानचित्र के आधार पर न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर में स्थित एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 के अनुसार पृथ्वीराज नगर का भाग बताया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि खसरा नम्बर 29/203 एवं 29/219 ग्राम मान्यावास उर्फ नन्दकिशोरपुरा तहसील सांगानेर, जिस पर उक्त कालोनी विकसित है, के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 31.07.1989 को प्रकाशित की गयी एवं अवार्ड दिनांक 18.03.1996 को घोषित किया गया व भूमि का कब्जा दिनांक 27.06.2012 को बिना कोई मुआवजे के खातेदार को भुगतान किये अथवा किसी न्यायालय

(श्री अशोक लाहोटी)

में जमा कराये बिना लिया गया, जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अनुसार उक्त भूमि से संबंधित कोई भी प्रकरण पृथ्वीराज नगर की 116 रिटों के साथ उच्च न्यायालय में सम्मिलित नहीं था?

(3) क्या यह भी सही है कि नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण आदेश क्रमांकः प. 17 (1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु सं. 10 एवं 11 के अनुसार, खसरा नं. 29/203 एवं 29/219 ग्राम मान्यावास उर्फ नन्दकिशोरपुरा तहसील सांगानेर की भूमि, अवाप्ति भूमि नहीं है? यदि हां, तो किस भूमि अवाप्ति अधिनियम की कौन-कौनसी धाराओं के अनुसार यह भूमि अवाप्ति भूमि की श्रेणी में आती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 के अनुसार पृथ्वीराज नगर के सेक्टर-जी के मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 29/203 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 29/219 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 06.01.1983 तथा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 31.07.1989 को राजपत्र में जारी की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 10.06.1991 को अवार्ड जारी किया गया, जो दिनांक 18.03.1996 को घोषित किया गया। भूमि का कब्जा दिनांक 27.06.2012 को लिया गया।

नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर से संबंधित पृथ्वीराज नगर की 116 रिटों के संबंध में ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर सम्मिलित है। अवाप्ति संबंधी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 29/203 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 29/219 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा अवाप्ति की भूमि में शामिल है, जिसके संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत धारा 4 की अधिसूचना दिनांक

(स्वायत्त शासन मंत्री)

06.01.1983 तथा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 31.07.1989 को राजपत्र में जारी की गई है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

करतारपुरा उर्फ राजपुरा तहसील जयपुर में सामुदायिक भवन

252. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोन 5 के वार्ड नम्बर 144 करतारपुरा उर्फ राजपुरा, तहसील जयपुर में स्थित सरकारी भूमि पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा महावीर कालोनीवासियों द्वारा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक पार्क बनाने हेतु जेडीए को ज्ञापन दिये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त सरकारी भूमि पर चारदीवारी बनाकर सामुदायिक भवन, सार्वजनिक पार्क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। डा. अर्चना शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार द्वारा वार्ड 144 में विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति व बजट आबंटन करवाने बाबत ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आबंटन के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आबंटन के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चाकसू नगरपालिका द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापनों का भुगतान

253. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका चाकसू द्वारा वर्ष 2022-23 में

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)
समाचार पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन का समाचार पत्रों को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का, कब-कब व नहीं, तो क्यों? समाचार पत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रकाशन की बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका चाकसू द्वारा वर्ष 2022-23 में समाचार पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन के पेटे किये गये भुगतान का राशिवार एवं तिथिवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं बकाया भुगतान का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) नगरपालिका में बजट उपलब्धता के आधार पर समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रकाशन का बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में जल संसाधनों से संबंधित कार्य

254. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक जिला बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में जल संसाधन से संबंधित कार्यों को स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो स्वीकृत कार्यों का विवरण मय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं कार्य की वर्तमान में स्थिति, स्वीकृत राशि एवं कार्यकारी एजेंसी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में जल संसाधन विभाग से संबंधित स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ बांध को राष्ट्रीय झील का दर्जा

255. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल मीना)

(1) प्रदेश में कौन-कौन से बांधों को राष्ट्रीय झीलों का दर्जा प्राप्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जमवारामगढ़ बांध को राष्ट्रीय झील का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अधीन स्थित किसी भी बांध को राष्ट्रीय झील का दर्जा प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं। जमवारामगढ़ बांध को राष्ट्रीय झील का दर्जा दिये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

पीलीबंगा में नवीन सहकारी समितियों की स्थापना

256. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सरकार द्वारा सहकारी समिति स्वीकृत किये जाने के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कितनी ग्राम पंचायतें सहकारी समितियों से वंचित हैं? क्या सरकार वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन सहकारी समितियों की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति के गठन के निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. न्यूनतम सदस्य संख्या - 300
2. हिस्सा राशि - 3 लाख रुपये
3. अमानत - 1 लाख रुपये

उपरोक्त निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाती है।

(सहकारिता मंत्री)

जी.एस.एस. गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 8 ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत में आगामी 2 वर्षों में राज्य की शेष ग्राम पंचायतों में नई जीएसएस का गठन किया जाएगा।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के उपभोक्ता क्लबों को देय वित्तीय सहायता

257. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर के कितने विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब गठित किये गये हैं एवं वर्तमान में कितने कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत चार वर्षों में उक्त उपभोक्ता क्लबों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर में जिला जयपुर के 09 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब गठित किये गये हैं। वर्तमान में 01 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवाड़, झोटवाड़ा, जयपुर में उपभोक्ता क्लब कार्यरत है। शेष 08 उपभोक्ता क्लब वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं।

(2) विगत चार वर्षों में इन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता आबंटित नहीं की गई है।

जायल में फसल खराबे का मुआवजा

258. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में फसल खराबे के मुआवजे के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्ष 2020-21 में कितने किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया गया तथा कितने किसान मुआवजे से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में फसल खराबे के मुआवजे

(श्रीमती मंजु देवी)

से वंचित रहे किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ नोर्म्स निर्धारित किये हुए हैं।

विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्ष 2020-21 संवत् 2078 में बाढ़ से फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को उपलब्ध कराये गये कृषि आदान-अनुदान का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	**तहसील का नाम**	**प्रभावित ग्रामों की संख्या**	**प्रभावित काश्तकारों की संख्या**	**लाभान्वित काश्तकारों की संख्या**	**कृषि आदान-अनुदान उपलब्ध कराई**	**ऑनलाइन होने से शेष काश्तकारों**
1	जायल	142	113269	48742	52.70	64527

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जायल की तहसील जायल को दो भागों में विभाजित कर तहसील जायल व नवसृजित तहसील डेह हो जाने के कारण भुगतान से शेष रहे कृषकों को नियमानुसार शीघ्र भुगतान हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरसों की फसल खराबे का मुआवजा

259. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में शीतकालीन ऋतु (जनवरी 2023) में पाला पड़ने के कारण किसानों की सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार फसल खराबे का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रदेश में पाला एवं शीतलहर से रबी फसल सम्वत 2079 (वर्ष 2023) में प्रारम्भिक आंकलन/गिरदावरी के अनुसार 10 जिलों से फसलों में खराबा होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा प्राप्त होने पर ही कृषि आदान अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

जिला अलवर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, सीकर व नागौर से गिरदावरी रिपोर्ट (7डी प्रपत्र) में प्राप्त हो गई है, जिनके प्रभावित पात्र किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जिला दौसा, श्रीगंगानगर, जोधपुर व झुन्झुनूं से गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की कार्रवाई की जायेगी।

उप-परिवहन कार्यालय फतेहपुर का क्रमोन्नयन

260. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उप-परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मानदण्डानुसार उप-परिवहन कार्यालय फतेहपुर को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। नवीन कार्यालय खोलने अथवा क्रमोन्नत करने के स्थान पर विभाग में संचालित कार्यालयों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। अतः जिला परिवहन कार्यालय के मानदण्डों के आधार पर उप परिवहन कार्यालय फतेहपुर को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में लेखा संवर्ग की डीपीसी

261. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री खुशवीरसिंह)

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक किस-किस संवर्ग की डीपीसी की जा चुकी है व किस-किस संवर्ग की किस कारण से डीपीसी लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लिपिक एवं लेखा संवर्ग की डीपीसी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम के उच्चाधिकारियों की डीपीसी की जा चुकी हैं? यदि हां, तो किस वर्ष तक व किन-किन की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक की गई डीपीसी का संवर्गवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

उक्त अवधि की लम्बित डीपीसी का कारण सहित संवर्गवार विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) जी हां। लिपिक (मंत्रालयिक) एवं लेखा संवर्ग के डीपीसी हेतु शेष पदों के लिए डीपीसी से संबंधित सेवा मानचित्र तैयार करवाये जा रहे हैं। सेवा मानचित्र तैयार होने पर डीपीसी की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जावेगी।

(3) प्रश्न का उत्तर बिन्दु सं. 1 के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की योजना

262. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं? खिलाड़ी व प्रतियोगिता का नाम एवं प्राप्त पदक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश का पदक जीतकर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया? सरकार द्वारा दी गई

(श्री संदीप शर्मा)

नकद राशि, नौकरी अन्य सहायता का प्रत्येक खिलाड़ीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 04 वर्षों में प्रदेश के 376 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओ में पदक जीते हैं। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई-

- राज्य सरकार द्वारा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम 2016 एवं 2022 के अनुसार अनुदान राशि दी गई है, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।
- बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 को सरलीकरण करते हुए संशोधित नियम 2020 के अन्तर्गत पदक विजेता 229 खिलाड़ियों को नियुक्ति हेतु चयन किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।
- उपनिवेशन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार खिलाड़ियों को नि:शुल्क/कीमतन भूमि का आबंटन किया गया, जिसकी सूची परिशिष्ट -घ पर संलग्न है।
- नगरीय विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार खिलाड़ियों को आबंटित भूखण्ड की सूचना परिशिष्ट-च पर संलग्न है।
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेता उत्कृष्ट खिलाडियों को सरकारी नियुक्ति में 2 प्रतिशत आरक्षण के तहत की गई भर्ती से संबंधित सूचना परिशिष्ट-छ पर संलग्न है।

(विवरण, सूची व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

पंचायत समितियों में खेल मैदानों का निर्माण

263. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति में खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो जिला बारां की किन-किन पंचायत समितियों में खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रताप सिंह)

(2) उक्त जिले की किस-किस पंचायत समिति में खेल मैदान का निर्माण नहीं कराया गया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बारां जिले में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा निर्माण करवाये गये/करवाये जा रहे खेल मैदान वाली पंचायत समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	स्थान	पंचायत समिति	वर्तमान स्थिति
1	छबड़ा स्टेडियम	छबड़ा	मैदानों का समतलीकरण एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य करवाया गया है।
2	छीपा बड़ौद स्टेडियम	छीपा बड़ौद	मैदानों का समतलीकरण, फुटबाल मैदान एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य करवाया गया है।
3	अन्ता स्टेडियम	अन्ता	इन्डोर हाल
4	सिसवाली स्टेडियम	मांगरोल	इन्डोर हाल
5	खेल संकुल	बारां	400 मी. एथलेटिक्स सिण्डर टैक, फुटबॉल ग्राउण्ड बैडमिन्टन हॉल, आफिस बिल्डिंग
6	अटरू	अटरू	मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 में अटरू बारां में स्टेडियम निर्माण हेतु घोषणा की
7	शाहबाद	शाहबाद	मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 में शाहबाद बारां में स्टेडियम निर्माण हेतु

(2) बारां जिले में कुल आठ ब्लाकों में से किशनगंज में खेल मैदान का निर्माण नहीं कराया है।

किशनगंज ब्लाक में खेल मैदान हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

मांडलगढ़ के पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता

264. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में अब तक कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनमें से कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंजीकृत व अपंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 21 फरवरी, 2023 तक कुल पंजीकृत आशार्थियों की संख्या 1585 है। वर्तमान में कुल 112 पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

(2) अपंजीकृत आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। केवल जिला रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक उत्तीर्ण एवं मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करने वाले पात्र आशार्थियों को आवेदन किये जाने पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

दादूदयाल नगर (सांगानेर) की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में विद्युत कनेक्शन

265. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नये विद्युत कनेक्शन के आवेदन के लिए आवेदक को बैंक खाते की पासबुक की फोटोप्रति या कैंसिल चैक लगाना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विद्युत वितरण निगम में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नये कनेक्शन के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग फुट के अनुसार राशि चार्ज करने का प्रावधान है अथवा ये नियम किन मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग पर लागू होते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूल सिंह मीणा)

(3) क्या यह सही है कि सांगानेर क्षेत्र के दादू दयाल नगर में नई बनी गैर-विद्युतीकृत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 25 रुपये प्रति वर्ग फुट के अनुसार चार्ज किये जाते हैं जबकि ऐसा निकटवर्ती क्षेत्र मानसरोवर या भांकरोटा के उक्त कार्यालयों में चार्ज नहीं किया जाता है? यदि हां, तो इस प्रकार के शुल्क के लिए अलग-अलग प्रावधान क्यों हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नये बिजली कनेक्शन के आवेदन के लिए आवेदक को बैंक खाते की पासबुक की फोटोकापी या कैंसिल चैक लगाना अनिवार्य नहीं है।

(2) "विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021" के पैरा नम्बर 7.10 एवं अनुसूची 01 के पैरा नम्बर 2.2(e) (परिशिष्ट "अ") के अनुसार अविद्युतीकृत पुरानी हवेली एवं अविद्युतीकृत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर घरेलू कनेक्शन के लिए फ्लोर एरिया के अनुसार 25 रुपये व अघरेलू कनेक्शन के लिए 30 रुपये प्रति वर्ग फुट विद्युतीकरण राशि लेने का प्रावधान है।

(3) मानसरोवर, भांकरोटा व सांगानेर क्षेत्र के दादू दयाल नगर में "विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021" के पैरा नम्बर 7.10 एवं अनुसूची 01 के पैरा नम्बर 2.2(e) (परिशिष्ट "अ") के अनुसार अविद्युतीकृत पुरानी हवेली एवं अविद्युतीकृत मल्टीस्टोरी बिल्डिंग पर घरेलू कनेक्शन के लिए फ्लोर एरिया के अनुसार 25 रुपये व अघरेलू कनेक्शन के लिए 30 रुपये प्रति वर्ग फुट ही राशि ली जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर (पूर्व) के आबादी क्षेत्रों की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना

266. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बीकानेर(पूर्व) के तिलकनगर, रामपुरा, चौधरी कालोनी, घड़सीसर सहित अनेक आवासीय क्षेत्रों में विद्युत की हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लाइनों को भूमिगत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(सुश्री सिद्धी कुमारी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के आबादी क्षेत्रों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने की योजना है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों की व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के तिलकनगर, रामपुरा, चौधरी कालोनी, घड़सीसर सहित सभी आवासीय क्षेत्रों में विद्युत लाइनें विद्युत विनियम में निर्धारित सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार निश्चित दूरी व ऊंचाई पर स्थापित की गयी है। तथापि विद्युत लाइनें खींचने के बाद कालान्तर में विद्युत लाइनों के नीचे एवं पास में तिलक नगर, आजाद नगर, पूर्णाराम भट्टा, वैष्णों धाम, जयपुर रोड आवासीय क्षेत्र विकसित हो गये हैं। इन आवासीय क्षेत्रों के ऊपर/पास से गुजर रही विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। यद्यपि विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु वितरण निगम प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। प्रावधानों के अनुसार ऐसी विद्युत लाइनें जिनसे मानव जीवन व सम्पत्ति को खतरा हो, उन्हें किसी व्यक्ति/संस्थान द्वारा शिफ्टिंग हेतु निगम नियमानुसार आवेदन करने/चिन्हित होने पर साध्यतानुसार उक्त कार्य हेतु बनाये गये तकमीने लागत की 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा जमा करवाने पर व शेष 50 प्रतिशत राशि वितरण निगम द्वारा वहन कर लाइन अन्यत्र शिफ्ट की जा सकती है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के आबादी क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नीति

267. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विभाग में इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इस संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विघटन तथा पांच विद्युत निगमों का गठन, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19.07.2000 को अधिसूचित "राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अन्तरण स्कीम, 2000" के तहत किया गया था जिसके अनुसार कर्मचारियों का अन्य विद्युत निगमों में परस्पर स्थानान्तरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

डूंगरपुर के नवीन महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

268. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नवीन महाविद्यालय पाल देवल तथा रामसागडा इस सत्र से नियमित प्रारम्भ हो गये हैं? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालयों में कितने व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं? क्या सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में सहशिक्षा के दो महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय, पाल देवल तथा राजकीय महाविद्यालय, रामसागडा प्रारम्भ कर दिये गये हैं, जिनमें व्याख्याता के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण नियमानुसार है:-

क्र.सं.	महा. का नाम	व्याख्याता के पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत (विद्या संबल सहित)	रिक्त
1.	रा. महा. पाल देवल	07	05	02
2.	रा. महा. रामसागडा	07	04	03

उक्त दोनों महाविद्यालय राजसेस सोसायटी के अधीन हैं। राजसेस सोसायटी का गठन किया जा चुका है। सोसायटी के अन्तर्गत भर्ती किये जाने संबंधी नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती नियम बनाये जाने के पश्चात् रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु बोर्ड का गठन

269. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं की मनमानी पर नियन्त्रण हेतु प्रभावी कानून व नियम बनाने एवं बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं में शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अब तक क्या निर्देश जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए "रेगुलेटरी अथोरिटी" का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। इस हेतु "राजस्थान प्राइवेट हायर एजुकेशनल इन्स्टीट्यूसन्स रेगुलेटरी आथोरिटी बिल 2023" विधिक परीक्षणाधीन है।

(2) शिक्षा का स्तर व गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में उपलब्ध प्रावधानों व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर करने तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही करने का प्रावधान है।
2. अधिनियमों में प्रावधान है कि निजी विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का पालन करेंगे।
3. अधिनियमों में प्रावधान है कि निजी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नैक से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हैं, को नैक से प्राप्त ग्रेड के बारे में सूचित करेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व अनियमितता रोकने के लिए पत्र दिनांक 07.07.2017 द्वारा निर्देश जारी किये हैं तथा कृषि पाठ्यक्रमों में

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

प्रवेश आदि के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 18.01.2018 जारी किये हैं जिनकी प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न हैं।

5. निजी विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने या अनियमित तरीके से डिग्री जारी करने, शोध करवाने आदि की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करवाकर अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाती है।

निजी महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बदनोर उपखंड (भीलवाड़ा) में नवीन महाविद्यालय खोलने की योजना

270. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला भीलवाड़ा के बदनोर उप-खण्ड क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा जिले के बदनोर उप-खण्ड क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर)

अलवर शहर में आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान

महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के मुख्य मार्गों व बाजारों अशोक सर्किल, रेलवे स्टेशन, होपसर्कस, केडलगंज, रामगंज, बिजली घर चौराहा, मन्नी का बड़, नयाबास, कालीमोरी, अनाजमण्डी, सब्जी मण्डी, घण्टाघर, त्रिपोलिया, बजाजा बाजार, वीर चौक, पंसारी बाजार के अलावा शहर की आवासीय कालोनियों, मौहल्लों में लावारिस पशुओं का आतंक बना हुआ है। शहर में आवारा पशुओं की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि आवारा पशु खुलेआम घूमते हुए गन्दगी फैलाते हुए एवं दिनभर पोलीथीन खाते दिखते हैं तथा कचरा इधर-उधर फैलाने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन आवारा पशुओं को पकड़ने हेतु नगर परिषद् में पशु पकड़ टीम बनाई हुई है। ज्यादा दबाव पड़ने पर उक्त टीम के कार्मिकों द्वारा कुछ पशुओं को पकड़कर थोड़ी देर में छोड़ दिया जाता है और वो समस्या जस की तस बनी रह जाती है। आवारा पशुओं के मालिकों का इतना खौफ बना हुआ है कि अनेक बार पशु पकड़ टीम के कार्मिकों के साथ व उनकी शिकायत करने वाले आमजन के साथ मारपीट भी कर दी जाती है परन्तु उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि अलवर शहर में आवारा पशुओं के आतंक को समाप्त कराने हेतु पुख्ता व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा)

सांभर झील पर नमक माफिया द्वारा अवैध अतिक्रमण

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश की सांभर झील विश्व में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा झील में विदेशी पक्षी

भी अच्छी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों का मेला सा लगा रहता है। उक्त झील के क्षेत्र में अवैध नमक उत्पादक माफिया सक्रिय है तथा झील क्षेत्र की भूमि पर माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर नमक का उत्पादन किया जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। उक्त अवैध नमक माफियाओं द्वारा अण्डरग्राउंड केबल डालकर अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं, जिससे भी सरकार को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जमीन में बिछी हुई केबल के कट जाने से झील में करंट प्रवाहित होता रहता है और करंट की चपेट में आने से बहुत सारे विदेशी पक्षियों की मौतें भी होती रहती हैं जो लगातार नेशनल लेवल पर सुर्खियां बनती हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विधान सभा में प्रश्नों एवं विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जा चुका है पर सरकार द्वारा कभी-कभी विद्युत केबलें जब्त कर मात्र खाना-पूर्ति के तौर पर कार्यवाही की जाती है तथा कार्यवाही नहीं किये जाने से सरकारी झील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि झील क्षेत्र से अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए तथा भविष्य में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सके, इसके लिए कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री पुखराज (भोपालगढ़)

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के इन अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज एस.एल.पी. संख्या 1491/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07-02-2022 व 28.03.2022 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में एकल पीठ के निर्णय 17/07/2018 व अन्य अपीलों 2019 व खण्ड पीठ में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2021 में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आने व नियमित नियुक्ति के आदेश जारी होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के एवज में नियमित नियुक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा इन अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के वित्त

विभाग व कार्मिक विभाग को समय-समय पर पत्राचार भी किये जाकर इनसे अनुमति मांगी जा रही है, किन्तु राज्य सरकार उनको अनुमति प्रदान नहीं कर रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इन 104 कर्मचारियों का शोषण करने हेतु उतारू है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करना यह दर्शाता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की नीति व कर्मचारी पक्ष में किये गये निर्णय का प्रशासन द्वारा विरोध किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करवाते हुए इन कर्मचारियों को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में नियमित नियुक्ति दिलवाने का कष्ट करावें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

मालपुरा उपखण्ड को नवीन जिला बनाना

महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जिलों के पुनर्गठन करने का विचार कर रही है जिसमें उपखण्ड केकड़ी को जिला बनाने और मेरे क्षेत्र मालपुरा के दोनों उपखण्ड मिलाये जाने की खबरें मीडिया में आ रही हैं। मेरे क्षेत्र का उपखण्ड मालपुरा केकड़ी से पुराना उपखण्ड है और जिला बनाये जाने के लिए भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त है एवं अन्य सभी आवश्यक मापदंडों की पूर्ति करता है। इसलिए या तो सरकार मेरे क्षेत्र के उपखण्ड मालपुरा को जिला बनाये और उक्त उपखण्ड को जिला नहीं बनाती है तो दोनों उपखडों को यथावत टोंक जिले में ही रहने दे।

अतः सभापति महोदय में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी एवं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर पुरजोर मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मालपुरा को जिला बनायें और मेरे क्षेत्र के दोनों उपखण्डों में से किसी भी उपखण्ड को अन्य जिले में मर्ज नहीं करें।

श्री कालूराम (डग)

डग में राज्य राजमार्ग 19ए का नवीनीकरण एवं टोल वसूली पर रोक

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र डग झालावाड़ में स्टेट हाईवे 19A जो सुकेत से डग को बने हुए करीब 10 वर्ष

हो गए हैं मगर अभी तक सड़क को नवीनीकरण नहीं किया गया है। इस रोड पर भारी आवागमन है व माइन्स क्षेत्र होने के कारण भारी वाहन निकलते हैं जिससे सड़क बिल्कुल टूट गई है। संवेदक द्वारा पेचवर्क किया गया व गड्ढे की खुदाई नहीं की बल्कि रोड पर ही पेचवर्क कर लिया जिससे रोड बिल्कुल खराब हो चुका है। यह सड़क बीओटी आरएसआरडीसी द्वारा बनवाई गई थी, जिस पर 4 टोल प्लाजा हैं। यह सड़क टूट गई है। या तो सड़क का नवीनीकरण किया जाए या टोल प्लाजा को बंद किया जाए व डग से कुंडला स्टेट हाईवे बना हुआ है। उसमें डग से चौमेला के बीच मात्र 16 किमी. की दूरी पर टोल लगा हुआ है, जो नियम के विरुद्ध है इसको हटाया जाए। डग से कुण्डला के बीच में मल्हारगंज से रापाखेडी बाईपास अभी तक नहीं बना है व कुण्डला चम्बल नदी की पुलिया टूटने से आवागमन नहीं हो पा रहा है, जो टोल लगा है जो नियम के विरुद्ध लगाया गया है। जब तक यह रोड सुचारु रूप से नहीं चले तब तक टोल को बन्द रखा जाये।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग झालावाड़ में स्टेट हाईवे 19A रोड को पुनः नवीनीकरण करवाकर या टोल बन्द कराकर आमजन को राहत प्रदान करावें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा)

लाडपुरा में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा

महोदय, मैं किसानों के हित के विषय को राज्य सरकार को अवगत कराना चाहती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कई स्थानों पर बेमौसम तेज वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों को क्षति पहुंची है। लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में गेहूं, चना, धनिया, सरसों, मटर एवं अन्य फसलों की लगभग 50% से अधिक फसलें नष्ट हो गई हैं।

बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई भारी क्षति के कारण क्षेत्र के किसानों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों के दौरे, अधिकारियों की बैठकें, सर्वे एवं विशेष गिरदावरी आदि की प्रक्रिया होने के बावजूद मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे आपदा के समय में किसानों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार को आगे आना चाहिए।

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिए कि फसलों में हुई क्षति का जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा भुगतान किया जाए। सरकार से यह भी निवेदन करती हूं कि यदि किसान किसी तकनीकी कारण से मोबाइल एप पर शिकायत दर्ज नहीं कर पाते तो लिखित में भी सूचना दे पाएं. ताकि कोई पीड़ित किसान मुआवजे से वंचित न रहे।

अतः मैं राज्य सरकार से लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में बेमौसम हुई वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी का सही आंकलन करवाने एवं मुआवजा दिलाने का अनुरोध कर रही हूं।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर)

धानका जाति के व्यक्तियों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धानका जाति को भी सम्मिलित किया हुआ है परन्तु धानका जाति के व्यक्तियों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रदेश में नहीं बनाये जाने से उक्त जाति के लोग अनुसूचित जनजाति को दी जा रही सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं।

महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 11(89)(111)/धानक-धानका/डीडीवीसी/सान्यअवि 13/47478-510 दिनांक 09.08.2019 को जारी पत्र के पैरा-1 की अन्तिम लाइन में लिखा है कि 'धानका (Dhanka) जाति नाम से कोई भी जाति राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित नहीं है।' केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने इसे गलत बतलाते हुए स्पष्ट किया है कि Dhanka शब्द का राज्य भाषा हिन्दी में शुद्ध रूप 'धानका' है, धाणका नहीं। इसलिए आपके उक्त सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी पत्र स्वतः ही निरर्थक साबित हो जाता है। उक्त पत्र के कारण आज सम्पूर्ण राजस्थान में धानका समाज के शिक्षार्थी एवं शिक्षित युवाओं के सामने जाति प्रमाण पत्र का गम्भीर संकट पैदा हो गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि धानका जाति के लोग अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्ग से पार्षद, विधायक सहित अन्य जन-प्रतिनिधि बनते आये हैं तथा पिता का जाति प्रमाण पत्र होते हुए भी उनके बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने से वे सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे

हैं। अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त पत्र को तुरन्त प्रभाव से वापस लेते हुए राजस्थान राज्य की धानका (Dhanka) जनजाति समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा-निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा)

इटावा (कोटा) में उप जिला चिकित्सालय हेतु नवीन भवन एवं ट्रोमा सेंटर तथा रायथल (बूंदी) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

महोदय, दूरस्थ सघन आबादीयुक्त उपखण्ड इटावा (कोटा) क्षेत्र में दो लाख की आबादी के बावजूद 50 बेडेड चिकित्सालय में रोगियों तथा संस्थागत प्रसव, 1000 बहिरंग रोगी वाले चिकित्सालयों से भी अधिक है। मध्यप्रदेश सीमावर्ती होने से भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है। भवन जीर्ण-शीर्ण, छोटा एवं संकरी गली में होने से मरीज व कार्यरत स्टाफ त्रस्त है। आपातकालीन परिस्थितियों के मरीज ट्रैफिक जाम के कारण समय पर नहीं पहुंचते हैं। यहां चिकित्सकों एवं स्टाफ आवास निर्माण का पर्याप्त स्थान नहीं है।

नवीन चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु 20.13 बीघा आबंटित भूमि की चारदीवारी एवं प्रवेशद्वार निर्माण 1.30 करोड़ से नगरपालिका, इटावा द्वारा करवाया गया है। आगामी निर्माण आबंटित भूमि पर किये जाने एवं 20 करोड़ रुपये नवीन भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने तथा उप जिला स्तर के चिकित्सालय के अनुरूप 100 बेड संख्या की बढ़ोतरी जनहित में माननीय आधार पर अत्यावश्यक है।

इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायथल (बून्दी) एस.एच. 125 एवं एमडीआर सड़कों पर अवस्थित होने से आवागमन अधिक होने व क्षेत्र घनी आबादीयुक्त होने से आवश्यक मानदण्डों का चिकित्सालय भवन निर्माण एवं ट्रोमा सेण्टर संचालित किया जाने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाना जनहित में मानवीय आधार पर आवश्यक है।

अनुरोध है कि इटावा (कोटा) में उपजिला चिकित्सालय स्तरीय भवन एवं ट्रोमा सेण्टर निर्माण हेतु 20.00 करोड़ रुपये तथा रायथल (बून्दी) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय भवन निर्माण करवाने के लिए 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने एवं वर्तमान में स्वीकृत निर्माण कार्य आबंटित भूमि पर करवाने और ट्रोमा सेण्टर संचालित करवाने की कृपा करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर)

जहाजपुर में डी.एम.एफ.टी. गवर्निंग काउंसिल द्वारा नॉन-पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के डीएमएफटी गवर्निंग काउसिल बैठक में अनुमोदन के पश्चात् निम्नांकित नॉन-पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना आवश्यक है:-

1. मिसिंग लिंक सड़क ग्राम रतनपुरा की मुख्य सड़क से रतनपुरा तक
2. मिसिंग लिंक सड़क सरसिया मेडिया मुख्य सड़क से वाया दरगाह तक बिलेठा तक
3. मिसिंग लिंक सड़क गुढा से देवपुरा तक
4. मिसिंग लिंक सड़क एम.डी.आर. 56 माण्डलगढ़ सड़क से डां का बाडा वाया गोदान का बाडा तक
5. मिसिंग लिंक सड़क ग्राम खेमा का खेड़ा से देवरी माता तक (बेई)
6. मिसिंग लिंक सड़क चारभुजा के मंदिर से कुलदीप सिंह के मकान से होते हुए विजयसिंह के मकान की ओर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य तक ग्राम मानपुरा खजुरी
7. मिसिंग लिंक सड़क गेरूटा श्मशान घाट से बरडा हेते हुए गडबोदिया तक
8. मिसिंग लिंक सड़क कोटा-भीलवाड़ा मुख्य सड़क से मोचडया के देवनारायण तक
9. मिसिंग लिंक सड़क गणेशपुरा से गांगीथला तक सड़क
10. मिसिंग लिंक सड़क ग्राम भण्डारिया से खण्डेरिया भीम का खेड़ा तक
11. मिसिंग लिंक सड़क जालमपुरा से रावतखेडा तक।
12. नॉन-पेचेबल सड़क भगुनगर से जवानपुरा आबादी सी.सी. सडक कार्य की ओर
13. नॉन-पेचेबल सड़क इटून्दा रोड से इटून्दा तक व झीकली से एनएच 148 डी तक सड़क का विस्तारीकरण

14. नॉन-पेचेबल सड़क सवाईपुर कोटड़ी सड़क से रेडवास चौराहे से रेडवास तक
15. नॉन-पेचेबल सड़क खजूरी से गढबोदिया सड़क
16. नॉन-पेचेबल सड़क राजकीय चिकित्सालय देवली से कुचलवाडा माताजी तक 15 मीटर चौड़ाईकरण
17. नॉन-पेचेवल सड़क सगतपुरिया से बिरधोल सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य
18. नॉन-पेचेबल सड़क नेशनल हाईवे 148 डी से ग्राम धोड तक वाया मेला स्थल धोड सुरक्षा दीवार कार्य 500 मीटर
19. नॉन-पेचेबल सड़क सरसिया से भुवार तक
20. नॉन-पेचेबल मुख्य सड़क एनएच से कुचलवाडा खुर्द हरिपुरा तक

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना)

नीम का थाना में गम्भीर पेयजल संकट

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल की समस्या की ओर दिलवाना चाहता हूं कि बरसात कम होने एवं गर्मी जल्दी आने से समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। ज्यादातर चालू ट्यूबवैल पानी की कमी से जूझ रहे हैं। JJM योजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। सरकार द्वारा पैसा जारी बहुत धीमी गति से रुक-रुक कर दिया जा रहा है। खोदे जा चुके ट्यूबवैलों के बिजली कनेक्शन के डिमान्ड नोटिस भी जमा नहीं किये जा रहे हैं। टंकियों के काम एवं लाइन डालने के काम भी बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। मोटरें जो डाली जा रही हैं वे बार-बार खराब हो रही हैं। ट्यूबवैल व हैंडपम्प के मरम्मत वाले ठेकेदार पेमेन्ट नहीं होने की वजह से काम नही कर रहे हैं। ड्राई जा रहे ट्यूबवैल के एवज में दो दोबारा ट्यूबवैल ड्रिलिंग के प्रस्ताव बार-बार भिजवाये जाने के बावजूद अधिकारी मंजूरी नहीं दे रहे। JJM में छूट गये गांवों और पंचायतों के प्रस्तावों के अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं। अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे एवं जनता को बहुत परेशानी हो रही है। शहर की पेयजल व्यवस्था ठीक करने के लिए भी बजट नहीं दिया गया है। कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति के बावजूद अभी धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है।

मेरा मुख्य मंत्री जी एवं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि पेयजल समस्या की गंभीरता को देखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य किये जाने की व्यवस्था करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर)

डूंगरपुर में किस्म परिवर्तन एवं जमाबंदी में शुद्धिकरण के समय कारित त्रुटियां

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव:-

1. तहसील डूंगरपुर, बिछीवाडा, गामडी अहाडा, देवल व दोवडा में नई सेटलमेंटी जमाबंदी संवत् 2060-70 वर्ष की सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार की गई है, उक्त सभी तहसीलों में हजारों खसरा नम्बर भूमि की किस्म जो पूर्व जमाबंदी में चाही बारानी, सुखी, मगरी, पडत दर्ज थी, को बिना कारण के किस्म बदलकर तालाबी कर दिया गया है, जिससे काश्तकारों को सेटलमेंट विभाग की गलती से बहुत नुकसान हो रहा है। किस्म तालाबी होने से भूमि संपरिवर्तन, आबंटन आदि कार्य नहीं हो पा रहे हैं एवं सेटलमेंट विभाग दवारा बड़े पैमाने पर आबंटन की गलत तरमीम की गई है। राज्य सरकार पूर्व जमाबंदी अनुसार किस्म में शुद्धि एवं नक्शे में सही तरमीम करवाने एवं पूर्व जमाबंदी अनुसार सही किस्म को दर्ज कराने का आदेश जारी करावें।
2. डूंगरपुर में कोई मीणा जाति के लोग निवास नहीं करते हैं, सभी भील जाति के हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में मीणा दर्ज होने से बहुत सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र मीणा जाति से जारी हो रहे हैं। डूंगरपुर के सभी राजस्व जमाबंदी में संशोधन कर मीणा के बजाय भील जाति का दर्ज करने का सरकार आदेश जारी करे।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़)

अनूपगढ़ में परिवहन निगम के बस स्टैंड एवं आगार कार्यालय के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनूपगढ़ घड़साना, रावलामण्डी और उप तहसील 2 केएलडी में बस स्टैण्ड बने हुए हैं। इनमें अनूपगढ़ और रावलामण्डी के बस स्टैण्ड भवन और आगार कार्यालय अनूपगढ़ काफी पुराने होने के कारण से जर्जर अवस्था में हैं, कभी भी हादसा होने का अंदेशा रहता है। प्रतिदिन आगार की 70 बसों में लगभग दस हजार यात्री प्रतिदिन आवागमन करते हैं। अनूपगढ़ और रावलामण्डी के बस स्टैण्ड की चारदीवारी नहीं है। बस स्टैण्ड पर डामर सड़क

नहीं होने के कारण बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें लाइटें नहीं होने के कारण रात्रि में कई बार यात्री गड्ढे में गिरने से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। अनूपगढ़ आगार की अधिकतर बसें पुरानी व खटारा हो चुकी है। कई बार लगातार ब्रेक डाउन होने के कारण यात्रियों के आवागमन के सुगम साधन भी बाधित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नई बसें क्रय नहीं किये जाने के कारण ग्रामीण परिवहन सेवा भी कई दिनों से बाधित हो रही है।

अतः मेरा आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी का ध्यान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार के कार्यालय, बस स्टैण्ड, रावलामण्डी व अनूपगढ़ इत्यादि जर्जर भवन को पुनः निर्माण करवाये जाने एवं अनूपगढ़ आगार को ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए बसें आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़)

सूरतगढ़ एवं श्रीविजयनगर के रिहायशी क्षेत्र के नवसृजित एवं विलोपित चकों की राजस्व ग्राम के रूप में घोषणा

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील सूरतगढ़ एवं आंशिक तहसील श्रीविजयनगर के नवसृजित और विलोपित चकों को राजस्व ग्राम में घोषित नहीं किये जाने के कारण राजस्व ग्राम की मिलने वाली सुविधाओं से वंचित, कार्यालय जिला कलेक्टर भू-अभिलेख, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक एफ (9)(9)/भु.अ./पुनर्गठन/189 दिनांक 10.01.2023 के द्वारा श्रीमान निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भी उक्त निम्नांकित गांवों को, साथ ही उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप-1 को भी निम्नांकित नवसृजित 191.500 आरडीएलए, 191.500 आरडीएलबी 5 एसएलडी, 7 एसएलडी, 1 डीओए, 1 डीओबी, 7 बीकेएमए, 7 बीकेएमबी, 2 केएसएल, 3 केएसएल, 5 केएसएल, 6 केएसएल, 11 पीएचएम, 1 एमआरएम और विलोपित चक 1.600 आरडीएल, 1 एमसी नहरी, 7.415 आरडीएल, 13.105 आरडीएल, 16.800 आरडीएल, 27.845 आरडीएल, 33.490 आरडीएल, 28.045 आरडीएल, 33.846 आरडीएल चकों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के लिए राजस्व मंत्री जी का ध्यान प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत)

सोजत में फसल खराबे का शीघ्र मुआवजा

महोदय, सोजत विधान सभा के पश्चिमी क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं। वर्षा जल के साथ भूमिगत जलाभाव भी है। महोदय, इस क्षेत्र की ग्राम पंचायतें राजौला,

चौपडा, चाडवास, सरदारसमंद, सुरायता, झूपेलाव, धुरासनी, बिलावास, धीनावास, धाकडी, रेपडावास खारीयानींव एवं मेंव में आदिनांक तक किसानों के फसल खराब होने के बावजूद गिरदावरी नहीं हुई है। अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है जबकि दूसरी ओर किसानों के बैंक खातों से फसल बीमा की राशि सम्पूर्ण काटी जा रही है। बीमा कम्पनियों को करोड़ों का फायदा हो रहा है किन्तु गरीब किसान कर्ज के बोझ के नीचे मरता जा रहा है, आखिरकार इन बीमा कम्पनियों के द्वारा अलग-अलग मापदण्ड तय करके किसानों को ठगा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इन ग्राम पंचायतों के पास ही पाली विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मुआवजा मिल रहा है, तो महोदय, सोचने की आवश्यकता यहां बनती है क्या 100 मीटर पहले फसल खराबे का किसानों को मुआवजा मिल रहा है। अतः महोदय, इन कम्पनियों के ऊपर शिकंजा कसने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश के दूर-दराज इलाके में बैठे मिट्टी से सोने से महंगा धान उत्पन्न करने वाले किसानों को न्याय दिलाने का श्रम करावें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी)

रामगंज मण्डी में ओलावृष्टि व बेमौसम वर्षा से नष्ट फसलों का मुआवजा

महोदय, कोटा जिले के रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण हाड़ौती में हाल ही के दिनों में हुई ओलावृष्टि, तेज हवा के साथ हुई बेमौसम भारी बरसात से किसानों की सरसों, धनिया व गेहूं की खेतो में खड़ी व कटी हुई रबी की फसलें पूर्ण रूप से (100 प्रतिशत) खतम हो चुकी है. आज भी खेतों में बरसात का पानी भरा हुआ है। कोटा संभाग में लगभग 30 से 40 हजार हैक्टेयर भूमि में फसलों का नुकसान हुआ है।

महोदय, गत तीन सालों से प्राकृतिक आपदा के चलते किसान बर्बाद हो रहे हैं। किसानों के हाथ में मेहनत की कमाई आने वाली थी लेकिन भारी बारिश व ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं। कोटा संभाग में गत खरीफ सीजन की फसलों में खराबे का मुआवजा आज तक नहीं मिला है। सरकार ने आपदा राहत प्रबन्धन के तहत भी किसानों को कोई सहायता नहीं दी है।

महोदय, इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है जिससे क्षेत्र के किसान भारी सदमे एवं तकलीफ में हैं। उनके सामने जीवन यापन व परिवार के पालन के लिए संकट पैदा हो गया है। इस

प्राकृतिक आपदा की घड़ी में सरकार द्वारा किसानों का सहयोग किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। इस संकट की घड़ी में तत्काल किसानों व प्रभावितों को तात्कालिक राहत प्रदान करावें। साथ ही फसलों को हुए नुकसान का ईमानदारी से सर्वे करवाकर किसानों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा राशि एवं बीमा क्लेम का भुगतान दिलवाने की कार्यवाही की जावे।

यह काफी लोक महत्व का मामला है इसलिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 52 - पंचायती राज विभाग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या - 52 पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की पंचायत समिति सादुलशहर का भवन पुन:निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

2. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में मनरेगा से वंचित पंचायतों को जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

3. प्रदेश में विभाग के अधीन सरकारी योजनाएं जिनमें कटौती की गई, उनको पुन: चालू करने, नरेगा के कार्य ज्यादा स्वीकृत करने, आबादी भूमि तथा गौचर भूमि पर अतिक्रमण रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

4. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि का चिन्हीकरण करने, आबादी भूमि की सफाई योजनाओं के क्रियान्वयन, रिक्त पदों को भरने तथा प्रधानमंत्री योजना से वंचित लोगों का चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

5. प्रदेश के पंचायती राज विभाग की संस्थाओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा नवीन पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के कार्यालय एवं संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

6. पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों की जानकारी प्रतिनिधियों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. बाड़मेर जिले में नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवन नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. प्रदेश में ग्राम पंचायतों को विकास के लिए जारी वर्षवार बजट को समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. प्रदेश में विभाग द्वारा कनिष्ठ भर्ती प्रक्रिया 2013 में वंचित रहे अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में शामिल करने का लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

10. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी निकासी एवं साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

11. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पंचायत समिति का भवन जर्जर हालत में होने से नवीन भवन बनाए जाने एवं नवीन ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

12. प्रदेश में ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में ठेका प्रथा हटा कर पंचायतों द्वारा ही निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

13. प्रदेश में पंचायती राज विभाग में पुनर्गठन नियमों में सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में देवला खण्ड में पंचायत समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. प्रदेश में जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों को विशेष अधिकार दिए जाने तथा उक्त संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश में कार्यरत पंचायत सहायकों को नियमित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

17. प्रदेश में नवगठित ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के भवन निर्माण शीघ्र करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

18. प्रदेश में पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य व प्रधान जिला प्रमुख चुनाव को सरपंच चुनाव की भांति दलगत राजनीति से अलग रखे जाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

19. विधान सभा क्षेत्र कपासन की पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

20. प्रदेश में जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में दिया जाने वाला अनुदान शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. प्रदेश में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का भत्ता पांच गुना बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का चुनाव एक साथ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र कपासन की पंचायत समिति कपासन तथा राशमी के जर्जर पुराने भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

24. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं पंचायत समिति डूंगला, बड़ी सादड़ी, भदेसर एवं जमोतर में रिक्त पदों के शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

25. विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत देबारी, साकरोदा, भलो का गुड़ा, पिछड़ी, भैसड़ा कला, भैसड़ा खुर्द, लकड़वास, खेगरो की भागल, अम्तेरी, सापेटिया, बेदला, बेदला खर्द, चीरवार, सरे व कैलाशपुरी को जोड़कर देबारी को पंचायत समिति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र मावली की नवगठित पंचायतों सरे, बेदलाखुर्द व खेगरो की भागल में पंचायत भवन निर्माण व ग्राम पंचायत कार्यालय में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाडा-आबू):

27. विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में नए पंचायत भवन तथा मिनी सचिवालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

28. अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में स्थित ग्राम पंचायत साहडोली को नवीन पंचायत समिति में गठन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर सराड़ा, सेमारी, जयसमन्द, गिगला, झल्लारा पंचायत समितियों एवं नवीन ग्राम पंचायतों का गठन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समितियों, नवीन ग्राम पंचायत के भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गिगला को पंचायत समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नवीन ग्राम पंचायतों में खाद्य भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

33. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्थित पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (अलवर) के जर्जर भवन को डिस्मेंटल कर नवीन भवन के निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

34. प्रदेश में सरपंचों, प्रधान तथा जिला प्रमुखों के वेतन भत्ते बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के ओसियां, टिवरी तथा बावड़ी पंचायत समिति में खाली पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

36. प्रदेश में सरपंच, प्रधान तथा जिला प्रमुख के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करने, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों का वेतन दिये जाने तथा वार्ड पंचों को भी सम्मानपूर्वक भत्ता देने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की नवसृजित पंचायत समिति सुहागपुरा, दलोट, धमोतर का भवन निर्माण कार्य शीघ्र करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में नवीन ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण के साथ-साथ राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

39. जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गडरा रोड़, शिव व रामसर का बकाया भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

40. प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त ए.सी.बी. द्वारा पकड़े गये जनप्रतिनिधियों को भविष्य में चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. प्रदेश में पंचायती राज में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

42. प्रदेश में ग्राम पंचायतों की मांग पर वन विभाग की भूमि, ओरण एवं गौचर में जन उपयोगी रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. ओरण एवं गौचर भूमि में बरसाती जल एवं जीव-जंतुओं के संरक्षण हेतु स्ट्रक्चर निर्माण एवं देख-रेख हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विख्यात पशुमेला स्थल तिलवाड़ा, गैर मैला कनाना, प्राचीन मंदिर रणछोड़राय खेड एवं विख्यात नागाणाराय मंदिर परिसर में यात्रियों की सुविधा हेतु सामुदायिक भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

45. जिला बाड़मेर की पंचायत समिति चौहटन की ग्राम पंचायत पराड़ीया को पंचायत समिति रामसर में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

46. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा की ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा की ग्राम पंचायतों में विशिष्ट विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

48. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में वार्षिक कर जमा नहीं कराने वाले मोबाइल टावर संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. कार्यालय जिला परिषद, जयपुर के आदेश क्रमांक 734-35 दिनांक 10-01-2023 की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

50. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में लगे मोबाइल टावर संचालकों द्वारा ग्राम पंचायतों में वार्षिक कर जमा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

51. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में विभाग के रिक्त पदों को अति शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में 5000 से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप में चिन्हित कर विकास कार्य शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक भवनों से वंचित ग्राम पंचायतों में भवन बनाने की अतिशीघ्र आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

55. विधान सभा क्षेत्र चूरू में ग्राम विकास अधिकारी के 40 प्रतिशत पद

लम्बे समय से रिक्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. प्रदेश में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2021-22, 2022-23 की राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. प्रदेश में पंचायत संस्थाओं को 29 विभाग फंड फंक्शन फंक्शनरी के साथ हस्तांतरण नहीं होने बाबत।

58. चूरू जिले में नव गठित ग्राम पंचायतों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

59. पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पंचायत समिति सदस्यों को भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाने हेतु निश्चित अनुपात में राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. संविदाकर्मी पंचायत सहायकों को नियमित करने एवं ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां के नगरपालिका बन जाने से अधिशेष हुए पंचायत सहायकों को राजस्थान संविदाकर्मी सेवा नियम, 2022 के तहत विद्यालय सहायक के पद पर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवसृजित पंचायत समिति सरनाऊ के कार्यालय भवन हेतु भूमि आबंटन एवं राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा हरीराम विश्नोई की ग्राम पंचायत सरनाऊ, जिला जालौर के पंचायत सहायक के आश्रित परिवारों को अनुग्रह राशि की आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

64. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा देय विभिन्न

योजनाओं की किस्तें समय पर विभाग के खातों में जमा करवाकर विकास को गति दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायत समितियों में पांच वर्षों से अधिक कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थान पर अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के विभाग के कार्यालयों में सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

68. विधान सभा क्षेत्र नगर की पंचायत समिति सीकरी में विभिन्न संवर्ग के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

69. प्रदेश में पंच, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

70. नागौर जिला मुख्यालय पर पंचायती राज शोध संस्थान हेतु बजट जारी कर कार्य शुरू करवाने, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान हेतु भूमि आबंटित करवाकर उनके पट्टे जारी करवाने, विधान सभा क्षेत्र खींवसर के सरपंचों के द्वारा मनरेगा के तहत करवाये गये विकास कार्यों का बकाया भुगतान करवाने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बकाया आवेदनों का निस्तारण करवाने एवं इस योजना से वंचित पात्र ग्रामीणों का सर्वे करवाकर लाभान्वित करने तथा पंचायत मुख्यालय खींवसर पर स्ट्रीट लाइटें लगाने, सफाई कर्मियों की नियुक्ति एवं अग्निशमन वाहन/यन्त्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

71. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में चौदहवें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों

को मूलभूत सुविधाओं में देय अनुदान राशि का मूलभूत सेवाओं एवं गतिविधियों पर व्यय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जनता जल योजना के तहत विद्युत बिलों के भुगतान एवं रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक स्थलों पर पुरुषों एवं स्त्रियों के पृथक्-पृथक् शौचालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दर पर गृह स्थल हेतु भूखण्ड आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

76. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की पंचायत समिति कठूमर व भनोखर में बजट घोषणा के उपरान्त भी प्रशासक नियुक्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की पंचायत समिति कठूमर के प्रधान पर भ्रष्टाचार, गबन, अनियमितता के आरोप सिद्ध हो जाने के उपरांत भी कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम पंचायत अर्सवा व रोनीजाथान पंचायत समिति कठूमर के सरपंचों पर लगे गबन व भ्रष्टाचार के आरोपों में F.I.R. दर्ज नहीं होने तथा गबन की राशि वसूल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पंचायती राज विभाग में पदस्थापित जगजाहिर भ्रष्ट कनिष्ठ सहायक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के भनोखर को बजट 2022-23 में पंचायत समिति बनाने की घोषणा के उपरान्त भी कार्य आरम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

81. पंचायत समिति पीसांगन मांगलियावास के सरपंच द्वारा वसीयत आधारित पंचायत पट्टे के नामान्तरण प्रकरण के आवेदन को दिनांक 5-7-2022 को खारिज करने के बाद नामान्तरण प्रकरण में विकास अधिकारी पीसांगन पत्रांक SP-1 दिनांक 6-7-2022 प्रेषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. ग्राम पंचायत मांगलियावास के सरपंच द्वारा पंचायत रिकार्ड, पंचायत प्रस्तावों के रिकार्ड में जनवरी, 2020 से फरवरी, 2023 की अवधि के दौरान की गई हेराफेरी एवं फेरबदल रिकार्ड को गायब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

83. बजट घोषणा 2019 के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अम्बेडकर भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों के जर्जर भवनों के स्थान पर नये भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. मनरेगा के तहत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एंट्री आपरेटरों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत आवासीय पट्टों हेतु प्राप्त आवेदनों एवं उनके विरुद्ध जारी किए गये पट्टों के संबंध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे सभी पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

88. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजयसर, खरेकड़ी, हाथीखेड़ा, कांजीपुरा, बोराज, लोहागल, माकड़वाली सहित सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामों का वर्ष 2050 को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाकर विकास कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

89. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में आबादी क्षेत्र को छोड़कर राजस्व विभाग द्वारा नियमित किये गये रास्तों में विधायक कोष से सीसी सड़क बनवाने एवं डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में पंचायती राज विभाग द्वारा मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों को समय पर भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

91. प्रदेश में पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों के वेतन व अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. प्रदेश की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के सदस्यों के अधिकार व दायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती करने व कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के डिग्गी व लाम्बाहरिसिंह में नई पंचायत समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

96. ग्राम पंचायत मांगलियावास के सरपंच द्वारा विभागीय पत्रांक 796 दिनांक 27-6-2022 के दिशा-निर्देशों की पालना में पंचायती पट्टे पर नामान्तरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

97. ग्राम पंचायत मांगलियावास, पंचायत समिति पीसांगन सरपंच द्वारा वसीयत आधारित पंचायत पट्टों के नामान्तरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

98. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नई पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

99. प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं करवाये जाने व टेंडर प्रक्रिया खतम कर P.W.D. विभाग के समकक्ष B.S.R. से विकास कार्य करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा ही सफाई कर्मियों की नियुक्ति किये जाने व उनको वेतन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ग्राम पंचायतों को पाबन्द कर निश्चित समयावधि में आवेदकों को पट्टे जारी करने तथा जॉब कार्ड धारक को अनिवार्य रूप से 100 दिन का रोजगार देने हेतु पालना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के अन्तर्गत पंचायत समिति जैतारण व पंचायत समिति रायपुर में स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक प्रतिमाह आयोजित कर जन समस्याओं का हल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

103. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत निम्बला के गुड़ारामा में आम चौराहे पर गन्दगी एवं पानी निकासी नहीं होने से बीमारियां फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र आहोर में प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्राप्त आवेदकों के पट्टे एवं सिवायचक जमीन के पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र आहोर के मेड़ाउपरला (मेड़ाउपरला, मेड़ानीचला, तख्तपुरा, मेटाला, मायलावस) बांकली- (गोविदंला, पीपरला की ढाणी, देवगढ़ छापरिया, सेलड़ी, बाकली, खेड़ा कलां) आदि गांवों की नई ग्राम पंचायत बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र जालौर की पंचायत समिति ऊण ग्राम पंचायत के भागली पुरोहितान गांव में पट्टे वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

107. प्रदेश में पंचायतों द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों में उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करवाये जाने व टेंडर प्रक्रिया खतम कर P.W.D. के समकक्ष B.S.R. से विकास कार्य करवाये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में ग्राम पंचायतों को पाबन्द कर निश्चित समयावधि में आवेदकों को पट्टे जारी करना, जॉब कार्ड धारक को अनिवार्य रूप से 100 दिन का रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की पंचायत समिति पीलीबंगा व पंचायत समिति रावतसर में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर जन समस्याओं का हल कमेटी के माध्यम से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता हेतु स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर उनको वेतन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

111. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर में विगत 3 वर्षों की अवधि में पंचायत समिति एवं जिला परिषद मद की राशि से स्वीकृत हैण्डपम्प नहीं लगाने से ग्रामवासियों को हो रही पेयजल असुविधा एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) की पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर में विगत 3 वर्षों की अवधि में पंचायत समिति एवं जिला परिषद मद की राशि से स्वीकृत विभिन्न श्रेणी के निर्माण कार्य नहीं करवाये जाने से ग्रामवासियों एवं छात्रों को हो रही असुविधा एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, कोटा के पत्र क्रमांक: 273 दिनांक 24.11.2022 के तहत ढीपरी चंबल में गांव से नदी तक खरंजा एवं श्मशान घाट निर्माण में किये गये विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मुख्य कर्मचारी एवं अधिकारी जिला परिषद कोटा के पत्र दिनांक 21.10.2022 के तहत ग्राम छत्रपुरा (तलाब) के व्यक्तियों को शौचालय की राशि के भुगतान समय पर नहीं किये जाने में हुए विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. पंचायत समिति क्षेत्र इटावा (कोटा) में 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क नीमसरा से श्योपुरा, बैजपुरा स्कूल से गोठड़ा कलां रोड तक, किशनपुरा से मियाना सड़क के पूर्ण नहीं होने से हो रही असुविधाओं के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

116. विधान सभा क्षेत्र बस्सी-जयपुर में ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों को भूमि रूपान्तरण कर आवासीय पट्टे देने एवं ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

117. राज्य में वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारियों के अन्तरजिला स्थानांतरण पर विभागीय आदेश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र भादरा की पंचायत समिति भादरा के जर्जर भवन का पुन: निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

119. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत सातोला खेड़ा, कोटड़ी एवं सरसिया जहाजपुर के पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण होने से इन स्थानों पर नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति कोटड़ी में U.D.C.,

L.D.C. एवं अकाउन्टेंट के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

121. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की ग्राम पंचायत के गांव, ढाणियों में श्मशान घाट, बाउंड्रीवाल, ट्यूबवैल, विश्राम भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु सरपंचों को अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नई पंचायत समिति लखिरी में बजट एवं नवीन पदों को शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. पंचायती राज विभाग में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के वेतन व भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. पंचायती राज विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

126. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान पुन: लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. पंचायती राज संस्थाओं के विज्ञापनों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ही सचिव, कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य राजकीय कर्मचारियों के नाम एवं चित्र प्रकाशन की गलत परम्परा पर रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

128. प्रदेश के ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए सुनियोजित कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

129. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुस्तकालय, वाचनालय एवं ई-पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

130. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में श्मशान घाटों के सुनियोजित विकास एवं श्मशान घाट तक सुगम पहुंच मार्ग निर्माण पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

131. प्रदेश की समस्त पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर/ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र आमेर में पुरानी ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति के जर्जर/क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र आमेर में विभिन्न संवर्गो के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र आमेर में भवन विहीन ग्राम पंचायतों को नवीन भवन हेतु जमीन एवं बजट उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. पंचायत समिति आमेर के नवीन भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

136. वित्त आयोग राज्य सरकार व अन्य किसी भी स्रोत से जिला परिषद भीलवाड़ा को वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में मिले अनुदान व आर्थिक सहयोग से मिले धन का समान रूप से वितरण और तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल निकासी एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन स्ट्रीट लाइटों से वंचित ग्राम पंचायतों की मूलभूत आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. वित्त आयोग, राज्य सरकार व अन्य किसी भी स्रोत से पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा) एवं बनेड़ा (भीलवाड़ा) को वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में मिले अनुदान व आर्थिक सहयोग से मिले धन का समान विवरण और तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा-बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा ग्रामीण विकास अधिकारियों की शिकायतों पर त्वरित सुनवाई और निस्तारण पर चर्चा के लिए।

140. जिला परिषद भीलवाड़ा की बैठक दिनांक 11.11.2022 में लिए गये निर्णयों की अनुपालना में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

141. प्रदेश में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों हेतु स्वतंत्र मद राशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में नि:शुल्क सार्वजनिक शौचालय से वंचित ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

143. पंचायती राज चुनाव में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (E.W.S.) को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर जनप्रतिनिधित्व में भागीदारी देने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

144. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम मानसगांव में माताजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम गंदीफली में तेजाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम मवासा में सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन महाराजा साहब के पास बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम ताथेड़ में सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम कोलाना में देवनारायण मंदिर के पास सामुदायिक भवन बनवाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

149. विधान सभा क्षेत्र जालौर की ग्राम पंचायतों की सीमा में आबादी भूमि में बने हुए पुश्तैनी मकानों के नियमानुसार पट्टे बनाकर शत-प्रतिशत मकानों को पट्टायुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में होने वाले खनन की रायल्टी,

सम्पत्तियों के पंजीकरण शुल्क एवं अन्य राजस्व प्राप्तियों में से ग्राम पंचायतों को निश्चित राशि दिये जाने का प्रावधान कर ग्राम पंचायतों की निजी आय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. पंचायत समिति जालौर एवं सायला में अधिकारियों/कर्मचारियों/ग्राम विकास अधिकारियों/रोजगार सहायकों/पंचायत सहायकों के समस्त रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. पंचायत समिति जालौर एवं सायला में प्रधान/विकास अधिकारी के उपयोग हेतु नया वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. जालौर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक अग्निशमन यंत्र/वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

154. पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पंचायत समिति सदस्यों को भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाने हेतु निश्चित अनुपात में राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. प्रदेश में संविदाकर्मी पंचायत सहायकों को नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र नोखा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती करने व कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र नोखा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने, सीवर लाइन डालने व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र नोखा में नवगठित ग्राम पंचायतों के भवन बनाने व जर्जर ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

159. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद की ग्राम पंचायतों में भारी बारिश

से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में विभाग के अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में पंचायतों/पंचायत समिति के जर्जर/क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

162. पंचायत समिति झोटवाड़ा (जयपुर) के ग्राम धावास में नवीन सड़कें बनाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने, बरसात के दौरान जल भराव को रोकने, सीवरेज लाइन डालने एवं पेयजल हेतु बीसलपुर का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

163. प्रदेश में विकास अधिकारियों की शासकीय वित्तीय शक्ति बढ़ाने तथा इन्हें नवीन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

165. जयपुर जिले की सांभर पंचायत समिति के पुनर्गठन के पश्चात् अधिकांश कार्यालय दूदू में होने के कारण जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए कार्यालय सांभर में शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. जयपुर जिले की सांभर एवं किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समितियों में ग्राम सचिवों के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. प्रदेश के जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं वार्ड पंचों की विभिन्न मांगों का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पंचायत सहायकों के बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

169. प्रदेश के पंचायत समिति सदस्यों की विभिन्न मांगों का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

170. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सड़कों के निर्माण के साथ ही नालियां नहीं बनने व सड़कें शीघ्र टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत डोला के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पट्टा कई वर्षों पहले जारी होने के उपरान्त भी कब्जा सुपुर्द नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

172. प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा भू-रूपान्तरण की NOC जारी करने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत के रिकार्ड में NOC इंगित नहीं किये जाने से हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम पंचायत कालाडेरा व मोरीजा की जनसंख्या को देखते हुए अलग ग्राम पंचायत के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

174. प्रदेश में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य का मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

175. लूणकरणसर को ग्राम पंचायत पिपेरा में विधायक निधि से खेल मैदान के निर्माण की अनुशंसा के बावजूद कार्य में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

176. बीकानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिंथल के ग्राम सेवक द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

177. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में नरेगा कार्य में मस्टररोल जारी नहीं करने तथा ट्रेनिंग प्राप्त मेट को मस्टररोल नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

178. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विधायक कोष से अनुशंसित कार्यों को जिला परिषद द्वारा शीघ्र स्वीकृत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्रामों में पंचायती राज के अंतर्गत विकास कार्यों को शीघ्र करवाने तथा पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों की जायज मांगों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जिला परिषद से विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर व नीमराणा पंचायत समिति भवनों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

182. प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों को पंचायती राज के जन प्रतिनिधित्व नियमों के अंतर्गत अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अंतर्गत ग्राम शिवपुरा पंचायत समिति पीसांगन को नवीन ग्राम पंचायत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में नरेगा योजना के अंतर्गत पक्के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

185. पंचायती राज विभाग में S.F.C., T.F.C. के अंतर्गत स्वच्छता मिशन के तहत कार्यों को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

186. विधान सभा क्षेत्र डग में पंचायत समिति स्तर पर अंबेडकर भवन का निर्माण नहीं होने व नंदी गौशाला पंचायत समिति स्तर पर नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

187. पंचायती राज में कार्यरत पंचायत सहायक व अन्य कर्मचारियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. प्रदेश में पंचायत स्तर पर जल जीवन मिशन से टूटी हुई सड़कों तथा विकास पथ बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र डग में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातीय आबादी वाली पंचायतों को जिला परिषद से अतिरिक्त राशि आबंटित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी पदस्थापित करने व पंचायत स्तर पर नालियों की सफाई करवाने तथा सफाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

191. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए नरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत WBM सड़कों के पंचायती राज विभाग द्वारा समय पर मस्टररोल जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की आबादी विस्तार के भेजे गये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

193. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम पंचायत अम्बाड़ा में निर्मित अम्बा कूआ बांध एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य अतिशीघ्र करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. आदिवासी बहुल क्षेत्र उदयपुर संभाग में पंचायती राज की ग्राम सभा, पेसा एक्ट की ग्राम सभा एवं अनुच्छेद (3) (क) की रूढ़ीगत ग्राम सभा के कार्यक्षेत्र एवं उनके क्षेत्राधिकारों में हो रहे विरोधाभास से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायतों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन, खेल मैदान एवं चारदीवारी निर्माण कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के पंचायत समिति चिखली के भवन निर्माण में हुई अनियमितता एवं अधूरे भवन का अतिरिक्त बजट शीघ्र स्वीकृत कर कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचने से आम जन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास विभाग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के अन्तरराज्यीय सीमा पर बसे गांवों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

2. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों हेतु राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

3. प्रदेश में नरेगा में कार्य स्वीकृत करने एवं इसे कृषि से जोड़े जाने, BADP व BRGF योजना पुन: चालू करने तथा ग्रामीण विकास को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

4. प्रदेश की ग्रामीण विकास योजना में कटौती नहीं करने, सीमान्त विकास योजना को शुरू करने, BRGF योजना पुन: शुरू करने तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना में पक्के कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

5. प्रदेश में ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने तथा विधायक कोष से स्वीकृत करवाये जाने वाले कार्यों पर लगाये गये मानदंडों में शिथिलता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर प्राप्त होने वाले विभिन्न योजनाओं के बजट के उपयोग पर खर्च करने के मानदंड एवं प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

7. प्रदेश के मनरेगा में जॉब कार्ड जिस ग्राम पंचायत में है, से इतर अन्य ग्राम पंचायत में कार्य कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण के आदेश की भांति सार्वजनिक टांके निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

9. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली प्रबन्धन किये जाने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्ययोजना बनाने एवं प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. बाड़मेर जिले में मनरेगा योजना में व्यक्तिगत टांका निर्माण के लिए राशि कम किये जाने एवं मनरेगा के कार्य स्वीकृत कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

12. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में विकास अधिकारी व अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्य का तखमीना कार्य की कुल लागत से अधिक दिखाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

13. प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्यों का यूटिलिटी सर्टिफिकेट समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

14. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित परिवारों का सर्वे कराकर आवास दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वंचित गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में हथकियावल से बरवाड़ा बनास नदी पर पुल व N.H 27 से मेवणे कामठा सई नदी पर पुल निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की अतिवृष्टि में टूटी सड़कें, अम्बावा से पलाया, पडावली से थल, वास से नृसिंगपुरा, मेरपुर से तिलोड़ी, मालविया से टेपुर, देवला से विपरमाण आदि को दुरुस्त/मरम्मत करवाये जाने या सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत सई कलां में डामरीकृत सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मंडी):

19. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मंडी के गांवों में नालियां व विकास पथ, सी.सी. रोड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. कोटा शहर में घुमन्तु/घुमक्कड़/विमुक्त लोगों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

21. विधान सभा क्षेत्र कपासन की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए ड्रेनेज की पुख्ता व्यवस्था के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत कार्यालयों को समयानुसार खोलने की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. प्रदेश के सभी गांव व ढाणियों में बिजली, पानी, सड़क, नालियों तथा स्वच्छता शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण लोगों को स्वावलम्बी बनाने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

26. विधान सभा क्षेत्र मावली में स्थित बाईजी राज की बावड़ी की सफाई व जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान के प्रावधान कर, निर्मित करवाये जाने तथा मौजूद खेल मैदानों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू):

28. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की जिला परिषद में कार्मिकों के स्थानान्तरण करने, केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने तथा जनप्रतिनिधियों के कोष से निर्मित कार्यों में गति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावर):

29. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में महानरेगा के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क हेतु मापदण्डों में शिथिलता देकर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र लोहावट की नवसृजित पंचायत समिति आऊ का भवन निर्माण कार्य शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर व प्रदेश के स्कूलों में खेल मैदान, श्मशान घाट, स्नान घाटों का निर्माण, स्कूलों में सांस्कृतिक मंचों व स्कूलों के कमरों, शौचालय तथा रसोई घर महानरेगा के अन्तर्गत निर्माण कराने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में महानरेगा के अन्तर्गत नवीन कुएं खोदना, कुएं गहरे कराना, भूमि समतलीकरण और पशु शैड बनाने व महानरेगा के अन्तर्गत खेल मैदान तथा स्कूल बाउन्ड्रीवाल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नदी-नालों रपट और पुलिया निर्माण, सी.सी. सड़क, इन्टर लोकिंग ग्रेवल सड़कें नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

34. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार की भूलवश वंचित पात्र नामों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. प्रदेश में नरेगा के कार्यों के अन्तर्गत सामग्री मद 60 प्रतिशत और श्रम मात्रा में 40 प्रतिशत अनुपात कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

36. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा ग्रामीण समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

37. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में सभी ग्राम पंचायतों में नये खेल स्टेडियम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

39. राजस्थान की सभी जिला परिषदों में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन व निरीक्षण, गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए, अधीक्षण अभियन्ताओं के पद सृजित करने तथा जिला परिषद में अधिशाषी अभियन्ताओं को PWD तर्ज पर 50.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति को बढ़ाकर 150.00 लाख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. प्रदेश में पंचायत समितियों के AEN को 15.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति के स्थान पर 50.00 लाख रुपये करने तथा तकनीकी सहायकों को 15.00 लाख रुपये तक की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. प्रदेश में नरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को नरेगा कन्वर्जन में 5.00 लाख की स्वीकृति से बढ़ाकर रुपये 10.00 लाख करने एवं पंचायत समितियों को नरेगा कन्वर्जन में स्वीकृति की राशि 10.00 लाख से बढ़ाकर 25.00 लाख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

42. प्रदेश में ग्राम पंचायतों की मांग पर वन विभाग की भूमि, ओरण एवं गोचर में रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के

कार्यों को प्राथमिकता पर निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

44. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नरेगा में ऑनलाइन हाजिरी की समस्या, मेट कारीगर का समय पर भुगतान, नरेगा में TSP में कार्य दिवस 200 दिन किये जाने, सामग्री मद का भुगतान समय पर करने तथा नरेगा में मजदूरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

45. पंचायत समिति फलोदी में प्रधानमंत्री आवास योजना में भुगतान अत्यधिक विलम्ब से करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

46. विधान सभा क्षेत्र नोखा की ग्राम पंचायत पांचू (आबादी बीस हजार) में सीवर लाइन डालने व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र नोखा में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित परिवार जो भूमि विहीन है, उनको आवास स्वीकृत कर भूमि उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

48. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देश 2018 में धर्मशाला, विश्राम गृह, वाल्मीकि भवन, पंचायत भवन, सभा भवन आदि इन सब को सामुदायिक भवन माना है इसे अलग-अलग माना जाये एवं राजस्व गांव में प्रति हजार एक सामुदायिक भवन बनाने की अनुमति देने पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र नोखा में बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रहे गरीब परिवारों का पुन: सर्वे करवाकर नाम जुड़वाने पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र नोखा की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

51. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की ग्राम पंचायतों में आवेदकों को आवास योजना का पूर्ण लाभ दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की ग्राम पंचायतों में सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

53. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सांसद कोष, विधायक कोष तथा पंचायत समिति मद से स्वीकृत सामुदायिक भवनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले सरपंचों के खिलाफ ठोस कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में एम.एल.ए. लैड, एम.पी. लैड तथा पंचायत समिति मद से स्वीकृत ट्यूबवैल/हैडपम्पों को नियम विरुद्ध निजी खातेदारी भूमियों पर लगाने वाले सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

55. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों के नरेगा के कार्यों में लम्बित प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

56. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक शौचालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग एवं षष्टम राज्य वित्त आयोग में स्वीकृत कार्यों पर राशि के उपयोग हेतु पाबंद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. प्रदेश में मनरेगा योजना में स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित परिवारों को आवास से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास हेतु अनुदान राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

61. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के ऑनलाइन एमआईएस सॉफ्टवेयर पर फीडिंग से वंचित रहे सामग्री बिलों को ऑनलाइन फीडिंग ऑप्शन उपलब्ध करवाकर भुगतान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. सामाजिक शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न विकास कार्यों हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने को अनुमत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सांचौर सड़क से किरवाला सरहद तक बाढ़ बचाओ कार्य स्वीकृत किये जाने एवं जिला परिषद् जालौर के स्तर पर लम्बित अन्य बाढ़ बचाओ कार्य स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति रानीवाड़ा, जसवंतपुरा एवं सरनाऊ में अम्बेडकर भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

66. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी घनी आबादी के गांवों में नालियों के निर्माण करवाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 व 500 की आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

69. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी व सामग्री का भुगतान करने तथा मनरेगा मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान खतम कर काम के समय का पुन: निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

70. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के गांवों का स्मार्ट विलेज योजना में चयन कर विकास करने, प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना में खींवसर क्षेत्र के तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगी ई-मित्र प्लस मशीनों से होने वाले कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण करने एवं वंचित पात्र ग्रामीणों को लाभान्वित करने हेतु सर्वे करवाने तथा नागौर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में ग्रामीण जनता की सुविधा हेतु एटीएम मशीनें लगाने के संबंध में आवश्यक चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

71. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित ग्राम पंचायतों में बीपीएल परिवारों हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नये सर्वे करवाकर लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. गंगानगर जिले में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना में जन आकांक्षाओं के अनुरूप सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन में समरूपता लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. गंगानगर जिले में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत बायो गैस कार्यक्रम एवं अन्य वैकल्पिक ईंधन से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. गंगानगर जिले में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चरागाह विकास कार्यक्रम के तहत विकास समितियों के गठन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त आवासों से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

76. मनरेगा श्रमिकों को कृषि कार्यों में व्यक्तिगत कृषकों के खेतों में निराई, गुड़ाई, भूमि समतलीकरण जैसे कार्यों में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

77. प्रदेश में भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की कार्य योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

78. प्रदेश में पुन: ग्रामीण बीपीएल परिवारों का सर्वे करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि एवं उक्त कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं करने पर लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास एवं वंचित पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

81. प्रदेश में तीन हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में जल निकासी प्रबंधन, पक्की नालियां निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पार्क, खेल मैदान एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थाएं आदि उपलब्ध करवाकर इन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

82. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के ग्राम अजयसर, खरेकड़ी, हाथीखेड़ा, कांजीपुरा, बोराज, लोहागल, माकडवाली इत्यादि में ग्राम विकास को लेकर विशेष कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजयसर, खरेकड़ी, हाथीखेड़ा, कांजीपुरा, बोराज, लोहागल, माकडवाली इत्यादि ग्रामों को नशामुक्ति हेतु विभाग द्वारा अपने स्तर पर प्रयास कर जनजागरण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजयसर, खरेकड़ी, हाथीखेड़ा, कांजीपुरा, बोराज, लोहागल, माकडवाली इत्यादि ग्रामों में कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना हेतु विभागीय प्रयास कर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजयसर, खरेकड़ी, हाथीखेड़ा, कांजीपुरा, बोराज, लोहागल, माकडवाली इत्यादि ग्रामों में मकान विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजयसर, खरेकड़ी, हाथीखेड़ा, कांजीपुरा, बोराज, लोहागल, माकडवाली इत्यादि ग्रामों में नवीन सड़कों का निर्माण एवं जगह-जगह से बदहाल सड़कों को दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

87. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा पंचायत मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के प्रत्येक ग्राम व ग्राम पंचायत मुख्यालय में हाई मास्ट लाइट व रोड लाइट लगवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय व ग्रामों के सार्वजनिक तालाबों का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के प्रत्येक ग्राम में विकास पथ का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सार्वजनिक पार्क व चिल्ड्रन पार्क विकसित करने के संबंध में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

92. चूरू जिले में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति तथा उनका शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

93. चूरू जिले के गांवों में मास्टर प्लान लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र चूरू में मनरेगा में व्यक्तिगत लाभकारी योजना के प्रार्थना-पत्र लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

95. चूरू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोटवाद ताल, नकरासर, घंटेल, खींवासर, सहजूसर में मनरेगा योजना के व्यक्तिगत लाभकारी योजना के आवदेन पत्र पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

96. चूरू जिले में विधायक विकास कार्य के स्वीकृत कार्य विगत दो वर्ष में अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

97. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पक्की सड़कों से वंचित गांव जो दूसरे गांव से पक्की सड़क से नहीं जुड़े हुए है वहां W.B.M. सड़कों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. मनरेगा योजना से जैतारण विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, कैटल शैड, खेल मैदान की चारदीवारी, कृषि भूमि मालिकों को फेंसिंग का लाभ देने सहित अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में महात्मा गांधी विकास पथ हेतु सम्पूर्ण राशि मनरेगा से स्वीकृत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग की राशि समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में मनरेगा के माध्यम से प्रत्येक गौशाला में गौवंश के लिए चारा गोदाम, छाया हेतु टीन शैड, सीसी ब्लाक के फर्श-फुटपाथ व चारदीवारी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

102. विधान सभा क्षेत्र आहोर में मनरेगा में स्वीकृत एवं पूर्ण ग्रेवल मार्ग जिस पर रोलर से एवं पानी छिड़काव से रोड को मजबूत करने का कार्य नहीं होने से रास्तों की बदहाल स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र आहोर क्षेत्र के ग्राम पंचायत-कंवला, ग्राम पंचायत निम्बला (ग्राम-गुडाराया, निम्बला), ग्राम पंचायत चांदराई (उखरड़ा) में पानी निकासी के लिए नाली-नाला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

104. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पक्की सड़कों से वंचित गांव जो दूसरे गांव से पक्की सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं वहां W.B.M सड़कों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश में महात्मा गांधी विकास पथ में सम्पूर्ण राशि मनरेगा से स्वीकृत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग से राशि समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में मनरेगा के माध्यम से प्रत्येक गौशाला में गोवंश के लिए चारा गोदाम, छाया हेतु टीन शैड व सीसी ब्लाक के फर्श-फुटपाथ व चारदीवारी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूचियों में हेरफेर करने व पात्र को आवास उपलब्ध न करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

109. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने वाली कार्यकारी एजेंसियों एवं जिम्मेदारों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

110. कोटा जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत विधायक क्षेत्रीय निधि (कोटा) द्वारा सुझाये गये जनहित के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति एवं करवाये जाने में बरती जा रही उपेक्षा एवं उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि में डांग योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृति एवं समय पर कार्य करवाने में बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

112. मिशन अमृत सरोवर एवं राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण के तहत गहरे नदी-नालों वाले विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में गिरते भू-जल स्तर को बनाये रखने, बढ़ाने, सतही जल की उपलब्धता के लिए नये तालाब/जल स्रोत निर्मित करवाने तथा पुराने तालाबों/जलस्रोतों में जमा सिल्ट/मिट्टी को हटाकर गहरा करवाने के कार्य में जान बूझकर की जा रही उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में मनरेगा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण कार्य स्वीकृत करके कार्य करवाने में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

114. विधान सभा क्षेत्र बस्सी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी स्टॉफ में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

115. प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए नरेगा में डवटेल राशि से चौक, गलियों के पूर्ण निर्माण की सहमति प्रदान कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

116. प्रदेश में ग्रामीण जनता को नरेगा के कार्य दिवस पूरे स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

117. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायतों में नरेगा या RS योजना में खेल मैदान विकसित करने तथा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

118. प्रदेश में प्रत्येक गांव के विकास हेतु सभी कार्यों की कार्य योजनाएं बनाकर उनकी क्रियान्विति व बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के प्रत्येक गांव को पंचायत मुख्यालयों से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प, ट्यूबवैल, पाइप लाइन आदि कार्यों को कराने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में ग्रामीण विकास के नये आयाम स्थापित करने हेतु नई कार्य योजनाओं को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार के सभी विभागों की कार्य योजनाओं के संचालन प्रचार-प्रसार हेतु सूचना केन्द्रों के माध्मम से प्रति माह शिविरों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

123. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार देने की जन घोषणा पत्र के संबंध में अमल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद एवं जिले में जन घोषणा पत्र की घोषणा अनुसार ग्रामीण रोजगार योजना में घरों एवं खेतों में टांकों और जलकुंडों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में जन घोषणा पत्र की घोषणा अनुसार खेल मैदान एवं खेल परिसरों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं में प्रत्येक राजस्व ग्राम में सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन और धर्मशाला निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत एक भी गांव का समग्र विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

128. विधान सभा क्षेत्र आमेर के गांवों में पेयजल, रोशनी, सफाई, सड़क तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. प्रदेश के समस्त ग्रामों में कृषि आधारित लघु उद्योग लगाकर रोजगार उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र आमेर के विभिन्न ग्रामों में बीपीएल गरीबी रेखा के

नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत अभिशंसित कार्यों की निर्धारित अवधि में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र आमेर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण के उपरांत भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

133. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में हो रहे विकास कार्यों पर पुख्ता निगरानी और अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

134. महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना के लिए भीलवाड़ा जिले को आबंटित बजट का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

135. भीलवाड़ा जिले में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आबंटित धनराशि के उपयोग और उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर चर्चा के लिए।

136. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में हो रही अनियमितता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा जिला परिषद् (ग्राम.वि.प्र.) की बैठक दिनांक 20.12.2022 में लिए गये निर्णयों की अनुपालना में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

138. विधान सभा क्षेत्र डग में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कई ग्रामों में शमशान, खेल मैदान व अमृत सरोवर नहीं बनवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. प्रदेश में महानरेगा में अन्य मद से राशि देने पर डवटेल राशि की गणना के संबंध में चर्चा के लिए।

140. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अन्तर्गत मजदूरों के कार्य दिवस पूर्ण नहीं होने व समय पर मजदूरी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141. झालावाड़ जिले में डवटेल के कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं करने व कई पंचायतों में मजदूरी के लिए कच्चे कार्य स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र डग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के नाम, सूची से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

143. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के घाटा (मगरा) क्षेत्र के लगभग 85 गांवों को मगरा विकास बोर्ड से विकास कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

144. चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण इलाकों में सड़क व नाली निर्माण कराने व सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

145. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में विभाग के अंतर्गत रिक्त पड़े बीडीओ एवं अन्य पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में सभी ग्रामों में खराब हैण्डपम्प के दुरुस्तीकरण एवं बोरिंग के रख-रखाव के संबंध में चर्चा के लिए।

147. नरेगा में कार्यरत मजदूरों के अलावा अन्य लोगों को भी काम पर लगाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

148. जालौर एवं सायला पंचायत समिति में मनरेगा के तहत होने वाले कामों की तकनीकी देखरेख के लिए नियमानुसार पर्याप्त संख्या में कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (JTA) की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में घर-घर कचरा संग्रहण हेतु गाड़ियां लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से गांवों को पूर्णत: कीचड़ मुक्त बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं द्वारा जनहित में संचालित छात्रावासों/वृद्धाश्रमों/अनाथाश्रमों/दिव्यांगजन सेवाश्रमों में विधायक मद से धनराशि उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान करने हेतु नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

152. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्प एवं बोरिंग दुरुस्त करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आवास दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में नरेगा कार्य को सुचारु रूप से चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के गांवों में पेयजल, रोशनी, सफाई, सड़क सुविधा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

156. मनरेगा योजना के अन्तर्गत अजमेर जिले में पक्के कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में विधायक कोष से अनुशंषित कार्यों की दस्तावेजी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

159. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सहायक के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के गांवों में नालियों का निर्माण कराकर

समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के बड़े गांवों में रोड लाइट की समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विधायक कोष से अनुशंषित कार्यों की शीघ्र स्वीकृति जारी करने तथा कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

163. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की शेरेरा ग्राम पंचायत में विधायक निधि से अनुशंषित राशि से खेल मैदान के निर्माण में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में विधायक निधि से संबंधित कार्य हेतु ग्राम पंचायत को एजेंसी न बनाकर समीप की ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

165. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था करने तथा आबादी क्षेत्र में आवासीय पट्टे देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

166. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विभाग द्वारा समय-समय पर कैम्प लगाये जाने व विकास कार्यों को गति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विभाग की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समुचित रूप से दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्रामों में स्वच्छ ग्राम अभियान चलाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

170. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की ग्राम पंचायत श्रीनगर में अंबेडकर भवन का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

171. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजना के बारे में लोगों की अनभिज्ञता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों की मुख्य सड़कों पर गन्दे पानी व बारिश के पानी की निकासी नहीं होने व सीसी सड़कों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

173. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मनरेगा योजना के अंतर्गत चरागाह, बिलानाम भूमि पर जहरीले विलायती बबूल एवं गेबरे जैसी वनस्पति को नष्ट किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजीविका के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को निर्धारित भुगतान करने एवं क्षेत्र के समस्त क्लस्टरों के भवन एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अनुसूचित क्षेत्र में पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं की मृत्यु या नाता प्रथा होने के बाद भी किस्त उसी के खाते में जमा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

176. डूंगरपुर जिले में पिछले 4 वर्षों में विधायक मद एवं विभाग के बजट से नवीन कुआं एवं पुराने कुओं का जीर्णोद्धार कार्य नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में अनुसूचित क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवास प्लस सूची में आदिवासी समुदाय के लोगों की काल्पनिक पांच हैक्टेयर तक की खातेदारी भूमि बताकर हजारों पात्र लोगों को अपात्र कर देने तथा इन समस्त अपात्र सूचियों का पुन: परीक्षण करवाकर पात्र लोगों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

178. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में महानरेगा योजना में विभिन्न एसेट्स तैयार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू):

179. महात्मा गांधी नरेगा में पिछड़े व सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास व अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

180. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को कैटल शैड, मेड़बन्दी सहित अनेक योजनाओं से लाभान्वित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मद में समय पर भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे में गलत तरीके से काटे गये नामों को पुन: जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-04

लिखित वक्तव्य

अनुदान की मांग संख्या 52-पंचायती राज व मांग संख्या 53-ग्रामीण विकास पर माननीय सदस्यगण के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीने पर व्यक्ति में अपने अधिकारों के लिए दहाड़ने की ताकत आ जाती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना हो तो शिक्षा के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है।

सरकार 20% नामांकन वृद्धि का दावा करती है लेकिन यह सब हमारी पिछली सरकार के नवाचारों से ही सम्भव हुआ है।

सरकार के विद्यालय क्रमोन्नति एवं स्कूल कालेज खोलने की घोषणा भी खोखली ही है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पद रहने से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

मैं हर साल अपनी विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की सभी वर्गों की प्रतिभाशाली छात्राओं को जयपुर की यात्रा करवाता हूं। इस बार उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। ग्रामीण बालिकाओं में साक्षरता बढ़ाने, शिक्षा और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी योजनाओं को अपनाकर सरकार के स्तर पर भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के साथ ही वहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के विशेषज्ञ अध्यापकों की नियुक्ति करने की मैं मांग करता हूं।

ग्रामीण क्षेत्र सहित सभी शिक्षकों को बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए।

स्कूलों की भौतिक सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जर्जर स्कूलों के हालात मैंने स्वयं देखे हैं। उनकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव और मांग पर आधारित जीरो है। मैं बजट दिये जाने की मांग करता हूं ताकि बजट के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के मासूम विद्यार्थियों की जान खतरे में नहीं रहे।

इस बजट में फिर से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफार्म प्रदान करने की घोषणा तो की है पर बीते सत्र में नेटवर्क इत्यादि परेशानियां विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में आई थीं, उन्हें दूर करें एवं सिलाई की राशि प्रति ड्रेस 500 दी जावे।

ग्रामीण क्षेत्र के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने की सख्त आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की बड़ी प्रोब्लम रहती है। अतः जनाधार अधिप्रमाणीकरण एवं डीबीटी योजना के लिए संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए। आवासीय विद्यालय भी अंग्रेजी माध्यम में खोले जाने की जरूरत है।

अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर प्रतिबंध तत्काल हटाया जाए एवं स्पष्ट स्थानांतरण नीति-नियम बनाकर स्थानांतरण किये जायें। ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए समस्त पदों पर नियमित रूप से वर्षवार डीपीसी आयोजित कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किये जाएं।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भी इंसान हैं। उनका भी घर परिवार है। उनके स्थानांतरण पर से रोक हटाते हुए पारदर्शी नीति बनाकर इच्छित स्थानों पर उनका स्थानांतरण किया जाए।

सरकारी भर्तियों में राजस्थान के स्थानीय ग्रामीण युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने की भी मैं मांग करता हूं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत राशि स्वीकृत नहीं होने की वजह से विशेषकर ग्रामीण जनता दुःखी और परेशान है। इस योजना में 25 लाख रुपये की सुविधा का फायदा भी निजी अस्पताल ही उठाएंगे। इसमें कितना भ्रष्टाचार और जटिलता है, इसकी जमीनी हकीकत गरीब ग्रामीणों से पूछो जो अस्पतालों में धक्के खाता फिरता है और कोई सुनवाई नहीं होती। आपकी ही पार्टी की विधायक दिव्या जी मदेरणा ऐसे हालात से रूबरू हो चुकी हैं।

राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले दिनों प्रदेश के सभी निजी अस्पताल बंद रहे। इमरजेंसी सेवाएं भी ठप रहीं। इन अस्पतालों ने सरकारी योजनाओं के तहत एक भी मरीज भर्ती नहीं किया।

उदयपुर जिले में सीएचएमओ को सरकारी कर्मचारी ही फर्जी अस्पताल, लैब चलाते हुए मिल रहे हैं। इन हालात में लाभ जनता को कैसे मिलेगा?

ग्रामीण क्षेत्र के मरीज तकनीकी ज्ञान के अभाव में और निजी अस्पताल की लूट पट्टी का अभी भी शिकार हो रहे हैं।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अतः ग्रामीण क्षेत्र की जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए और सरकार ने उदयपुर में C.M.H.O. एक और लगाया उसके लिए धन्यवाद मगर जो लगाया है वह रिटायर डा. को लगाया जब कि वह रिटायर है फिर भी उसी को लगाया गया।

ग्रामीणों के विकास के लिए खनन और मेडिकल यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थापित करने की मैं मांग करता हूं।

प्रदेश में सर्वाधिक 6 मेडिकल कालेज उदयपुर में हैं, सर्वाधिक 11 मेडिकल कालेज उदयपुर संभाग में हैं। इसके बावजूद उदयपुर को मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं मिलना सौतेला व्यवहार है।

खान एवं भूविज्ञान विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है। प्रदेश में सर्वाधिक खनन क्षेत्र उदयपुर है। यहां की माइंस से सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। देश का 77% सीसा और जस्ता मेवाड़ से सप्लाई होता है। हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में माइनिंग के कोर्स भी पढ़ाये जा रहे हैं, लेकिन उदयपुर में खनन यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं करना घोर अन्याय है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए यह जरूरी है कि पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध उदयपुर में रूरल और ट्राइबल टूरिज्म के लिए विशेष प्रावधान करें।

मैं मेवाड़ की 'गवरी' को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग करता हूं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की कला दुनियाभर में प्रसिद्ध होगी। यहां के ग्रामीण लोक कलाकारों को दुनियाभर में सम्मान और रोजगार मिलेगा।

बिजली विभाग के कार्मिकों की लापरवाही के चलते मेरे विधान सभा क्षेत्र के उंदरी गांव में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

उदयपुर में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में 20 करोड़ के कामों के टेंडर होने हैं। इसलिए यहां के अधिकारी अपना तबादला रुकवाने के लिए लाखों रुपये की रिश्वत दे रहे हैं। गिरफ्तार भी हुए हैं।

इस कारण पिछले 10 महीने में पांचों बिजली कंपनियों में ढाई हजार तबादले हुए हैं, वे सब संदेह के घेरे में आ गये हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी गांवों का क्या विकास करेंगे? सरकार इस बारे में जवाब दे।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि असली भारत गांवों में बसता है। देश और राजस्थान का विकास तभी होगा जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा।

इसके लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय हस्तांतरित किये जाने थे, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं सौंपे गये हैं। मैं मांग करता हूं कि पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए उन्हें और अधिकार दिये जाएं।

भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने पंचायती राज में उम्मीदवारों के लिए शिक्षा का प्रावधान जोड़ा था, लेकिन इस सरकार ने हटा दिया। वर्तमान के तकनीकी और डिजिटल युग में जनप्रतिनिधियों का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है। मैं शिक्षा के प्रावधान को फिर से लागू करने की मांग करता हूं।

VDO (ग्राम विकास अधिकारी) की भर्ती सितम्बर 2021 में निकाली गई थी। परीक्षाएं करके अंतिम परिणाम 25 नवम्बर, 2022 को जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक 5156 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इतने पद खाली रहने से ग्राम पंचायतों का विकास कैसे होगा?

मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित इन अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देकर पदस्थापन करने की मांग करता हूं।

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी, कुल जनसंख्या का 75% है। बजट का भी उसी अनुपात में आबंटन ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए। साथ ही सरकारी कार्मिक भी इसी उचित अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में पद स्थापित होने चाहिए।

अभी हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक किसी न किसी कारण से शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर लगे रहते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त करने पर रोक होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिए जाने की मैं मांग करता हूं। इससे वे वहां पर पूरे मन से और टिक करके काम करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, ग्रामीणों का भी भला होगा।

बाल मजदूरी और शोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खरीदा जा रहा है। उनके माता-पिता को बहला-फुसलाकर बच्चों को पढ़ाई-लिखाई छुड़वा कर घर परिवार से दूर शोषण किया जा रहा है। उसके लिए सरकार सख्त प्रावधान करे।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से विशेष तौर पर मेवाड़ और वागड़ से जो ग्रामीण बंधु दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं, उनके लिए वहां पर उचित मजदूरी, शिक्षा, चिकित्सा, शोषण से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान किये जायें। उन्हें ठेकेदारों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और पूरा हक दिलवाने के लिए राजस्थान सरकार विशेष प्रावधान करे।

ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए भारत सरकार की तरह राजस्थान में भी खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

10 रुपये किलो का ग्रामीण किसानों से खरीदा आलू सिनेमा हॉल और शापिंग मॉल में चिप्स के पैकेट के रूप में रु. 400 किलो में बिक रहा है, जबकि यह लाभ किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया है।

हर खेत को पानी और हर फसल को उचित दाम मिले, बजट में ऐसी सिंचाई योजना को प्राथमिकता नहीं दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी फसल घाटे में बेचने के लिए विवश हैं।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की जटिल भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हमारी केन्द्र सरकार की तरह ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा करनी चाहिए।

इस बजट में आईटी हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च को बढ़ावा देने के कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं।

ऐसे में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को लाभ कैसे मिलेगा?

ग्रामीण युवाओं के लिए इनक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर उदयपुर में स्थापित किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

आदिवासी बहुल उड़ीसा के 10 जिलों में वर्चुअल हाई कोर्ट का

उद्घाटन 3 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने किया है। 41 साल से प्रयास करने के बावजूद अभी तक उदयपुर मेवाड़ वागड़ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं की गई है, जबकि यह क्षेत्र भी ग्रामीण, आदिवासी बहुल, पिछड़ा एवं दुर्गम है। मैं हाई कोर्ट की बेंच उदयपुर में स्थापित करने की मांग करता हूं।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई दर का ग्रामीणों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। राजस्थान में डीजल पर 19.30 प्रतिशत और पेट्रोल पर 31% वेट है। रोड सेस भी लगता है। यह पड़ोसी राज्य से अधिक है। इनमें कमी करने की मैं मांग करता हूं।

शहर से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों को बहला-फुसलाकर उनकी कृषि भूमि को कानून की आड़ निकालकर डमी व्यक्ति तैयार कर भू-माफियाओं द्वारा खरीद-बिक्री से करोड़ों रुपये वारे-न्यारे किये जा रहे हैं और हमारा ग्रामीण बंधु आज भी उसी गरीबी में जीवन जी रहा है। सरकार इस बारे में सख्त कानून बनाए ताकि जो जमीन का वास्तविक मालिक है, उसके अनपढ़ और गरीब होने का लाभ नहीं उठाया जाए और जमीन की वास्तविक कीमत में उसको पूरा हिस्सा मिले।

उदयपुर जिले में सड़कों की बदहाली को देखते हुए 144 करोड़ रुपये का बजट अपर्याप्त है जबकि यह भी बीजेपी के विधायकों के प्रयासों से सरकार को मजबूरी में जारी करना पड़ा।

हमारी केन्द्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों की विकास योजना सफल साबित हुई है और केन्द्र ने आकांक्षी ब्लाक योजना भी घोषित की गई है।

इसी तरह राज्य स्तर पर भी ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने की योजनाएं मिशन मोड पर चलाई जाएं।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में झील, नदी, तालाब इत्यादि से जलस्रोतों के पेटे में अतिक्रमण से आम जनता परेशान है। स्कूल और खेल के मैदानों की जमीन पर भी अतिक्रमण है। इन्हें तुरंत प्रभाव से हटाए जाने की मांग करता हूं।

उदयपुर मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा केन्द्र है। यहां की ग्रामीण आबादी की सहूलियत के लिए मैं उदयपुर में मिनी सचिवालय स्थापित करने की मांग करता हूं।

14 मार्च को राजसमंद के आमेट में मनीष पालीवाल की अवैध खनन कर्ताओं ने ट्रैक्टर चढ़ा कर हत्या कर दी।

पूरा राजस्थान खनन माफिया की जद में है। उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कुराबड, वलव, सरमर, गिंगला, खरका, वांसा और बुथेल में अवैध खनन जारी है। नदियों में खनन पर लगी रोक के बावजूद धड़ल्ले से खनन हो रहा है। इस कारण नदियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा जबकि राजस्थान में बहुत कम नदियां हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अवैध खनन नहीं रुक रहा है। नदियां, जंगल, पहाड़ खतम हो रहे हैं, जमीन बंजर होती जा रही है।

अरावली पर्वतमाला के जंगलों, पहाड़ों की अवैध कटाई और अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सीसारमा, कोड़ियात, उमरड़ा, डाकनकोटड़ा, काया जैसे क्षेत्रों की प्राकृतिक सम्पदा को तबाह कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन पहाड़ों, जंगलों और प्रकृति पर निर्भर है। उन ग्रामीणों, जनजातियों, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी संतुलन का भविष्य संकट में है। सरकार ग्रामीणों की भलाई के लिए सख्त कदम उठाए। यह मैं मांग करता हूं।

ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 75% है। बजट का अधिकांश हिस्सा शहरी क्षेत्र में खर्च किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस कारण रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा की खातिर ग्रामीण लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं और अपने घरों से दूर निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। शोषण का शिकार हो रहे हैं। पलायन से गांव की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर भी खराब प्रभाव पड़ता है।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर)

मांग संख्या 52 के संबंध में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की निम्न मांगें टेबल कर रहा हूं:

जीर्ण-शीर्ण भवन वाली पंचायत समिति

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	भवन की वर्तमान स्थिति	जर्जर होने का कारण
1	सादुलशहर	-	भवन पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका है	62 वर्ष पुराना

भवन विहीन ग्राम पंचायत

1	सादुलशहर	खाट सजवार	पुराना भवन नाकारा घोषित	
2	सादुलशहर	मोरजण्ड खारी	पुराना भवन नाकारा घोषित	
3	सादुलशहर	सरदारपुरा जीवन	पुराना भवन नाकारा घोषित	
4	सादुलशहर	बहरामपुरा बोदला	पुराना भवन नाकारा घोषित	
5	सादुलशहर	तख्तहजारा बावरियान	पुराना भवन नाकारा घोषित	
6	सादुलशहर	मम्डखेडा	पुराना भवन नाकारा घोषित	

अत्यधिक पुराने भवन वाली ग्राम पंचायत

1	सादुलशहर	अलीपुरा		
2	सादुलशहर	करड़वाला		
3	सादुलशहर	गदरखेड़ा		
4	सादुलशहर	चक महाराजका		
5	सादुलशहर	ताखरांवाली		
6	सादुलशहर	धर्मसिंहवाला		
7	सादुलशहर	नूरपुरा		
8	सादुलशहर	नारायणगढ़		
9	सादुलशहर	पन्नीवाली		
10	सादुलशहर	बुधरवाली		
11	सादुलशहर	बनवाली		
12	सादुलशहर	भागसर		
13	सादुलशहर	मन्नीवाली		
14	सादुलशहर	रोटांवाली		
15	सादुलशहर	हाकमाबाद		

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द)

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

1. ग्राम परिषद्: अभी छोटी एवं बड़ी सभी ग्राम पंचायतों में एक जैसी शासकीय व्यवस्था है जबकि नगरीय क्षेत्रों के लिए जनसंख्या एवं क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम की व्यवस्था है। आवश्यक प्रशासनिक संरचना नहीं होने के कारण बड़ी ग्राम पंचायतों में नागरिकों के कई कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी के कारण विकास योजनाओं को भी सही ढंग से लागू करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 5000 से अधिक की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को ग्राम परिषद् के रूप में वर्गीकृत करके इनके लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना बनाई जानी चाहिए। ऐसी प्रत्येक ग्राम परिषद् के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। ग्राम परिषदों को विशेष अनुदान देने का प्रावधान भी होना चाहिए।

2. प्रत्येक गांव में सामुदायिक भवनः प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन एवं कम से कम 10 कमरों का सामुदायिक आवास गृह होना चाहिए। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक भवन एवं आवास परिसर बनाने की आवश्यकता है।

3. विधायक विकास निधि के कई प्रस्ताव जिला परिषद् स्तर पर निरस्त कर दिए जाते हैं। ग्रामों में सार्वजनिक सम्पत्ति की परिनिर्माण के सभी प्रस्ताव, जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा अन्य राजकीय विभाग कार्यकारी अधिकरण हो, उन्हें निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। योजना में दिए गए प्रस्तावों को अपवाद स्वरूप एवं अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही निरस्त किया जाना चाहिए।

4. गांव में धार्मिक स्थलों के समीप छतयुक्त चबूतरों, सामुदायिक सभागार एवं धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए गांववासियों का बड़ा आग्रह रहता है।

इन सभी कार्यों को विधायक विकास निधि योजना में अनुमति दी जानी चाहिए।

5. गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट निस्तारण की समग्र योजनाएं बनाकर यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

6. गांवों में आवासीय भूमि का विस्तार और चरागाह भूमि के विकास की स्पष्ट नीति बनाकर लागू करना चाहिए।

7. निर्मित आवास देने के लिए ग्रामीण आवासन मंडल की स्थापना की जानी चाहिए।

8. गांव में आय के अवसर बढ़ाने और रोजगार बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए पृथक् नीति बनाई जानी चाहिए। ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू करनी चाहिए।

9. जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने गांव में शहरों के समान सुविधाएं देने का और अधोसंरचना के विकास का वादा किया था। सरकार में आये 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, किंतु गांव में शहरों के समान सुविधाएं देने के काम को गति नहीं मिल पाई है।

10. विगत चार वर्ष से राजसमंद विधान सभा के सरपंचों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के समायोजन जिला स्तर से लगातार अटकाये जा रहे हैं तथा समायोजन के नाम पर मूल्यांकन में कटौतियां या की जा रही हैं तथा पंचायतों का विकास अवरुद्ध किया जा रहा है। हालात यह है कि कोई संवेदक नये कार्य शुरू करने में भी इच्छुक नहीं है।

मान्यवर, अनुरोध है कि दिनांक, 01 जनवरी, 2019 से जिला परिषद् द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं तथा MP MLA मगरा SFC FFC यूरोपियन यूनियन नाबार्ड जनसहभागिता गुरु गोलवलकर स्वविवेक इत्यादि योजनाओं के कुल कितने निर्माण कार्यों के समायोजन किये गए हैं? प्रत्येक कार्य के समायोजन आदेश की प्रति उपलब्ध करवायी जाए। मान्यवर, (Estimate) के नाम पर अकेले राजसमंद विधान सभा में सरपंचों के द्वारा कराये गये कार्यों में 10 करोड़ की वसूलियां निकाली गई हैं जो राजनीतिक द्वेषता ओर भाई-भतीजावाद के ज्वलंत उदाहरण हैं। ज्ञात रहे जिले में पंचायती राज में 75 प्रतिशत से अधिक Aen, Jen के पद रिक्त हैं।

11. मैं आपके द्वारा यह मांग रखना चाहती हूं कि विधायक मद में सौर ऊर्जा की लाइट्स या तो हमें Allow करें या फिर आप स्वयं गांव में especially गांव के मुख्य मार्गों पर सौर ऊर्जा की लाइट्स दें।

12. गांव में कचरा उठाने की एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया करके कचरा उठाने के प्रोपर व्हीकल्स न कि ई-व्हीकल्स देवें।

13. मेरे विधान सभा क्षेत्र के ज्यादातर पंचायत भवन जर्जर अवस्था में हैं। कृपया उनके हालात सुधारने के लिए बजट देकर अनुग्रहित करें।

14. केलवा में उप-तहसील की मैं मांग रखती हूं।

15. गिलूण्ड में पुलिस थाना एवं आईटीआई कालेज की मांग रखती हूं।

16. मेरे यहां बिनोल पंचायत के शहीद नारायणलाल जी गुर्जर जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उस शहीद की वीर नारी के मकान का पट्टा आज तक जारी नहीं हुआ। कलेक्टर के आदेशों की भी अवहेलना हुई है। कृपया करके प्राथमिकता से उक्त विषय पर संबंधित कार्यवाही करवाने का श्रम करें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52- पंचायती राज विभाग एवं मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका एवं मेरी पार्टी के नेताओं का बहुत-बहुत आभार।

मैं कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र 2018 के कुछ बिन्दुओं पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पेज नं. 3 क्र.सं. 5:- किसानों की फसल के नुकसान के आंकलन की व्यवस्था में सुधार करते हुए उसे व्यावहारिक बनाना तथा उसकी फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाना, लेकिन आपने चार वर्षों में कभी अल्प वर्षा, कभी अतिवृष्टि, कभी पाला, कभी असमय बारिश से हुए नुकसान, अभी इस वर्ष भी पाला पड़ा, ओले पड़े, असमय बारिश होने से नुकसान पेटे एक रुपये का मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि गिरदावरी कराके मुआवजा दिलावें।

क्रम संख्या 6 :- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था, लेकिन आपने नहीं की।

क्रम संख्या 7: वृद्ध किसानों को पैंशन, लेकिन किसी भी किसान को पैंशन नहीं दी गई है।

क्रम संख्या 17:- मनरेगा योजना के तहत कृषि कार्यों एवं भूमि विकास के कार्यों को जोड़ना, लेकिन ऐसी स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही हैं।

पेज नं. 5 क्रम संख्या 3:- लघु और सीमांत किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा करना, लेकिन नहीं किया।

क्र.सं. 7:- चल पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करना, आपने नहीं की।

पेज नं. 6 क्रम संख्या 5:- सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर

कराना, सरकार ने अभी सहकारी समितियों के चुनाव तो करा लिए लेकिन उससे आगे के चुनाव बैंकों के नहीं कराये, शायद समितियों में सत्ता पक्ष की हालत बहुत खराब रही।

पेज नं. 18 क्र.सं. 11:- प्रदेश में रोडवेज बसों को यथावत चालू रखने का वादा किया गया, लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पूर्व में चलने वाली उदयपुर से बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी से नीमच, बड़ी सादड़ी से चित्तौड़गढ़, उदयपुर से बोहेडा एक-दो को छोड़कर लगभग सभी बसों को बन्द कर दी है। अभी आपने रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराये में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत छूट दी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसें ही नहीं चलेंगी तो छूट किस काम की? इस छूट को लोक परिवहन एवं प्राइवेट बसों में भी लागू किया जावे।

पेज नं. 25 क्र.सं. 3:- पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान व खेल परिसरों का निर्माण करेंगे, आपने नहीं किया।

पेज नं. 30 क्र.सं. 4:- सभी सरकारी विभागों व निगमों में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.एस. वर्ग के खाली पदों के बैकलॉग को शीघ्र भरने का वादा किया मगर पूरा नहीं हुआ।

पेज नं. 38 क्र.सं. 51:- राजस्थान में गर्मी के मौसम में घरों में आगजनी की विकराल समस्या को देखते हुए पीड़ित परिवार को त्वरित सहायता के रूप में सात दिन के अन्दर 1 लाख रुपये की मदद दी जायेगी लेकिन चार वर्षों में ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2019 क्र.सं. 39:- सरकार आने वाले पांच वर्षो में समस्त ग्राम पंचायतों में एक-एक नया ग्रामीण विकास पथ बनायेंगे, मेरी विधान सभा क्षेत्र की 91 पंचायतों में से केवल एक विकास पथ का कार्य हुआ है।

बजट घोषणा 2019 क्र.सं. 106:- राज्य की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बडेकर भवन बनाये जायेंगे, मेरे यहां पर नहीं बने हैं।

सभी पं.स. मुख्यालयों पर नंदी शालाएं खोलेंगे, मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं खुली।

एक-एक मेडिकल मोबाइल वैन उपलब्ध कराना, नहीं कराई

बजट घोषणा 2020 क्र.सं. 40:- किसानों को खेत के नजदीक कृषि विपणन की सुविधा देने हेतु डूंगला में गौण मंडी को मंडी बनाने की घोषणा

की गई थी लेकिन अभी डूंगला में मण्डी नहीं चल रही है, इसे अविलम्ब चालू किया जावे।

बजट घोषणा 2020 क्र.सं. 122:- राज्य के 12 जिलों में जिसमें मेरा चित्तौड़ जिला भी शामिल है, उसमें किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया गया था मगर अभी तक भी सरकार यह व्यवस्था करने में नाकाम रही। किसानों को पूरी-पूरी रात खेतों में पाणत करनी पड़ी।

बजट घोषणा 2021 क्र.सं. 200:- जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे देने की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक 5 प्रतिशत जनजाति परिवारों को भी पट्टे नहीं दिये गये हैं।

बजट घोषणा 2022-23 क्र.सं. 49:- बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में भुरक्याकला व करसाना में दो नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

अगस्त 2021 में सरकार ने जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना प्रारम्भ की गई, इसमें 30 प्रतिशत राशि विधायक मद सांसद मद से देने से 70 प्रतिशत जनसहयोग जनजाति विभाग देगा लेकिन इसमें मैंने 2.75 करोडों रुपये के प्रस्ताव दे रखे हैं मगर इसमें स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही हैं, इन्हें अविलम्ब जारी कराई जावे।

पिछली वसुन्धरा जी की सरकार में गुरु गोलवलकर योजना चलती थी जिसमें श्मशान विकास में 10 प्रतिशत एवं अन्य कार्यों में 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग से, बाकी राशि राज्य सरकार देती थी, जिसमें उस समय कई कार्य हुए थे, आपने इन चार वर्षों में एक पैसा भी इस योजना में नहीं दिया है। अभी भी जन सहयोग के लाखों रुपये जमा हैं।

अभी प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय पर दिनांक 6 एवं 7 फरवरी को मेरी विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की तीन पंचायतों के महिलाओं सहित हजारों लोगों ने मूलभूत सुविधाओं, सड़क, लाइन से बिजली, मोबाइल टावर आदि मांगों को लेकर धरना दिया, आजादी के 75 वर्ष पश्चात भी इन पंचायतों पाल, मांडकला, सरीपीपली में सड़कों की सुविधा नहीं है। अतः इन पंचायतों के सभी गांवों में ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति जारी की जावे। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की एक पंचायत पं.सं. प्रतापगढ़ में है जबकि बाकी सभी पंचायतें धमोतर पं.स. में है।

राजस्थान सरकार में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख साक्षर चलेंगे लेकिन सहकारी समिति सदस्य जो 40 से 80 वोटर पर एक है वो आठवीं पास चाहिये।

प्रशासन गांवों के संग अभियान में बापी पट्टों के कई आवेदन प्राप्त हुए लेकिन ज्यादातर पट्टे अभी तक जारी नहीं किये गये हैं, इन्हें अविलम्ब जारी किया जावे।

ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायकों की कमी है, इन्हें तुरन्त भरा जावे।

मनरेगा योजना में जिन पंचायतों में श्रम सामग्री अनुपात है वहीं पर ग्रेवल सड़कें एवं सी.सी. रोडों की स्वीकृतियां जारी की जावें तथा सी.सी. रोडों की चौड़ाई जो अभी दस फीट चौड़ी ही बन सकती हैं, इसे दिवाल से दिवाल तक बनाने की स्वीकृतियां जारी हों।

ग्रामीण विकास विभाग की बी.एस.आर. तथा विभागों की बी.एस.आर. रेट में बहुत फर्क है, ग्रामीण बी.एस.आर. रेट बहुत कम है, इसे भी बढ़ाया जावे।

विभाग पूर्व में किये हुए कार्य पर वापस 5 से 7 वर्ष में दोबारा कार्य कर सकते हैं जबकि पंचायती राज संस्थाएं 10 वर्ष तक वहीं पर कार्य नहीं कर सकते हैं। इसे विभाग के समान किया जावे।

पंचायतों को ग्रेवल डालने के लिए छूट दी जावे।

मनरेगा योजना में पंचायती राज विभाग के अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग के कार्यों की भी स्वीकृतियां जारी की जावें। अभी ये विभाग मनरेगा का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं।

अनटाइड फंड योजना पिछले चार वर्षों से बन्द है।

एस.एफ.सी. राज्य वित्त आयोग की दो किस्तें अभी तक बाकी हैं, इसे पंचायतों के खातों में अविलम्ब राशि डाली जावे।

पंचायती राज विभाग को पांच विभाग सुपुर्द किये गये थे उन विभागों से सम्बन्धित सभी अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को देना चाहिये।

विधायक मद की स्वीकृतियां

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की बैठकें बराबर होती नहीं हैं, जो समय निर्धारित है उतनी बैठकें आवश्यक रूप से हों। अगर नहीं होती हैं तो ग्राम विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिये तथा इन बैठकों में विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, नहीं आने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

चुनाव करा भूली सरकार

सत्ता संभालने के बाद जोर शोर से पंचायत पुनर्गठन करने वाली सरकार चुनाव के बाद नई बनी पंचायतों को भूल बैठी है। पुनर्गठन के जरिये नवम्बर 2019 में सरकार ने 1455 ग्राम पंचायतों को नये नाम तो दे दिये लेकिन करीब 3.25 वर्ष बीतने के पश्चात् भी 83 प्रतिशत पंचायतों को कामकाज के लिए नये कार्यालय तक नहीं दे पाई है।

नई बनी 57 पंचायत समितियों के भवन बनाने के लिए सरकार अभी तक केवल भूमि ही ढूंढ रही है, एक का भी भवन नहीं बना है।

1. सभी रिक्त पद अविलम्ब भरे जावे।

2. वागन बांध की दोनों मुख्य नहरों एवं कैनाल को शुरू से आखिर तक नवीनीकरण किया जावें।

3. पीन्ड बांध की नहरें बनाई जावें।

4. धमोतर में उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय खोला जावे।

5. देवगढ़ नायब तहसील को तहसील बनाया जावे।

6. बरडीया में अजमेर विद्युत वितरण निगल लि. का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जावे।

7. विधायकों के वेतन भत्ते बहुत कम हैं, इन्हें बढ़ाया जावे।

8. जिला प्रमुख, प्रधान सरपंचों का मानदेय बहुत कम है, इसे बढ़ाया जावे।

9. जिला परिषद सदस्य, पं.स. सदस्य को भी मानदेय दिया जावे।

10. पंचायत समितियों में जो वाहन हैं उनकी हालत बहुत खराब है 2011 में वाहन आये तो तब से अब तक कई बार रिपयेरिंग कराते-कराते नाकारा हो गये हैं, इन्हें नये वाहन दिलाया जावें।

11. पूर्व सरपंचों का मानदेय व और कोई रुपया लेना बाकी है तो ये राशि उनको दिलाई जावे क्योंकि अभी जो सरपंच हैं वो भी पूर्व सरपंच बनेंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा)

(1) ग्राम पंचायतों को SFC का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरपंच संघ द्वारा इसको लेकर कई बार ज्ञापन दिये गये तथा अभी भी दर-दर भटक रहे हैं। श्रीमान जी, आपसे अनुरोध है कि SFC की बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाए ताकि पंचायत का विकास हो सके।

(2) सभापति महोदय, वर्तमान में सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 लाख से अधिक राशि कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं कर रखा है, विकास कार्य की राशि 6 लाख से अधिक होने पर कार्य टेंडर प्रक्रिया में चला जाता है तथा कार्य सम्पूर्ण होने में समय लगता है। श्रीमान जी, पंचायतों में कार्य छोटे-छोटे होते हैं, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि 10 लाख तक कार्य के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को ही अधिकृत करें ताकि विकास कार्य की प्रगति बनी रहे।

सरपंच, पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जावे। पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों को अधिकार दिये जावें।

(1) 1960 के दशक में हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र में आबादी चकों के ले-आउट प्लान (नक्शे) बनाये गये थे परंतु 60 सालों में न तो इन्हें लागू किया गया और न ही राजस्व रिकार्ड में इन नक्शों के आधार पर कोई परिवर्तन किया गया।

(2) अब कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा इन 60 वर्ष पुराने नक्शों के आधार पर हाई कोर्ट के आर्डर हो रहे हैं एवं गांवों के गांव तोड़ने पड़ सकते हैं।

(3) इन ले-आउट प्लान जिन कालोनाइजेशन विभाग बीकानेर द्वारा बनाये गये थे, उनके पास ही प्रमाणित कापी उपलब्ध नहीं है।

(4) स्वामित्व योजना में सरकार सभी गांव के नये नक्शे बनाये जा रहे हैं, तो इन ले-आउट प्लान को सरकार निरस्त करे, नये नक्शे लागू करे एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी करे ताकि बसे हुए गांव टूटने से बचें, प्रभावित न हों।

राशन डीलर की मांग पर ध्यान दें ताकि आमजन को राशन समय पर मिले।

मनरेगा श्रमिक को मजदूरी पूरी नहीं मिलती, टास्क सही नहीं है।

दूसरी दूर-दराज गांव नेटवर्क नहीं होने से हाजिरी नहीं लगती, श्रमिक को मजदूरी पूरी नहीं मिलती।

विधायक कोष की राशि समय पर खर्च नहीं हो रही है। काफी सरपंच तो काफी दिनों एम.एल.ए. कोटा लिए बैठे हैं।

जानबूझकर कर हमारी दी हुई राशि 5 लाख है तो जे.ईन. उसका एस्टीमेट 7 लाख कर देता है।

(1) पंचायतों में करवाये जाने वाले कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं। पंचायतों में टेण्डर जो सप्लाई (मैटेरियल) खतम कर पी.डब्ल्यू.डी. के समकक्ष बी.एस.आर. के निर्माण कार्य करवाये जावें, सरंपचों को अधिकार मिलें।

(2) पंचायतों में पट्टे सरपंच अपनी मनमर्जी से बनाता है क्योंकि वहां वोटों की राजनीतिक होती है, जरूरतमंद पट्टे से वंचित रह जाता है। प्रार्थी के आवेदन करने पर समय सीमा में पट्टा बनाया जावे।

(3) पंचायत समितियों की बैठक साल में दो बार करते हैं जबकि यह बैठकें त्रैमासिक (3 माह) होनी चाहिए। स्टैडिंग कमेटी की बैठक हर माह होनी चाहिए ताकि गांवों में विकास कार्य में बाधा न आ सके।

(4) ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

गांवों में बाजार व मुख्य स्थानों की सफाई हर रोज होनी चाहिए व आज कल गांवों में नालियों व पानी निकासी के पक्के निर्माण खूब हुए परन्तु सफाई कर्मचारी नहीं होने के कारण उन नाली-नालों की सफाई नहीं होती है जिसके कारण आज गांवों में मच्छर व बीमारियां फैल रही हैं। सरकार को गांव में स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जावे।

पंचायत मुख्यालय को उसी पंचायत के गांवों को सड़क से जोड़ा जावे ताकि ग्रामीण व्यक्ति को पंचायत मुख्यालय में आने में दिक्कत नहीं आये व मनरेगा के माध्यम से ग्रेवल रोड पंचायतों द्वारा बनाई जाती थी, वो बन्द कर दी। ग्रेवल रोड वापस पंचायतों के माध्यम से बनाने का आदेश करें।

गौरव पथ बनते थे अब विकास पथ जो एक भी नहीं बना।

प्रदेश की पंचायतों में राज्य वित्त आयोग की राशि समय पर नहीं मिलती जिसके कारण पंचायतों का विकास कार्य ठप हो जाता है। जिस प्रकार भारत सरकार वित्त आयोग की राशि पंचायतों के खाते में भेजते हैं। उसी प्रकार राज्य द्वारा भी वित्त आयोग की राशि समय पर भेजें तो विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होंगे।

मनरेगा के माध्यम प्रत्येक गौशाला में गोवंश के लिए चारा गोदाम, छाया हेतु टीन शैड, पानी की खैल, पक्के फर्श, चारदीवारी करवानी चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास लाभान्वितों की सूची समय पर चस्पा की जावे ताकि पात्र व्यक्ति को मकान मिल सके।

2018 की सूची के व्यक्तियों के नाम सूची से हटा दिया, पात्र व्यक्ति

को वंचित कर दिया। ऐसी पंचायतों के रिकार्ड जांच कर दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

श्री नगराज (धरियावद)

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी निम्नलिखित मांगों को टेबल करता हूं:-

1. चुनिंदा जनप्रतिनिधि जिसमें जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंच, वर्तमान में इनको जो मानदेय मिल रहा है वो न के बराबर है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि इन चुनिंदा जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाय।

2. मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद में 102 ग्राम पंचायतें आती हैं जिसमें 47 पंचायतें समिति धरियावद, 26 पंचायत समिति लसाडिया, उदयपुर और 29 पंचायतें पंचायत समिति झल्लारा, उदयपुर के अन्तर्गत आती हैं परन्तु जो पंचायतें पुरानी हैं उनके भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में खण्डहर होकर गिरने की स्थिति में हैं, उन भवनों को रिपेयर कराने की मैं पंचायती राज मंत्री महोदय से मांग करता हूं तथा शेष जो नवीन पंचायतें हैं जो भवन रहित हैं उनके भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जावे जिससे पंचायत में राजकीय कार्य व अन्य कार्यों में जनता की सेवा हेतु राज्य कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि निर्वहन बखूबी कर सकें। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी होकर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर सीसी सड़क एवं पुलिया निर्माण का अलग से बजट स्वीकृत किया जाय, जो प्रत्येक पंचायत में 5-5 किमी. सीसी सड़क स्वीकृति की जाय जिससे कि आमजन को सुविधा मिल सके। साथ ही सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमरों की कमी को देखते हुए प्रत्येक विद्यालय को 4-5 कक्षा-कक्ष स्वीकृति दिलवाई जावे। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय एवं विद्यालयों में पेयजल हेतु 1-1 सोलर पनघट की स्थापना कि जाय जिससे की आमजन को पेयजल की व्यवस्था हो सके।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग सं. 52 एवं 53 पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की अधिकतर आबादी गांवों में निवास करती है, इसलिए जरूरी है कि इतनी बड़ी आबादी के विकास हेतु गांवों का विकास किया जाये, गांवों में सुविधायें बढ़ाई जायें।

महात्मा गांधी नरेगा योजनाः-

महोदय, केन्द्र में हमारी कांग्रेस की सरकार के समय महात्मा गांधी नरेगा योजना गांवों के लिए प्रारम्भ की थी जो कि बहुत अच्छी योजना है। गांवों में इस योजना से अच्छे काम हुए हैं। इस योजना में गांवों में जो पक्के काम पंचायतों द्वारा करवाये जाते हैं उन कामों के मैटेरियल का बजट भारत सरकार से आना होता है परन्तु वर्तमान केन्द्र सरकार पंचायतों द्वारा करवाये गये कार्यों के मैटेरियल की राशि का बजट समय पर नहीं देती है। पंचायत द्वारा काम करवा दिया जाता है परन्तु उनको भुगतान बारह-बारह महीने तक नहीं होता है, जिसके कारण अब पंचायतें मनरेगा में पक्के काम करवाने में रुचि नहीं लेती हैं। इसलिये मैं सामने बैठे मेरे विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि केन्द्र में आपकी सरकार है, आप अपने सांसदों से कहो कि केन्द्र का हिस्सा समय पर दिलवायें ताकि इस योजना में पक्के कार्य हो सकें।

विधायक / सांसद निधि कोष की गाइड लाइन में बदलावः-

अध्यक्ष महोदय, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की गाइड लाइन में कुछ कमियां हैं। जैसे गांवों के पुराने समय के रास्ते हैं जिनका उपयोग आमजन बहुत लम्बे समय से कर रहा है तथा आम रास्ते हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में कटे हुए नहीं हैं। अब ग्रामीणजन हमारे पास आते हैं कि हमारे रास्ते में खुर्रा बनाओ, सी.सी. सडक बनाओ और जब हम उस कार्य की पटवारी से रिपोर्ट मंगवाते हैं तो यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी में नहीं है। ऐसे रास्तों को खातेदार सहमति देकर इनको राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवा देते हैं परन्तु इनके खातों में रास्ते के साथ खातेदारों के नाम भी साथ दर्ज रहते हैं, जिसमें गाइड लाइन आगे आ जाती है कि यह रास्ता अलग से कटानी नहीं है और वो काम नहीं हो पाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गाइड लाइन में बदलाव किया जाये तथा पंचायती राज व राजस्व विभाग के नीचे के स्तर के कर्मचारी पटवारी, ग्राम सेवक यदि यह रिपोर्ट करें कि यह आम रास्ता है और आमजन के काम आ रहा है, तो ऐसे कार्यों की स्वीकृति जारी करने का प्रावधान किया जाये।

गांवों में स्वच्छता की ओर ध्यान देनाः-

महोदय, आजकल गांवों के मुख्य रास्ते अधिकतर पक्के हो गये हैं तथा नालियों का निर्माण हो चुका है परन्तु पंचायतों के पास इन नालियों की

सफाई के लिए कोई बजट नहीं होता है, जिसके कारण इनकी समय पर सफाई नहीं होती है और यह नालियां कचरे से भरी पड़ी रहती हैं तथा गांव के मुख्य मार्गों पर कीचड़ भरा रहता है। अतः ग्राम पंचायतों को सफाई के लिए अलग से बजट दिया जायें ताकि गांव साफ सुथरे रहें।

ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ानाः-

महोदय, गांवों के विकास के लिए हमे ग्राम पंचायतों की निजी आय पर ध्यान देना होगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि गांवों में जो भी सरकारी या निजी संस्थान, जैसे मोबाइल कम्पनियां अपने टावर लगाती हैं, जो निजी भूमि पर लगाती हैं, बैंक अपनी ब्रांच खोलता है या अन्य कोई विभाग या संस्था अपने संस्थान स्थापित करता है तो उनसे गांवों के विकास के लिए कुछ राशि पंचायतों को दें, ऐसा प्रावधान किया जाये जिससे ग्राम पंचायतों की आय बढ़ेगी तथा ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी।

पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूत बनानाः-

महोदय, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पंचायती राज के प्रतिनिधियों यथा जिला परिषद् सदस्यों/पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत करना होगा। उनके पास अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए न तो कोई बजट होता है, न ही अन्य कोई पावर होती है, जिसके कारण इनके चुनावों में जनता को ज्यादा रुचि नहीं रहती है। अतः पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला परिषद् सदस्यों/पंचायत समिति सदस्यों को भी विधायक/सांसद की भांति अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए अलग से बजट आबंटित किया जाये या जिला परिषद् व पंचायत समिति के बजट में से कुछ राशि सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए आबंटित करने के अधिकार दिये जाने चाहिये जिससे पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पंचायतों का वित्तीय भार कम किया जायेः-

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कई जगह सिंगल फेज ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जिनका बिजली का बिल ग्राम पंचायतों को भरना पड़ता है। पंचायतों के पास अपनी कोई निजी आय नहीं होने के कारण इनकी बड़ी समस्या आती है। अत: ऐसे सिंगल फेज ट्यूबवैलों पर यदि सरकार सोलर सिस्टम लगा दे तो ग्राम पंचायतों पर आने वाला वित्तीय भार कम होगा तथा ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी।

कर्मचारियों की कमीः-

महोदय, आज टैक्नोलोजी का जमाना है, हर काम आनलाइन हो गया है लेकिन हमारी पंचायत समितियों में टैक्नोलोजी के जानकार कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्यायें आती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि हर पंचायत समिति में दो-दो सूचना सहायकों के पद सृजित कर कर्मचारी लगाये जायें।

दूसरा, कई ग्राम पंचायतों में एलडीसी नहीं हैं, तो जहां-जहां एलडीसी नहीं हैं वहां संविदा पर एलडीसी लगाये जायें ताकि ग्राम पंचायतों के कार्य समय पर हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम विकास अधिकारी जो कि पंचायती राज की मुख्य कड़ी है, उनकी भी अपनी समस्या है। एक-एक ग्राम विकास अधिकारी के पास कई-कई पंचायतों का कार्यभार रहता है तथा उनके पास अपने क्षेत्र के कार्यों को देखने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए उनको संसाधन उपलब्ध करवाये जायें या इनको कोई विशेष भत्ता बगैरह दिया जाये तथा ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाये।

एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व के जो सरकारी संस्थान बने हुए हैं जैसे स्कूल, अस्पताल आदि, जिनकी भूमि उनके नाम नहीं है, ऐसे भवनों की मरम्मत करवाने में दिक्कत आ रही है। भवन पुराने होने के कारण जर्जर हो रहे हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। अतः ऐसे भवन चाहे किसी भी भूमि पर बने हुए हो, उनकी मरम्मत की स्वीकृति दी जाये।

गांवों में आबादी तेज गति से बढ़ रही है लेकिन आबादी भूमि का विस्तार नहीं किये जाने के कारण लोग अपने घरों के पट्टे नहीं बनवा पा रहे हैं। इसलिये गांवों में आबादी विस्तार किया जाये ताकि आमजन अपने घरों के पट्टे बनवा सकें तथा नई आबादी भूमियों में रास्तों के चौड़ाईकरण को फिक्स किया जाये।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि फतेहपुर में पंचायत समिति का भवन लगभग 50 साल पुराना है जो जर्जर अवस्था में है। इस भवन के स्थान पर नया पंचायत समिति का भवन बनाये जाने हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किये जाकर पंचायत समिति फतेहपुर के नये भवन का निर्माण करवाया जाये।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेरे स्वयं के गांव रोलसाहबसर में पूरे गांव का नालियों का पानी और बरसाती पानी गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चारों ओर आकर जमा होता है जिसके कारण अस्पताल में मच्छर फैले रहते हैं तथा पानी बदबू मारता रहता है, जिसके कारण अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान रहते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस कार्य के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत कर इसका समाधान करवाकर जनता को राहत प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने को मौका दिया, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

जय हिन्द। जय भारत।